(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक–6 नवम् विधान सभा के षष्ठम् सत्र का बत्तीसवां दिवस संख्या–20

गुरुवार,

दिनांक 26 मार्च, 1992

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

सूचना

श्री अध्यक्ष : Hon'ble Members, it gives me immense pleasure in informing this august House that on invitation of our Parliament, an Afghan Parliamentary delegation led by His Excellency Dr. Khalil Ahmad Abwai, President, House of Representatives (Wolesi Jirgarh) on a visit to India, has come to this historical pink city of Jaipur, Rajasthan, and at the moment is with us in the Governor's Box to witness the proceedings of this Assembly. Other distinguished members of the delegation are :—

1. Dr. Shah Ali Akbar Shahristani, Vice Chairman of the Senate of the National Assembly of the Republic of Afghanistan.
2. Mr. Mahrabudien Paktiawal, Senator and Head of the Commission of the International Affairs of the Senate.
3. Mr Khezar Gul Tughra, Senator and Member of the Trade and Industrial Commission of the Senate of the Republic of Afghanistan.
4. Mr. Habib-ur-Rehman Momand, Member of House of Representatives.
5. Dr. Bismillah Omar, Member of Parliament in the House of Representatives.

तारांकित प्रश्नोत्तर

डा. जितेन्द्र । प्रश्न संख्या 591 ।

जैसलमेर महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाएं

591. **श्री जितेन्द्र सिंह (जैसलमेर)** : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(2

(श्री जितेन्द्र सिंह)

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले के महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाएं चालू सत्र से ही शुरू करने की योजना बनाई जा चुकी थी, लेकिन अब तक इसमें कोई विशेष प्रगति नहीं हुई ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) उपरोक्त स्नातकोत्तरक क्षाएं कब से प्रारम्भ कर दी जाएंगी ? निश्चित तारीख से अवगत कराएं।

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री रतनलाल जाट) : (1) जी नहीं। चालू शैक्षणिक सत्र में स्नातकोत्तर कक्षाएं आरम्भ करने की कोई योजना नहीं बनाई गई।

(2) निर्धारित मानदण्ड, उपलब्ध संसाधन तथा गुणावगुण पर विचार कर अन्य स्थानों की मांग के साथ ही विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

श्री जितेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रथम प्रश्न तो यह है, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने खण्ड दो का उत्तर दिया है कि निर्धारित मानदण्ड, संसाधनों की उपलब्धता तथा गुणावगुण के आधार पर स्नातकोत्तर कक्षाएं खोलने का निर्णय लिया गया, क्या वे इस पर विस्तार से प्रकाश डालने का कष्ट करेंगे ?

श्री रतनलाल जाट : माननीय अध्यक्षजी, 1985 के बाद राजस्थान में डिग्री कालेजों को पी. जी. कालेजेज में क्रमोन्नत नहीं किया गया था। 1990–91 में दो नये कालेज खोले गये थे और इस सत्र में 4 कालेज खोले गये। जहां तक पी. जी. क्लासेज जैसलमेर में खोलने का सवाल है, जैसलमेर शिक्षा समिति, क्षमता विचार मंच और जिला नियोजन 3 स्तर पर जैसलमेर से मांग आई थी। इसी तरह से पी. जी. कालेज क्रमोन्नत करने के बारे में हमें 30 जगह से डिमाण्ड्स प्राप्त हुई थीं, लेकिन वर्ष 1990–91 में पी. जी. कालेजेज खोलने और डिग्री कालेजेज को क्रमोन्नत करने में किसी प्रकार का बजट में कोई प्रावधान नहीं था। इस आधार पर पी. जी. कालेजेज नहीं खोले गये।

जहां तक माननीय सदस्य ने मापदण्डों की बात की है, पी. जी. क्लासेज खोलने के बारे में निर्धारित मानदण्ड हैं–पहला, विषय आरम्भ करने के लिए स्थानीय मांग होनी चाहिए, जो वहां जैसलमेर की भी है। सदस्यों की संख्या, लगभग 20 एक विषय में होनी चाहिए। तीसरा, आस–पास के क्षेत्र में उस विषय के अध्यापन की सुविधा अगर उपलब्ध नहीं है। विश्वविद्यालय एफीलिएशन की कन्डीशन को वह कालेज पूरा करता हो और साथ ही उस पी. जी. कालेज के लिए फर्नीचर, प्रयोगशाला और अन्त में रोजगार के आधार पर उस क्षेत्र में सम्भावनायें उपलब्ध हों। इन्हीं आधारों पर पी. जी. कालेजेज खोले जाते हैं। माननीय सदस्य ने जो जैसलमेर के बारे में सवाल किया है तो जैसलमेर में जो छात्रों की संख्या है वह काफी नगण्य–सी है और उसके आधार पर वहां पी. जी. क्लासेज खोलने की कोई सम्भावना नहीं है 1991–92 में वहां विज्ञान संकाय में केवल 12 छात्र थे, कला संकाय में 31 थे और वाणिज्य संकाय में 11 थे। वर्ष 1990–91 में केवल 29 छात्र विज्ञान में थे, कला में 82 थे और वाणिज्य में 40 थे और 1989–90 में छात्रों की संख्या क्रमशः 19, 26 और

(श्री रतनलाल जाट)

17 थी। इसके अलावा जहां भी पी. जी. क्लासेज हैं वहां पर छात्रों की संख्या उस कालेज में 500 से लगा कर 1500 तक की है और इस साल के बजट में पी. जी. क्लास खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

श्री जितेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष माननीय मंत्री महोदय ने कुछ मानदण्ड बताये और नहीं खोलने का सबसे बड़ा कारण यह बताया कि छात्रों की संख्या कम है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निम्न बिंदु माननीय मंत्री महोदय के विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहूंगा। सर्वप्रथम तो जैसलमेर राजस्थान का एकमात्र जिला है जिस जिले में स्नातकोत्तर कक्षाओं की कोई सुविधा ही नहीं है। शायद बारां ही एक ऐसा और जिला है लेकिन वह नव सृजित है। कोटा बारां के बहुत पास पड़ता है। बारां जिले के सिवाय राजस्थान के समस्त 30 जिलों में जैसलमेर एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें कोई पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज की सुविधा नहीं है। जैसलमेर का स्नातक कालेज भी लगभग 20–25 वर्ष पुराना हो चुका है और काफी दिन से स्नातकोत्तर कक्षाओं की मांग आ रही है पर कक्षायें नहीं खोली गयीं। पिलानी से निर्वाचित माननीय सदस्या जब उच्च शिक्षा मंत्री थीं तब उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया था, वे इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं। दूसरे बिंदू हैं कि जैसलमेर एक सीमान्त क्षेत्र है और स्नातकोत्तर कक्षाओं की सुविधा का निकटतम स्थान या तो जोधपुर है जो 310 किलोमीटर दूर है या फिर बाड़मेर है जो 170 किलोमीटर दूर है। इतनी दूरी प्रदेश में ही नहीं, मेरा ख्याल है कि समस्त भारतवर्ष में कहीं नहीं होगी। तीसरा, जो संसाधनों की उपलब्धता का आपने बताया उसके लिए मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जैसलमेर में डिग्री कालेज में वाणिज्य संकाय में सबसे अधिक छात्र रहे और आज की तारीख में राज्य सरकार में कामर्स के 155 लेक्चरर्स सरप्लस हैं, हालांकि माननीय मंत्री महोदय इसको नकारते हैं, जिस पर सरकार का एक करोड़ से सवा करोड़ रुपया व्यय हो रहा है प्रति वर्ष और उनकी उपयोगिता नहीं है। तो कम से कम एम. काम. की कक्षाएं तो आरम्भ की जा सकती हैं। अगर जैसलमेर कालेज को स्नातकोत्तर कालेज किया जाय तो केवल एक लाइब्रेरियन, एक यू. डी. सी. और एक फिजिकल ट्रेनिंग इन्स्ट्रक्टर की आवश्यकता होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगी। जहां तक प्रिंसिपल की ग्रेड का सवाल है, सीनियर लेक्चरर्स उपलब्ध हैं। वे 4500 से लेकर 7300 की ग्रेड में आलरेडी हैं इसलिए सरकार पर यह वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा।

इसके अतिरिक्त मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बार्डर एरिया डवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत शिक्षा के क्षेत्र में 50 लाख रुपये का प्रावधान आया हुआ है। उसका उपयोग कर और संकायों में नहीं तो कम से कम वाणिज्य संकाय में तो जैसलमेर में स्नातकोत्तर कक्षायें अवश्य खोल दी जाएं। माननीय मंत्री महोदय इस पर गम्भीरता से विचार करें।

श्री रतनलाल जाट : माननीय अध्यक्षजी, आपने पी. जी. क्लासेज के बारे में कहा है कि जैसलमेर जिले में नहीं है बाकी सब

(श्री रतनलाल जाट)

जिलों में हैं। जैसलमेर के अलावा भी हमारे कई और जिले हैं जिनमें अभी पी. जी. क्लासेज तो क्या कालेजेज भी नहीं हैं। सवाई माधोपुर में पी. जी. क्लासेज नहीं हैं, राजसमन्द में कालेज नहीं है जो कि हमारा नया जिला बना है...

श्री जितेन्द्र सिंह : नाथद्वारा में है, साहब।

श्री रतन लाल जाट : मैं कह रहा हूं, कई जिलों में कालेजेज नहीं हैं। मैं वही आपको निवेदन कर रहा हूं। जिला मुख्यालय पर भी नहीं हैं...

श्री जितेन्द्र सिंह : नाथद्वारा में है, राजसमन्द जिले में भी है। आप कैसे कह रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि इन्होंने जो सजेशन दिये हैं उस लाईट में कोई विचार करिये। देखिये, कई बातें ठीक हैं। आस–पास में कहीं कालेज नहीं है। जोधपुर और बाड़मेर, इनके सिवाय है नहीं।

श्री रतनलाल जाट : उस पर विचार करेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप अपने मानदण्डों के साथ इस पर भी विचार करिये। आपने सजेशन दिये हैं उस पर विचार करिये आप।

नैक्स्ट। श्री रामकरण सिंह।

खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं का पंजीयन

592. **श्री रामकरण सिंह** (कोटपूतली) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 (एक्ट 28 ऑफ 1928) के तहत खादी ग्रामोद्योग का उत्पादन करने वाली संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन किया जाता रहा है? यदि हां, तो अब तक राज्य में कितनी संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन किया गया हैं?

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में जयपुर सहित राज्य के कुछ जिलों के उप रजिस्ट्रार्स ने वर्तमान में उक्त एक्ट के तहत ऐसी संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन करने से इन्कार कर दिया है? यदि हां, तो इस प्रकार का इन्कार करने का निर्णय किस अधिकारी ने किन कारणों से लिया है?

(3) खादी ग्रामोद्योग की संस्थाओं का यदि उक्त एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन बन्द किया गया है तो ऐसी संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन की क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो वैकल्पिक व्यवस्था की पूर्ण जानकारी सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करने जा रही है?

सहकारिता मंत्री (श्री चतुर्भुज वर्मा) : (1) जी हां। पूर्व में खादी ग्रामोद्योग के उत्पादन करने वाली संस्थाएं इस उद्देश्य को स्पष्ट किये बिना, राजस्थान सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 की धारा 20 में वर्णित उद्देश्यों को प्रमुख रखते हुए, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होती रही हैं। 29 जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार 308 संस्थाएं राजस्थान सोसायटीज

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर की गई हैं।

(2) जी हां, राजस्थान सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अन्तर्गत सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक आदि क्षेत्र में कार्यरत लाभ अर्जित नहीं करने वाली तथा धर्मार्थ संस्थाओं का पंजीकरण ही किया जा सकता है। अतः पंजीयन अधिकारियों ने खादी, ग्रामोद्योग उत्पादन संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत करने से इन्कार कर दिया है।

(3) सहकारी क्षेत्र में यदि ऐसी संस्था हो तो उसका रजिस्ट्रेशन राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जा सकता है। जो खादी व ग्रामोद्योग उत्पादन संस्थाएं सहकारी क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं हों, उनके पंजीयन के लिए क्या व्यवस्था की जाए इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री रामकरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह 1958 के तहत जो बन्द किये हैं, मंत्रीजी बतायेंगे कि कब से बन्द किये हैं और किन कारणों से ? मैंने कारण पूछे, उनका जवाब आपने नहीं दिया है।

श्री चतुर्भुज वर्मा : अध्यक्ष महोदय, वैसे हमने 1983 से बन्द किये हैं। फिर भी कई जगह रजिस्ट्रार को पूरा ज्ञान नहीं, अधिकारियों को पूरा ज्ञान नहीं इसलिए यह सेशन तक चलता रहा है और मैं यह कह सकता हूं कि अन्य जिलों में अभी तक भी हुआ है। लेकिन जब इसका प्रश्न किया तो मालूम पड़ा कि वास्तव में लाभदायक संस्था है, ट्रेनिंग करती है, बिजनेस और है जो खादी बोर्ड भी करता है। हम उनसे यह कह रहे हैं कि सहकारी समिति एक्ट के तहत आप रजिस्ट्रेशन कराईये। रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत मत कराइये।

श्री रामकरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने कारण पूछा है, कारण तो आप बताइये।

श्री चतुर्भुज वर्मा : कारण बता दिया बिजनेस, ट्रेडिंग।

श्री रामकरण सिंह : नहीं, कारण नहीं बताया।

श्री अध्यक्ष : यह कह रहे हैं कि जिसमें नो प्रोफिट नो लॉस होता है और जो सार्वजनिक कार्यों को करती है, उन्हीं को करते हैं। जो प्राफिट करती है उनको नहीं करते हैं, यह कारण है।

श्री रामकरण सिंह : अच्छा यह जो आपने लास्ट में तीन में बताया है कि इस पर विचार किया जा रहा है, यह कब से विचार किया जा रहा है ?

श्री चतुर्भुज वर्मा : अध्यक्ष महोदय, 25 फरवरी, 1992 को हमारे रजिस्ट्रार साहब ने एक लेटर खादी बोर्ड को लिखा है। उसमें लिखा है कि ये जो खादी बोर्ड संस्थाएँ हैं, कितने फायदे में रहती हैं, बिजनेस क्या करती हैं, इनका हिसाब आप करते हो कि नहीं, आडिट करते हो कि नहीं, आम सभाएं करते हो कि नहीं इन सारी बातों का जवाब दीजिए। अभी खादी बोर्ड से हमारे पास कोई जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। श्री गोपीराम।

प्रश्न संख्या 593

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें) श्री श्रीकिशन सोनगरा।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के परीक्षा परिणामों में अनियमिततायें

594. **श्री श्रीकिशन सोनगरा** (अजमेर पूर्व) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

क्या यह सही है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर के तत्कालीन बोर्ड प्रशासक द्वारा वर्ष 1988 की सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी परीक्षा के परिणामों में हुई गड़बड़ियों की जांच हेतु एक सदस्यीय कोठारी आयोग की नियुक्ति की गई थी ? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

शिक्षा मंत्री (श्री हरि कुमार औदिच्य) : राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की केवल सैकण्डरी स्कूल परीक्षा, 1988 के परीक्षा परिणामों में रही विभिन्न त्रुटियों की जांच करने हेतु बोर्ड के प्रशासन ने एक सदस्यीय कोठारी आयोग की नियुक्ति की थी। जांच प्रतिवेदन गोपनीय दस्तावेज है, अतः जनहित में इसे सदन के पटल पर रखना उचित नहीं है।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जांच प्रतिवेदन को गोपनीय दस्तावेज बताते हुए इसे जनहित में नहीं रखने की बात कही है। इस सम्बन्ध में मेरा यह सवाल है कि सन् 1989 में हमारे भूतपूर्व माननीय सदस्य श्री ललित भाटी ने इसी मुद्दे पर एक तारांकित प्रश्न बताया था, उस तारांकित प्रश्न का नम्बर था 291। उस वक्त यह जवाब दिया गया था कि जांच प्रतिवेदन बड़ा होने के कारण अल्पावधि में उसकी प्रति सदन के पटल पर प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है। तो उस वक्त तो यह कहा गया कि जांच प्रतिवेदन बड़ा होने से हम नहीं रख सकते, अवधि कम है और आज जब मैं दो साल बाद यह सवाल खड़ा कर रहा हूं तो अब समय भी मिल गया। वह प्रति सदन के पटल पर रखने की बात को जो पहले मंजूर की गई थी, वह आज क्यों नहीं की जाए ? उसकी पूर्ति क्यों नहीं की जा रही है ? यह दुहरा मापदण्ड समझ में नहीं आ रहा है।

श्री हरि कुमार औदिच्य : अध्यक्ष महोदय, मार्च, 1989 में प्रश्न नं. 83 के माध्यम से ललित भाटी, तत्कालीन माननीय सदस्य ने यह प्रश्न रखा था। उस समय भी हमने यही कहा था कि रिपोर्ट लम्बी भी है और इस प्रकार के कई काम्प्लीकेशन्स भी हैं इसलिए सदन के पटल पर रखना ठीक नहीं होगा। लेकिन मैं माननीय सदस्य को कहता हूं कि रिपोर्ट वे या और कोई भी देखना चाहें तो बोर्ड में उपलब्ध है, यहां भी उपलब्ध है, वे उसे देख सकते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री अध्यक्ष : उनको पूछने दीजिए, वे

(श्री अध्यक्ष)

दूसरा पूछ रहे हैं। प्रश्नकर्त्ता अपना दूसरा सवाल पूछ रहे हैं।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : उस वक्त ललित भाटी के सवाल में उन्होंने यह भी पूछा था कि आयोग की रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर सरकार ने बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की है। उत्तर था, आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सैकण्डरी स्कूल परीक्षा परिणामों में रही त्रुटियों के सम्बन्ध में जो निष्कर्ष निकाला है उसके अनुसार सभी त्रुटियों के लिए मुख्यतः सम्बन्धित कम्प्यूटर फर्म को ही दोषी माना गया है। जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में बोर्ड के किसी भी अधिकारी को सैकण्डरी परीक्षा परिणामों में हो रही त्रुटियों के सम्बन्ध में दोषी नहीं बताया, इस कारण किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। मेरा इस सम्बन्ध में यह कहना है कि परीक्षा में उस वक्त जो त्रुटियां हुई, उनमें एक-एक छात्र को 100 में से 304, 100 में से 306, इस तरह के प्राप्तांक अंकित हो गये थे और उसकी वजह से वे मैरिट में आ गये। जबकि नियम यह है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो छात्र मैरिट में आते हैं उनकी सूची तब प्रकाशित की जाती है जब बोर्ड के अधिकारी उसकी दुबारा जांच कर लेते हैं। तो मैं यह कह सकता हूं कि उसमें बोर्ड के अधिकारियों का तो यही दोष था कि कम्प्यूटर की गलती से जो मैरिट में चले गये थे छात्र, उनकी जांच अधिकारियों ने नियमानुसार दुबारा नहीं की। इस सबके बाद एक महत्वपूर्ण सवाल यह उठाना चाहता हूं कि कम्प्यूटर की जो फर्म थी, उसको दोषी माना था हमारे कोठारी आयोग ने। कम्प्यूटर की फर्म का नाम था वी.आई.पी.एस. बिप्स कम्प्यूटर, जो जयपुर की फर्म है। 1988 में करीब हजारों मार्कशीटें थीं जो उन्होंने गलत बनायीं। इस कार्य के लिए जो टेण्डर किये गये थे, उन टेण्डर्स में, माननीय शिक्षा मन्त्रीजी, क्या नियम थे, क्या शर्तें थीं, गलती पर उन पर क्या पैनल्टी लगनी थी, वह सारा आप बतायें। साथ ही एक निवेदन और है मेरा कि क्या अगले साल फिर उसी कम्प्यूटर फर्म को वह काम नहीं दिया गया था? उसने 1988 में गलती की थी तो 1989 में उसको वह काम क्यों दिया गया, कृपया बताने का कष्ट करें।

श्री हरि कुमार औदिच्य : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने जानकारी चाही, कम्पनी ने 1987 में हायर सैकण्डरी परीक्षा का रिजल्ट तैयार किया था। वह ठीक रहा था इसलिए उसको काम दिया गया। इसके रिजल्ट में, जैसा आपने खुद इस बात को बताया, उस कमीशन ने कम्पनी को ही सारा दोषी माना तो कम्पनी को उसी समय ब्लैकलिस्ट कर दिया। उसके बाद कोई काम नहीं दिया और 40 हजार रुपया जो उसका जमा था, वह जब्त कर लिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यदि प्रश्न पूछने दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष : पूछिये, पूछिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : मन्त्री

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

महोदय ने जवाब में कहा कि क्योंकि इसमें जांच प्रतिवेदन गोपनीय दस्तावेज है, अतः जनहित में सदन के पटल पर रखना उचित नहीं। Can it be claimed as a classified document, Sir ? I don't thing so.

यहां पर जनहित की आड़ में मन्त्री महोदय दूसरे प्रिविलेज क्लेम कर सकते थे कि रिपोर्ट बहुत वोल्यूमिनस है इसलिए उसको रखना नहीं है। लेकिन इस तरह से हम लोगों को सदन को अवगत ही नहीं कराना। उसमें से मन्त्रीजी ने कुछ अंश उद्धृत करके यहां पर अभी कहे कि उस रिपोर्ट में उस कम्प्यूटर कम्पनी को दोषी पाया गया और उसकी जमानत की राशि जब्त कर ली। जब ये सारी बातें यहां कह रहे हैं फिर उसको यहां रखने में क्या दिक्कत है? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रश्न को स्थगित किया जाए, अध्यक्ष महोदय। उस रिपोर्ट को यहां रखवाया जाए और इसका अध्ययन किया जाए क्योंकि यह गोपनीय दस्तावेज हो ही नहीं सकता, यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री हरि कुमार औदिच्य : रिपोर्ट का जो आपरेटिव पोर्शन था कि किसकी गलती थी, यह तो बताना ही था। इसमें तो कोई जनहित का प्रश्न नहीं उठता, लेकिन जो रिपोर्ट है, उसमें इस प्रकार की कई बातें हैं, जिससे काम्प्लीकेशन्स पड़ सकते हैं और रिजल्ट के अन्दर इफैक्ट पड़ सकता है। माननीय सदस्य चाहें तो उस रिपोर्ट को देख सकते हैं। जो प्रश्न करते हैं, वह नहीं आप देखने के बाद यह सोचें कि, साहब, इसको रख दीजिए तो मैं इसको रख दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। अब हो गया आपका।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : अखबारों में यह सारी प्रकाशित हो गई, गोपनीयता का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

नैनवां को डी.पी.ए.पी. योजना का लाभ

595. **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवां) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) राजस्थान के कितने विकास खण्डों को सूखा सम्भावित/सूखा प्रवण क्षेत्र (डी.पी.ए.पी.) में सम्मिलित किया हुआ है तथा अब कितने विकास खण्डों को सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

(2) क्या सूखा प्रभावित विकास खण्ड नैनवां की अधिकतर भूमि पहाड़ी, असमतल एवं कम उपजाऊ है? यदि हां, तो क्या उक्त विकास खण्ड को भी डी.पी.ए.पी में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक सम्मिलित कर लिया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त विकास खण्ड को सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम में सम्मिलित किये जाने से विकास में पिछड़ी तहसील नैनवां के लघु सीमान्त कृषकों तथा आदिवासी/हरिजन समुदाय की आबादी को भी लाभान्वित करने में सहयोग मिल सकेगा?

विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) वर्तमान में राजस्थान के नौ जिलों के तीस विकास खण्डों

(विशिष्ट योजना एवं संगठन मन्त्री)

को सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित कर रहा है तथा अन्य 20 विकास खण्डों को सम्मिलित करने के प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाये गये हैं। सूची संलग्न है। उक्त 20 विकास खण्डों को भी सम्मिलित किये जाने के प्रस्ताव पर अभी तक भारत सरकार द्वारा अनुमति प्रदान नहीं की गई है।

(2) सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम को किसी क्षेत्र में लागू करने हेतु भारत सरकार द्वारा निम्न मापदण्ड निर्धारित हैं—

(क) क्षेत्र की औसत वार्षिक वर्षा 750 मि. मी. से कम हो और शुद्ध सिंचित क्षेत्र शुद्ध बोये गये क्षेत्र के 20 प्रतिशत से कम हो, या

(ख) क्षेत्र की औसत वार्षिक वर्षा 750 मि. मी. से 1125 मि. मी के मध्य और शुद्ध सिंचित क्षेत्र शुद्ध बोये गये क्षेत्र के 15 प्रतिशत से कम हो, या

(ग) औसत वार्षिक वर्षा 1125 मि.मी. से अधिक हो और शुद्ध सिंचित क्षेत्र शुद्ध बोये गये क्षेत्र के 10 प्रतिशत से कम हो, या

(घ) सम्मिलित किये जाने वाले विकास खण्डों की संख्या/जिले के कुल विकास खण्डों के 1/5 से कम नहीं हो।

नैनवां विकास खण्ड भारत सरकार द्वारा निर्धारित उक्त मापदण्ड के अन्तर्गत नहीं आता है, अतः इसे सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है तथा इस सन्दर्भ में भारत सरकार को कोई प्रस्ताव भी प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

(3) नैनवां विकास खण्ड को अभी सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम में सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखें)

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा, क्या यह सही है कि भारत सरकार के सूखा सम्भाव्य क्षेत्र के लिए जो मापदण्ड निर्धारित हैं उनका उद्देश्य उस इलाके के निवासियों को अन्ततः सूखे से निजात दिलाना है, भूमि, अन्य संसाधनों तथा उचित प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है ? और सूखे के दुष्परिणामों को कारगर ढंग अपनाकर कम करना ? इस सम्बन्ध में सिंचाई मन्त्री, राजस्थान सरकार द्वारा प्रश्न संख्या 63 का 21.3.91 को जो जवाब दिया गया, उसमें लिखा है कि सम्भवत् 2045 से 47 को छोड़कर नैनवां तहसील के गांव अकालग्रस्त रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो आपने बताया वह तो बात समझ में आ रही है लेकिन मैं पूर्व में ही बता चुका हूं कि सिंचित क्षेत्र और बरसात का पिछले सात साल का रिकार्ड लेते हैं। बरसात का और सिंचाई के क्षेत्र का जो सात साल का रिकार्ड लिया है उसमें

(11.22 म. पू.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(श्री भंवरलाल शर्मा)

नैनवां उपखण्ड में सिंचित क्षेत्र 1980-81 में 21.40 प्रतिशत, 1981-82 में 21.31 प्रतिशत, 1982-83 में 22.58 प्रतिशत, 1983-84 में 22.59 प्रतिशत और 1984-85 में 23.21 प्रतिशत रहा है। इस प्रकार सात सालों का जो रिकार्ड लिया है उसमें औसत वर्षा में तो आता है लेकिन सिर्फ औसत वर्षा ही नहीं मानी जायेगी, भारत सरकार के सारे मापदण्डों में आना जरूरी है। इसके अलावा सन् 1992 में 32 ब्लाक के लिए लिखा था उसमें से सिर्फ 12 मंजूर होकर आये हैं। 20 ब्लाक जो कि मापदण्डों में भी आते हैं, उनकी भी मंजूरी 10 साल में नहीं आयी।

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं माननीय मन्त्री महोदय को सैटिस्फाई नहीं कर पाया।

श्री भंवरलाल शर्मा : बिल्कुल समझ में आ गई बात आपकी, लेकिन आप जो चाहते हैं वह नहीं हो सकता है।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि नार्मल रेनफाल से यह बात तय होती है। दूसरा निवेदन है कि बांसवाड़ा में घाटोल, गढ़ी, बागीडोरा, कुशलगढ़, भूरिवया, सज्जनगढ़, पीपलखूंट—इन विकास खण्डों की नार्मल रेनफाल नैनवां से ज्यादा है। दूसरा, बारां का जो सिंचाई खण्ड लिया है और दीगोद का जो सिंचाई खण्ड लिया है उनमें सिंचाई का प्रतिशत ज्यादा है। आपके आंकड़े गलत हैं। मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि आप इसको रिवाइज कीजिए। मैं आपको रेनफाल की आफीशियल रिपोर्ट देता हूं। नैनवां रेनफाल की रिपोर्ट एक दिन पहले भी मैंने आपको दी थी, उसको देख लीजिए। बांसवाड़ा में 929 है जबकि बूंदी में 759 है। आप मानते हैं कि रेनफाल कम होता है तो हर साल सूखा पड़ता है और उसके आधार पर ही आप सूखा सम्भाव्य क्षेत्र डिक्लेयर करते हैं। सारे के सारे बन्ध में इरिगेटेड एग्रीकल्चर लैण्ड यदि खातों की ले लो और वहां खेती नहीं हो, इसमें फसल नहीं हो तो क्या यह ज्यादती नहीं है उन किसानों के साथ? ऐसे खेतों को कम कीजिये, यह मेरा सजेशन है। जिनमें फसल नहीं होती है, जिनके बन्धे भर नहीं पाते हैं, टेल के खेत सूखे रहते हैं, जिनमें एक बिस्वा में भी फसल नहीं होती है। हजारों बीघा जमीन ऐसी है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? दूसरा, बीसलपुर आप दे नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में सूखा सम्भाव्य क्षेत्र में शामिल करने में आपको क्या एतराज है? भारत सरकार को क्यों नहीं भेजते हैं? जो विकास खण्ड आप भेज रहे हैं उनकी पोजीशन बैटर है। इसके बारे में आपका क्या कहना है?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शायद माननीय सदस्य ने प्रश्न का जवाब ढंग से पढ़ा नहीं होगा.... (व्यवधान)...जो एवरेज रेनफाल है वह सात साल का काउण्ट होता है, वह रेवेन्यु बोर्ड से जानकारी ली जाती है। उसको तो मान लिया पर अकालग्रस्त घोषित हो, यह भी कारण नहीं है। चूरू, नागौर में भी अकाल राहत हमेशा घोषित होती

(श्री भंवरलाल शर्मा)

है पर डी.पी.ए.पी. में यह इलाका नहीं आ सकता है। वहां पर रोज अकाल पड़ता है पर उसको नहीं ले सकते हैं। सिंचित क्षेत्र जो बोया गया हो, उसके प्रतिशत पर आधारित है। भारत सरकार ने फिर भी यदि मानदण्डों में कोई शिथिलता बरती और उसके अनुसार कार्यवाही होगी तो हम निश्चित तौर पर भेज देंगे।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं स्पेसिफिक प्रश्न पूछ रहा हूं। सूखा गांव है, माणी गांव है उसको भी आपने सिंचित क्षेत्र में लिख रखा है। वहां पर 50 प्रतिशत खेतों में भी सिंचाई नहीं होती है। इसके बारे में क्या कहना है ? इसके अलावा लीलना गांव सिंचाई में दर्ज है। आपका रिकार्ड गलत है। मैं यही तो एश्योरेन्स चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर आ गया है। भारत सरकार के निर्देश के अनुसार नहीं हो सकता है। भारत सरकार उसमें परिवर्तन करेगी तो भेजा जायेगा।

श्री रामनारायण वर्मा : स्टेट गवर्नमेण्ट अपने गलत आंकड़े हैं उनको दुरूस्त क्यों नहीं कर रही है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह गांव का नहीं है, पूरा ब्लाक इसमें आता है। भारत सरकार पूरे देश की स्थिति को देखकर चलती है, गांव या पंचायत समिति के अनुसार अपनी गाइड लाइन तय नहीं करती है।

श्री रामनारायण वर्मा : आपने ब्लाक के उन गांवों को भी सिंचित में जोड़ रखा है जिनमें पानी नहीं जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : इससे क्या फर्क पड़ता है ब्लाक लेते हैं गांव को नहीं लेते हैं।

श्री रामनारायण वर्मा : मैंने भारत सरकार के नार्म्स बताये, उन नार्म्स में यह कम्प्लीट होता है। मुझे बता दीजिए कि नैनवां क्षेत्र में औसत रेनफाल कितना है। आपके आंकड़े बूंदी शहर के हैं वहां ज्यादा होती है नैनवा में तो नामिनल होती है। इसके अलावा मैं आपको स्पेसिफिक गांव बताता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह स्पेसिफिक गांव का सवाल नहीं है। यह उपखण्ड का सवाल है।

श्री रामनारायण वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि मैं शायद समझा नहीं पाया। पूरे नैनवा उपखण्ड में जो सिंचित क्षेत्र लिया गया है उसमें इन्होंने उन 22 प्रतिशत गांवों का रकबा भी शामिल कर रखा है जो सिंचित नहीं है। इसलिए आप इसको दुबारा क्यों नहीं दिखाना चाहते।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सिंचाई का प्रतिशत 21.3 प्रतिशत आया है और जिन गांवों का इन्होंने बताया है तो सिंचित क्षेत्र विकास विभाग मेरे पास होने के नाते मैं पता लगा लेता हूं कि कौनसे ऐसे गांव दिये गये हैं। अगर ऐसे गांव हैं तो निश्चित तौर पर जिन अधिकारियों ने गलत जानकारी दी है उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। अगर गलत जानकारी दी है तो। (व्यवधान)

श्री रामनारायण वर्मा : यह रॉंग इन्फार्मेशन दी है इस हाउस की ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामेश्वर प्रसाद (व्यवधान) जांच कराने का आश्वाकन दे दिया है ।

श्री रामनारायण वर्मा : ये जांच करा नहीं सकते हैं । इनके पास सिंचित क्षेत्र विकास विभाग है लेकिन मेरे नैनवां का एक गांव सिंचित क्षेत्र में नहीं है.... व्यवधान)....यह इर्रिगेशन में आता है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : इर्रिगेशन का है तो इर्रिगेशन वालों से जवाब ले लेंगे ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नैनवा से आने वाले माननीय सदस्य को अपने क्षेत्र के बारे में कोई जानकारी तो है नहीं । आप वता दें कि वहां कितना रेनफाल है । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : यह तेल का मामला नहीं है, तेल में मिलावट का । (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : रामस्वरूपजी हमारे सम्बन्धी लगते हैं और ये इस बात का गलत फायदा उठा रहे हैं । रामस्वरूप जी, सम्बन्धों की सीमा है (व्यवधान) रामनारायण जी आप अपने आपको यह मत समझो मंत्रीजी सीमा तक ही रह सकते हैं । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यदुनाथ सिंह जी । (व्यवधान) बिराजें ।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि हम जांच करवा लेंगे कि कौन से क्षेत्र में कमाण्ड हुआ कौन से में नहीं हुआ और कौन से में हो सकता है । बूंदी जिले में बहुत-सा एरिया सी. ए. डी. का ऐसा जिसको आप डी-कमांड करने की सोच रहे हैं । यानी जहां आपने कमाण्ड घोषित किया उसमें पानी नहीं पहुंच रहा है । घटघट डिस्ट्रीब्यूटरी ले लीजिए क्या वहां पूरा पानी पहुंच रहा है ? नहीं पहुंच रहा है तो जिन क्षेत्रों में पानी नहीं पहुंच रहा है उनकी जगह दूसरे क्षेत्रों को जोड़ने का विचार रखते हैं, माननीय सदस्य का यही प्रश्न है । आप दूसरे गांवों को जहां पानी पहुंच सकता है जुड़वाने की बात कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : यह सैपरेट क्वेश्चन है ।

श्री रामनारायण वर्मा : इसकी जांच कब तक करवा देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : जांच कब तक करवा देंगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई जानकारी, चाहे सिंचाई विभाग की हो, चाहे सिंचित क्षेत्र विकास का जैसा आपने बताया सिंचाई विभाग से है, तो जल्दी से जल्दी इसकी जांच करवा कर इत्तला दे दी जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या 596. श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें ।)

श्री बालचन्द आर्य वीर : प्रश्न संख्या 321

स्थगित प्रश्न
(12 मार्च, 1992)

धार्मिक स्थानों से सम्बन्धित चल-अचल सम्पत्ति का बेचान

321. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) एवं **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवां) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या 1 मार्च, 1990 से अब तक देवस्थान विभाग के अन्तर्गत आने वाली या धार्मिक स्थानों से संबंधित किसी चल-अचल सम्पत्ति जो राजस्थान में, राजस्थान के बाहर हो, का बेचान या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण किया गया है ? यदि हां, तो किस-किस सम्पत्ति का कितनी-कितनी कीमत में कब एवं किसको ? ऐसी सम्पति का वर्तमान बाजार भाव के मुताबिक अनुमानित कीमत सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस तरह की किसी चल या अचल सम्पत्ति को बेचे जाने की कार्यवाही अभी भी विचाराधीन है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि के प्रतिफल में किस सम्पत्ति के बारे में तथा किस के पक्ष में ?

देवस्थान मंत्री (श्री रामकिशोर मीणा) : 1 (1) मार्च, 1990 के पश्चात् देवस्थान विभाग के अन्तर्गत आने वाली राजस्थान में या राजस्थान के बाहर स्थित किसी चल-अचल सम्पत्ति का बेचान या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण नहीं किया गया है।

(2) जी नहीं।

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष जी, क्या यह सही है कुनेल झालावाड़ जिले में राम मन्दिर के खाते की जमीन का बेचान किया गया है ? इसी तरह से वृन्दावन में जो सरकारी जमीन है उसके बेचान की कार्यवाही की फाइल आपके यहां चल रही है ? इस तरह से कितने मन्दिरों के बेचान की कार्यवाही आपके यहां चल रही है ?

श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने यह जवाब दिया कि किसी मन्दिर की जमीन का बेचान नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं, परबतसर तहसील के परबतसर गांव में स्वयं रघुनाथ जी महाराज की जमीन जिसका पुजारी पहले सुरजनदास था। व्यक्तिगत खाते में लेकर इन्देश कुमार पुजारी ने हनुमान कुमार को बेच दी। पहले तो मन्दिर के नाम जमीन थी, फिर मन्दिर के नाम से व्यक्तिगत नाम करवा कर दूसरे के नाम बेच दी। आपने कहा कि एक ही जमीन नहीं बेची है। यह जमीन बिकी है, और आज वह व्यक्तिगत खाते में है।

श्री रामकिशोर मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, दो प्रकार की सम्पत्तियां हैं जिनके बारे में कुछ भ्रांतियां हैं। देवस्थान विभाग के अन्तर्गत हमारे पास एक हजार मन्दिर हैं और केवल उनसे ही सम्बन्धित यह प्रश्न है। उस सम्पत्ति का बेचान किया है या नहीं किया, उसके बारे में ही विभाग जिम्मेदार है। जो और मन्दिर हैं, जिनको वार्षिकी मिलती है उनके बारे में दोनों माननीय सदस्यों ने प्रश्न किया है। ऐसे मन्दिरों के बारे में प्रावधान यह है कि यदि किसी प्रकार से बेचान हो जाता है, पुजारी उसको हस्तान्तरित कर देता है और विभाग की जानकारी में आता है या गांव का कोई व्यक्ति

(श्री रामकिशोर मीणा)

उसका रेफरेंस करता है सक्षम अधिकारी के यहां तो वह रेफरेंस होकर वापस उस मंदिर के नाम से हो जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्यक्ष प्रभार के तो हमारे 391 मन्दिर हैं, राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी के 204 हैं तथा राजकीय सुपरविजन श्रेणी के 405 हैं। इस प्रकार से कुल एक हजार मन्दिर हमारे हैं। एक मार्च, 1990 के बाद प्रदेश में स्थित तथा प्रदेश के बाहर, किसी भी मन्दिर की भूमि का बेचान नहीं किया है, न हस्तान्तरण किया गया है।

श्री रामनारायण वर्मा : मेरा प्रश्न, स्पेसिफिक है। आप इसको पढ़ लीजिए देवस्थान विभाग के अन्तर्गत आने वाली या धार्मिक स्थानों से सम्बन्धित ऐसे कितने ही उदाहरण हैं। दूसरा क्या ऐसी फाइलें भी विभाग में चल रही हैं, उसके बारे में आपने भी नहीं कहा है। क्या अब भी आप इसको स्पेसिफिक कहना चाहते हैं कि इस तरह की कोई फाइल विभाग में कभी न तो चली है और न चल रही है। 1990 के बाद में किसी ने अगर ड्रॉप कर दिया हो या वह कार्यवाही चल रही हो तो इस मामले में स्पेसिफिक बताएँ। विभाग की और सरकार की जिम्मेदारी है कि, वे धार्मिक स्थानों का संरक्षण करें। उसके मामले में आपको क्या कहना है?

श्री रामकिशोर मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अन्य धार्मिक स्थान हैं जिनकी सम्पत्ति के बारे में कहा गया है उनके रिकार्ड का संधारण देवस्थान विभाग के द्वारा नहीं किया जाता है। किसी सम्पत्ति का हस्तान्तरण किया या नहीं किया, बेचान किया या नहीं किया गया इस बारे में नहीं है, जो मैंने एक हजार मन्दिर बताये उनके बारे में ही है। 30-11-1981 के द्वारा राज्य सरकार ने, इस प्रकार की जो अचल सम्पत्तियां हैं और अनुपयोगी सम्पत्तियां हैं उनके स्थगित किया था। 1989 में विधान सभा में माननीय गिरधारी लाल भार्गव साहब के एक प्रश्न के उत्तर में, प्रश्न संख्या 11 था, माननीय देवस्थान एवं सहकारिता मंत्री तत्कालीन ने यह आश्वासन दिया था कि जब तक इस सम्बन्ध में नीति सम्बन्धी पुनर्विचार नहीं हो जाता तब तक देवस्थान विभाग द्वारा राजकीय मन्दिरों की किसी भी सम्पदा की बिक्री नहीं की जायेगी। इस बारे में विभाग के द्वारा सर्वे करवाया जा रहा है कि कहां-कहां पर अलाभकारी सम्पदाएँ हैं जिनको बेचा जाना आवश्यक है। वह सर्वे पूर्ण होने के बाद नीति बनाकर जो बेचान होगा उसके बारे में निर्णय किया जायेगा। नैनवां से आने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रश्न किया है, एक पत्रावली है वृन्दावन से संबंधित उसमें हस्तान्तरण है बेचान कहीं नहीं है और वह भी अभी तक सरकार के पास विचाराधीन है, उस पर कोई निर्णय नहीं किया गया है।

श्री रामनारायण वर्मा : इसका मतलब स्पष्ट है कि आपने सदन में गलत सूचना दी कि ऐसी कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। दूसरा, अन्य धार्मिक सम्पदाओं के बारे में, सरकार के और मन्दिरों के बारे में नहीं कह रहा हूं, पर उस मामले में आपने सदन में गलत सूचना दी है। तीसरा, क्या नाथद्वारा में अचल सम्पत्ति के सामानों को आपने नहीं बेचा? इन तीनों के बारे में आपका क्या कहना है और वृन्दावन की

(श्री रामनारायण वर्मा)

पत्रावली क्या विचाराधीन है? विचाराधीन है तो सदन को गलत सूचना क्यों दी ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बिरदाराम जी।

श्री बिरदाराम चौधरी : मेरा पूछने का अभिप्राय यह है, जैसे अन्य मन्दिरों की जमीन का बेचान किया जाता है और ग्रामवासी आपके विभाग में शिकायत करते हैं कि यह मन्दिर की जमीन है, इसको बेचा जा रहा है या बेच दी है और उसमें आप क्या कार्यवाही करेंगे ? देवस्थान विभाग के अण्डर में है वह तो अलग है परन्तु देवस्थान विभाग के अलावा भी मन्दिर हैं और धार्मिक स्थल हैं उनकी जमीन है। शिकायत करते हैं बार-बार कि मन्दिर की जमीन बेच दी, पुजारी ने बेच दी या पुजारी ने अपने नाम करवा कर बेच दी, उसमें आपका विभाग क्या कार्यवाही करेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय लक्ष्मीनारायण दवे।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि राज्य सरकार, देवस्थान विभाग के अलावा मन्दिर की जो कृषि भूमि या अचल सम्पत्ति है उसे वापस मन्दिर के अन्दर ट्रान्सफर करवाने के लिये कोई जांच करवायेगी ? इस बारे में देवस्थान विभाग न्यायालय के अन्दर वाद भी प्रस्तुत करने का विचार रखेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजाद। [illegible]

[illegible]

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनू) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने अभी कहा कि राजस्थान में केवल मात्र एक हजार मन्दिर प्रत्यक्षतः इनके नियन्त्रण में आते हैं। वक्फ एक्ट के तहत राजस्थान की जितनी भी वक्फ सम्पत्ति है वह सारी वक्फ विभाग और वक्फ बोर्ड के अन्दर आती है। क्या आप इसी तरह से देवस्थान बोर्ड बनाने का विचार रखते हैं ताकि जो भी धार्मिक स्थलों और मन्दिरों की सम्पति हो उसका नियंत्रण एक स्थान से हो पाए, उसका लोग बेचान नही कर सकें, ट्रान्सफर नहीं कर पाएँ और उसका दुरुपयोग नहीं कर पाएं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामेश्वर दयाल यादव।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि देवस्थान विभाग या धार्मिक स्थलों की सम्पत्ति बेचान के बारे में आपने जो जवाब दिया है वह शायद तथ्यों से परे है। क्या यह सही है कि राजस्थान में जो धार्मिक स्थल हैं उनकी सम्पत्ति का बेचान भारी तादाद में हुआ है ? कानून के जरिये चाहे सेल डीड हो, चाहे टिनेन्सी एक्ट की धारा 19 हो, चाहे सीलिंग की सरप्लस लैण्ड, अलाटमेंट के रूप में हो और चाहे लैण्ड मोरगेज बैंक ने पब्लिक आक्शन के द्वारा किसी किसान को उस जमीन का बेचान किया है। किसान ने लाखों रुपये खर्च करके उस जमीन को क्रय करके उसमें डवलपमेण्ट किया है। क्या सरकार इस पर कोई अंतिम निर्णय करने जा रही है ? क्या यह सच है कि माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व सरकार के समय विरोधी दल के नेता थे उन्होंने तब राज्य [illegible]

(श्री रामेवर दयाल यादव)

सरकार के सामने टेबल टॉक पर इस मुद्दे पर कोई चर्चा की थी और तत्कालीन मुख्य मंत्री हरिदेव जोशीजी ने माननीय भैरोंसिह जी को यह आश्वासन दिया था और एक बुकलेट भी जारी की गयी थी कि इस तरह की जो मन्दिरों की सम्पत्ति हैं जो किसानों ने लाखों रुपये खर्च करके प्राप्त की है और उसका डवलपमेंट किया है उनको खातेदारी या सिकमी के अधिकार देने का हम प्रावधान करने का विचार करेंगे ? क्या यह आज भी सरकार के सामने विचाराधीन है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्री रामकिशोर मीणा : जो इसमें प्रश्न पूछा गया है अन्य धार्मिक स्थानों में 1000 मन्दिर तो हमारे देव स्थान विभाग के हैं और 10316 मन्दिर ऐसे हैं जिनको हम वार्षिकी देते हैं । उनकी जमीनों का भी रिकार्ड है मन्दिर के साथ-साथ जमीनें भी दर्ज हैं । समस्त जिलों में जिला कलक्टर और तहसीलदार को प्राइवेट मन्दिरों का इन्चार्ज बनाया हुआ है । जब इस प्रकार के अवैध हस्तांतरण होते हैं तो जानकारी में आने पर हम कलक्टर्स को लिखते हैं । उसके तहत रैफरेन्स की कार्यवाही करके, यदि रिकार्ड में गलत इन्द्राज हो गया है तो रेवेन्यू बोर्ड से रैफरेन्स करके उसको वापिस मन्दिर के नाम से मूर्ति के नाम कराने का प्रावधान है । इस सम्बन्ध में राजस्व विभाग द्वारा सर्कुलर भी जारी किया गया है कि पुजारियों के नाम से किसी प्रकार से गिरदावरी भी दर्ज नहीं होगी, ताकि इस प्रकार के अवैध हस्तांतरणों को रोका जा सके । यह सत्य है कि काफी मात्रा में अवैध हस्तान्तरण हुए हैं, किन्तु जानकारी आती है तो उन अवैध हस्तांतरणों को रोकने का प्रयास करते हैं । झुंझुनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने जो देव स्थान बोर्ड बनाने के बारे में कहा हैं, अभी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी देवस्थान बोर्ड बनाने के बारे में कहा गया है और सरकार जल्दी से जल्दी इसकी स्थापना करने का विचार रखती है तो ताकि देवस्थान की सम्पत्तियों की अच्छी प्रकार से सुरक्षा की सके । चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने माननीय मुख्य मन्त्रीजी के हवाले से जो कहा है कि पहले कोई चर्चा हुई थी, इस प्रकार की जानकारी मेरे को नहीं है न विभाग की तरफ से मिली है । ऐसी मैं जानकारी करूंगा और जानकारी प्राप्त करने पर इसमें क्या किया जा सकता है ।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : आप जो कह रहे हैं कि जानकारी नहीं है, राज्य सरकार ने किसान उपभोक्ता आन्दोलन के समय अपने विभाग के जरिये एक बुकलेट जारी की थी । उसमें राजस्थान सरकार ने राजस्थान के किसानों के साथ वायदा किया है कि ऐसी मन्दिर की सम्पत्ति जो किसान को पैसे के बलबूते पर मिली है उसके खातेदारी अधिकार या सिकमी अधिकार देने का हम प्रावधान करेंगे । ऐसी बुकलेट राजस्थान सरकार ने जारी की है ।

श्री रामकिशोर मीणा : यह हो सकता है राजस्व विभाग में हो, लेकिन मेरी जानकारी के.......(व्यवधान) ।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : कमला जी जब रेवेन्यू मिनिस्टर थीं उन्होंने इसको ठीक भी कर दिया था, बाद में वापस

(श्री नत्थीसिंह)

लिया। एक बार कानून बना दिया फिर वापस लिया।

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो मूल सवाल है उसमें एक बात का जवाब गलत दिया है। इन्होंने कहा है कि हस्तान्तरण नहीं किया गया है। जयपुर के मन्दिरों की दुकानों के कब्जे दिये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप कोई नाम बताएं, जनरल मन्दिर तो बहुत हैं। अगर आपके पास जानकारी है तो स्पेसिफिक पूछ लीजिये। जनरल टर्म में नहीं आता है।

श्री रामनारायण वर्मा : वे मना कर देंगे लेकिन ऐसी फाइलें चली हैं। मंत्रीजी ने आदेश दिया है कि इन दुकानों का हस्तान्तरण करके ये किराये पर दे दी जाएं।

श्री रामकिशोर मीणा : किराये का हस्तान्तरण में नहीं आता। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज बिराजिये। माननीय जगमालसिंह जी।

श्री जगमालसिंह यादव (तिजारा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी चौमू से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सवाल उठाया। मन्त्री महोदय, आपने कहा कि राजस्व विभाग से वह बुकलेट जारी हुई होगी, मेरे ध्यान में नहीं है। मैं आपसे सीधा एक प्रश्न करना चाहता हूं कि देवस्थान विभाग की जो भूमि 20–20, 30-30 साल पहले किसानों के कब्जे में आ गयी, जो उन्होंने प्रतिफल देकर ले ली है और कुआं इत्यादि बनाकर पूर्णतया जिसका डवलपमेंट कर लिया है सरकार उन किसानों को खातेदारी राइट्स, सिकनी राइट या गैर खातेदारी राइट्स देने का विचार रखती है या नहीं रखती है ? अगर नहीं रखती है तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो किसान 20–20 साल से काबिज हैं जिन्होंने भूमि का डवलपमेंट कर लिया, क्या आप उनको वापस ले लेंगे ?

श्री रामकिशोर मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले में अभी तक कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। इस मामले में विचार कर लिया जायेगा और यदि आवश्यक होगा तो इस पर निर्णय किया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक बात है। नैक्सट। माननीय श्री चुन्नीलाल।

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं, जो किसान आन्दोलन था उसके मुखियाओं में माननीय श्री भैरोंसिंह जी शेखावत भी थे। राज्य सरकार से जब बातचीत हुई थी उस बातचीत में आज के मुख्य मन्त्री और उस वक्त के लीडर आफ अपोजीशन भैरोंसिंह शेखावत थे इसलिए यह कहना कि राज्य सरकार के विचार में नहीं है यह गलत बयानी है, आप इसको ठीक करिये।

श्री उपाध्यक्ष : ये कह रहे हैं कि जानकारी लेकर करेंगे मना नहीं कर रहे हैं।

प्रश्न संख्या 597

नैक्सट, माननीय श्री चुन्नीलाल।

माननीय श्री शिवकुमारजी सनाढ्य।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

नैक्स्ट, माननीय श्री फतेहसिंह ।

पशुपालन अधिकारी कार्यालय, बांसवाड़ा में नियुक्त कर्मचारी

598. श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : क्या पशुपालन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला पशुपालन अधिकारी कार्यालय, बांसवाड़ा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सईस, जलधारी, सफाईकर्ता एवं सांड परिचालक के पद पर कार्यालय खुलने से 28-1-92 तक कितने कर्मचारियों को नियुक्तियां दी जा चुकी हैं ?

(2) क्या समय-समय पर नियुक्तियां होने से पूर्व व बाद भी जिलाधीश, पशुपालन विभाग के निदेशक एवं सचिव तथा राज्य सरकार के मन्त्रियों को बांसवाड़ा जिले से विभिन्न संगठनों एवं कार्यकर्ताओं, राजनैतिक नेताओं एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा नियुक्तियों में अनियमिताएं होने की शिकायतें की जाती रही हैं ? यदि हां, तो उन शिकायतों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि जिला पशुपालन अधिकारी, बांसवाड़ा द्वारा दिनांक 28-1-92 को 18 हरिजनों को सफाईकर्ता के पद पर नियुक्तियां दी गई ? क्या इन नियुक्तियों में अनियमितताएं होने की शिकायतों को लेकर बांसवाड़ा जिले में रोष है ?

(4) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा निदेशालय, पशुपालन विभाग, जयपुर में संयुक्त निदेशक डॉ. धीरेन्द्रसिंह भण्डारी को समय-समय पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु चयन समिति में अध्यक्ष मनोनीत किया जाता रहा है ?

(5) क्या यह सही है कि डॉ धीरेन्द्र सिंह भण्डारी, संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर के विरुद्ध चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियों में धांधली आदि करवाने के समाचार राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित होते रहे हैं जो राज्य सरकार व विभाग के निदेशक, सचिव के भी ध्यान में लाये जाते रहे हैं ?

(6) क्या जिलाधीश, बांसवाड़ा द्वारा डॉ. धीरेन्द्र सिंह भण्डारी के क्रियाकलापों व अन्य के बारे में पत्र क्रमांक एफ (2) अ. अ. /225 दिनांक 6-2-92 निदेशक को भेजा गया है ? यदि हां, तो निदेशक द्वारा की गई जांच की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

राज्य मन्त्री, पशुपालन (श्री देवीसिंह भाटी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मैंने स्थगित करने के लिए निवेदन किया है ।

श्री उपाध्यक्ष : यह स्थगित किया गया । लग जायेगा । नैक्स्ट श्री भंवरलाल ।

जिला चूरू में "तीस जिले तीस काम" योजना पर व्यय

599. श्री भंवरलाल (सुजानगढ़) : क्या आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 1991-92 में "तीस जिले तीस काम" योजना शुरू की गई है ? यदि हां, तो इस पर जिलेवार कितना खर्च किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(श्री भंवरलाल)

(2) जिला चूरू में उक्त योजना के अन्तर्गत क्या-क्या कार्य स्वीकृत किये गये ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस योजना के तहत स्वीकृत समस्त कार्यों के लिए राशि उपलब्ध करवा दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक पूर्ण भुगतान कर दिया जावेगा एवं इन कार्यों की क्या प्रगति है ?

राज्य मंत्री, आयोजना (श्री मदन मोहन सिंघल) : (1) जी हां, जिलेवार आवंटन व खर्च की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) चूरू में योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों की पंचायत समितिवार सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां, चूरू जिले में स्वीकृत कार्यों के लिए 70·44 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध करा दी गई है। स्वीकृत कार्यों का प्रगति विवरण परिशिष्ट–3 पर संलग्न है। इन कार्यों पर फरवरी,92 तक लगभग 31.84 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया)।

श्री भंवरलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 20 करोड़ रुपये की स्वीकृति के अगेंस्ट में सिर्फ 2 करोड़ 62 लाख रुपये खर्च किये गये हैं अब तक जिला- बारां, बाड़मेर, गंगानगर और कोटा में एक नया पैसा भी इस चालू सत्र में खर्च नहीं किया गया है तीस जिले तीस काम योजना में दूसरा मेरा निवेदन यह है कि चूरू जिले के लिए.......(व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : बारां जिले में........

श्री उपाध्यक्ष : मूल प्रश्नकर्ता को पूछने दीजिये। माननीय कौशल साहब।

एक माननीय सदस्य : आप गलत बयानी कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, उनको पूछने दीजिये। क्या मैं बन्द कर दूंगा ?

आप बैठिये पहले। रामस्वरूपजी, बैठिये।

श्री भंवरलाल : दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि चूरू जिला भयंकर पेयजल की कमी से ग्रसित है उसके लिए राज्य सरकार ने 70 लाख रुपये का प्रावधान रखा था लेकिन उसके अगेंस्ट में सिर्फ 31 लाख रुपया अब तक खर्च किया गया है। मैं, मन्त्री महोदय, आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह 31 लाख रुपया भी अब खर्च नहीं किया गया है और जो पाईपों की और गांवों की सूची दी गई है उन गांवों में आज तक कोई लाईन नहीं बिछाई गई है। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?

श्री मदन मोहन सिंघल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहला प्रश्न जो यह किया गया कि 20 करोड़ की राशि में से केवल 3 करोड़ 62 लाख रुपये खर्च किये गये, इस बारे में मैं एक बात यह जरूर स्वीकार करता हूं कि कार्यों की प्रारम्भिक गति धीमी रही है और इसके कुछ कारण हैं। मैं आपको निवेदन करना

(श्री मदनमोहन सिंघल)

चाहूंगा कि यह नवीन योजना 1991–92 में बनी। उसका यह प्रथम वर्ष था जिसका आधारभूत ढांचा तैयार किये जाने में भी समय लगा। मैं आपको जानकारी दूँ कि यह योजना मई–जून में तैयार होकर के इसके इंम्प्लीमैण्टेशन के जो आदेश हुए हैं कलक्टर को वे अगस्त में जाकर हुए हैं। मई-जून, 1991 में चुनाव थे, उसके बाद जब अगस्त में........

श्री हेतराम बेनीवाल : चुनाव से संबंध क्या था उसका ?

श्री उपाध्यक्ष : जिस-जिस से सम्बन्धित है मैं पुछवा रहा हूँ।

श्री मदनमोहन सिंघल : विलम्ब के और भी कारण हैं........

श्री जगमाल सिंह यादव : यह सवाल पूछा ही नहीं कि कब तो योजना बनी, योजना का कब क्रियान्वयन हुआ और कब योजना आपने लागू की। आप पाइण्टेड प्रश्न का जवाब क्यों नहीं देते ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सम्पत सिंह जी, मैं आपको पूछवा दूंगा।

श्री सम्पतसिंह : मंत्री जी को कह रहा हूँ, किसी के बहकावे में नहीं आएँ। धीरे-धीरे बोल कोई सुन न ले।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने अभी बताया, अगस्त के महीने में 20 करोड़ रूपए अलग-अलग जिलों में आवंटित कर दिये गये। क्या यह सही है कि भरतपुर में पेयजल में 63 लाख के अगेंस्ट आपने 15 हजार रुपए खर्च किये हैं अब तक और किन्हीं जिलों में एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ है ? मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे पास लिस्ट मौजूद है। उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि सरकार ने 30 जिले 30 काम का बहुत जबर्दस्त प्रचार और प्रसार किया लेकिन जिस प्रकार से खर्चा हुआ है उससे सरकार की कथनी और करनी में अन्तर नजर नहीं आता ? मेरे धौलपुर जिले में 29 लाख में से 3 लाख रुपया खर्च किया। लोग प्यासे मर रहे हैं। बाड़मेर में एक पैसा खर्च नहीं किया। यह सरकार××× सरकार है। यह कोरा प्रचार कर रही है। इस सरकार की भर्त्सना की जाय, उतना थोड़ा है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी यह बताएं कि यह पैसा क्या जवाहर रोजगार योजना का पैसा है अथवा राज्य सरकार ने 30 जिले 30 काम के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया है ? दूसरा, गंगानगर और बीकानेर में क्या इस योजना के अन्तर्गत जो राशि दी गयी थी उसमें से एक नया पैसा खर्च नहीं हुआ ? यदि हुआ है तो किस योजना में क्या-क्या पैसा खर्च हुआ है ?

श्री केदारनाथ शर्मा : तीन स्टेज हैं इसकी–राज्य सरकार ने कब अलाट किया,

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री केदारनाथ शर्मा)

जिलेवार। क्या यह सही है कि आपने गंगानगर में पैसा रिलीज नहीं किया और इसलिए उसका यूटिलाइजेशन हो नहीं पाया ?

श्री सम्पत सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी कृपया बताएं कि भरतपुर में 30 जिले 30 काम के अन्तर्गत कौनसा काम तय किया गया ? क्या जन प्रतिनिधियों की राय ली गयी थी ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बेनीवाल साहब। मैं एक-एक को अलाउ करूंगा एक सवाल।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 30 जिले 30 काम के तहत एक रिपोर्ट माननीय मन्त्री जी ने दी है कि गंगानगर में पैसा खर्च नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि आज से 6 महीने पहले.... (व्यवधान)....उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा हाउस को कण्ट्रोल करें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। सबको तो अलाउ नहीं किया जा सकता।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इस + + + सरकार से जवाब दिलवा दीजिए, उपाध्यक्ष महोदय, + + + सरकार से।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने जो कुछ किया है हमको यह समझ में नहीं आ रहा। गवर्निंग कौंसिल में फैसला हो गया कि यह पैसा हास्पिटल में इस्तेमाल करना है। आज से 6 महीने पहले मीटिंग हुई। उसके बाद तीन बार हमारी मीटिंगें हो चुकीं। उन मीटिंग्स में एप्रूवल हो गया। एप्रूवल होकर प्लान बन गया और ब्रिज कार्पोरेशन ऑफ राजस्थान को यह पैसा दे दिया गया। हमको यह सूचना दी गयी कि पैसा राज्य सरकार ने उनको दे दिया और वह खर्च किया जा रहा है। आज सूचना यह मिली कि वह पैसा रिलीज ही नहीं हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य सरकार ने सारे राजस्थान के जिलों के साथ, लोगों के साथ किया है। न तो पैसा था न रिलीज किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बिरधा राम जी।

श्री हेतराम बेनीवाल : न तो यह पैसा था राज्य सरकार के पास और न किसी जिले में रिलीज करने का प्रोग्राम था। मुझे अफसोस है, छः महीने तक मीटिंग पर मीटिंग हमने की। मैं आपको प्रोसीडिंग्स बता सकता हूं गवर्निंग कौंसिल की कि उन्होंने तीनों मीटिंग्स में फैसला कर लिया कि पैसा आ गया। हम बड़े खुश थे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बेनीवाल साहब, भाषण नहीं, सवाल पूछिये आप।

श्री हेतराम बेनीवाल : राज्य सरकार यह जवाब दे। वित्त मन्त्री जी बैठे हैं, मुख्य मन्त्री जी बैठे हैं, अगर + + + था तो आज ही स्वीकार कर लो कि चलो + + + हो गया, आइन्दा से ऐसा + + + नहीं होगा।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री बिरदाराम चौधरी : 30 जिले 30 काम में नागौर जिले में 90.40 लाख रुपए का प्रावधान था और उसके अगेन्स्ट 28.11 लाख....

श्री उपाध्यक्ष : बिरधाराम जी, जल्दी पूछिये आप ।

श्री बिरदाराम चौधरी : 28.11 लाख रुपए खर्च किये गये अब तक । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं कि यह जो पैसा बताया गया है यह लगाया गया है पेयजल के अन्दर । नागौर जिले में और विशेषकर मकराना, परवतसर में पेयजल के हिसाब से बहुत ही गम्भीर समस्या है । मैंने बार-बार यहां पेयजल का मामला उठाया भी है....

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिये आप । आ गया है ।

श्री बिरदाराम चौधरी : मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी ।

श्री बिरदाराम चौधरी : उसके बावजूद मेरे आज तक पैसा खर्च नहीं हुआ है । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मुख्य मन्त्री जी, जवाब दें । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर नहीं सुनना चाहते हैं ? (व्यवधान) माननीय श्री रामनारायण वर्मा, सवाल पढ़िये आप । बिराजिये आप । आप सुनना नहीं चाहते हैं इसका उत्तर । मुख्य मन्त्रीजी जवाब दे रहे हैं और आप सुनना नहीं चाहते हैं । आप बैठिये । (व्यवधान) उत्तर सुनना है तो बिराजिये । मैंने नैक्स्ट सवाल अलाउ कर दिया है ।....(व्यवधान)....अब आप बिराजिये पहले । बिरधाराम जी, बैठिये, प्लीज सिट डाउन ।

श्री बिरदाराम चौधरी : मैं बात तो पूरी कर लूं ।

श्री उपाध्यक्ष ; बिराजिये आप पहले । सुनना नहीं चाहते हैं तो मैं बन्द कर रहा हूं ।

श्री बिरदाराम चौधरी : मकराना में पानी की हमारी मजबूरी है और नागौर जिले में पी. एच. ई. डी. का काम था उस पर एक पैसा खर्च नहीं हुआ है । 28 लाख वाली बात गलत है ।

श्री रामस्वरूप मीणा : जिला सवाई-माधोपुर में 30 जिला 30 काम में एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया । इसका जवाब दिलवाएं मन्त्री महोदय से ।

श्री उपाध्यक्ष : आप उत्तर सुनना नहीं चाहते हैं ?....(व्यवधान)....आपको शान्त रहना पड़ेगा । बिराजिये पहले । मुख्य मन्त्री जी उत्तर दे रहे हैं, आप सुनना नहीं चाहते हैं ।

श्री सम्पत सिंह : कलक्टर ने किसी जन प्रतिनिधि को नहीं पूछा ।....(व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : एक मिनट में एक प्रश्न नहीं करने देना चाहते हैं आप ।

श्री उपाध्यक्ष : बैठ रहे हो कि नहीं आप ?

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : पहले हमारी बात तो सुन लो आप, जवाब हमारा आएगा कि नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या कह रहे हो आप ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : पहले हमारी बात सुनो आप।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सुनें आपकी बात ? टाइम नहीं है, क्वेश्चन आवर एण्ड हो रहा है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : इतनी देर से हम कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनना चाह रहे हैं क्या ? प्लीज सिट डाउन।

श्री रामस्वरूप मीणा : सवाईमाधोपुर के बारे में जरूर जवाब दिलाइये।

डॉ. चन्द्रभान : यह प्रत्येक जिले में गड़बड़ है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : राजस्थान की जनता के साथ धोखाधड़ी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : (मुख्य मन्त्री) जिस-जिस जिले के लिए जितना धन आबंटित किया गया था उस धन में से यदि कम खर्च हुआ है, यह अमाउण्ट लैप्स नहीं होगा और आगे के वर्ष में इसी अमाउण्ट..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बात सुनिये आप। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह क्या तमाशा है ? (व्यवधान) आप बात सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनिये पहले। आप उत्तर तो सुन लीजिए। आप उत्तर नहीं सुनना चाहते हैं ? क्या चाहते हो आप ?

श्री यदुनाथ सिंह : यह क्या जवाब हुआ कि अगले साल लैप्स नहीं होगा ? फिर अगले साल करते जाओ, फिर अगले साल करते जाओ।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनना चाहते हो कि नहीं ? सुनना पड़ेगा।

डॉ. चन्द्रभान : सवाल यह है कि सड़कों पर जो मिट्टी डाली थी वह उड़ रही है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। मुख्य मन्त्री जी उत्तर दे रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अपनी बात कह रहे हैं, बात सुनने को तैयार नहीं हैं। (व्यवधान) बात तो सुन नहीं रहे।

उपाध्यक्ष महोदय, इस योजना के अन्तर्गत जो काम लिये गये, जिसमें जितना खर्चा हुआ, उस खर्चे के सम्बन्ध में आपको जानकारी दी गई है। जो खर्चा अभी तक नहीं हुआ, काम वे ही होंगे और वे काम आगामी वर्ष भी इसी धनराशि से चलते रहेंगे।....(व्यवधान)....नहीं. आप ठहर तो जाओ। आप अपना जोश दिखा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप चाहते क्या हैं ? बिलकुल सही चल रहा है।

श्री यदुनाथ सिंह : जो पैसा जिस साल के लिये रखा गया, उसी साल खर्च होना चाहिए। लोगों को लाभ मिलना चाहिए योजना का।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सुनिये। जब यह योजना चालू की गई थी, पहले हर जिले से जानकारी की गई कि किस प्रकार का काम प्रत्येक जिले के लिये लिया जाय। कई दिन तक इस बात का ही विवाद चलता रहा। हमने जिलों को कहा कि एक जिले में एक प्रकार का काम नहीं लिया जाय। कई जिलों के सम्बन्ध में कई प्रकार के काम आ गए। एक ही प्रकार के काम कई जिलों के सम्बन्ध में आ गये तो फिर दुबारा जानकारी की गई कि एक जिले में पानी है, कहीं सड़क है, कहीं बिजली है, कहीं शाला-भवन है। इस प्रकार कामों का डिस्ट्रिब्यूशन किया जाय, बजट में उस काम के लिये कितना प्रोविजन है, प्रोविजन कम है तो उसको हम कम्पंसेट कर सकते हैं क्या ताकि सारी व्यवस्था हो सके। इस आधार पर यह सब किया गया। करने के बाद काम चालू हुए। बीच में, यह सही है, चुनाव आ गये। थोड़ा समय उसमें भी लग गया। उसके बाद में जो काम चालू हुए, इसमें न कोई फ्राड है, न फ्राड करने की नीयत है, यह रुपया खर्च करने की नीयत है। कई जिलों में खर्च पूरा हुआ है, कई जिलों में....(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : नहीं हुआ। कुछ नहीं किया जा रहा है गवर्नमैण्ट की तरफ से।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह फरवरी की फिगर्स हैं। समय बता रहा हूं। देखिये, फरवरी में और लास्ट अकाउण्ट में बड़ा अन्तर रहता है। कई जिलों में खर्चा हुआ है, काफी हुआ है। ऐसा नहीं है, सब जगह खर्च हुआ है। मैं बताऊं कि बहुत कम जिले ऐसे रहे हैं जिनमें आवंटित राशि पूरी खर्च नहीं हुई है। उसके सम्बन्ध में मैंने परसों निर्णय लिया है कि यह रुपया लैप्स नहीं होगा, उसी जिले में यह रुपया उसी प्रकार से खर्च होगा और काम चालू है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री देवपुराजी (व्यवधान) श्री देवपुराजी पूछ रहे हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़) : मैं मुख्य मन्त्रीजी से जानना चाहूंगा कि क्या यह योजना "30 जिले 30 काम" एक बार की योजना ही है या हर वर्ष की योजना है? यदि प्रति वर्ष की योजना है तो आप जो कह रहे हैं कि यह पैसा लैप्स नहीं और आगे जाएगा। मतलब उस जिले में आने वाले साल में कम अलाटमेंट होगा। यह स्पष्ट करिए आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस योजना के सम्बन्ध में पिछली बार एक वर्ष के लिये निर्णय लिया गया। उसके बाद में उस रुपये में से जो रुपया बच गया वह उसी काम पर उसी जिले में पुनः खर्च होगा। इस वर्ष में तो कम खर्च हुआ, यह तो निकल गया। आपका मान लीजिए 5 लाख रुपये बच गये उस काम के लिये वह लैप्स नहीं होगा, वह काम पर खर्च होगा। अगले वर्ष इस योजना को लिया जाय या नहीं लिया जाय, यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है और अप्रेल में इसके ऊपर निर्णय लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री बुलाकी दास कल्ला : यह पैसा जवाहर रोजगार योजना का है या अलग से प्रावधान किया है ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

अनुपस्थिति सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

कालवाड़ (जयपुर) में पकड़े गये केरोसीन के ड्रम

593. **श्री गोपीराम जाट (आमेर)** : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कालवाड़ रोड़ पर रसद विभाग के अधिकारियों ने केरोसीन के ड्रम एक वाहन में से जब्त किये ? यदि हां, तो कितने ?

(2) क्या इन ड्रमों में केरोसीन पाया गया ? यदि नहीं तो ड्रमों में क्या पाया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि जिलाधीश जयपुर ने इन ड्रमों को छोड़ने के आदेश दे दिये थे यदि हां, तो आदेश क्या थे ?

(4) क्या यह सही है कि इन ड्रमों में से सेम्पल ड्रम मालिकों के सामने नहीं लिए गये ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो सेम्पल कितनी बार लिए गये एवं किसके सामने लिये गये ?

(5) क्या इन सेम्पलस की जांच कर ली गई ? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या यह भी सही है कि इन ड्रमों को केरोसीन के डीलर के सुपुर्द किया गया था एवं प्रथम सेम्पल केरोसीन ही लिया गया ? यदि हां, तो क्यों।

उत्तर

(1) यह सही है कि कालवाड़ रोड़ पर रसद विभाग के अधिकारियों ने केरोसीन मानकर एक वाहन से चार भरे हुये ड्रम जब्त किये।

(2) इन ड्रमों में पाये गये पैट्रोलियम उत्पाद के नमूनों को परिक्षण हेतु भेजा गया है। परीक्षण रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं होने से यह बताया जाना सम्भव नहीं है कि इन पकड़े गये ड्रमों में वातस्व में क्या था।

(3) जिलाधीश, जयपुर ने जिला रसद अधिकारी, जयपुर को दि. 17.12.91 को आदेश दिये कि जब्त शुदा माल यदि डीजल प्रतीत हो तो उसका नमूना रखवा कर अप्रार्थीगण को अमानत के तौर पर राशि जमा करवाकर दे दिया जावें और यदि केरोसीन हो तो उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से वितरण करा दें एवं प्राप्त राशि को राज्यकोष में जमा कराई जावें।

(4) यह सही है कि इन ड्रमों में सेम्पल ड्रम मालिकों एवं टैम्पों ड्राईवर नः मिलने के कारण दो बार सेम्पल श्री सत नारायण अग्रवाल, श्री सुरेश कुमार श एवं सर्व श्री किशना, भूधाराम, विष रामस्वरूप एवं उपस्थित मोतबिरान बनवारीलाल व श्री गिरधारी लाल जाट उपस्थिति में लिये गये।

(खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री)

(5) इन सेम्पलों की जांच लेबोरेट्री द्वारा की जाती है वहां से अभी तक जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(6) इन जब्त ड्रमों को जिलाधीश, जयपुर के अन्तरिम आदेशानुसार अप्रार्थीगण को सुपुर्द किया गया एवं ड्रमों में भरे पैट्रोलियम उत्पाद को सूंघने पर केरोसीन मान कर सेम्पल लिया था।

जमवारामगढ़ में चरागाह भूमि

596. **श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर** (जमवारामगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील जमवारामगढ़ (जयपुर) में कुल कितनी बीघा चरागाह भूमि है? पचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) किस-किस पंचायत में कितनी-कितनी बीघा भूमि पर अतिक्रमण किया गया है?

(3) अतिक्रमियों के खिलाफ क्या कार्य कार्यवाही की गई?

(4) ग्राम पंचायत लालवास के ग्राम भानपुर खुर्द के खसरा नम्बर 17 रकबा 68 बीघा में से कितनी बीघा भूमि पर अतिक्रमण है तथा अतिक्रमियों ने क्या काश्त कर रखी है?

(5) हल्का पटवारी ने उक्त खसरा नम्बर के अतिक्रमियों के खिलाफ कब रिपोर्ट पेश की? तिथि एवं अतिक्रमियों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या राज्य सरकार उक्त भूमि में की गई काश्त को जब्त करेगी या उक्त भूमि को नियमन करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) तहसील जमवारामगढ़ क्षेत्र में 31641 बीघा 5 बिस्वा भूमि चरागाह है। पंचायतवार सूची परिशिष्ट ("क") सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) तहसील जमवारामगढ़ क्षेत्र में 43 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से 34 पंचायतों में 650 बीघा 03 बिस्वा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। पंचायत वार अतिक्रमण की सूची (परिशिष्ट "ख") सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) अतिक्रमियों के विरुद्ध नियमानुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत बेदखली की कार्यवाही तहसीलदार जमवारामगढ़ द्वारा की गई है।

(4) ग्राम पंचायत लालवास के ग्राम भानपुरखुर्द के ख. न. 17 रकबा 68 बीघा में से 25 बीघा 05 बिस्वा भूमि पर 7 व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर जौ, गेहूं व सरसों की काश्त कर रखी है।

(5) हल्का पटवारी द्वारा सात अतिक्रमियों के विरुद्ध दिनांक 27·1·92 को रिर्पाट तहसीलदार के कार्यालय में प्रस्तुत की गई है। सातों-अतिक्रमियों की सूची परिशिष्ट "ग" पर संलग्न प्रेषित है।

(6) नायब तहसीलदार, जमवारामगढ़ द्वारा उक्त समस्त अतिक्रमियों द्वारा की गई काश्त को राज्य हित में जप्त करने, निलामी व बेदखली के आदेश पारित किये जा चुके हैं। उक्त अतिक्रमण नियमन योग्य

(राजस्व मंत्री)

नहीं होने के कारण बेदखली के आदेश दे दिये गये हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

माणिक्यलाल वर्मा कन्या छात्रावास सरदारपुर को भवन निर्माण हेतु अनुदान

597. **श्री चुन्नीलाल** (तोखा) : एवम् **श्री शिव किशोर सनाढ्य** (उदयपुर) :— क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि माणिक्यलाल वर्मा कन्या छात्रावास, सरदारपुर, उदयपुर ने राज्य सरकार से 1956 में जमीन प्राप्त की थी ?

(2) उक्त भूमि पर भवन बनाने हेतु राज्य सरकार ने कितना अनुदान किन-किन वर्षों में प्रदान किया ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त भूमि में से सेंन्टपॉल स्कूल को कुछ भूमि बेची गई ? यह जमीन संस्थान के किस पदाधिकारी ने एवं किस अधिकार के अन्तर्गत बेची और बेचान रजिस्ट्री पर किन-किन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर हैं।

(4) क्या यह सही है कि सेंटपॉल स्कूल के अलावा श्री राममल माहेश्वरी तथा अन्य को भी इस छात्रावास की जमीन बेची गई थी ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी जमीन, कितनी राशि में बेची गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5 क्या यह भी सही है कि इस संस्था के पदाधिकारियों ने संस्था की भूमि से जो प्लॉट बेचे उसकी राशि संस्था में समय पर जमा नहीं कराई और अपने पास रखी ? इस धनराशि के गबन और अनियमितता की जांच क्या विभाग द्वारा कराई गई थी ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें और यदि नहीं कराई गई तो, क्यों।

(6) उक्त संस्था के वर्तमान पदाधिकारी कौन-कौन है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त छात्रावास भवन निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1959-60 एवं 1960-61 में 81,000 रुपये का अनुदान किया गया था।

(3) जी हाँ। संस्था के विधान में संस्था की भूमि के क्रय-विक्रय का प्रावधान है और इसी प्रावधान के अन्तर्गत संस्था ने भूमि का विक्रय किया है। उप पंजियक, उदयपुर व सहायक महा निरीक्षक, मुद्रांक एवं पंजियन, उदयपुर वृत्त उदयपुर से प्राप्त रजिस्ट्री की फोटो की प्रतियों के अनुसार बेचान की रजिस्ट्री पर संस्था की अध्यक्षा व सचिव के हस्ताक्षर हैं।

(4) जी हां। विवरण परिशिष्ट "अ" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(5) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(6) संस्था के वर्तमान पदाधिकारियों की सूची परिशिष्ट "ब" के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सहायक निदेशक, भूमि एवं भवन कर कार्यालय के कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस में दर्ज प्रकरण

940. श्री **चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 24 फरवरी, 1992 की रात्री में सी-स्कीम जयपुर में स्थित भूमि एवं भवन कर विभाग के सहायक निदेशक कार्यालय में विधान सभा सत्र के कार्य की अधिकता के कारण कई कर्मचारियों ने कार्यालय समय के पश्चात् रूककर कार्य किया है ?

(2) क्या कार्यालय समय के उपरांत रुककर कार्य करने के लिये सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ली गई थी ? यदि हां, तो किस अधिकारी से और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि इन कर्मचारियों में से अधिकतर ने कार्यालय में जुआ खेला और इनके शोर-शराबे की आवाज से मकान मालिक की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक द्वारा इस कार्यालय पर छापा मारा गया और कई कर्मचारियों को जुआ खेलते रंगे हाथों पकड़ लिया गया ? यदि हां, तो इन कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(4 क्या राज्य सरकार ऐसी घटना को रोकने के लिये कोई ठोस कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी, हां। निदेशालय से निर्गमित आदेशों के अनुक्रम में सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्षों द्वारा कार्यालय में समय के उपरान्त कर्मचारियों को कार्यालय में रूकने की स्वीकृति दी थी।

(3) छानबीन से पता चला है कि पुलिस कार्यालय में आई थी और सर्व श्री ओमप्रकाश शर्मा, शीघ्र लिपिक, हरिनारायण शर्मा, कनिष्ठ लिपिक तथा श्री भंवरलाल कनिष्ठ लिपिक के विरूद्ध धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत अशोक नगर थाने में मुकदमा संख्या 91/92 दर्ज हुआ है। तीन कर्मचारियों को दिनांक 27.2.1992 निलम्बित कर दिया गया तथा उनके विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–16 में अनुशासनात्मक कार्यवाही भी आरम्भ कर दी गई है। तीनों ही कर्मचारियों को दिनांक 10.3.1992 को आरोप-पत्र जारी कर दिये गये हैं। कर्मचारियों की ओर से आरोप-पत्र का उत्तर अभी प्रतिक्षित है।

(4) मुख्यालय द्वारा सहायक निदेशक, सिविल लाइन जोन, जयपुर एवं मोती डूंगरी जोन, जयपुर को क्रमशः पत्र क्रमांक 2143, दिनांक 10.3.1992 तथा 2142, दिनांक 10.3.1992 द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि वे कार्यालय समय के पश्चात् कार्यालय परिसर में कर्मचारियों की गतिविधियों पर कड़ी निगाह रखे तथा समय-समय पर कार्यालय समय पश्चात् निरीक्षण करें।

जोधपुर विश्वविद्यालय में, शिक्षकों को साक्षात्कार में बुलाने के नियम

941. **श्री दिलसुखराय** (फतेहपुर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जोधपुर विश्वविद्यालय में शिक्षकों के चयन हेतु साक्षात्कार में बुलाने हेतु नियम हैं ? यदि हां, तो आवेदकों के प्रार्थना पत्र की छंटनी किस आधार पर की जाती है ?

(2) एक पद हेतु कितने योग्य आवेदकों को साक्षात्कार में बुलाया जाता है ?

(3) साक्षात्कार के बाद चयन समिति को सिफारिशें करते समय किन-किन नियमों का ध्यान रखना आवश्यक है ?

(4) पिछले वर्ष अक्टूबर, 1991 के बाद हुए शिक्षकों के चयन के समय चयन समिति द्वारा किन-किन विषयों की मुख्य सूची एवं सुरक्षित सूची अलग-अलग बनाई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं, विश्वविद्यालय की सिंडीकेट ने दिनांक 18-7-86 को निर्णय संख्या 154/86 द्वारा अभ्यर्थियों का शोर्ट लिस्टिंग (छंटनी) करने के लिए कोई तरीका बनाने के लिए कुलपति को अधिकृत किया था। निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्र पत्रों की छंटनी सम्बन्धित संकाय के अधिष्ठाता तथा सम्बन्धित विभाग के अध्यक्ष की एक समिति द्वारा करवाई जाती हैं।

(2) विश्वविद्यालय की ऑर्डिनेंस में निर्धारित योग्यता धारक आवेदकों को सामान्यतः एक रिक्त पद के लिए 10 आवेदकों को तथा विभाग में पूर्व से ही सेवारत तदर्थ/अस्थाई/कालांश पर नियुक्त अस्थाई अध्यापकों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता हैं। समस्त योग्य आवेदकों की सूची की चयन समिति के सम्मुख साक्षात्कार होने से पहले प्रस्तुत की जाती हैं।

(3) साक्षात्कार के बाद चयन समिति को अपनी सिफारिशों हेतु विश्वविद्यालय के एक्ट स्टेट्यूट एवं ऑर्डिनेंस में किस प्रकार के नियमों का प्रावधान नहीं हैं। चयन समिति अपनी सिफारिश करते समय सामान्यतः तीन मुख्य बातों का ध्यान रखती है जो निम्न हैं :–

1. चयनित अभ्यर्थियों के नाम चयन सूची में (इन ऑर्डर ऑफ मेरिट) रखती हैं।

2. चयन समिति किस अभ्यार्थी की योग्यताओं के मापदण्ड में छूट (रिलेक्शेसन) देने की सिफारिश लिखित में कर सकती हैं।

3. प्रमुख अभ्यार्थी को किन्हीं विशेषताओं के आधार पर वेतनमान के न्यूनतम वेतन से अधिक वेतनमान देने की सिफारिश कर सकती है।

(4) अक्टूबर, 91 के बाद शिक्षकों के चयन की सिफारिशे चयन समिति द्वारा किसी विषय की मुख्य सूची अलग-अलग नहीं बनाई गई।

भीनमाल एवं जालौर के महा-विद्यालयों में रिक्त पद

942. **श्री प्रेमसिंह दहिया** (भीनमाल) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जालौर जिले के भीनमाल एवम् जालौर महाविद्यालयों में कितने पद किन किन विषयों के रिक्त हैं ? अन्य कर्मचारियों के कौन-कौन से पद रिक्त हैं और कब से ?

(2) क्या सरकार उक्त पदों को शीघ्र भरने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? रिक्त पदों को कब तक भर दिया जावेगा ?

(3) क्या यह सही है कि प्राध्यापकों के अभाव में छात्रों के अध्ययन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ? क्या सरकार इसी सूत्र में विज्ञान विषयों के रिक्त पद भरने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जालौर जिले के भीनमाल महाविद्यालय में व्याख्याताओं में केवल एक पद अंग्रेजी विषय में दिनांक 3-8-91 से रिक्त है । अन्य कर्मचारियों में पी. टी. आई. का एक पद दिनांक 5-1-90 से और कनिष्ठ लिपिक के दो पद दिनांक 13-8-88 और 5-12-88 से रिक्त है ।

जालौर जिले के ही जालौर महाविद्यालय में व्याख्याताओं के दो पद अर्थशास्त्र और ए. बी. एस. टी. क्रमशः दिनांक 16-11-91 और 15-9-91 से रिक्त हैं । अन्य कर्मचारियों में पी. टी. आई. का एक पद दिनांक 1-8-91 से, कनिष्ठ लिपिक का एक पद दिनांक 24-9-91 से और सहायक पुस्तकाध्यक्ष का एक पद फरवरी 1992 से रिक्त है ।

(2) जी हां । पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है ।

(3) जी नहीं । प्राध्यापकों के अभाव में छात्रों के अध्ययन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने दिया गया है । सरकार ने अध्यापन कार्य हेतु अन्य महाविद्यालयों से व्याख्याताओं को प्रतिनियुक्त करके पूर्ण करवाया है । विज्ञान विषयों के कोई पद भीनमाल और जालौर महाविद्यालय में रिक्त नहीं हैं ।

झुंझुनूं में क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा निर्मित दुकानें

943. **श्री दिलसुख राय** (फतेहपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि झुंझुनूं जिला मुख्यालय पर क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., झुंझुनूं द्वारा मुख्य सड़क पर खुलती हुई दुकानें बनाई गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार अविलम्ब सीकर में भी मुख्य सड़क पर खुलती हुई दुकानें क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., सीकर द्वारा भी बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य में अधिकतर मण्डियों में व्यापारियों द्वारा ही कृषि जिन्सें खरीदी जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को राहत प्रदान करने के लिए सभी मण्डियों में सहकारी संस्थाओं

(श्री दिलसुख राय)

द्वारा किसानों की कृषि जिन्सें खरीदना आवश्यक करेगी ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) क्रय विक्रय सहकारी समिति के पास यदि लाभ से प्राप्त धनराशि उपलब्ध हो तो उन्हें सरकार से दुकानें बनाने की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। यदि किसी शहर में एक स्थान पर दुकाने बनती हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे शहर की समिति भी उसी प्रकार दुकाने बनवाई जाये।

(2) सहकारी संस्थाएँ उनके पास उपलब्ध धन राशि के अनुसार कृषि जिन्से खरीदती हैं।

गंगापुर सिटी में तिलम संघ द्वारा तेल मिल की स्थापना

944. **श्री गोविन्द सहाय** (गंगापुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या गंगापुर सिटी में तिलम संघ द्वारा तेल मिल लगाया जा रहा है ? यदि हां, तो कितनी लागत से यह प्लान बन रहा है तथा कितना उत्पादन होगा ?

(2) अब तक कितनी राशि उसमें लग चुकी है और कब तक बनकर तैयार होगा ?

उत्तर

(1) जी हां। इसकी अनुमानित लागत 423.19 लाख रुपये है तथा इसकी उत्पादन क्षमता 50 मै. टन प्रतिदिन है।

(2) इस परियोजना पर अब तक (31-1-92 तक) 420.57 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं। इस परियोजना के मई 1992 तक बनकर तैयार हो जाने की सम्भावना है।

सहकारिता विभाग में रोस्टर प्रणाली

945. **श्री प्रकाश चन्द बैरवा** (फागी) एवं **श्री मरोसी लाल** (हिण्डौन) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या सहकारिता विभाग में रोस्टर प्रणाली के अनुसार वर्ष 1981 से आज तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को पदोन्नति दी गई है ? यदि हां, तो किस-किस को ?

(2) विभाग में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का कितने पदों का बैकलाग है ? बैकलाग को कब तक भर दिया जावेगा ?

(3) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा वर्ष 1991-92 में संवर्गवार डी. पी. सी. आयोजित की गई ? यदि हां, तो रोस्टर के अनुसार किन-किन लोगों को पदोन्नति दी गई अथवा दी जानी है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पदोन्नत किये गये अधिकारियों की सूची परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

(2) अनुसूचित जाति/जनजाति का वर्गवार बैकलोग निम्न प्रकार है :–

(सहकारिता मंत्री)

अतिरिक्त रजिस्ट्रार शून्य

संयुक्त पंजीयक

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
3	शून्य

उप पंजीयक

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
3	6

सहायक पंजीयक

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
11	8

पात्रता जौन में अधिकारी उपलब्ध होने पर बैकलाग भर दिया जायेगा।

(3) जी हां। रोस्टर के अनुसार संयुक्त पंजीयक के पदों पर निम्न अधिकारियों को पदोन्नति दी गई है :–

1. श्री बी. डी. आर्य, एस. सी.
2. श्री आर. के. मीणा, एस. टी.
3. श्री शिवलाल मीणा, एस. टी.

उप पंजीयक के पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति की बैठक आयोजित हो चुकी है परन्तु अभी तक यह सुनिश्चित नहीं किया गया है कितने व्यक्तियों को पदोन्नति दी जानी है। सहायक पंजीयकों के पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित हो चुकी है परन्तु बैठक की कार्यवाही विवरण का अनुमोदन राज. लोक सेवा आयोग, अजमेर के विचाराधीन है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें)

बांसवाड़ा में लैम्पसों के चुनाव

946. **श्री बहादुर सिंह** (दानपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले में 88 लेम्पसों में से 23 लेम्पसों के चुनाव गत वर्ष हुए थे ? शेष के चुनाव कब तक करवा लिये जावेंगे ?

(2) क्या यह भी सही है कि बांसवाड़ा जिले में 65 लेम्पसों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद जनवरी, 1992 में क्रय विक्रय सहकारी समिति बांसवाड़ा, गढ़ी कुशलगढ़ के चुनाव करवाये गये हैं ?

(3) क्या लेम्पसों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी क्रय-विक्रय समिति के चुनाव करवाये जाते हैं ? यदि नहीं, तो लेम्पस के चुनाव होने के पश्चात् ही क्रय-विक्रय समिति के चुनाव क्यों नहीं करवाये गये ?

उत्तर

(1) जी हां। शेष लेम्पस् के चुनाव की प्रक्रिया विधानसभा के वर्तमान सत्र के पश्चात् शीघ्र प्रारम्भ की जावेगी।

(2) जी नहीं। बांसवाड़ा जिले में 65 लेम्पस का कार्यकाल सितम्बर, 1991 में समाप्त होने से पूर्व ही क्रय विक्रय सहकारी समिति बांसवाड़ा, गढ़ी एवं कुशलगढ़ की चुनाव प्रक्रिया जुलाई, 1991 में प्रारम्भ कर दी गई थी जो जनवरी, 1992 में पूर्ण हुई।

(3) क्रय विक्रय समितियों के चुनाव

(सहकारिता मंत्री)

ड्यू होने पर उनके चुनाव कराये जाते हैं। क्रय विक्रय सहकारी समिति, बांसवाड़ा गढ़ी एवं कुशलगढ़ के चुनाव ड्यू हो चुके थे और चुनाव प्रक्रिया जुलाई, 1991 में शुरू कर दी गई थी जबकि लैम्पस के चुनाव सितम्बर, 1991 में ड्यू हुए थे।

को-आपरेटिव इण्डस्ट्रियल स्टेट रानी (पाली) में प्रशासकों के कार्यकाल

947. **श्री अचला राम** (देसूरी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) को-आपरेटिव इण्डस्ट्रीयल स्टेट रानी जिला पाली में कब से प्रशासक नियुक्त है ? कौन-कौन व्यक्ति कितनी अवधि तक प्रशासक रहा ?

(2) इन प्रशासकों द्वारा किन-किन व्यक्तियों को किस नाम से कितनी कितनी भूमि उद्योग हेतु आवंटित की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) आवंटित भूमि में से कितनी पर उद्योग लगे एवं कितने ऐसे आवंटन हैं जिन पर उद्योग लगने की कोई कार्यवाही नहीं हुई ?

(4) ऐसे कितने आवंटन हैं जिनका लीज का हस्तान्तरण अन्य को हो गया है ?

(5) क्या इन आवंटियों ने व्यवसाय के लिए भूमि का आवंटन करवाया था ? इस तरह के हस्तान्तरण किन-किन प्रशासकों द्वारा किया गये ?

(6) क्या यह हस्तान्तरण नियमानुसार थे ? यदि हां, तो किस नियम के तहत यदि नहीं, तो ऐसे हस्तान्तरण करने वाले प्रशासक पर सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ? इस तरह के हस्तान्तरणों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रानी को-ऑपरेटिव इण्डस्ट्रीज स्टेट रानी में 21-9-78 से अब तक प्रशासक कार्यरत हैं। प्रशासकों सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(2) प्रशासकों द्वारा 31 भूखण्ड आवंटित किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न हैं।

(3) प्रशासकों द्वारा आवंटित 31 भूखण्डों में से 27 पर उद्योग लग चुके हैं और 4 पर अभी उद्योग नहीं लगे हैं। विवरण परिशिष्ट "2" पर दे दिया है।

(4) प्रशासकीय अवधि में 9 आवंटियों की लीज का हस्तान्तरण अन्य को हुआ है।

(5) जी हां। प्रशासकीय अवधि में लिए गए हस्तान्तरण श्री बद्रीलाल चेचाणी एवं श्री हरसहाय जारवाल द्वारा किया गया है।

(6) जी हां। संस्था के उपनियम संख्या 3 (ख) के प्रावधानों के अन्तर्गत हस्तान्तरण किए गए हैं। हस्तान्तरित मामलों की सूची परिशिष्ट "3" पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

सहकारी उपभोक्ता भण्डारों द्वारा समाज कल्याण विभाग को खाद्य सामग्री की सप्लाई

948. **श्री निर्मय लाल** (रूपवास) एवं **श्री मोती लाल** (सवाई माधोपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जुलाई 1983 से मार्च 1984 तक सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सहकारी उपभोक्ता भण्डारों द्वारा समाज कल्याण विभाग को स्थानीय खाद्य सामग्री (गुड़, चना, मूंगफली, दाल, चावल) सप्लाई की गई ? यदि हां, तो किस-किस भण्डार द्वारा किस-किस कार्यालय को कितनी-कितनी सामग्री, किस-किस दर पर बेची गई ? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नौ भण्डारों द्वारा उपरोक्त खाद्य सामग्री किस-किस दर पर क्रय की गई ? खाद्य सामग्री की मात्रा एवं दरों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि मान्यता प्राप्त सहकारी उपभोक्ता भण्डार किसी अन्य स्थान से सामान क्रय कर सरकारी विभागों को उसी सामान को विक्रय कर सकते हैं ? यदि हाँ, तो किन यियमों के तहत ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सहकारी उपभोक्ता भण्डार, अजमेर जी. एफ. एफ. आर. के नियमों के तहत होलसेलर की परिभाषा में आता है ? यदि हां, तो राज्य सरकार किस आदेश के तहत इसे होलसेलर मानती है ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। मण्डारवार, कार्यालय-वार विवरण परिशिष्ट 'क' पर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) विवरण सदन के पटल पर परि-शिष्ट 'ख' पर रख दिया गया है।

(3) जी हां। भण्डार के उपनियमों में यह प्रावधान है कि भण्डार किसी अन्य स्थान से सामान क्रय कर सकता है। क्रय किये गए सामान को सरकारी विभागों को विक्रय करने सम्बन्धी आदेश परिशिष्ट 'ग' पर रख दिए गए हैं।

जी, हां। आदेशों की प्रति परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मोजपुर (अलवर) के शारीरिक शिक्षक के विरुद्ध शिकायतें

949. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री गोविन्द-राम सैनी शारीरिक शिक्षक राजकीय माध्यमिक विद्यालय मोजपुर (अलवर) के विरुद्ध गत एक वर्ष में ग्रामवासियों एवं

(श्री जीतमल जैन)

विद्यालय के स्टाफ की शिकायतों के आधार पर भिन्न-भिन्न अधिकारियों के द्वारा जांच की गई ? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदनों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त शिकायतों एवं जांच के आधार पर दोषी कर्मचारी के विरुद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) कार्यवाही नहीं की गई तो इसके लिये कौन अधिकारी दोषी है एवं क्या सरकार अब कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, नहीं । केवल एक अधिकारी द्वारा जांच करवाई गई । जांच प्रतिवेदन की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं ।

(2) विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अभी नहीं की गई है ।

(3) जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही विचाराधीन है ।

(प्रतिवेदन की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

टैगोर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, केकड़ी

950. **श्री मोहम्मद माहिर आजाद** (झुंझुनूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) टैगोर शिक्षा समिति केकड़ी द्वारा कौन-कौन सी संस्थायें संचालित की जा रही हैं ? सरकार द्वारा उन्हें कितना-कितना अनुदान दिया जा रहा है ? प्रबन्ध समिति में कौन-कौन हैं ?

(2) क्या टैगोर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के सचिव व प्राचार्य के विरुद्ध धोखाधड़ी व अनियमितताओं की रिपोर्ट पुलिस थाना केकड़ी में 147/86–120/89 आदि दर्ज कराकर शिक्षा विभाग को भी जांच हेतु शिकायत की गई थी ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(1) टैगोर शिक्षा समिति, केकड़ी द्वारा निम्नलिखित संस्थायें संचालित की जा रही हैं :—

1. उच्च प्राथमिक शाला ।

2. आई. टी. आई. ।

3. शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय

सरकार द्वारा इन संस्थाओं को अनुदान नहीं दिया जा रहा है । इस संस्था की प्रबन्ध समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:–

क्र. सं.	नाम	पद
1.	श्री गोविन्द नारायण दायमा	अध्यक्ष
2.	श्री सुरेश अग्रवाल	उपाध्यक्ष
3.	श्री ओम दाधीच	मंत्री
4.	श्रीमती अरूणा आचार्य	उपमंत्री
5.	श्री सुरेशचन्द टेलर	कोषाध्यक्ष
6.	श्री प्यारेलाल	सदस्य
7.	श्री गोविन्द आचार्य	सदस्य
8.	श्रीमती उमा रिनका	सदस्य
9.	श्री महेश शर्मा	सदस्य

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी हां । विभाग द्वारा इस शिकायत की जांच करवाई गई थी । जांच के आधार पर टैगोर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय केकड़ी को सत्र 1986–87 में बी. एड. के प्रवेशों में की गई गम्भीर अनियमितताओं के सम्बन्ध में दिनांक 5-3-87 को कारण बताओ नोटिस दिया गया था । संस्था से दिनांक 18-3-87 को नोटिस का उत्तर प्राप्त हुआ एवं संस्था ने लिखित परिवचन प्रस्तुत किया । जिनको दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 3-7-87 को सरकार ने बी. एड. महाविद्यालय को अस्थाई मान्यता में वृद्धि करने हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय को अनापत्ति पत्र भिजवा दिया तथा संस्था को चेतावनी दी कि भविष्य में कभी भी राज्य सरकार के आदेश/निर्देशों की अवहेलना करने पर महाविद्यालय की अस्थाई मान्यता समाप्त कर दी जावेगी ।

भारत-पाक युद्ध के पश्चात् विस्थापित शिक्षकों की नियुक्ति

951. **श्री चम्पा लाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या भारत-पाक युद्ध 1971 के पश्चात् योग्यता प्राप्त विस्थापितों में से पाकिस्तान में रहे अध्यापकगणों को यहां शिक्षा विभाग ने वर्ष 1972 में अध्यापक के पद पर नियुक्ति दी थी ?

(2) यदि हां, तो वर्ष 1979 में नियमानुसार नियुक्त अध्यापकों को शिक्षा विभाग में अध्यापकों के पद रिक्त होते हुए शिविर समादेष्य पुर्नवास विभाग बाड़मेर ने उन्हें सेवा से क्यों निकाला ?

(3) क्या नियुक्ति अधिकारी व सम्बन्धित विभाग के अन्य अधिकारी द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही करना वैध है ?

(4) पुर्ननियुक्ति पर इनकी टूटक अवधि को राजस्थान सेवा नियम के नियम 212 में जोड़ने के साथ उन्हें उनकी पूर्व सेवाओं का लाभ क्यों नहीं दिया गया ? जबकि नियमानुसार उनकी सेवा समाप्ति में कर्मचारीगण का कोई दोष नहीं था ?

(5) क्या उक्त परिस्थिति में सरकार उनकी टूटक अवधि को सेवा के समस्त लाभ के साथ नियमित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं । पुर्नवास विभाग के अन्तर्गत नियुक्तियां दी गई थीं ।

(2) शरणार्थी केम्पों के समाप्त कर दिये जाने के कारण इन अध्यापकों की सेवाएं 30-6-79 से समाप्त कर दी थी ।

(3) जी, हां ।

(4) शिक्षा विभाग में 61 शरणार्थी अध्यापकों को पुन: नियुक्ति प्रदान की गई थी । जिनमें से 36 अध्यापकों ने कार्यग्रहण किया था । इनके पूर्व की सेवा में टूटक अवधि को नियमित करने हेतु कार्यवाही की गई । राजस्थान सेवानियम 212 के अन्तर्गत जिन अध्यापकों की 5 वर्ष या इससे अधिक पुनर्वास की सेवायें थी तथा

(शिक्षा मंत्री)

टूटक अवधि 2 वर्ष की सीमा तक थी के 19 अध्यापकों की सेवा अवधि को मान लिये जाने के आदेश प्रदान किए गए। शेष 11 अध्यापकों के प्रकरण नियम 212 के अन्तर्गत न आने के कारण नियमित नहीं किए गए हैं।

(5) उक्त 19 अध्यापकों को टूटक अवधि की सेवा के समस्त लाभ देय हैं। अन्य को लाभ नियम 212 के तहत सेवाएं नियमित न होने के कारण देय नहीं हैं।

राजगढ़ (अलवर) के विद्यालयों की क्रमोन्नति

952. **श्री श्रीराम मीणा** (राजगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1992-93 में राज्य सरकार कितने विद्यालयों को क्रमोन्नत करने जा रही है ?

(2) विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के लिए क्या कोई मानदण्ड निर्धारित किये हुये हैं ? यदि हां, तो नोर्म्स की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) राजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के कितने विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) बजट भाषण में माननीय मुख्य-मंत्री महोदय ने वर्ष 1992-93 में निम्न विद्यालयों की क्रमोन्नति सम्बन्धी घोषणा की है :–

1. प्राथमिक से उच्च प्राथमि	100
2. उ. प्रा. वि. से माध्यमिक	80
3. माध्यमिक से सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय	25

(2) विद्यालय क्रमोन्नति के समय क्षेत्रीय मांग, क्षेत्र की जनसंख्या, छात्र संख्या, भवन व्यवस्था, फीडिंग विद्यालयों की स्थिति, आदि बिन्दुओं पर उपलब्ध वित्तीय साधनों के अन्तर्गत गुणावगुण के आधार पर विचार कर निर्णय लिया जाता है।

(3) विद्यालय क्रमोन्नति की संख्या विधान सभा क्षेत्र के अनुसार निर्धारित नहीं की जाती है, पंचायत समिति को ईकाई मानकर क्रमोन्नत करने पर निर्णय लिया जाता है।

राजकीय प्राथमिक विद्यालय, भुसावर (भरतपुर) के विरुद्ध शिकायतें

953. **श्री सांवर लाल** (भिनाय) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजकीय प्राथमिक विद्यालय भुसावर (भरतपुर) में गत 10 वर्षों से एक अध्यापक ही प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त है ?

(2) यदि हां, तो उसका क्या नाम है ?

(3) क्या उक्त प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कोई शिकायतें हैं। यदि हां, तो क्या-क्या

(श्री सांवर लाल)

शिकायतें है ? क्या उक्त शिकायतों की जांच करवाई गई ? यदि हां, तो किस के द्वारा ? जांच रिपोर्ट क्या है ?

(4) जांच पर सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) श्री जगदीश प्रसाद (शर्मा) पाण्डे भूतपूर्व प्र. अ. रा. प्रा. वि., रमेश स्वामी भुसावर वर्तमान प्र. अ. रा. प्राथमिक विद्यालय रेवतीशरण भुसावर हैं ।

(3) जी हां । विद्यालय से अनुपस्थित रहने पर भी कर्मचारी उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति अंकित करने एवं अनुपस्थिति के दिनों का वेतन उठाने की शिकायतें थी । इन शिकायतों की जांच श्री मुरारी लाल शर्मा प्र. अ. रा. सी. उ. मा. विद्यालय अस्तावन [भरतपुर] श्री उम्मेदसिंह प्र. अ, रा. मा. वि., महुवा (भरतपुर) एवं श्रीबाबूलाल वशिष्ठ प्र. अ. रा. मा. विद्यालय ललिता मूंडिया (भरतपुर) की समिति से करवाई गई थी । प्राथमिक जांच रिपोर्ट में श्री जगदीश प्रसाद पाण्डे को दिनांक 4-2-84, 17-7-82, 8-7-83 एवं 31-8-87 को अनुपस्थित होते हुए भी विद्यालय की उपस्थिति पंजिका में अपनी उपस्थिति अंकित करने का दोषी माना गया है ।

(4) श्री जगदीश प्रसाद पाण्डे का स्थानान्तरण अन्य तहसील में करने के निर्देश दिये गये हैं । इस प्रकरण पर आगामी कार्यवाही विचाराधीन है ।

अतारांकित प्रश्न संख्या 954
[स्थगित]

जयपुर जिले के नव सृजित एवं क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालय

955 **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) 1990 से अब तक जयपुर जिले में कुल कितने नये उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं । कितने क्रमोन्नत किये गये हैं सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) तहसील जमवारामगढ़ में छात्र एवं छात्राओं के उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची ग्रामवार सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जयपुर जिले में सन् 1990 से अब तक प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों से माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये गये विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) तहसील जमवारामगढ़ में छात्र/छात्राओं के उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची ग्रामवार सदन की मेज पर रखा दी गई हैं ।

[सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें]

तृतीय श्रेणी अध्यापकों की जिलेवार वरिष्ठता सूची

956. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

ग्रामीण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में तृतीय श्रेणी के अध्यापकों की वरिष्ठता सूची जिलेवार तैयार की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिलेवार सूची रहने से कुछ जिलों में उक्त श्रेणी के अध्यापकों को 5-6 वर्ष में पदोन्नति प्राप्त हो रही है जबकि अन्य जिलों में 25-30 वर्ष तक नहीं होती है ? यदि हां, तो उक्त अवसर की असमानता क्यों ? समस्त जिलों का तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त असमानताओं को दूर करने एवं 15 वर्ष की सेवा वाले बी. ए., बी. एड. योग्यता रखने वाले शिक्षकों को चयनित वेतनमान के वर्तमान आधार पर ही उनका पदनाम वरिष्ठ अध्यापक में बदलने सम्बन्धी विभिन्न स्तरों से प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(4) राज्य के तृतीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों की विभिन्न जिलों में पदोन्नति के अवसरों की असमानता को दूर करने के सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है तथा उक्त असमानता कब तक दूर कर दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 की अनुसूची में तृतीय वेतन श्रृंखला शिक्षकों की वरिष्ठता जिलेवार रखने का प्रावधान है ।

(2) जी नहीं । विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(3) जी नहीं ।

(4) पदोन्नति के अवसरों की असमानता प्रत्येक प्रकार की अधीनस्थ सेवाओं में व्याप्त है । इसे समाप्त करने के लिए सरकार के समक्ष कोई व्यावहारिक प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

[विवरण के लिए परिशिष्ट 6 देखें]

अलवर के उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के अधिशेष अध्यापक

957. **श्री जीतमल जैन** [अलवर] : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले के नगरीय क्षेत्रों के उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत पदों से अधिक अध्यापक कार्यरत हैं ? विद्यालयवार अध्यापकों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) अधिशेष (सरप्लस) अध्यापकों की सरकार उन स्थानों पर पदस्थापित करने का विचार रखती है जहां स्थान रिक्त हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां । नगरीय क्षेत्रों उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में

(शिक्षा मन्त्री)

स्वीकृत पदों से अधिक कार्यरत शिक्षकों की विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

[2] वेतन व्यवस्था का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

[3] जी हां । शिक्षकों का जहा से वेतन उठाया जा रहा है, वहीं उनका पद-स्थापन यथाशीघ्र करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

[सूची के लिए परिशिष्ट 7 देखें]

(अतारांकित प्रश्न संख्या 958 स्थगित)

बस्सी में कन्या हायर सैकण्डरी व सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल की मांग

959. **श्री कन्हैया लाल** (बस्सी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि सरकार महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहती है ? यदि हां, तो बस्सी विधान सभा क्षेत्र में आज तक कोई कन्या हायर सैकण्डरी और कन्या सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल न होने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या सरकार सैकण्डरी कन्या विद्यालय बस्सी एवं कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय, कोटखावदा को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, बस्सी क्षेत्र में कन्या सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय सीमित वित्तीय संसाधनों एवं निर्धारित मानदण्ड की पूर्ति न होने के कारण क्रमोन्नत नहीं किया जा सका ।

(2) जी नहीं, चालू सत्र में विद्यालय क्रमोन्नत के लक्ष्य पूरे हो चुके हैं ।

एन. के. पब्लिक स्कूल मुरलीपुरा, जयपुर को मन्यता

960. **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार) : एवं **श्री राजपाल सिंह शेखावत** (बनीपार्क) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) एन.के. पब्लिक स्कूल, मुरलीपुरा, जयपुर को 7 अगस्त, 1990 तक किस कक्षा तक की मान्यता प्रदान की हुई थी ?

(2) क्या उक्त स्कूल को प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय की अस्थायी मान्यता दी हुई थी लेकिन बाद में सीधे सैकण्डरी की मान्यता दे दी गई ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अनियमित मान्यता को उचित मानती है ?

(3) क्या इस स्कूल की एक मेटाडोर रेल से टकरा जाने के कारण इसमें लाये जा रहे बच्चे दुर्घटना में मारे गये ? यदि हां, तो स्कूल के व्यवस्थापक द्वारा इस प्रकार की लापरवाही बरतने के बावजूद इस स्कूल को सैकण्डरी स्कूल की मान्यता क्यों प्रदान की गई ?

(4) क्या सरकार उक्त परिस्थितियों में इस स्कूल की मान्यता निरस्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) एन. के. पब्लिक स्कूल, जयपुर को राज्य सरकार के द्वारा सत्र 1989 में माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत किया गया था।

(2) जी हां, जी नहीं, परन्तु मुरलीपुरा एक नवविकसित कालोनी होने तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालय की सुविधा नहीं होने के कारण उक्त विद्यालय की अस्थायी मान्यता होते हुए भी माध्यमिक स्तर क्रमोन्नत किया गया है।

(3) जी हां, यह दुर्घटना ड्राइवर की लापरवाही के कारण हुई। जिसमें ड्राइवर की मृत्यु भी हो चुकी है। व्यवस्थापक एवं शाला दोषी नहीं है सैकण्डरी को मान्यता दुर्घटना से पूर्व ही प्रदान की जा चुकी थी।

(4) जी नहीं, दुर्घटना में विद्यालय का कोई दोष नहीं है।

चित्तौड़गढ़ के विद्यालयों की क्रमोन्नति

961. **श्री शान्तिलाल** (राजसमंद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या चित्तौड़गढ़ तहसील के ग्राम घोसुन्डा के माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं ग्राम धनेत कलां के उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हुए हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार उक्त ग्रामों की शालाओं को क्रमोन्नत करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। सत्र 1991-92 के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करली गई है।

राजस्थान संस्कृत शोध संस्थान को आवंटित भूमि पर अतिक्रमण

962. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान संस्कृत शोध संस्थान के लिए आवंटित 7 एकड़ जमीन पर कब्जा संस्कृत निदेशालय ने किस तिथि को संभाला ?

(2) निदेशालय द्वारा कब्जा देने के उपरांत उस भूमि पर कितने अतिक्रमण हुए?

(3) इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

(4) इसके लिए उत्तरदायी अधिकारी कौन हैं ?

(5) क्या अतिक्रमण में साझेदार सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राजस्थान संस्कृत शोध संस्थान हेतु आवंटित भूमि का कब्जा संस्कृत निदेशालय ने दिनांक 16 जून, 1989 को सम्भाला।

(५२)

(शिक्षा मन्त्री)

(2) उक्त भूमि पर कब्जा लेने के बाद 14 (चौदह) अतिक्रमण हुए।

(3) अतिक्रमणों को हटाने के लिए मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

(4) न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। इसके पूर्ण होने पर उत्तरदायित्व निर्धारित करना सम्भव होगा।

(5) अतिक्रमणों के संदर्भ में किसी अधिकारी की साझेदारी विभाग की जानकारी में नहीं है।

क्रमोन्नत विद्यालयों के भवन

963. **श्री बंशीलाल पटवा** : (भीलवाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या इस वर्ष राज्य में क्रमोन्नत किये गये समस्त विद्यालयों के लिए भवन पर्याप्त हैं? यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या विचार रखती है?

उत्तर

जी नहीं, विद्यालय भवनों की व्यवस्था हेतु सीमित वित्तीय साधनों व जनसहयोग के आधार पर जितना सम्भव होता है प्रयास किये जाते हैं।

शिक्षा विभाग के कर्मचारियों व अध्यापकों की स्थानान्तरण नीति

964. **श्री श्रीकिशन सोनगरा** (अजमेर पूर्व) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार द्वारा शिक्षा विभाग के कर्मचारियों व अध्यापकों के स्थानान्तरण हेतु कितने वर्ष की सीमा निर्धारित की गई है?

(2) क्या यह सही है कि उप निदेशक (छात्र संस्थायें) अजमेर के द्वारा इस वर्ष भारी संख्या में स्थानांतरण किये गये हैं? यदि हां, तो कितनी-कितनी अवधि के बाद किस-किस कर्मचारी व अध्यापक का स्थानांतरण किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) किन-किन कर्मचारियों के स्थानांतरण दो साल की अवधि समाप्त होने के बाद भी स्वेच्छा प्रार्थना-पत्रों पर नहीं किये गये एवं किन कारणों से?

(4) क्या यह भी सही है कि स्थानांतरण आदेश जारी करने के बाद भी स्थानान्तरण आदेश निरस्त कर दिये गये हैं? यदि हां, तो किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने ऐसी समय सीमा निर्धारित नहीं की है जिसके उपरांत शिक्षा विभाग के शिक्षक, कर्मचारी का स्थानांतरण करना अनिवार्य हो।

(2) जी हां। किये गये स्थानांतरणों की सूची वांछित अवधि सहित सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) व्याख्याता 176, कार्या. सहायक-2, वरिष्ठ लिपिक 48 के स्थानांतरण नीति के तहत नहीं आने/पद रिक्त नहीं होने के कारण नहीं किये गये।

(4) जी हां। स्थानांतरण निरस्त करने के कारण सहित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला परिषद कार्यालयों में प्राथमिक विद्यालयों के अधिकारी–कर्मचारियों का पदस्थापन

965. डॉ. चन्द्रभान (मण्डावा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 7 (10) शिक्षा-1/83 दिनांक 18.10.84 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 13 मार्च, 1985 के द्वारा राजस्थान की सभी जिला परिषदों में प्राथमिक शिक्षा के प्रभावी परिवीक्षण, सार्वजनीकरण एवं नामांकन में वृद्धि हेतु जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से वरिष्ठ उप-जिला शिक्षा अधिकारी, एक वरिष्ठ लिपिक एक कनिष्ठ लिपिक एवं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्थानांतरित कर लगाये गये थे?

(2) क्या राजस्थान की सभी जिला परिषदों में आज भी शिक्षा विभाग का उक्त स्टाफ कार्यरत है? यदि नहीं है, तो क्यों? क्या सरकार ने आदेश दिनांक 18.10.84 एवं 13 मार्च, 1985 को वापस ले लिया? यदि हां, तो कब? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति स्टाफ का वेतन जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) कार्यालयों से मिलता था? झुंझुनू जिले में शिक्षा विभाग द्वारा यह भुगतान कब तक किया गया और कब बन्द किया गया? जिला परिषदों में पद स्वीकृत होते हुए भी वेतन बन्द करना क्या सही था?

(4) क्या यह भी सही है कि जिला परिषदों में आज भी जो वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी कार्यरत हैं? वे जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) कार्यालय के न होकर जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक शिक्षा) के कार्यरत हैं?

(5) क्या जिला परिषदों में जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक शिक्षा) वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर सरकार के किसी आदेशान्तर्गत कार्यरत हैं? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, जी नहीं।

(3) जी हां, झुंझुनू जिले में शिक्षा विभाग के प्रतिनियुक्ति स्टाफ को वेतन सितम्बर 89, तक जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) कार्यालय द्वारा किया जाता रहा, परन्तु ग्रामीण क्षेत्र के उ. प्रा. विद्यालयों के जिला परिषदों में स्थानांतरण के बाद उनके स्टाफ के साथ पूर्व में नियुक्त शिक्षा विभाग के स्टाफ का वेतन भी ग्रा. वि. एवं पं. राज विभाग के माध्यम से जिला परिषदों द्वारा ही अक्टूबर, 89 से उठाया जाने लगा। यह पद जिला परिषदों में स्वीकृत नहीं है।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

गुरुनानक भवन संस्थान, जयपुर

966. श्री जुबेर खां (रामगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या आदेश क्रमांक शिविरा/स.

५५

(श्री जुबेरखां)

शि./सम. प्रको./गुनाम./पद सृजन/एफ—1706 वो 3/80–91 दिनांक 12.12.91 के अनुसार गुरुनानक भवन संस्थान का नाम बदलकर राजकीय गुरुनानक भवन संस्थान कर दिया गया है ?

(2) क्या गुरुनानक भवन संस्थान के मैनेजर के स्थान पर बदलकर सचिव शब्द लगा दिया गया है ?

(3) क्या उक्त आदेश राज्य सरकार से आदेश प्राप्त कर उचित कार्यवाही द्वारा जारी किया गया है ?

(4) क्या नाम परिवर्तन करने वाला अधिकारी सक्षम अधिकारी है ? यदि नहीं, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई या क्या कार्यवाही की जा रही है ? पूर्ण विवरण मय दस्तावेजों के सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) यह आदेश पदनाम परिवर्तन के संदर्भ में किया गया ।

(2) जी हा । पदनाम बदलकर सचिव राजकीय गुरुनानक भवन संस्थान, आदर्श नगर, जयपुर किया गया ।

(3) उक्त आदेश पुष्टि की प्रक्रिया में है ।

(4) यह पदनाम परिवर्तन पुष्टि की प्रक्रिया में हैं । अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय नीमका-थाना के विरुद्ध दर्ज प्रकरण

967. **श्री निर्भय लाल** (रूपवास) : **श्री मोतीलाल** (सवाई माधोपुर) एवं **श्री मोहनलाल** (परबतसर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्तमान प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय नीम का थाना, जिला सीकर इस पद पर कब से कार्यरत हैं ?

(2) क्या यह सही है कि प्राचार्य के विरुद्ध मुकदमा नं. 9/92 पुलिस स्टेशन नीम का थाना, जिला सीकर में दर्ज हुआ है ? यदि हां, तो एफ. आई. आर. की प्रति सदन की मेज पर रखें । क्या मुकदमा दर्ज होने के बाद उन्हें निलम्बित कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार प्राचार्य को निलंबित करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि इस प्राचार्य के सम्बन्ध में सरकार द्वारा पूर्व में भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अनियमिततायें, सरकारी राशि के गबन के मामले में विभागीय जांच की गई थी ? यदि हां, तो समस्त मामलों की जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति/जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 3 का अन्य उपधाराओं के अन्तर्गत मामला दर्ज होने को सरकार साधारण मानती है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) श्री विनोद बहादुर सक्सेना दिनांक 31.8.89 (पूर्वान्ह) से राजकीय महा-विद्यालय, नीमका थाना में प्राचार्य के पद पर कार्य कर रहे हैं।

(2) जी नहीं, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है अपितु श्री अरविन्द कुमार प्रवक्ता लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी ने नीम का थाना पुलिस स्टेशन में एक एफ. आई. आर. 9/92 अवश्य दर्ज कराई है। एफ. आई. आर. की प्रति संलग्न है। मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है तो निलम्बन का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) पुलिस जांच में सम्बन्धित प्राचार्य के विरुद्ध कोई बात प्रमाणित होती है तो जांच रिपोर्ट के आधार पर मामले में विचार करके उचित निर्णय लिया जा सकेगा।

(4) जी नहीं। प्राचार्य के विरुद्ध इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई और इस कारण जांच का प्रश्न नहीं उठता है।

(5) ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में क्रमोन्नत विद्यालय

968. श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1991–92 की अवधि में प्रदेश में कितने व कहां-कहां प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कितने उच्च प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालयों में एवं कितने माध्यमिक विद्यालय 10+2 विद्यालयों में क्रमोन्नत हुए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्रमोन्नत हुए उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं 10+2 विद्यालयों में से विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में कितने विद्यालय क्रमोन्नत हुए? यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) सत्र 1991–92 में निम्नानुसार विद्यालय क्रमोन्नत किये गये:—

1–प्रा. वि. से उ. प्रा. वि.	271
2–उ. प्रा. वि. से माध्यमिक	144
3–मा. वि. से सी. उ. मा. वि.	62

उक्त विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राज्य में विधान सभा क्षेत्रवार विद्यालय खोलने/क्रमोन्नत करने के लिए कोई नीति निर्धारित नहीं है। वरन् पंचायत समिति को इकाई मानकर निर्धारित मानदण्डानुसार विद्यालय खोले/क्रमोन्नत किए जाते है।

लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति में निम्नानुसार विद्यालय क्रमोन्नत किए गए हैं—

रा. कन्या प्रा. वि. जावली पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ को रा. कन्या उ. प्रा. वि.

(शिक्षा मन्त्री)

जावली पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ में क्रमोन्नत किया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम पंचायत भूंगड़ा (घाटोल) द्वारा निर्मित बस स्टेन्ड

969. श्री बहादुरसिंह (दानपुर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बांसवाड़ा की तहसील घाटोल ग्राम पंचायत भूंगड़ा में बस स्टेन्ड का कार्य कब से शुरू किया एवं कितनी राशि स्वीकृत हुई ? क्या यहां शौचालय भी बनाया गया है ? यदि हां, तो कुल कितनी राशि व्यय हुई ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत भूंगड़ा द्वारा कराये गये कार्य बस स्टेन्ड, एवं शौचालय कौन से स्थान पर निर्मित कराये गये ?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा की तहसील घाटोल ग्राम पंचायत-भूंगड़ा में बस स्टेन्ड का कार्य शुरू ही नहीं किया है और न ही राशि स्वीकृत हुई है। शौचालय भी नहीं बनाया गया है इस कारण राशि व्यय होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(2) ग्राम पंचायत भूंगड़ा द्वारा बस स्टेण्ड व शौचालय का कार्य नहीं कराया गया है इसीलिए स्थान का प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सवाई माधोपुर द्वारा स्वीकृत कार्य

970. **श्री चुन्नीलाल (खण्डार)** : क्या विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सवाई माधोपुर में वर्ष 1991-92 में जीवनधारा योजना में कितने-कितने लक्ष्य पंचायत समितिवार निर्धारित किये गये थे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्रत्येक पंचायत समितिवार लक्ष्य के अनुरूप जीवनधारा योजना में पत्रावलियां स्वीकृत कर दी गई हैं ? यदि हां, तो प्रत्येक पंचायत समितिवार स्वीकृत पत्रावलियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समितिवार लक्ष्य के अनुरूप पत्रावलियां स्वीकृत न कर किसी पंचायत समिति की लक्ष्य से ज्यादा व किसी पंचायत समिति की लक्ष्य से कम, स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सवाई माधोपुर में वर्ष 1991–92 में जीवन-धारा योजना के अन्तर्गत पंचायत समितिवार लक्ष्यों की सूची परिशिष्ट "अ" पर सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं।

(3) दिनांक 20–2–92 तक प्राप्त प्रस्तावों में से स्वीकृत योग्य सभी 503

(विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री)

प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं। किसी भी पंचायत समिति के प्रस्ताव शेष नहीं हैं।

(सूची के लिए परिशिष्ट-8 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या 971
(स्थगित)

जिला भीलवाड़ा के गोबर गैस प्लान्ट

972. **श्री बन्शीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भीलवाड़ा जिले में पिछले 3 वर्षों में किन व्यक्तियों को गोबर गैस प्लान्ट बनाने हेतु अनुदान दिया गया ?

(2) क्या गोबर गैस प्लान्ट मौके पर बने हुये होकर चालू हालत में हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में पिछले 3 वर्षों में 458 व्यक्तियों को गोबर गैस प्लान्ट बनाने हेतु अनुदान दिया गया। वर्षवार सूची परिशिष्ट "अ" पर मौजूद है।

(2) पिछले 3 वर्षों में निर्मित 458 गोबर गैस प्लान्ट मौके पर मौजूद हैं। इनमें से वर्तमान में 366 प्लान्ट चालू हैं एवं शेष 92 प्लान्ट कृषकों द्वारा प्लान्ट में गोबर न भरने एवं उचित देखरेख नहीं करने के कारण बन्द हैं। तकनीकी दृष्टि से एक भी प्लान्ट बन्द नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

"तीस जिले तीस काम योजना" के अन्तर्गत जिला भरतपुर में कराये गये कार्य

973. **श्री सम्पत सिंह** (नगर) : क्या आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तीस जिले तीस काम योजना के अन्तर्गत भरतपुर में क्या योजना शुरू की गई ? विधान सभा क्षेत्रवार कार्य विवरण एवं प्रगति का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त, योजना को आरम्भ करने से पूर्व भरतपुर जिले के विधायकों, सांसद व अन्य जन प्रतिनिधियों की राय नहीं ली गई ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) तीस जिले तीस काम योजना के अन्तर्गत भरतपुर जिले में पेयजल योजना शुरू की गई है। विधान सभा क्षेत्रवार कार्य विवरण एवं प्रगति का ब्यौरा परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों के बारे में निर्णय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की शासकीय निकाय की बैठक में सर्व सम्मति से लिया गया था।

(विवरण के लिए परिशिष्ट-9 देखें)

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के तहत निर्मित सड़कें

974. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

(1) वर्ष 1990–91 व 1991–92 में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत किस-किस सड़क के लिए कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई और कौनसी सड़क कहां से कहां तक बनाई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1990–91 व 1991–92 में बीकानेर जिले के लिए इस विभाग द्वारा धन राशि आवंटित की गई ? यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले में सड़कों के लिए जो धनराशि आवंटित की गई वह वहां खर्च नहीं करके अन्य जिले में की गई ? यदि हां, तो किस जिले में, कौन सी सड़क कहां से कहां तक बनाई गई और उस पर कितना खर्चा किया गया और सड़कों की लम्बाई कुल कितने किलोमीटर है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1990–91 व 91–92 (माह फरवरी तक) में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत सड़कों के लिये क्रमशः 111.69 लाख व 364.055 लाख रुपये की धन राशि व्यय की गयी जिससे 92.98 व 139.30 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ (विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन की मेज पर प्रस्तुत है)।

(2) जी हां, वर्ष 1990–91 व 1991–92 में इगानप विभाग द्वारा बीकानेर जिले में इगानप प्रणाली-वितरिकाओं के समानान्तर सड़कों के कार्य के लिये धनराशि आवण्टित की गयी। बीकानेर जिले की अन्य सड़कें इस विभाग के अधीन नहीं हैं। वर्ष 1990–91 में बीकानेर जिले में इगानप प्रणाली के प्रवाह व जलोत्थान क्षेत्र में इन्दिरा गांधी नहर प्रणाली-वितरिकाओं के समानान्तर सड़कों के कार्य के लिये 79.10 लाख रुपये की राशि आवण्टित की गयी थी। वर्ष 1991-92 में बीकानेर जिले में इन्दिरा गांधी नहर प्रणाली-वितरिकाओं के समानान्तर सड़कों के लिये 281.55 लाख रुपये की राशि आवण्टित की गयी थी।

(3) जी नहीं, बीकानेर जिले में इन्दिरा गांधी नहर विभाग के अधीन जिन सड़कों के कार्य के लिये जो धनराशि आवण्टित की गयी थी वह अन्य किसी जिले में सड़कों के निर्माण हेतु व्यय नहीं की गयी है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट-10 देखें)

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य

975. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टौंक) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में ओ. ई. सी. एफ. जापान की सहायता से वृक्षारोपण का वृहद् कार्यक्रम हाथ में लिया गया है तथा चम्बल परियोजना में कनाडा सरकार की सहायता से भूमिगत जल निकासी नालियों का कार्य भी हाथ में लिया है ?

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

(2) यदि हां, तो इस काम में क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे? इस वर्ष कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान था, अब तक लक्ष्यों के विपरीत क्या उपलब्धि रही, ? सम्पूर्ण ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में ओ. ई. सी. एफ. की सहायता से 5 वर्षों में वृक्षारोपण के कार्य के लिये जाने प्रस्तावित है। भौतिक लक्ष्यों का विवरण संलग्न परिशिष्ट पर दिया गया है तथा इस पर 107.06 करोड़ रुपये व्यय होंगे। चम्बल परियोजना में भूमिगत जल निकासी की नालियों को बनाने हेतु 25,000 हेक्टेयर के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं तथा इस पर अगले 5 वर्षों में कनेडियन सरकार द्वारा 57.54 मिलियन कनेडियन डालर व्यय होंगे। चम्बल परियोजना में पायलेट परियोजना के तहत सिर्फ 20 प्लाट्स में परीक्षण के आधार पर कार्य किया जा रहा है जिसमें से 4 प्लाट्स में कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष में फसल कटने के पश्चात् कार्य पूर्ण किया जायेगा। ओ. ई. सी. एफ. में वृक्षारोपण के तहत इस वर्ष के लक्ष्य व प्राप्तियों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शाया है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट-11 देखें)

जिला चित्तौड़गढ़ में खनन हेतु बिलानाम भूमि का आवंटन

976. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या चित्तौड़गढ़ जिले के खनिज क्षेत्रों में पिछले 5 वर्षों में बिलानाम भूमि आवंटित की गयी है? यदि हां, तो किस-किस पंचायत क्षेत्र में कितनी-कितनी भूमि ?

(2) उक्त बिलानाम भूमि को खनिज हेतु आवंटित करने के लिये गत पांच वर्षों में एस. डी. ओ. व तहसीलदार तथा पटवारी द्वारा किस-किस को अनापत्ति प्रमाण-पत्र खनन हेतु जारी किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, चित्तौड़गढ़ जिले के खनिज क्षेत्रों में पिछले 5 वर्षों में बिलानाम भूमि का आवंटन खनिज विभाग द्वारा किया गया है। जिस-जिस पंचायत क्षेत्र में जितनी-जितनी भूमि का आवंटन किया गया है, का विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र. सं.	नाम ग्राम पंचायत	तहसील	कुल क्षेत्रफल जो आवंटित किया गया
1	2	3	4
1.	मांगरोल	निम्बाहेड़ा	6,400 वर्गमीटर
2.	सतखण्डा	"	6,000 "

(राजस्व मन्त्री)

1	2	3	4	
3.	मालुण्डी	मामदेसर	21,000	वर्ग मीटर
4.	पीलीखेड़ा	छोटीसादड़ी	40,000	"
5.	मबुरातालाब	प्रतापगढ़	20,000	"
6.	बारावरदा	"	2,500	"
7.	भाटोली	डूंगला	22,500	"
8.	भाटखेड़ी	छोटीसादड़ी	10,000	"
9.	तुम्बड़िया	चित्तौड़गढ़	30,000	"
10.	चोगांवड़ी	गंगरार	10,000	"

उक्त क्षेत्र का जिन-जिन व्यक्तियों के पक्ष में आवंटन किया गया है, मय क्षेत्र के सूची संलग्न है।

(2) उक्त बिलानाम भूमि को खनिज हेतु आवंटित करने के लिए एस. डी. ओ. तहसीलदार तथा पटवारी द्वारा किसी भी व्यक्ति को गत पांच वर्षों में खनन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है।

(सूची के लिए परिशिष्ट-12 देखें)

ग्राम गोठड़ी (अलवर) की गैर मुमकिन भूमि पर कब्जा

977. **श्री चुन्नीलाल इंदलिया** (नोखा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम गोठड़ी तहसील किशनगढ़ बास जिला अलवर को खसरा नं. 190/12 बीघा दस बिस्वा मुमकीन पहाड़ी भूमि की पैमाइश करा दी गई है? यदि हां, तो कब, यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त भूमि पर कब्जा करने वाले के खिलाफ कार्यवाही करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो क्या एवम् कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम गोठड़ी तहसील किशनगढ़ बास की आराजी खसरा नं. 190 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि की पैमाइश ग्रामवासियान के आवेदन पर दिनांक 1.8.91 को कराई जा चुकी है।

(2) जी हां। अतिक्रमियों के विरुद्ध नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही कर मौके पर से दिनांक 24.8 91 को बेदखल कर दिया गया है।

(अतारांकित प्रश्न सं 978)
(स्थगित)

कानूगो भवन, अलवर

979. **श्री निर्भयलाल** (रूपवास) एवम् **श्री चुन्नीलाल इंदलिया** (नोखा) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री निर्भय लाल)

(1) क्या यह सही है कि अलवर तहसील मुख्यालय पर कानूगो भवन बन चुका है ? यदि हां, तो कब और कहां पर तथा इसमें क्या लागत आई ?

(2) क्या अलवर तहसील मुख्यालय पर कानूगो भवन हेतु खसरा नं. 859 की भूमि नम्बर में से 10 बिस्वा भूमि का नामान्तरण चढ़ा हुआ है ? यदि हां, तो इसको खारिज करने की कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हाँ, यह भवन अक्टूबर, 89 में विवेक विहार स्कीम नम्बर 10 में बना है। इसके निर्माण पर एक लाख रुपये का व्यय हुआ है।

(2) आराजी खसरा नम्बर 859/2 रकबा 10 बिस्वा का नामान्तरकरण संख्या 1039 बहक भू. अ. निरीक्षक अलवर के नाम चढ़कर जमाबंदी संवत् 2045 वाके ग्राम अलवर नं. 1 में खाता संख्या 438 कायम हो चुका है। चूंकि उक्त खसरा नम्बर के विनियमन की कार्यवाही नगर विकास न्यास, अलवर से होनी है इसलिये नामान्तरण को खारिज करने की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

ग्राम खटवा, (दौसा) की खसरा नम्बर 296 की भूमि

980. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) **एवं श्री हीरालाल मीणा** (बामनवास) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दौसा जिले की लालसोट तहसील के गांव खेटवा में खसरा नम्बर 296 पूर्णरूपेण आबादी रेवेन्यू रेकार्ड में अंकित है ? यदि हां, तो यह कितने बीघा है तथा रेवेन्यू रेकार्ड में आबादी कब से अंकित है तथा अब इसकी वर्तमान स्थिति क्या है ? पूर्ण विवरण मय आबादी के नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि खसरा नम्बर 296 में ही ग्राम रास्ता उत्तर से दक्षिण दिशा में कुम्हारों के पास से मेन गांव में निकलता हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस रास्ते को रेवेन्यू रिकार्ड में इन्द्राज कर ग्राम रास्ता निकालने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि दौसा जिले की लालसोट तहसील के ग्राम खेटवा में स्थित भूमि ख. नं. 296 राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन आबादी दर्ज है। इसका रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा है। खतोनी बंदोबस्त संवत् 2009 से 2022 में आबादी दर्ज है। वर्तमान में भी गैर मुमकिन आबादी दर्ज है। खतोनी बंदोबस्त संवत् 2009 से 2022 परिशिष्ट–1 खतोनी एकीकरण संवत् 2021 परिशिष्ट–2 मीलान क्षेत्रफल परिशिष्ट–3, जमाबंदी संवत् 2047 परिशिष्ट 4 एवं नकल नक्शा ट्रेस परिशिष्ट 5 की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) जी नहीं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

जिला झालावाड़ में राजस्व अभियान के अन्तर्गत निबटाये गये प्रकरण

981. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

झालावाड़ जिले में वर्ष 1990 से अब तक कब-कब कितने-कितने राजस्व अभियान की बैठकें किन-किन तारीखों में हुई ? उनमें किस-किस स्तर के कितने व्यक्तियों के मामले निपटाये गये ? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

झालावाड़ जिले में वर्ष 1990 में राजस्व अभियान दिनांक 1 मई से 31 जुलाई के मध्य तथा 1992 का अभियान 15 जनवरी से 19 फरवरी के मध्य सम्पन्न हुआ, 1992 के अभियान स्थानानुसार की निम्न तारीखें थीं :—

15 जनवरी	झालरा पाटन
16 जनवरी	बकानी
21 जनवरी	अकलेरा
22 जनवरी	मनोहर थाना
29 जनवरी	भवानी मण्डी
12 फरवरी	डग
14 फरवरी	पिड़ावा
19 फरवरी	खानपुर

राजस्व अभियान वर्ष 1990 में निपटाये गये कार्यों का विवरण पताका "क" पर एवं 1992 में निपटाये गये कार्यों का विवरण पताका "ख" पर उपलब्ध है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला गंगानगर में हरिजनों की भूमि का हस्तान्तरण

982. **श्री हेतराम बेनीवाल** (संगरिया) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1987 से लेकर 1991 तक गंगानगर जिले में हरिजन द्वारा भूमि सवर्ण को गैर कानूनी रूप में हस्तानान्तरण करने को लेकर कितने विवादों का निर्णय किया गया और भूमि को किन-किन लोगों को अलॉट की गई ?

(2) क्या यह सही है कि हरिजन द्वारा सवर्ण को भूमि बेचान की रोक लग जाने से हरिजनों की भूमि को किसी बेनामी हरिजन के नाम से खरीद कर सवर्ण लोग काश्त करते हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि प्रायः अधिकतर हरिजनों की भूमि सवर्ण लोगों के कब्जे काश्त में चली गई है ? क्या सरकार इस विषय को गम्भीरता से लेकर भूमि सवर्ण से वापिस लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या कोई अभियान चलाने का विचार रखती है ?

(4) हरिजनों को कितनी भूमि की नहरी गिरदावरी सवर्ण काश्तकारों के नाम से दर्ज है ? क्या सरकार नहरी काश्त की गिरदावरी रिकार्ड की जांच करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1987 से लेकर 1991 तक

(राजस्व मन्त्री)

गंगानगर जिले में हरिजन द्वारा भूमि सवर्ण को गैर कानूनी रूप में स्थानान्तरण को लेकर 22 मामलों का निर्णय धारा 175 आर.टी.ए. के तहत किया गया है। छह व्यक्तियों से कब्जा लेकर दस व्यक्तियों को आवंटित किया गया है। आवंटियों की सूची संलग्न है।

(2) उक्त अवधि में इस प्रकार का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

(3) जी नहीं। यदि इस प्रकार का कोई मामला ध्यान में आता है तो अतिक्रमी के विरुद्ध तहसीलदारों द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 (ख) के तहत कार्यवाही की जाती है। श्री गंगानगर जिले में उक्त अवधि में धारा 183 (ख) के 204 मामले निर्णित हुए। जिनमें से 50 मामलों में कब्जा वापिस हरिजन व्यक्तियों को दिलवाया गया है। 143 मामले खारिज किए गये। शेष 11 मामलों में उच्च न्यायालयों में अपील जेरकार है। इस सम्बन्ध में कोई विशेष अभियान चलाया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(4) राजस्व विभाग द्वारा जो गिरदावरी करवाई जाती है उसमें वास्तविक कब्जे के बारे में कोई अंकन नहीं किया जाता है। राजस्व विभाग में गिरदावरी खातदार के नाम से होती है। नहरी गिरदावरी की जांच करवाने का वर्तमान में कोई विचार नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

भू-प्रबन्ध विभाग, जयपुर द्वारा जारी वरिष्ठता सूची

983. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भू-प्रबन्ध विभाग, जयपुर द्वारा कनिष्ठ लिपिकों की अस्थाई/स्थाई वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किया गया है ? यदि हां, तो कब ? विभाग द्वारा जारी उपरोक्त सूचियों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विभाग द्वारा जारी स्थाई वरिष्ठता सूची पर किन्हीं कर्मचारियों द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई थी ? यदि हां, तो किस-किस कर्मचारी द्वारा व क्या-क्या आपत्ति प्रस्तुत की गई ? वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप देने के मानदण्ड क्या रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा कनिष्ठ लिपिकों की प्रोवीजनल एवं अन्तिम वरिष्ठता सूची क्रमशः दिनांक 24.1.85 एवं 18.7.85 को जारी की गई। सूचियां क्रमशः परिशिष्ट "क" एवं "ख" पर संलग्न हैं।

(2) विभाग द्वारा जारी अन्तिम वरिष्ठता सूची पर जिन कनिष्ठ लिपिकों द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई उनकी सूची म[illegible] आपत्तियों के विवरण सहित परिशिष्ट [illegible] पर संलग्न है। प्रोवीजनल वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप देने से पूर्व उ[illegible] आपत्तियां, यदि कोई हो, [illegible] की गयी थीं। प्राप्त आपत्ति[illegible] राजस्थान

(राजस्व मन्त्री)

सबोर्डिनेट आफिसेज मिनिस्ट्रियल स्टाफ रूल्स 1957 के नियम 27 तथा कार्मिक विभाग द्वारा प्रसारित परिपत्रों/निर्देशों/आदेशों के अन्तर्गत परीक्षण कर निर्णय लिया जाकर अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी की गयी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम हुलमाना खुर्द (अलवर) की चरागाह भूमि पर अतिक्रमण

984. **श्री टीकमचन्द कान्त** (रेवदर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम हुलमाना खुर्द, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर में गोचर (चरागाह) एवं सिवाय चक भूमि पर लगातार अतिक्रमण हो रहे हैं ? यदि हां, तो अब वास्तविक (भौतिक) रूप में इन्हें कब तक हटा दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? अतिक्रमणों की सूची उन द्वारा अतिक्रमण की हुई भूमि के विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त अतिक्रमणों को हटाने हेतु सम्बन्धित तहसीलदार, ए. डी. एम. व जिला कलक्टर को भी कई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो इन प्रार्थना-पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? सम्पूर्ण विवरण, प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अनुसार गत् दो वर्षों में इस ग्राम की गोचर तथा सिवाय चक भूमि पर कोई भी अतिक्रमण नहीं हुआ है।

(2) जी नहीं। अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुए।

मदारी व बाजीगर जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में मानना

985. श्री **मोहम्मद माहिर आजाद** (झुंझूनू): क्या समाज कल्याण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विभाग द्वारा मदारी व बाजीगर को भी अनुसूचित जाति की सूची में रखा गया है ? यदि हां, तो प्रशासनिक अधिकारी इन्हें एस. सी. क्यों नहीं मानते हैं ?

(2) क्या विभाग इस सम्बन्ध में प्रशासनिक अधिकारियों को एवं विभागाध्यक्षों को कोई परिपत्र भेजकर निर्देशित करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रशासनिक अधिकारी इन्हें अनुसूचित जाति मानते हैं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

जिलों में अम्बेडकर भवन

986. **श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर): क्या विशिष्ठ योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

–(1) चालू वित्तीय वर्ष में प्रान्त के कितने जिलों में अम्बेडकर भवन स्वीकृत किये गये थे ? क्या वे सभी भवन बनकर तैयार हो चुके हैं ? यदि नहीं, तो कब तक बन जायेंगे ?

(2) आगामी वित्तीय वर्ष में और कितने जिलों में अम्बेडकर भवन बनाने की योजना/प्रावधान है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि जिला जालौर एवं सिरोही अनुसूचित जाति बाहुल्य जिले हैं तथा इसी आधार पर संसदीय क्षेत्र को अनुसूचित जाति के लिये सुरक्षित किया गया है ? क्या सरकार जालौर एवं सिरोही दोनों जिलों में आगामी वित्तीय वर्ष में अम्बेडकर भवन निर्माण की स्वीकृति का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) चालू वित्तीय वर्ष में प्रान्त के पूरे 30 जिलों में 100 अम्बेडकर भवन "अपना गांव-अपना काम" योजना के अन्तर्गत बनाने के लक्ष्य निर्धारित किये गये । अब तक 6 जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा 27 भवन स्वीकृत किये गये । इनमें से 6 भवन तैयार हो चुके हैं । 11 भवनों में कार्य प्रगति पर है । आगामी वित्तीय वर्ष 1992–93 तक शेष 11 भवनों के पूर्ण होने की सम्भावना है । 10 भवन, जन सहयोग प्राप्त न होने से निरस्त कर दिये गये हैं ।

(2) आगामी वित्तीय वर्ष में भी राज्य के पूरे 30 जिलों में अम्बेडकर भवन "अपना गांव-अपना काम" योजनान्तर्गत भी स्वीकृत किये जा सकते हैं, बशर्ते कि भवन निर्माण की लागत की 30 प्रतिशत राशि जन सहयोग द्वारा उपलब्ध करायी जावे ।

(3) जी हां ।

बुनकर कार्य शाला योजनान्तर्गत लाभान्वित व्यक्ति

987. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) **श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) : क्या समाज कल्याण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम द्वारा बुनकर कार्यशाला योजनान्तर्गत पिछले तीन वर्षों में कुल कितने व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया ? वर्षवार विवरण निम्न तालिका में सदन की मेज पर रखें :—

नाम वर्ष, आर्थिक लक्ष्य, उपलब्धि, भौतिक लक्ष्य, उपलब्धि ।

उत्तर

(1) अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम द्वारा बुनकर कार्यशाला योजनान्तर्गत वर्ष 1988–89, 1989–90, 1990–91 पिछले तीन वर्षों में लाभान्वित किये गये व्यक्तियों की वर्षवार सूचना निम्नानुसार है—

(समाज कल्याण राज्य मन्त्री)

नाम योजना	वर्ष	आर्थिक		भौतिक	
		लक्ष्य (लाखों में)	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
बुनकर कार्यशाला	1988–89	50·00	11·33	500	730
	1989–90	20·00	4·80	500	803
	1990–91	50·00	44·15	1000	1420

अतारांकित प्रश्न संख्या 988.

(स्थगित)

समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाएँ

989. **श्री सांवरलाल** (मिनाय) : क्या समाज कल्याण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) समाज कल्याण हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन-सी योजनाएं किस-किस वर्ग या क्षेत्र के लिए चलाई जा रही हैं ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या समस्त योजनायें विभाग संचालित करता है ? यदि नहीं, तो किन-किन संस्थाओं के माध्यम से ये योजनाएं चल रही हैं ?

(3) क्या यह सही है कि गत दो वर्षों में ऐसी संस्था के माध्यम से कार्य हुआ जो पूर्वमें नहीं करवा रही थी ?

(4) गत दो वर्षों में विभिन्न संस्थाओं द्वारा भिन्न-भिन्न योजनाओं के लिए व्यय की गई राशि का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों, जन जातियों, विमुक्त एवं घुमन्तु जातियों तथा समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक, आर्थिक विकास एवं सामाजिक उत्थान हेतु तथा बाल कल्याण, महिला कल्याण, विकलांग कल्याण, वृद्ध एवं अशक्त सेवा, परिवीक्षा सेवा, सामाजिक कुरीतियों एवं शोषण को समाप्त करने की दिशा में अनेक महत्त्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं । विवरण परिशिष्ट "अ" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) जी नहीं । अनुदानित संस्थाओं की सूची परिशिष्ट "ब" के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(समाज कल्याण राज्यमन्त्री)

(3) जी हां। ऐसी संस्थाओं की सूची परिशिष्ट "स" के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) विवरण परिशिष्ट "द" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया)।

जिला बूंदी में चावल पर लेवी का लक्ष्य

990. **श्री मांगीलाल मेघवाल** (केशोराय पाटन) एवं **श्री राम नारायण वर्मा** (नैनवा) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बूंदी जिले में विभिन्न किस्म के अनाज, चावल दलहन एवं तिलहन की स्टाक सीमा कितनी-कितनी निर्धारित की गई है ?

(2) बूंदी जिले में इस वर्ष चावल पर लेवी का कितना लक्ष्य रखा गया है तथा कितना पूरा कर लिया गया है ? यदि लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, तो क्यों ? इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

(3) बूंदी जिले में इस वर्ष बासमती चावल एवं मोटे चावल की कितनी आवक रही ?

(4) क्या इस पर कोई लेवी वसूल की गई ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बून्दी जिले में विभिन्न किस्म के अनाज, चावल, दलहन व तिलहन की स्टाक सीमा–थोक एवं खुदरा विक्रेताओं के लिए निम्न प्रकार निर्धारित है :—

(मात्रा क्वि. में)

क्र.सं. नाम जिन्स	निर्धारित स्टाक सीमा थोक विक्रेता	खुदरा विक्रेता
1. गेहूँ	250	50
2. चावल	250	50
3. मोटा अनाज	100	100
(विवरणी देने वाले व्यापारी के लिए यह सीमा निर्धारित नहीं है)		
4. तिलहन	500	50
5. दलहन	500	30

(2) बून्दी जिले में इस वर्ष चावल पर लेवी का 500 मै. टन का लक्ष्य रखा गया है। बून्दी जिले में मुख्यतः बासमती धान/चावल का ही उत्पादन होने व बासमती चावल लेवी से मुक्त होने से लेवी वसूल नहीं हुई है। अतः लेवी वसूली के लिए किसी के जिम्मेदार का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) बून्दी जिले में अक्टूबर, 1991 से अब तक 1,26,416 क्वि. बासमती धान की आवक हुई है। मोटे धान की आवक नहीं हुई।

(4) प्रश्न के भाग 2 में स्थिति अंकित कर दी गई है।

स्थगित प्रश्न

(मंगलवार, दिनांक 25 फरवरी, 1992 एवं

गुरुवार, दिनांक 12 मार्च, 1992)

अतारांकित प्रश्न सं. 5

(पुनः स्थगित)

स्थगित प्रश्न

(गुरुवार, दिनांक 12 मार्च, 1992)

अतारांकित प्रश्न संख्या 464

(पुनः स्थगित)

स्थगित प्रश्न

(गुरुवार, दिनांक 12 मार्च, 1992)

बण्डल लिफ्टर के सृजित पद

512. **श्री छगनलाल (बड़ी सादड़ी)** : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कुछ जिलों में राजस्व विभाग द्वारा बण्डल लिफ्टर के पद सृजित किये हुए हैं ? यदि हां, तो शेष जिलों में भी क्या ऐसे पद सृजित करने का विचार है ? जिन जिलों में ऐसे पद नहीं हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) बण्डल लिफ्टर के पद के सृजन का क्या आधार है ?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य के नौ जिलों क्रमशः अजमेर, डूंगरपुर, कोटा, भीलवाड़ा, झालावाड़, झुन्झुनूं, सिरोही, जयपुर व जैसलमेर में बण्डल लिफ्टर के पद सृजित नहीं हैं। सम्बन्धित जिला कलक्टर से प्रस्ताव प्राप्त होने पर बण्डल लिफ्टर (च.श्रे.क.) के पदों के सृजन पर विचार किया जा सकता है।

(2) जिला मुख्यालय तथा तहसील कार्यालय के भू-अभिलेख सम्बन्धी अभिलेखागारों में बस्तों के रखरखाव हेतु आवश्यकतानुसार बण्डल लिफ्टर (च.श्रे.क.) के पद सृजित किये जाते हैं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री राम नारायण वर्मा, श्री हरिसिंह (महुआ) और श्री विनोद कुमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से सांगानेर जयपुर स्थित प्रताप नगर के निवासियों को राशन कार्ड जारी नहीं करने से उनमें व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

(2) श्री भंवरलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से रतनगढ़ क्षेत्र की सड़कों की खराब एवं दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री मनीराम सियाग, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर जिले के तहसील लूणकरणसर स्थित ग्राम शेरपुरा की एस.बी.बी.जे. ब्रांच में आग लगने से ग्राम पंचायत भवन के जलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री बिरधाराम चौधरी, सदस्य,

(श्री उपाध्यक्ष)

विधान सभा की ओर से ग्राम चावण्डिया तहसील परबतसर के अनुसूचित जाति के मेघवाल लोगों को सवर्ण जाति के कुछ लोगों द्वारा डराये-धमकाये जाने तथा उन पर कथित अत्याचार करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री परसादी लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से दौसा जिले की लालसोट तहसील में अकाल राहत कार्य तुरन्त शुरू करवाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री रामप्रसाद, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले की वैर तथा भुसावर में नगर पालिकाओं द्वारा सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं किये जाने तथा वहां नालियों का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से माली पुश्तैनी काश्तकारों को मुक्ता प्रसाद कालोनी से गैर-कानूनी तरीके से बेदखल कर आवासन मण्डल को भूमि दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(1) श्री हीरालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर से वामनवास वाया वाहोदा वरनाला तथा बोली से जयपुर वाया दौसा पथ परिवहन निगम की बसें चलवाये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है कि विधान सभा क्षेत्र वामनवास के कोई भी मार्ग राष्ट्रीयकृत नहीं हैं और वर्तमान में इन पर निजी वाहन संचालित हैं। पथ परिवहन निगम द्वारा दौसा से सवाई माधोपुर एवं दौसा से गंगानगर मार्गों के राष्ट्रीयकरण की योजना इस समय विचाराधीन है जिससे वामनवास क्षेत्र से जयपुर, गंगानगर सवाई माधोपुर, हिण्डौन, करौली आदि क्षेत्रों के लिए सीधी बस सेवा का संचालन हो सकेगा। वर्तमान में निगम द्वारा गंगापुर एवं सवाई माधोपुर के यात्रियों को जयपुर तक सीधी वाहन सेवा उपलब्ध कराने की दृष्टि से अनुज्ञा-पत्र लेकर निजी वाहन स्वामियों की प्रतिस्पर्धा में वाया लालसोट दौसा होते हुए क्रमशः 36 एवं 6 परिचक्र संचालित किये जा रहे हैं। उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। अतः इस पर अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि प्रक्रिया नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विचाराधीन हैं:

वन एवं पर्यावरण

(1) श्री हेमराज मीणा

(2) श्री दयाराम परमार

(3) श्री चम्पालाल जैन

समाज कल्याण

(1) श्री महावीर प्रसाद जैन

(2) श्री हेमराज मीणा

(3) श्री रामस्वरूप मीणा

(60)

(श्री उपाध्यक्ष)

ये सभी प्रस्ताव वन एवं पर्यावरण एवं समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित हैं। अतः इन विभागों की आज मांग पर चर्चा के समय माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) श्री दिलसुखराय चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीकर जिले के किसानों से नाजायज बिजली बिलों की वसूली के सम्बन्ध में।

(2) श्री अमीन खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से बाड़मेर एवं जैसलमेर के सीमावर्ती गांवों में विद्युतीकरण में भेदभाव बरतने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्रीमती सुमित्रा सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से सन् 1980 में विधान सभा का चुनाव लड़ने के लिए पंचायत समिति चिड़ावा, जिला–झुंझुनू के अध्यापक सागरमल सैनी के राज्य सेवा से त्याग-पत्र देने के उपरान्त 11 वर्ष बाद पुनः उन्हें सेवा में लेने तथा सेवाएँ नियमित करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री नवनीत लाल नीनामा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला बांसवाड़ा की तहसील घाटोल के गांव सेनावास में आराजी नं. 1047 पंचायत की भूमि में कथित नाजायज कब्जे के सम्बन्ध में।

(5) श्री नाथूराम अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में जनजाति राज्य कर्मचारियों की पदोन्नतियां नहीं होने तथा बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री बिरधाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील नावां के ग्राम मीठड़ी की अनुसूचित जाति की एक महिला श्रीमती नारायण की भूमि खसरा नम्बर–49 से उसकी बेदखली करने एवं उस पर अत्याचार करने के सम्बन्ध में।

(7) श्री प्रभुलाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सपोटरा को कस्बा हाड़ौती से वाया केलादेवी सड़क का निर्माण करवाकर जोड़े जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री रामकरण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के कोटपूतली, बहरोड, चूरू व आबूरोड में नई सीमेण्ट फैक्ट्रियां लगने से उन स्थानों पर प्रदूषण फैलने तथा प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने में कथित धांधलियां करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री हीरालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बामनवास विधान सभा क्षेत्र की सभी अधूरी सड़कों के कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करवाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री नन्दकिशोर शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में कतिपय सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में।

(11) श्री मदन दिलावर, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा शहर में बन्द मूक-बधिर विद्यालय पुनः शुरू करवाने के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

(12) श्री हीरालाल इन्दौरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से गंग कैनाल सिंचित क्षेत्र में आवासीय कालोनियां एवं अन्य प्रयोजनार्थ ली गई भूमि का पानी असिंचित भूमि के काश्तकारों को दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री कन्हैयालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जमवारामगढ़ तहसील के ग्राम भावणी में खोड़ा की ढाणी की एक महिला की कथित हत्या की प्रथम सूचना रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति होगी।

माननीय श्री दिलसुखराय चौधरी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम आपने पुकार लिया था।

श्री उपाध्यक्ष : इसको वापस ले लेंगे।

श्री रामनारायण वर्मा : कल लगा दीजिये साहब।

श्री उपाध्यक्ष : जिस दिन उचित होगा उस दिन लगा देंगे।

श्री रामनारायण वर्मा : कल लगा दीजिये साहब। कल लगा देंगे साहब?

श्री उपाध्यक्ष : हां, लगा देंगे कल। आप क्या कह रहे हैं डा. साहब?

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक सूचना देना चाहूंगा कि गत दो दिनों से मेरे नोटिस में एक बात आ रही है यह प्रश्न काल है, प्रश्नों की सूची जो प्रकाशित की जाती है और उन प्रश्नों में भी पहले 10 प्रश्नों की सूची माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दे रखी है कि यह पहले 10 सवाल तो चर्चा में होंगे। कई माननीय सदस्यों के सवाल लग जाते हैं और वह सवाल 10 की पहली सूची में होते हैं। माननीय सदस्य विधान सभा के केम्पस में होते हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिए हम कम्पेल नहीं कर सकते हैं डॉ. चन्द्रभानजी। केम्पस में होते हैं, सवाल लगते भी हैं अब वह चाहें तो पूछ सकते हैं।

डा. चन्द्रभान : मैं आपसे केवल व्यवस्था चाहता हूं।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा (फागी) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रश्न स्थगित कर दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था यह है कि किसी भी माननीय सदस्य को उनके सवाल के समय उपस्थित रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं दी जा सकती है। ऐसा नहीं है आप विराजिये। वह सदस्य नहीं रहेंगे तो उनकी मरजी है। कौन रोक रहा है?

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न हमारे नहीं लगे हैं, 10 की सूची में हैं उनको स्थगित कर दें अगली बार के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रकार से स्थगित नहीं होते हैं । आप विराजिये ।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल 10 मार्च को लगा हुआ था ।...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री सनाढ्य साहब पहले आप बोल रहे हैं ।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न 10 मार्च को लगा हुआ था । 10 मार्च का प्रश्न आज के लिए स्थगित हो गया और आज फिर मुझे यह सूचना मिली है कि, हालांकि मैं उनसे पूछ कर आया हूं । उन्होंने कहा कि आपका प्रश्न फिर स्थगित हो गया है । मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा जो प्रश्न है वह यहां के सैक्रेटेरियट तक का है । सैक्रेटेरियट में जो रिकार्ड है मंत्री महोदय के पास उसकी मैंने सूचना मांगी है । वह दूसरी बार फिर स्थगित हो गया है । यह प्रश्न आज लगने के बाद फिर स्थगित हो गया ।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित हुआ है तो निकट भविष्य में वह लगता है जिस क्रम पर है ।

श्री हेतराम बेनीवाल : नहीं, तीसरी बार स्थगित हो गया । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा जो प्रश्न है वह आपने ग्राह्य समझकर लगा दिया था फिर तीसरी बार उसको स्थगित किया गया है । क्या इसी सत्र में इसका जवाब आ जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : हां, इसी सत्र में । स्थगित हुआ है तो स्थगित लगता है, वह नेचुरल लगता है । आप विराजिये ।

श्री हेतराम बेनीवाल : नेचुरल लगता है । यह नेचुरल तीसरी बार हुआ है ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक विशेषाधिकार हनन का, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हमने लगा रखा है । राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के खिलाफ, उन वाइस चांसलर के कारण...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री सनाढ्य साहब आप ठहरिये, वह विचाराधीन चल रहा है । लग जायेगा ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : एक मिनट मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं । माननीय श्री दिलसुखराय चौधरी... (व्यवधान)... प्लीज, सनाढ्य साहब ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह किसी व्यक्ति के विशेषाधिकारों का हनन नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : वह लग रहा है, विचाराधीन है ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : यह एक अफसोस की बात है कि एम. एल. एज. के खिलाफ डा. मनोहरसिंह मनोहर, उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय के...

श्री उपाध्यक्ष : आपको मना नहीं कर रहा हूं । इस बारे में विचार हो रहा है । आपको बैठ जाना चाहिए । माननीय श्री दिलसुखराय चौधरी । (अनुपस्थित) ।

श्री हेमराज मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई दिनों से हमें आश्वासन मिल रहा है लेकिन अभी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव...(व्यवधान)...हमने कई बार बात की उसकी व्यवस्था हमको नहीं मिल रही है। किस तरह से खास तौर से अनुसूचित जाति/जनजाति के प्राध्यापकों के साथ अन्याय हुआ है उसके अन्दर...(व्यवधान)...

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाउस इस समय कन्ट्रोल में नहीं हो रहा है और सत्ता पक्ष के लोग ही डिस्टरबेंस कर रहे हैं इसलिए आप उन्हें ताड़ना दीजिए कि वह चुपचाप बैठें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री कल्ला साहब बोल रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी जो अध्यक्ष महोदय ने परम्परा शुरू कर रखी है उसके अनुसार एक चिट्ठी दी थी कि प्रश्नकाल में पश्चिमी राजस्थान में गेहूं की भयंकर समस्या हो रही है। अभी प्रधान मंत्रीजी बाड़मेर में पधारें थे, उस समय उन्होंने अकाल पीड़ित क्षेत्रों में गेहूं वितरण की विशेष व्यवस्था करने की बात कही और 5 हजार मैट्रिक टन गेहूं राजस्थान सरकार को अतिरिक्त रूप से प्रदान किया लेकिन इसके बावजूद बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर में जो पहले 10 किलो गेहूं मिलता था उसकी जगह, उपाध्यक्ष महोदय, केवल 5 किलो गेहूं मिल रहा है। गेहूं की खुले बाजार में 5 रुपये किलो की कीमत है और कहीं-कहीं साढ़े पांच रुपये किलो भी है....

श्री उपाध्यक्ष : दे दी आपने अब इनफार्मेशन।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं, पूरी बात कहां हुई। उपाध्यक्ष महोदय, राशन में 3.10 किलो के हिसाब से बिकता है लगभग दो रुपये किलो का फर्क है और इस प्रकार से खुले बाजार में बिक रहा है। आज राशन डिपो पर गेहूं बराबर मिलता नहीं है।....(व्यवधान)....

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, कल्ला साहब एक मिनट।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं एक मिनट पूरी बात कह दूं।

श्री उपाध्यक्ष : कह तो दिया कि पश्चिमी राजस्थान में कमी है, कीमत यह है इससे ज्यादा क्या कहेंगे? माननीय कल्ला साहब विराजिये। माननीय गृह मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे बीकानेर क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है, इस बात के लिए आन्दोलित और उद्वेलित है, बीकानेर बन्द होने की सम्भावना है।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय कल्ला साहब आप सुनते ही नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि बीकानेर शहर में राशन के गेहूँ की खुले आम कालाबाजारी हो रही है उसे रोका जाय और जो 10 किलो गेहूँ मिलता था वह 10 किलो गेहूँ दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए आप। माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो चिन्ता जाहिर की है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा वहां पर 10 किलो गेहूँ मिलता था वहां 5 किलो मिल रहा है। इसके ऊपर तो पहले ही एक दिन बहस के लिए रखा हुआ है। उस रोज चर्चा हो जाएगी और बात आ जाएगी साहब।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री अमीन खां।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन। उपाध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों के बारे में जिस तरह के बयान पत्रिका में पिछले दिनों में छपे बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय के बारे में, इतना गम्भीर विषय है। इस तरह की बातें एम. एल. एज. के बारे में होती रहेंगी और आप चर्चा करने की जरूरत ही नहीं समझें तो फिर एम. एल. एज. की गरिमा क्या रह जायेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : आ जायेगा, लग जायेगा। माननीय श्री अमीन खां जी।

श्री राजेन्द्र पारीक : एम. एल. एज. की गरिमा के बारे में विशेषाधिकार हनन का....(व्यवधान)....

श्री बुलाकीदास कल्ला : सत्ता पक्ष और विपक्ष के सारे लोगों ने विशेषाधिकार हनन का मामला उठाया था....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री कल्ला साहब कोई प्रोसीजर नहीं है क्या ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : नियमों में प्रावधान है कि प्रश्नकाल के तुरन्त बाद लग जाएगा इसको डिले क्यों की जा रही है ? (व्यवधान)........

श्री उपाध्यक्ष : तय हो जाएगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : आखिर कब तय हो जाएगा ? जब एम. एल. एज. की बेइज्जती हो जायेगी ? उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से ज्यादा डिले क्यों की जा रही है ?

श्री उपाध्यक्ष : आ रहा है।

श्री राजेन्द्र पारीक : जिसकी मरजी आ जाय वह एम. एल. एज. के खिलाफ अखबारों में छपवा दे और सदन चुपचाप बैठा रहे।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज बिराजिए। माननीय श्री अमीन खां जी पढ़ना शुरू कीजिए नहीं तो मैं अगला नाम पुकार लेता हूँ।

डा. चन्द्रभान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप एक तिथि तो निश्चित कर दीजिए कब आ जायेगा ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर सर।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत जल्दी तय हो जायेगा।

श्री हेमराज मीणा : कब तक। आप

(श्री हेमराज मीणा)

तारीख तय कीजिए। कब लगाने वाले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह क्या हो रहा है ? विराजिए आप। जब चाहें तब खड़े हो जाते हैं। श्री अमीनखां जी आप पढ़ना शुरू कीजिए। (व्यवधान)........

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : आप 295 के बाद पाइन्ट आफ आर्डर रेज कीजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य जो कह रहे हैं मेरा पाइंन्ट आफ आर्डर इसी सम्बन्ध में हैं। इस सदन की परम्परा और नियम भी है कि 157–158 में कि यहां पर जो विशेषाधिकार का कोई प्रश्न आता है उस पर आसन से तुरन्त उसकी व्यवस्था दी जाती है और लम्बे समय तक लम्बित नहीं रखा जाता है। कई दिन हो गए और इस बारे में आसन से कोई किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं होना.......

श्री उपाध्यक्ष : यह विचाराधीन है माननीय अध्यक्ष जी के पास।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कब तक विचाराधीन रहेगा ? हम यह जानना चाहते हैं कि विचाराधीन कब तक रहेगा ? 8 अप्रेल तक ?

श्री उपाध्यक्ष : ज्यादा ही अधीरता है तो चेम्बर में जाकर जानकारी ले लीजिए। बाकी मैं कह रहा हूं कि विचाराधीन है इस सम्बन्ध में मैं इतना ही कह सकता हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सदन की पूर्व परम्परा रही है कि उसी दिन अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल के तुरन्त बाद विशेषाधिकार हनन का मामला लेते रहे हैं, उसको प्रायोरिटी पहले देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मना नहीं किया जा रहा है। आपकी भावनाओं का आदर करते हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हमारे विशेषाधिकारों का हनन है और आप हमको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो कौन करेगा ?

श्री नत्थीसिंह : आसन कल तक व्यवस्था दे दे।

श्री उपाध्यक्ष : आसन बहुत शीघ्र व्यवस्था दे देगा।

श्री नत्थीसिंह : शीघ्र क्या होता है ? (व्यवधान)........

श्री उपाध्यक्ष : यह सदन सबका है। आप अकेलों का नहीं है। आप मुझे कोआपरेट कीजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : अखबारों के माध्यम से एम. एल. एज. के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : आप गम्भीरता से कह चुके हैं सारी बातें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रता से निवेदन

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

करना चाहती हूं कि आखिर कोई तो शीघ्र की अवधि होती है ? शीघ्र की अवधि तो आप हमें बतायें। हमें रोज कह देते हैं कि शीघ्र मैं इसकी व्यवस्था दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं अभी मालूम कर बता रहा हूं।....(व्यवधान)....मालूम करके बताया जा रहा है। प्लीज अमीन खां जी। माननीय सुमित्रा जी बिराजिए आप। मालूम करके बताया जा रहा है। ....(व्यवधान)....

श्री केदारनाथ शर्मा : जो प्रश्न स्थगित किया जाता है यह परम्परा रही है कि इसलिए उसको प्रिफरेंस दिया जाता है। (व्यवधान)........

श्री उपाध्यक्ष : यह नियम बदल दिए उसके अनुसार जिस क्रम पर लगा हुआ था उसी क्रम पर लगने का नियम समिति ने तय किया, उसी क्रम पर लग रहा है। वह तो रिपोर्ट आई थी उस समय ऐतराज करते आप (व्यवधान)........अब रूल्स में चेन्ज कर लीजिए तब आ सकता है बाकी तो उसी क्रम में लगता है, पहले लग रहा था। माननीय श्री अमीनखां जी।

श्री राजेन्द्र पारीक : एक मिनट........

श्री उपाध्यक्ष : मैं अलाऊ नहीं करूंगा। आप सीट पर बैठ ही नहीं सकते।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं जयपुर शहर में आटो रिक्शा का जो मनमाना किराया वसूल किया जा रहा है उसके बारे में एक सूचना देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब पारीक साहब क्या सूचना है ? कोई सूचना नहीं, माननीय श्री अमीन खां जी।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, आटो रिक्शाओं द्वारा जिस तरह से मनमाना किराया वसूल किया जा रहा है उसके बारे में गृह मन्त्रीजी जो यातायात मन्त्री भी हैं, बिराजे हुए हैं........

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए आप। सुन लिया आटो रिक्शा का ज्यादा किराया लिया जा रहा है। अब बिराजिए आप। (व्यवधान)........माननीय श्री अमीनखां जी, मैं अगला नाम पुकार लूंगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : कम से कम गृह मन्त्री महोदय बिराजे हैं, यातायात मन्त्री भी हैं उनसे इस बात का उत्तर दिलवाइए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या चाह रहे हो आप ? आपने बात कह दी ना एकदम उत्तर चाह रहे हो क्या ?

श्री राजेन्द्र पारीक : बात कह दी उसका अर्थ क्या हुआ ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, उपाध्यक्ष महोदय, जीरो अवर कब का ही खतम हो गया है अब आ जाएगा एक मिनट में कह दें........

श्री उपाध्यक्ष : क्या कह दें, कह दिया है........(व्यवधान) कोई नहीं बोलेगा, क्या नियम नहीं हैं क्या, हर एक के नियम हैं श्री कल्ला साहब।

श्री बुलाकीदास कल्ला : पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन दे दी। आटो रिक्शा का किराया ज्यादा लिया जा रहा है। (व्यवधान).......अब नहीं बोलने दिया जाएगा। माननीय श्री अमीन खां जी।

श्री राजेन्द्र पारीक : आटो रिक्शा द्वारा जिस तरह से मनमाना किराया वसूल किया जा रहा है........

श्री उपाध्यक्ष : इनका नोट नहीं किया जाए। जो भी बोलें नोट नहीं किया जाए।

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : जो भी बोले नोट नहीं किया जाए।

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अब बोलते जाइए, नोट नहीं करेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जैन साहब आप क्यों बोल रहे हैं ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : कौन नहीं जानता। मैं भी आपसे सहयोग की अपेक्षा करता हूं आप बिराजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री बुलाकीदास कल्ला : × × ×

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री बुलाकीदास कल्ला : × × ×

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री बुलाकीदास कल्ला : × × ×

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्रीमती सुमित्रा सिंह : × × ×

श्री रामप्रताप कासनिया : × × ×

श्री परसादी लाल मीणा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : मैं खड़ा हूं श्री परसादी लाल जी आप विराजिए।

श्री परसादी लाल मीणा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : पहले आप बिराजिए श्री परसादी लाल जी, आसन पैरों पर है फिर भी नहीं बैठते हैं आप।

श्री परसादी लाल मीणा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : मुझे सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना है कि यह सदन चलाना आप सबका कर्तव्य है। मैं यहां से जो व्यवस्था देता हूं वह सदन को चलाने के लिए देता हूं। यहां पर सदन में बहुत सारे वरिष्ठ सदस्य हैं जो इस सदन की

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

68

(श्री उपाध्यक्ष)

क्या परम्परा रही है, किस प्रकार से सदन चलना चाहिए वह तो उन बातों का पूरा ध्यान रखते हैं लेकिन इस सम्बन्ध में नियम भी बने हुए हैं बोलने के। अमुक सदस्य जब चाहे तब बोलने के लिए खड़ा हो जाए उन्हीं की बात को सुना जाए यह सम्भव नहीं है। नियमों के तहत आई है, सब पर व्यवस्था दी जाती है। किसी का पाइन्ट आफ इन्फोरमेशन है तो एक बार बोलकर बैठ जाते हैं और हर आदमी उसको सहयोग देता है कि आप बोलिए यह चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं कि कृपया सदन को चलने में सहयोग करें। माननीय श्री अमीनखां जी।

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : फिर वही बात हो गई।

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्रीमती सुमित्रा सिंह : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपंज ही है। नोट नहीं किया जा रहा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : वह नोट करना रोका हुआ था, कुछ भी नोट नहीं हुआ है। माननीय श्री अमीन खां जी, अब तो विराज जाइए आप क्या चाह रहे हैं? महावीर प्रसाद जी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री उपाध्यक्ष ; आप दोनों थोड़ी देर बोल जाइए। हम आपको देखेंगे। आप भी बोल जाइए, आप भी बोल जाइए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप उपाध्यक्ष महोदय, दांई तरफ तो देखते नहीं हैं और बांई तरफ देखते रहते हैं, हमें टोकते रहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सारा देख लिया है, सारा कह दिया गया है फिर भी........

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : पारीक साहब बिराजिए आप। मैं बिल्कुल नहीं सुनूँगा और आपका नोट भी नहीं होगा जितना आप बोलेंगे। सदन का समय जाया कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए। थोड़ा सहयोग कीजिए पारीक साहब।

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री अमीन खां जी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : कल्ला साहब आप फिर बोलने लग गए।

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : क्या आटो रिक्शा के बारे में पारीक साहब ही इतनी जानकारी

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

रखते हैं ? सभी जानकारी रखते हैं और यह बात आ चुकी है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री अमीन खां जी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

डॉ. हरिसिंह (फुलेरा) : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : मैं अलाऊ करता हूं क्या ?

डॉ. हरिसिंह : × × ×

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : डा. हरिसिंह जी, मैं किसी को अलाऊ नहीं करता हूं, कभी पक्षपात की कल्पना आपको चेयर से नहीं करनी चाहिएं।

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री अमीन खां जी।

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्रीमती सुमित्रा सिंह जी, आप पढ़िए।

श्री अमीन खां : मैंने पढ़ा ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आप पढ़ क्यों नहीं रहे हैं ?

श्री गोपाल सिंह (खण्डेला) : उपाध्यक्ष महोदय, आपको इस सदन को चलाना है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उनको अलाऊ किया है श्री खण्डेला साहब आप बोलने दो ना कल्ला साहब क्या चाह रहे हैं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : निश्चित रूप से अधिकारों का हनन हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : कोई अधिकार का हनन नहीं है। (व्यवधान) सदन नियमों से चलता है। जब चाहे आकर खड़े हो जायं और एक आदमी बोल जाए (व्यवधान)

श्री गोपाल सिंह (खण्डेला) : उपाध्यक्ष महोदय, जब तक आप व्यवस्था नहीं देते हैं तब तक सवाल खड़े होते रहेंगे। मैंने प्रोपराइटी का सवाल आपके सामने पेश किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन ठीक-ठीक चलता रहे इसमें प्रोपर व्यवस्था हो, अभी टोंक से आने वाले माननीय सदस्य ने सारे माननीय सदस्यों पर आक्षेप किया है कि आप + + + करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे

श्री उपाध्यक्ष : वह पूछ लिया है, उस समय नोट नहीं हो रहा था।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना निवेदन कर दिया और इतना निवेदन करने के बाद कम से कम इतनी तो आप कृपा करें (व्यवधान)

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : सिट डाउन, प्लीज को-आपरेट। प्लीज को-आपरेट। माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री राजेन्द्र पारीक : एक मिनट विनम्र शब्दों में आपसे निवेदन किया

श्री बुलाकीदास कल्ला : हम लोग रिक्वैस्ट कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इनका कोई सवाल नहीं, कोई रखा हुआ नहीं है।

डॉ. चन्द्रभान : मेरी सूचना आपको लिखित में दी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ. साहब आप क्या कह रहे हैं ? आप बैठिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप चाहे सीकर से आने वाले माननीय सदस्य को नहीं बोलने दें लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगी कि यहां पर हमारा जो बोलने का कहने का अधिकार है उसका यह आसन संरक्षक है, आप संरक्षक हैं हमारे।

श्री उपाध्यक्ष : करता हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप उस पर विचार करिए।

श्री उपाध्यक्ष : पारीक साहब आप तीन मिनट में अपनी बात पूरी कर लिजिए।

श्री सम्पत सिंह (नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जब व्यवस्था दे दी उसके बाद बार-बार आग्रह करना माननीय सदस्य का धौंस देने के बराबर है और आप इसको बदलें नहीं।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो गृह मन्त्री भी हैं और यातायात मन्त्री भी हैं। जयपुर शहर में आटो रिक्शा चालकों द्वारा जिस तरह से मनमाना किराया वसूल किया जा रहा है, जिस तरह का मनमाना व्यवहार किया जा रहा है, आपको निर्धारित स्थान पर जाना है और मीटर लगा हुआ है लेकिन वह किराया मीटर से कभी नहीं लेते उनका हमेशा मनमाने ढंग से पैसे मांगते हैं और पेसेन्जर्स को मजबूर करते हैं कि वह उसमें बैठ कर जाएं। खास तौर से तब जब पेसेन्जर को कहीं बस स्टैण्ड या रेल्वे स्टेशन पर जाना हो या किसी बीमार को अस्पताल में ले जाना हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय, को यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह मामला दिखने में आपको बड़ा साधारण सा दिखता है लेकिन लोगों को बहुत परेशानी होती है। इसे बहुत गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। मन्त्री महोदय जब स्वयं सदन में उपस्थित हैं तो इस विषय पर कुछ न कुछ आश्वासन देना चाहिए ताकि भविष्य में वह आटो रिक्शा चालकों की मीटिंग बुलाकर कोई निर्धारित किराया तय करेंगे, उनको चलाने की व्यवस्था

(श्री राजेन्द्र पारीक)

करेंगे। उसको इस तरह से लाइटली लिया जाना जनभावनाओं को कुचलने के समान है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि यथा स्थिति आटो रिक्शा का मनमाना किराया है उस पर रोक लगाई जाए। ऐसी व्यवस्था की जाए कि आटो रिक्शा चालक किराये से ही चले और मनमाना किराया वसूल नहीं कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक बात। श्री अमीन खां।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

बाड़मेर एवं जैसलमेर के सीमावर्ती गांवों में विद्युतीकरण में भेदभाव बरतने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

श्री अमीन खां (शिव) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत जन हित में विशेष उल्लेख करना चाहता हूं।

महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि जिला बाड़मेर जैसलमेर में आने वाले सीमावर्ती क्षेत्र शिव की पंचायत समिति बाड़मेर शिव व सम में विद्युतीकरण में भेद-भाव किये जाने से यह क्षेत्र विद्युत विकास में राजस्थान में सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है व अभी तक इस क्षेत्र के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है।

जिला बाड़मेर की पंचायत समिति बाड़मेर विद्युतीकरण योजना के तहत समस्त ग्राम स्वीकृत हैं जो सन् 1980 से पूर्व स्वीकृत योजना है। परन्तु बाड़मेर समिति में आने वाले शिव विधान-सभा क्षेत्र के सीमावर्ती ग्रामों का विद्युतीकरण अभी तक नहीं किया जा रहा है। मसलन बुटिया, चाडवा, तखतावाद, पीरे का पार, चांदी का पार, तालब का पार, विरद का पार, गंगानिओ का पार, अभेका पार, अजबेका पार, अलारंख का पार, बिंदा का पार, बुकड बुकडी पुड पुंडिया, लधे का पार, नांगे का पार, मेकरनवाला, सेलाऊ गरठीआ, अबरेका पार, सुराली-जालीला, डवे का पार, पौधी का पार, बालू का पार, कंटलिया का पार, भीलों का पार, कन्टल का पार, सुजाल का पार। इसी प्रकार तहसील शिव के ग्रामों में प्रथम बार 1984 में 19 ग्रामों की योजना स्वीकृत हुई उसके बाद एक दो टुकड़ों में मोनानार योजना स्वीकृत हुई, परन्तु शिव पंचायत समिति के समस्त ग्राम अभी तक स्वीकृत नहीं किये हैं।

जिला जैसलमेर की पंचायत समिति सम के ग्राम–फतेगढ़, रीवड़ी, मंडाई, सांगड़ गमा भाखरानी बिजोता, नगराजा चैलक, भंभारा बइयां, तेजमालता लोंगा मेहरा की ढाणी, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में स्वीकृत है, परन्तु इन ग्रामों का विद्युतीकरण कब होगा यह लक्ष्य नहीं है। इसलिए इस सीमावर्ती क्षेत्र की जनता में भारी असन्तोष है।

अतः मैं इस सदन की मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सीमावर्ती क्षेत्र का विकास नजर अन्दाज नहीं किया जाये। इस क्षेत्र में बड़ी-बड़ी क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाएँ डीजल पर चलती हैं, उनके भी विकास वास्ते उपरोक्त योजनाओं में जो ग्राम स्वीकृत हैं। उनके लिए इस साल विद्युतीकरण के निर्देश दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह ।

श्री सागरमल सैनी के चुनाव लड़ने पर पुनः 11 वर्ष बाद राज्य सेवा में लेना ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये आपसे निवेदन करना चाहूंगी (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, ये गरीब मास्टर की जान लेने पर क्यों तुली हुई हैं ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सही बात तो यह है कि इनको मुझसे कुछ एलर्जी है जैसे ही मैं खड़ी होती हूं तो ये खड़े हुए बिना मानती नहीं । अब आप बिराज जाइये, मुझे मेरी बात कहने दीजिए ।

आज मैं विशेष उल्लेख के जरिये एक ऐसा प्रश्न उठाना चाहती हूं जिसे सुनकर सदन के माननीय सदस्यों को बड़ा ताज्जुब होगा । किसी भी एक व्यक्ति से चाहे वह सरकार के कितना ही नजदीक हो चाहे सरकार उसे कितना ही फायदा पहुँचाना चाहे और चाहे कितना ही बड़ा हो, परन्तु नियम विरुद्ध और पक्षपातपूर्ण तरीके से जो काम जनहित में नहीं है उसे करना, जनतान्त्रिक सरकार के लिये कदापि उचित नहीं कहा जा सकता । अब मैं निवेदन करती हूं कि सन् 1980 के विधान सभा चुनाव लड़ने हेतु पंचायत समिति चिड़ावा, जिला झुंझुनू के अध्यापक सागरमल सैनी ने राजकीय सेवा से अपना त्याग पत्र दे दिया था । विधान सभा के चुनाव लड़ने के बाद उक्त अध्यापक ने संसद का चुनाव फिर लड़ा और इस अर्से में विभिन्न राजनैतिक पार्टियों व संगठनों का सक्रिय सदस्य रहकर राजनैतिक कार्यकर्ता के रूप में भाग लिया ।

ग्यारह साल बाद नौकरी से त्याग पत्र देने के बाद फिर इनके मन में राजकीय सेवा की भावना जागी और किसी तरह से जोड़-तोड़ करके इन्होंने पंचायत समिति चिड़ावा में पुनः सेवा में प्रवेश पा लिया । वापस अध्यापक के पद पर ही नियुक्ति नहीं पा ली अपितु घर बैठे ग्यारह वर्ष की अपनी अनुपस्थिति को भी नियमित करवा लिया । उपाध्यक्ष महोदय, यह महानुभाव कोई टेक्नोक्रेट अथवा विशेष योग्यताधारी तो है नहीं कि जिनके लिये सरकार एक विशेष अपवाद के बतौर अपनी बदनामी तथा सरकारी नियमों के विरुद्ध कोई ऐसा निर्णय ले जिसका भविष्य में खुलकर दुरुपयोग किया जा सके ।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक को ग्यारह साल बाद पुनः नौकरी पर लेने और बिना किसी प्रकार का भी कर्त्तव्य निर्वहन के लम्बी अवधि को नियमित किये जाने का उतना एतराज नहीं है जितना इस बात का एतराज है कि सरकार फ्राड करे और इस तरह खामी के भी आदेश निकाले जिनका फायदा अदालत में जाकर कोई ले सके ।

इस केस में सरकार ने यह आदेश प्रसारित किये हैं कि सागरमल सैनी को पुनः सेवा में लिया जाता है, उनके ग्यारह वर्ष के अन्तराल को नियमित किया जाता है, परन्तु इस अर्से का कोई वेतन अथवा परिलब्धियां उन्हें स्वीकृत नहीं होंगी ।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

मेरी समझ में नहीं आता कि जब सेवा में ले लिया, उस अवधि को नियमित कर दिया तो फिर उस अवधि के वेतन से आप उसे कैसे इन्कार कर सकते हैं। सरकार ने यह अवसर उस अध्यापक को दिया है। सरकार के ही खिलाफ अदालत में जाकर राहत ले ले, सरकार भी बदनाम न हो और अध्यापक को भी लाभ मिल जाय। मैं सरकार पर इल्जाम लगाती हूं कि सरकार में हिम्मत होनी चाहिए यदि सरकार ने पुनः सेवा में लिया है, बीच की ग्यारह वर्ष की अवधि को नियमित किया है तो फिर उसे वेतन और परिलब्धियां भी स्वीकृत करनी चाहिए थीं। सरकार चोर दरवाजे से किसी को अन्दर प्रवेश कराये फिर अपने ही खिलाफ अदालत में जाने का अवसर प्रदान करे और फिर लाखों रुपयों का चूना अपने ऊपर, अपने कोष के ऊपर लगवाये, यह कैसी विडम्बना है, उपाध्यक्ष महोदय।

मुख्य मंत्रीजी ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनहित में कार्य करने का आश्वासन इसी सदन में दिया था। अतः मैं उनको उनके ही इस कथन का स्मरण करा कर सदन के माननीय सदस्यों का भी समर्थन लेना चाहूंगी कि सरकार नियम विरुद्ध व्यक्ति विशेष के लिए पक्ष-परस्ती करके जनता के गाढ़े पसीने की कमाई पर डाका क्यों डाल रही है।

मैं चाहूंगी कि सम्बन्धित मंत्रीजी इस सम्बन्ध में मुझे और इस सदन को बताएं कि इस प्रकार के अवैध और खामीपूर्ण आदेश प्रसारित करने के पीछे उनकी क्या मंशा है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नवनीत लाल नीनामा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मंत्रीजी अपने श्रीमुख से फरमाएँ....वह आपका नहीं है। वह पंचायत मंत्री, श्री खर्राजी का है।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट श्री नीनामा जी। उस समय ही बोलकर कह देतीं आप। कुछ कहेंगे श्री खर्रा साहब?

श्री हरलाल सिंह खर्रा (पंचायती राज राज्यमंत्री) : यदि अनियमित कार्य हुआ है। नियम विरुद्ध कार्य हुआ है तो उसकी जांच कराके माननीय सदस्या को सूचित कर दिया जाएगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या कहा, मेरी समझ में नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : जांच कराकर सूचित कर देंगे, इससे ज्यादा क्या कहेंगे?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सुनिये मेरी, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री बुलाकी दास कल्ला : जांच क्या करा लेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : तत्काल तो उत्तर दिया नहीं जा सकता।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरी बात तो सुनिये आप। पहले मेरी सुनिये तो सही। मैंने इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछा था। मुझे प्रश्न का जवाब दे दिया कि जी हां, उसे पुनः नौकरी पर ले लिया गया। सुनिये तो सही, गर्दन क्या हिला रहे हैं आप?

श्री उपाध्यक्ष : वह तो आप खुद कह रही हैं इसलिए हिला रहा हूं।

(74)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं कह रही हूं। मेरे पास प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न के उत्तर में कहा है, जी हां, उसे नौकरी पर ले लिया गया। क्या इस 11 वर्ष के लम्बे अन्तराल को आपने नियमित कर दिया है? जी हां, नियमित कर दिया है। क्या उस समय का सारा वेतन और परिलब्धियां, लाखों रुपये की उसे स्वीकृत कर दी गई हैं? जवाब में लिखा है, जी नहीं। इसलिए यह सारा केस इनके नॉलेज में है, नोटिस में है। दूसरी बात यह है कि पंचायत समिति को गवर्नमेंट के यह आदेश हैं, वहां के बी. डी. ओ. ने क्योंकि वहां प्रधान तो था नहीं, बी.डी.ओ. ने इस सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं किये हैं यह आदेश भी सरकार की ओर से हुए हैं, फिर माननीय मंत्रीजी को इसकी जानकारी क्यों नहीं है? पूरी जानकारी है। वह नहीं देना चाहे, एक अलग बात है। अपने श्रीमुख से कुछ तो बोल दो।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बोलो श्रीमुख से।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : निवेदन कर दिया है। गलत है तो गलत ही रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नवनीत लाल निनामा।

सेनावास तहसील घाटोल में सरकारी क्वार्टरों से नाजायज कब्जा हटाया जाना।

श्री नवनीत लाल नीनामा (घाटोल) : मान्यवर, मैं अपने विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के जरिये जानकारी दे रहा हूं कि पंचायत समिति घाटोल के ग्राम सेनावास के पंचायत घर, पटवार घर, सहकारी समिति का गोदाम, पशु औषधालय, इस तरह से एक ही प्लाट पर सरकारी क्वार्टर बने हुए हैं और इन क्वार्टरों के बीच में राष्ट्रीय ध्वज लहराने के लिए व जनता के बैठने के लिए एक मैदान जो टूटा पड़ा है, जिस पर नाजायज कब्जा हो रहा है....

श्री उपाध्यक्ष : नीनामा जी पढ़िए।

श्री नवनीत लाल नीनामा : मान्यवर ग्राम सेनावास तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में आराजी नम्बर 1047 सरकारी आबादी पंचायत की भूमि पर निम्न पांच क्वार्टर बने हैं, (1) पटवार घर, (2) लैम्पस घर, (3) नया पशु औषधालय, (4) पुराना पशु औषधालय एवं (5) पंचायत भवन ग्राम सेनावास के पांचों सरकारी क्वार्टरों के बीच चौराहे पर नाजायज कब्जा हटाने बाबत निवेदन करना चाहता हूं।

मान्यवर, ग्राम सेनावास, तहसील घाटोल (बांसवाड़ा) में बांसवाड़ा से घाटोल सड़क के पूर्व किनारे पर-पूर्व से पश्चिम 128.6 ईंच व उत्तर से दक्षिण 115.8 ईंच लम्बा व चौड़ा पंचायत का प्लाट है जिस पर पटवार घर, समिति का गोदाम, पशु औषधालय नया भवन, पशु औषधालय पुराना भवन, (जो आयुर्वेदिक के नाम पर बना है) व पंचायत घर, कुल पांच सरकारी क्वार्टर बने हुए हैं, पांचों क्वाटरों के उनके बीच में जनता के बैठने, ग्राम सभाएँ एवं राष्ट्रीय ध्वज फहराने आदि का चौराहा है जिस पर पंचायत में जन-प्रतिनिधियों के अभाव में अन्य व्यक्तियों द्वारा क्वार्टरों के बीच चौराहे की जमीन पर नाजायज कब्जा कर निजी मकान बनाने की योजना चल

(श्री नवनीत लाल नीनामा)

रही है, इसे तुरन्त रोका जाय मौके पर बनाये गये क्वार्टरों की जमीन का नक्शा जानकारी लेने बाबत संलग्न है।

पत्र क्रमांक 335, दिनांक 15-2-1992 द्वारा जिलाधीश बांसवाड़ा को सरकारी क्वार्टरों की ज़मीन पर कब्जा रोकने बाबत मेरे द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया। मगर अभी तक मौके पर रोक नहीं लगी है व नाजायज कब्जा करने वाले व्यक्ति पंचायत सचिव व हल्का पटवारी को डरा धमकाकर सरकारी भूमि के रिकार्ड में तब्दील करा अपनी बनाने में लगे हुए हैं। अतः मैं नियम 295 के तहत मांग करता हूं कि राज्य सरकार तत्काल सरकारी क्वार्टरों पर होने वाले नाजायज कब्जे को रोककर सरकारी सम्पत्ति की रक्षा करें।

मान्यवर, मैं आश्वासन चाहता हूं कि वहां पर सरकारी क्वार्टर बने हुए हैं, उन क्वार्टरों को तोड़ा जा रहा है, नाजायज कब्जा किये जा रहे हैं। सरकार यह आश्वासन दे, तत्काल मौके पर जांच कराकर उन क्वार्टरों की रक्षा की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप। माननीय श्री नाथूराम अहारी।

राजस्थान में अनुसूचित जनजाति के राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं होने, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलना

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत राजस्थान में अनुसूचित जनजाति के राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं होने एवं बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

राजस्थान में राज्य कर्मचारियों को समय-समय पर पदोन्नत करने के नियम बने हुए हैं लेकिन आज दिन तक विभिन्न विभागों में नियमानुसार अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नत नहीं किया जाता है। मुझे कई विभागों से जानकारी मिली है कि अधिकांश विभागों में जनजाति के लोग वर्षों तक एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। कहीं-कहीं पर यहां तक भी हुआ है कि अनुसूचित जनजाति के योग्य व सीनियर कर्मचारियों को छोड़कर जूनियर लोगों को जो प्रभावशाली हैं, पदोन्नत कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में सरकार के समस्त विभागों में पिछले 10 वर्षों में की गयी पदोन्नतियों की उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच कराई जाये तथा अनुसूचित जनजाति के योग्य कर्मचारियों को पदोन्नत किया जाये।

साथ ही राजस्थान में विभिन्न विभागों में कई स्थान रिक्त हैं, उन्हें यथाशीघ्र भरने के आदेश किये जायें। साथ ही यह सुझाव भी देना चाहता हूं कि जहां-जहां रिक्त स्थान हैं, वहां स्थानीय व्यक्तियों से उन्हें भरा जाना चाहिए जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, लिपिक, ड्राइवर, कंडक्टर, लेब ब्वाय आदि।

श्रीमान् जांच कमेटी के सदस्य विभा-

(श्री नाथूराम अहारी)

गीय नहीं होकर दूसरे विभागों से नियुक्त किये जायें तथा इस कमेटी में जन-प्रतिनिधि का होना भी आवश्यक है। जांच कमेटी में सम्बन्धित विभाग से एक प्रतिनिधि, प्रधान, प्रमुख विधायक में से एक प्रतिनिधि एवं एक प्रतिनिधि जिला विकास अभिकरण में से हो सकता है। इस प्रकार की कमेटी बनाकर जांच करवाकर सारी समस्या का हल निकाला जाना आवश्यक है।

श्रीमान् उक्त दोनों समस्याओं के बारे में भी इसी सत्र में व्यवस्था दी जाये। मैं आपके माध्यम से आश्वासन चाहता हूं कि जो मैंने दो सुझाव दिए हैं उनके बारे में सरकार क्या कर रही है, क्या करेगी और क्या करने जा रही है? इस बारे में निर्णय दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री बिरधाराम चौधरी

अनुसूचित जाति की महिला पर अत्याचार

श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री महोदय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर जो प्रक्रिया के नियम 295 के तहत अनुसूचित जाति की महिला पर अत्याचार के सम्बन्ध में है, ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्रीमती नारायणी पत्नी अर्जुनराम जाति मेघवंशी निवासी मीठड़ी तहसील नावां की एक गरीब अनुसूचित जाति की महिला है। नारायणी के खातेदारी व कब्जे की भूमि मौजा उलाणा तहसील नावां में खसरा नं. 49 में 49 बीघा भूमि है, जो कहीं भी है, पहले नारायणी के पिता की थी। इस भूमि पर नारायणी व उसका पति व लड़के काबिज थे। दिनांक 16-7-91 को दिन में नारायणी के पति अर्जुनराम खेत पर काम कर रहे थे तथा पशुधन चरा रहे थे कि अचानक अजीतसिंह पुत्र बालसिंह जाति राजपूत निवासी खारड़िया तहसील नावां व उसके परिवार के 8–10 व्यक्ति ट्रेक्टर सहित नारायणी के कब्जे शुदा खेत पर हमलावर होकर अनधिकृत प्रवेश किया। उनके पास हाथों में हथियार थे, उन्होंने नारायणी के पति को खेत छोड़कर चले जाने की धमकी दी। अर्जुनराम के मना करने पर मारपीट की, साफे से जबरन उसको बांध दिया व फसल नष्ट कर दी जिसका मुकदमा नं. 50/91 थाना नावां में दर्ज किया गया लेकिन मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया गया। फिर मुल्जिमान ने अपने प्रभाव से मुकदमा सी. आई. डी. में बदलवा दिया व 10–12 दिन बाद फिर उन्हीं मुल्जिमानों ने नारायणी के खेत पर अनधिकृत प्रवेश किया, नारायणी के बाड़े, झूंपे व चारे पर जबरन कब्जा कर लिया तथा नारायणी व उसके पुत्र के साथ मारपीट कर भूमि से निकाल दिया। इसका मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इस भूमि पर राजस्व कोर्ट के मुकदमा नं. 9/87 दिनांक 16-1-87 द्वारा नारायणी के हक में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है कि नारायणी को बेदखल नहीं करें। फिर भी हरिजनों पर अत्याचार किया है व अभी तक मुल्जिमान के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाने से श्रीमती नारायणी, जो अनुसूचित जाति

(श्री बिरधाराम चौधरी)

की महिला है को न्याय दिलाने बाबत माननीय गृह मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि श्रीमती नारायणी को उक्त भूमि पर काबिज करावें एवं मुल्जिमान के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करावें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री प्रभुलाल पटेल।

श्री बिरधाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी सदन में बैठे हैं। हरिजन महिला के साथ अत्याचार का मामला है, इस पर जवाब दिला दें।

श्री परसादी लाल मीणा : महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। कार्यवाही करने को तो कह दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। माननीय श्री पटेल साहब।

श्री परसादी लाल मीणा : कार्यवाही करने के लिए तो कह दें आप।

श्री बिरधाराम चौधरी : कम से कम यह तो कह दें कि कार्यवाही करेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब इनके पास मामला जाएगा, आपको उत्तर मिलेगा। आप उन्हीं को तो दे रहे हैं। 295 में हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। (व्यवधान) और माननीय सदस्यों को कम्पाइल भी नहीं करना चाहिए।

श्री बिरधाराम चौधरी : यह हरिजन पर अत्याचार का मामला है। गृह मंत्रीजी इसमें क्या कार्यवाही करेंगे यह आश्वासन दिला दें।

श्री उपाध्यक्ष : जांच करने के लिए आपने दिया है, यह क्या कहेंगे ?

श्री बिरधाराम चौधरी : आश्वासन दिला दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा नहीं है श्री परसादी लालजी। मैं अलाउ नहीं करूंगा। यह कोई तरीका नहीं है।

श्री बिरधाराम चौधरी : गृह मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : या तो जिस समय आप कह रहे थे उस समय जोर से बोलते आप।

श्री परसादी लाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी समझते नहीं, उनको 2 मिनट में ब्रीफ कर देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये आप। जब चाहो प्रोसीजर अपना लो, यह सम्भव नहीं है इस सदन में।

श्री परसादी लाल मीणा : यह तो हरिजन महिला का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : नियम आपने बनाये हैं, नियमों का फालो आपको करना है।

श्री परसादी लाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी को ब्रीफ कर रहे हैं।

श्री बिरधाराम चौधरी : एक हरिजन महिला के साथ अत्याचार और महिला

(श्री बिरधाराम चौधरी)

उत्पीड़न का मामला है कम से कम ये कार्यवाही तो करें। उनको बेदखल किया जा चुका है। इस पर कुछ कार्यवाही का आश्वासन दें।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न उठाया कि हरिजन महिला के साथ मारपीट या उस पर किसी प्रकार का अत्याचार हुआ है तो इसका केस दर्ज हुआ होगा, कार्यवाही हुई होगी। कुछ और तथ्य आप देंगे तो निश्चित रूप से जरूर उसमें कार्यवाही होगी।

श्री बिरधाराम चौधरी : होगी या करेंगे ?

श्री **उपाध्यक्ष** : करेंगे। मना कर रहे हैं क्या ये ? माननीय श्री प्रभुलाल पटेल।

ग्राम हाड़ौती (सपोटरा) में सड़क निर्माण

श्री प्रभुलाल पटेल (सपोटरा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा तथा कार्य संचालन प्रक्रिया नियम 295 के तहत हाड़ौती रोड निर्माण करवाने बाबत निवेदन करना चाहता हूँ।

सपोटरा विधान सभा क्षेत्र का ग्राम हाड़ौती काफी बड़ा कस्बा है। वहां पर हायर सैकण्डरी स्कूल, पी. एच. सी., पुलिस चौकी, पंचायत, डाक्टर आदि कार्यरत हैं, परन्तु इस ग्राम को सड़क मार्ग से सपोटरा तक नहीं जोड़ा हुआ है जिससे इस क्षेत्र की जनता के लिए आवागमन की बेहद परेशानी बनी हुई है। सपोटरा से 4 किलोमीटर बूकना तक डामर रोड बनी हुई है। अब सिर्फ 10 किलोमीटर रोड बाकी रहती है तथा सपोटरा से कैलादेवी के लिये आडाडूंगर से लोहरा तक 4 किलोमीटर रोड बाकी है। यदि 14 किलोमीटर रोड का निर्माण करवा दिया जाता है तो इस क्षेत्र का चहुंमुखी विकास होने में कोई कमी नहीं रहती है। मात्र 14 किलोमीटर रोड बना देने पर यह हाड़ौती से कैला देवी तक का कम्पलीट 50 किलोमीटर का रोड चालू हो जाता है। जिससे 10 पंचायत हैड क्वार्टर व 40 ग्राम पंचायतें जुड़ जाती हैं। यह दस्युग्रस्त इलाका है अतः इस रोड का निर्माण इस क्षेत्र के लिये वरदान सिद्ध होगा। अतः सरकार इस क्षेत्र में आवागमन की सुविधा, विकास, दस्यु समस्या को मद्दे नजर रखते हुए शीघ्र ही हाड़ौती से कैला देवी वाया सपोटरा तक निर्माण कर जनता को आभारी करेंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामकरण सिंह जी।

सीमेन्ट फैक्ट्रियां लगने से प्रदूषण

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में दो साल में कोटपूतली, बहरोड़, चूरू व आबू-रोड में काफी सीमेण्ट फैक्ट्रियां स्थापित हुई हैं। वर्ष 1990-91 व फरवरी, 92 तक राजस्थान जल प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल ने करीब 125 अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये हैं जिनमें से ज्यादातर एम. के. जैन, अलवर द्वारा बनाई गई रिपोर्ट के आधार पर जल प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये हैं जो अवैधानिक हैं। उन उद्योगों में ज्यादातर में प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण नहीं लगाये

(श्री रामकरण सिंह)

गये हैं लेकिन इसके उपरान्त भी प्रदूषण मण्डल अनापत्ति प्रमाण पत्र अब भी जारी कर रहे हैं और कर दिये हैं। प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने में भी काफी धांधलियां हुई हैं कुछ उद्योगों को 15 दिन में, कुछ को 6 माह में व कुछ को 2 साल में और कुछ को अब तक भी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किये हैं। प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल में किन-किन उद्योगों की दरख्वास्तें कब-कब प्राप्त हुई, किस-किस आधार पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये तथा कुछ को अब तक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किये गये। इससे साफ जाहिर है कि उनका किस तरह का मानस है।

कोटपूतली तहसील में काफी सीमेण्ट फैक्ट्रियां लगने जा रही हैं। कुछ सीमेण्ट फैक्ट्रियों के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिये गये हैं। प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल अधिकारियों ने कार्यालय में बैठकर ही जारी किये हैं। किसी भी अधिकारी ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा नहीं लिया है। जिस स्थान पर सीमेण्ट फैक्ट्री स्थापित की जा रही है वहां के नागरिकों से किसी भी अधिकारी ने न तो सम्पर्क किया ना ही इस बात को जानने की कोशिश की कि वहां के जन-जीवन व कृषि पर इन उद्योगों का कितना विपरीत प्रभाव पड़ेगा। कोटपूतली तहसील राज्य का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है और इस तहसील में जौ, गेहूं, चना, बाजरा, सरसों का रिकार्ड उत्पादन होता है। जिस स्थान पर सीमेण्ट फैक्ट्री लग रही है उसमें अधिकारियों ने किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं की कि कौनसी फैक्ट्री कितनी दूर लगनी चाहिए, वहां का वातावरण कैसा होना चाहिए, जिस प्रकार की जमीन में वे लगाई जा रही हैं, क्या इन कारखानों से वहां का वातावरण तो दूषित नहीं हो रहा है?

(1.00 मध्याह्न)

केन्द्र सरकार अरावली की पहाड़ियों को जापान की मदद से हरा-भरा बनाने जा रही है। इस कारण प्रदूषण फैलाने वाले किसी भी उद्योग को इजाजत देना सम्भव नहीं है। कोटपूतली तहसील भी अरावली पहाड़ी का एक हिस्सा है। गोवर्धनपुरा चौकी से राजनोता जाने वाली सड़क पर खेत-खेत में कुएं व घर बने हुए हैं। इस सड़क पर गुजरात फिलामेण्ट्स व आर. के. जैन ने जमीनें खरीद कर सीमेण्ट प्लांट लगा रहे हैं। इनके चारों ओर सिंचित भूमि है तथा आर. के. जैन सिंचित भूमि में ही सीमेण्ट फैक्ट्री लगा रहे हैं। इस कारण खेती व नागरिकों के जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। एनवायर्नमेंटल प्रोटेक्शन एण्ड लॉज के तहत प्रदूषण विभाग उस स्थान की पूरी जानकारी प्राप्त करने के उपरांत ही अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने की सिफारिश करता है। राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल को अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने का कोई कानूनी हक नहीं है, केवल राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासनिक आधार पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने की अनुशंसा करता है। केवल कानून के तहत अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का काम मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स का ही है जो फैक्ट्री एक्ट के तहत

(श्री रामकरण सिंह)

उस स्थान की स्थिति का निरीक्षण कर अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करते हैं। मगर आज तक सभी अनापत्ति प्रमाण-पत्र राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा जारी किये गये हैं जो गलत हैं। जिला कलक्टर भी राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर बारानी भूमि को फैक्ट्री लगाने हेतु रूपान्तरण कर देते हैं जबकि जिला कलक्टर की ओर से भी आठ व्यक्तियों की एक कमेटी गठित करने का प्रावधान है। यह कमेटी उस स्थान का निरीक्षण करने के बाद ही उस भूमि के उद्योग में उपयोग हेतु रूपान्तरण करती है मगर अभी तक इस कमेटी ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अनापत्ति प्रमाण-पत्र मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स के द्वारा ही कानूनी तौर से माना जाता है। अनापत्ति प्रमाण-पत्र की एक कमेटी मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स की अध्यक्षता में 18 व्यक्तियों की गठित की हुई है जिसके अन्दर प्रदूषण मण्डल से दो, पर्यावरण विभाग से एक, रीको से एक, मौसम विभाग से एक, केन्द्रीय प्रदूषण मण्डल से दो, डिप्टी चीफ इन्सपेक्टर, फैक्ट्रीज से एक होते हैं। इस प्रकार 18 सदस्यों के द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है। प्रदूषण मण्डल में दाऊलाल माथुर अप्रेल, 90 से फरवरी, 92 तक अध्यक्ष रहे। उनके काल में मण्डल में रिश्वत का काफी बोलबाला था। मण्डल के अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने वाले अनुभाग में कनिष्ठ लिपिक को पांच सौ रुपये दिये जाते थे, सहायक अभियन्ता को एक हजार और सीनियर केमिस्ट को दो हजार, मेम्बर सेक्रेट्री को तीन हजार चेयरमैन को पांच-पांच हजार से ऊपर की रेट बांध कर मनमर्जी से प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं। इस मण्डल में श्री पाण्डे भारतीय प्रशासनिक अधिकारी को अध्यक्ष बनाया गया है जिनसे उम्मीद है कि वह इसमें कुछ सुधार करेंगे और श्री अशोक कुमार महेश्वरी, सीनियर केमिस्ट, जो सात वर्ष से रिश्वत लेकर मनचाहे ढंग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर रहे हैं और जिनका सहयोग सुरेश भारद्वाज, एल. डी. सी. कर रहे हैं, का स्थानान्तरण दूसरे अनुभाग में होने पर भी श्री डी. के. शर्मा, कनिष्ठ लिपिक, जिसको अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने वाले सेक्शन में लगा रखा है, उसके माध्यम से उससे तालमेल बैठा कर रिश्वत प्राप्त की जाती है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में आपसे आग्रह है कि कार्यवाही करवाई जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हीरालाल मीणा।

बामनवास में अधूरे सड़क कार्य

श्री हीरालाल मीणा (बामनवास) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत मेरा प्रस्ताव निम्न प्रकार है। विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, बामनवास में ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों के कार्य करीब-करीब सभी अधूरे पड़े हैं तथा पूर्ण सड़कों की कभी मरम्मत भी नहीं करवाई जा रही है। अधूरी सड़कों में अधिकतर एक पंचायत मुख्यालय से दूसरे पंचायत मुख्यालय को जोड़ने वाली है। जिसकी तरफ विभाग का कभी ध्यान ही नहीं जाता है।

(श्री हीरालाल मीणा)

पीपलदा से मित्रपुरा, मित्रपुरा से शीशोलाब, बौली से लाखनपुर वाया पहाड़ी को तोड़कर, सगवाड़ से पीपलवाड़ा, बौली से खिरनी, पीपलवाड़ा बहनोली से सम्पर्क सड़क बौली–निवाई, निमोद से बहतड़ आदि अनेक सड़कों पर कच्चा तथा मिट्टी का कार्य करवाने के बाद काम अधूरा छोड़ दिया गया है जिसके कारण जो कुछ भी कार्य करवाया गया था विभिन्न योजनाओं के तहत, वह कार्य भी खराब हो गया है। सरकार की नीति के अनुसार जनसंख्या का आधार जो बनाया गया है, उन मापदण्डों के अनुसार भी बामनवास विधान सभा क्षेत्र में सड़कों का कार्य नहीं करवाया गया है। साथ ही पुरानी सड़कों की मरम्मत का कार्य भी समय पर नहीं करवाया गया है। बामनवास विधान सभा क्षेत्र की जनता में उपरोक्त उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण भारी जन आक्रोश है। अतः सरकार बामनवास विधान सभा क्षेत्र में सभी अधूरी सड़कों के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाने के निर्देश विभाग को देगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री नन्द किशोर शर्मा।

छबड़ा में सड़क व पुलिया के निर्माण कार्य

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत छबड़ा क्षेत्र की सड़कों व पुलियों के बाबत निवेदन है कि छबड़ा क्षेत्र में छबड़ा व छीपाबड़ौद दो तहसीलें हैं। उनमें पुराने हिसाब से 43 पंचायतें हैं तथा नये पुनर्गठन से 57 पंचायतें हैं। छबड़ा क्षेत्र सड़कों के हिसाब से बहुत उपेक्षित रहा है। सन् 1977 से पहले तो वहां जिले की भी सड़क नहीं थी, ढाई लाख की आबादी का क्षेत्र है। सन् 1977 से 1980 तक वहां पंचायत समिति मुख्यालय ही सड़कों से जुड़ पाये। अब गत दो वर्ष से सड़कों का कार्य कुछ शुरू हुआ है पर वह बहुत थोड़ा है। अभी केवल 14 पंचायत मुख्यालय ही सड़कों से जुड़े हैं। जो पुराने हिसाब से 31 प्रतिशत और नये हिसाब से 25 प्रतिशत ही मुख्यालय जुड़ पाये हैं। कोटा और बारां जिला राजस्थान में सड़कों के मामले में सबसे पीछे है। सरकार ने सन् 1971 की आबादी के अनुसार 1500 की जनसंख्या के ग्रामों को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य बनाया है जो कि छोटे ग्रामों के साथ अन्याय है। पिछड़े व उपेक्षित क्षेत्र की ओर अब तो प्रथम ध्यान देना चाहिए। मान लो छोटे ग्रामों की आबादी कम है और पंचायत में एक या दो की जगह छह-सात ग्राम छोटे-छोटे हों तो क्या हम उसे पंचायत मुख्यालय को सड़क से नहीं जोड़ेंगे। मेरा निवेदन है कि उसी प्रकार कृषि उपज मण्डियां भी जो बड़ी हैं उनके आस-पास सड़क बन जाती है जबकि माल दूर के सुदूर ग्रामों से चलकर मण्डी में आता है। छोटे व गरीब को बड़े लोग शोषण करते हैं। पर सरकार को इन पिछड़े क्षेत्रों का ध्यान रखना चाहिए। दूर-सुदूर ग्रामीण स्थानों को भी मण्डी से जोड़ देना चाहिए। गरीबों का ध्यान रखा जावे। मण्डी की सड़कें भी सार्वजनिक निर्माण विभाग से मिल कर बनाई जावें। मेरे क्षेत्र में दोनों तहसीलों में सड़कों के बिना बरसात में प्रसव के समय कई औरतें रास्ते में ही मर जाती हैं अतः निम्न सड़कें, जो बहुत ही आवश्यक हैं, इसी वर्ष शीघ्र बनाई जावें ताकि वहां

(82)

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

की जनता भी अनुभव करे कि हमारी भी सुध लेने वाले आये हैं।

(1) सारथल से विलेनी वाया माऊपुरा

(2) रीछा से दीलोद वाया फलबड़ोदा, एवं कोलुखेड़ा

(3) छीपाबड़ौद से झनझनी वाया पीतपुरे

(4) उदयपुरिया से कोटड़ा पारी लक्ष्मणजी। यह तीर्थ स्थल है। यहां पर प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मेला लगता है। अमावस व पूर्णिमा को हजारों यात्री पार्वती का स्नान करते हैं और कच्चे रास्तों से जनता परेशान होती है।

(5) छबड़ा से कड़ैया मोहर व मुंडक्या

उक्त पांचों सड़कें मेरे क्षेत्र के लिए अति आवश्यक हैं। यहां की जनता बरसात के करीब पांच माह तो सामान्य इलाज के लिए तरसती है, पांचों पर दो-तीन पंचायत मुख्यालय हैं। मेरा निवेदन है कि उक्त सड़कों को शीघ्र ही प्राथमिकता से स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ कराया जावे। इससे हमारा क्षेत्र भी अन्य क्षेत्रों के समकक्ष आ सकेगा।

(1) पुलिया छबड़ा, कुथराज रोड पर हिंगलोट रपट

(2) छीपा बड़ौद-सालपुरा पिर मवासा के पास रपट

(3) छबड़ा से बरनावदा (मध्य प्रदेश) पर जो सड़क जाती है, पार्वती पुल आवश्यक है।

पिछड़े क्षेत्र को, गरीब को गणेश मान कर पिछड़े क्षेत्र का, उपेक्षित क्षेत्रों का ध्यान देंगे। अभी सारे जिलों में जोधपुर में पंचायत मुख्यालय केवल एक बाकी है, सीकर में पंचायत मुख्यालय जितने हैं उनमें एक बाकी है, कोटा में 289 में से केवल 126 जुड़े हैं, 157 पंचायत मुख्यालय, जिसमें बारां भी आता है, बाकी है। प्रतिशत के हिसाब से कोटा और बारां सबसे नीचे आते हैं। मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि कोटा और बारां जो सबसे नीचे आते हैं उनको समकक्ष लाने का प्रयत्न करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मदन दिलावर।

कोटा में मूकबधिर विद्यालय खोलने बाबत

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा शहर में बन्द मूक बधिर विद्यालय चालू करने के सम्बन्ध में मेरा 295 के तहत विशेष उल्लेख निम्न प्रकार है—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा शहर में बधिर बाल विकास केन्द्र द्वारा कोटा के नाम से एक विद्यालय संचालित किया जा रहा था। इस विद्यालय में विकलांग, कोई बहरा, अन्धा, गूंगे छात्र अध्ययनरत थे। बधिर बाल विकास केन्द्र को 90 प्रतिशत राज्य सरकार अनुदान देती है। 40 छात्र शिक्षा प्राप्त करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय आश्चर्य का

(श्री मदन दिलावर)

विषय है कि समाज सेवा का दम भरने वाले समिति के अध्यक्ष श्री गणेशलाल रानीवाला जो कोटा निवासी हैं पढ़ाने वाले अध्यापक और अध्यापिकाओं से कम वेतन देकर अधिक राशि प्राप्ति पर हस्ताक्षर करवाते हैं तथा मूक बधिरांग बच्चों का भोजन की राशि में भी कटौती कर बच्चों को जानवरों जैसा भोजन कराना कहां तक उचित है?

बच्चों की हालत दयनीय थी यहां तक कि विद्यालय के अध्यापक/अध्यापिकाओं का वेतन भुगतान नहीं करने से अध्यापकों के सामने भूखों मरने की नौबत आ गयी थी। वह 6 महीने तक भूखों रहकर भी अपना काम सुचारु रूप से कर रहे थे। अन्त में विद्यालय के कर्मचारियों को हड़ताल करनी पड़ी और समिति ने विद्यालय को बन्द कर दिया और बच्चे दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है। मासूम, बच्चों का जीवन अन्धकारमय हो गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बधिरांग केन्द्र पर अध्यक्ष के एक ही परिवार का एकाधिकार है (1) अध्यक्ष गणेशीलाल रानीवाला (2) सचिव सी. आर. दास जो इसके घर के मेम्बर हैं (3) संयुक्त सचिव महेन्द्र रानीवाला मेम्बर महेन्द्र रानीवाला का लड़का इस समिति का मेम्बर है। तीन चार के नाम मैं नहीं जानता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय वह भी इसी परिवार के रानीवाला उपनाम लगाकर मेम्बर हैं। इस प्रकार इस समिति में 70–80 प्रतिशत गणेशीलाल रानीवाला के घर के मेम्बर ही हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय अधिक छात्रों की विद्यालय में दिखाकर अनुदान हड़पते हैं तथा बच्चों के अभिभावकों से भी रुपये वसूल किये जाते हैं तथा दानवीरों से भी हजारों रुपये लेकर हड़प जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है इनकी सम्पूर्ण जांच करावें तथा अन्धे, बहरे, गूंगे लोगों की तरफ मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए सरकार इस विद्यालय को अपने हाथ में ले तथा शीघ्र कर्मचारियों का वेतन का भी भुगतान करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अध्यक्ष विद्यालय की भूमि के प्लाट काटकर बेचने की तैयारी कर रहा है तथा भवन को भी हड़पने की योजना बना रहे हैं अतः शीघ्र भवन मैदान सहित सरकार अपने कब्जे में लेकर विद्यालय प्रारम्भ करे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहरे, गूंगे, लूले-लंगड़ों का मामला है इसलिए मैं आज ही मन्त्री जी से चाहूंगा कि वह इस प्रकार का आश्वासन दे, इस प्रकार की व्यवस्था करे कि अन्धे, लूले लड़कों के जीवन को प्रकाश मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो अब आप। श्री हीरालाल इन्दोरा,

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : क्या चाह रहे हैं आप?

श्री मदन दिलावर : यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और गूंगे बहरों का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, उत्तर दे रहे हैं मन्त्री महोदय,

श्री हरिकुमार औदिच्य (शिक्षा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने इस शहरों के स्कूल के बारे में 295 के अन्तर्गत जिक्र किया है इस विषय में जहां तक मेरी भी जानकारी है वहां पर कर्मचारियों और वहां का जो मैनेजमेन्ट है उसके बीच में तीन-चार महिने की तनख्वाह चढ़ी हुई थी उसको लेकर विवाद खड़ा हुआ। उस दरमियान में मेरे कोटा प्रवास के समय लोग मुझसे मिले और मैंने जिला कलेक्टर को इस बात के निर्देश दिये कि वह इन दोनों पार्टीज को बैठाकर उनका आपस में समझौता करा दे। तीन-चार बार उनकी आपस में मीटिंग हुई लेकिन फैसला नहीं हुआ और जो कर्मचारी अध्यापक थे वह धरने और भूख हड़ताल पर जिलाधीश कार्यालय के बाहर बैठ गये। बाकी फिर उनसे बात-चीत की और बात-चीत के बाद मैं उनका समझौता हुआ और वह यह हुआ कि अभी संस्थान के पास जितना पैसा है वह उनको दे दिया जाये और बाकी पैसा जो ग्रान्ट इन एड आयेगी उसमें से इनको चुकारा कर दिया जायेगा। साथ ही सरकार के माध्यम से जो पैसा उनके पास जाता है वह भी सीधे विभाग द्वारा ही उनको दे दिया जायेगा। इस समझौते से बाद में कर्मचारी अध्यापक मुकर गये और काम पर जाने को तैयार नहीं हुए। मैनेजमेन्ट ने अभी उनको नहीं कहा कि आप काम पर मत आइये। जब भी कहा कलेक्टर ने उनको बुलाया और कहा कि आप काम पर चले जाइये आपकी तनख्वाह का फैसला हम बीच में पड़कर करा देंगे। कलेक्टर की बात उन्होंने नहीं मानी और उसके बाद कुछ दिनों के पश्चात् वह मेरे पास यहां पर आये, कर्मचारियों का प्रतिनिधि मण्डल और मैंने निर्देश दिये कि इसकी व्यवस्था वहां का जो जिला शिक्षा अधिकारी है वह ले ले और सारी व्यवस्था वह करे। मध्यस्थ मुकर्रर करने के आदेश मैंने कर दिये और आदेश जाने के पूर्व ही मैनेजमेन्ट ने हाईकोर्ट से इस बात का स्टे ले लिया कि हमारी इस व्यवस्था में सरकार दखलअन्दाजी कर सकती है। वह मामला भी हाईकोर्ट में चल रहा है। माननीय सदस्य ने दो-तीन बातें कही हैं। पूरी जान-कारी तो मैं नहीं कह सकता लेकिन जहां तक मैनेजमेन्ट में एक ही परिवार के दखल का सवाल है, उसके परिवार के मैम्बर मगर 60-70 या 50 प्रतिशत की बात मेरे ख्याल से सही नहीं है। जो आपने जमीन वाली बात कही है कि जमीन बेच रहे हैं विभाग इस बात के प्रति पूर्णतया जागरूक है कि किसी प्रकार की कोई अनियमितता का कार्य नहीं होने देगा। दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इनको एड मिलती है वह अधिकांश एड समाज कल्याण विभाग से मिलती है या केन्द्र सरकार से मिलती है। शिक्षा विभाग का दखल नहीं है फिर भी मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि किसी प्रकार की सम्पत्ति को बेचने या विद्यार्थियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया जायेगा। संस्थान तो बन्द है। मैनेजमेन्ट तो आज भी इस बात के लिए तैयार है कि संस्थान चालू करिये। पैसे का लेन-देन का हिसाब हम बैठकर निपटा लेंगे और मैनेजमेन्ट ने यह भी कहा और मैं बीच में गया कोटा तब कि जितना पैसा हमारे बैंक के अकाउन्ट का है वह सील कर लीजिए और इनमें बांट दीजिए। जो गवर्नमेन्ट 90 परसेन्ट पैसा देती है वह भी दे दीजिए और सीधे

85

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

हमसे मत पूछिये। लेकिन वह आजकल कुछ ऐसी मनोवृत्ति चल रही है कि धीरे-धीरे सरकार इसमें एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दे और एडमिनिस्ट्रेटर बैठाने के बाद कोई आड़ लेकर सरकार इसका अधिग्रहण करले तो सरकार की ऐसी स्थिति नहीं है क्योंकि इसमें फाइनेन्शियल का कम्प्लीकेशन्स और भी कई प्रकार की समस्यायें हैं उनको देखने के बाद ही अधिग्रहण की बात कर सकते हैं। लेकिन यह बात सही है कि वह संस्थान ठीक प्रकार से चले इसका प्रयास हम बराबर कर रहे हैं और हाईकोर्ट में गवर्नमेन्ट की तरफ से वकील लड़ने के लिए हमने उनको कहा है।

श्री मदन दिलावर: माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: बिराजिये आप। मैं अलाऊ नहीं करूंगा। सारी बात आ गयी है।

श्री मदन दिलावर: माननीय मुख्य मन्त्री जी बार-बार एक करोड़ रुपया इनको देने की बात कहते हैं और विकलांगों के लिए सोच रहे हैं और सरकार तो बड़ा ध्यान दे रही है....

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिये। दिया इतना ज्यादा।

श्री हरिकुमार (औदिच्य): सरकार के नियमों के साथ-साथ लिमिटेशन्स भी हैं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हीरालाल इन्दौरा,

गंग केनाल सिंचित एरिया क्षेत्र में कोलोनी बसाने से असिंचित क्षेत्र हो जाना।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गंग केनाल सिंचित एरिया क्षेत्र में आवासीय कालोनियां, सैनिक छावनियां, बाईपास सड़कों तथा अन्य प्रयोजनार्थ जो सिंचित क्षेत्र भूमि उपयोग में लायी गयी उससे सिंचित क्षेत्र की भूमि असिंचित बन गई जिससे सिंचाई भूमि का पानी बचा है। उस पानी का उपयोग असिंचित जमीनों के काश्तकारों को देकर पानी का उपयोग में लाना चाहिए ताकि उत्पादन बढ़े और असिंचित क्षेत्र के किसान खुशहाल और समृद्ध बनें। महोदय उदाहरण के तौर पर मैं कुछ गांवों का जिक्र करना चाहूंगा जो इस प्रकार हैं:

गांव का नाम	जमीन (बीघों में)
0 जेड	28.18
4 ए	2.05
5 ए	7.16

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

6 ए 35.04
7 ए/फस्ट 10.06
94.09 बाईपास रोड प्रयोजनार्थ

134.08
3 ए/फस्ट 14.15
6 ए 21.16
5 जेड/फस्ट 56.12
6 जेड 7.15
7 जेड 12.08
247.15 आवासीय प्रयोजनार्थ

3 जेड/फस्ट 655.10
3 जेड/सैकिण्ड 721.00
1376.10 सैनिक छावनी प्रयोजनार्थ

उक्त गांवों का सर्वे करने से लगभग 17–18 बीघा सिंचित क्षेत्र का पानी असिंचित क्षेत्र होने से बचता है और यदि गंग केनाल क्षेत्र में पूर्ण सर्वे करवाया जाये तो लाखों बीघा जमीन का पानी पर्याप्त मात्रा में बच जाता है जो काफी भूमि को सिंचित कर सकता है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैयालाल मीणा।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय मंत्री जी बता रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, आप उत्तर सुनिये।

श्री कैलाश मेघवाल (अकाल राहत मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने एक बहुत महत्त्वपूर्ण विषय की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है। विकास के कार्य और आवासीय कालोनियों और छावनियों के बसने से जो सिंचित भूमि में जो पानी लगता था उसका बचाव हो रहा है और बचे हुए पानी को असिंचित भूमि में डाइवर्ट करने की शायद माननीय विधायक की मंशा और यही उनकी मांग भी है। मैं आपके द्वारा माननीय विधायक को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस तरह की सारी जानकारी मंगवा ली जायेगी और जानकारी मंगवाने के बाद सिंचित क्षेत्र का जो पानी बच रहा है वह असिंचित क्षेत्र में पहुंचाने की कोशिश की जायेगी और यह राज्य सरकार की मंशा भी है कि एक-एक बूंद पानी सिंचाई के काम में लिया जाय। वह व्यर्थ नहीं जाय।

श्री हीरालाल इन्दौरा : नहीं यह पानी का उपयोग क्या है, बचता है उसका मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : जांच करवा रहे हैं। माननीय श्री कन्हैया लाल मीणा। (अनुपस्थित)

श्री रघुवीर सिंह कौशल, सभापति, राजकीय उपक्रम समिति 91–92 समिति का एक प्रतिवेदन उप-स्थापित करेंगे।

समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री रघुवीर सिंह कौशल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रघुवीर सिंह कौशल, सभापति, राजकीय उपक्रम समिति, 1991-92 राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1973-74 से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 1980-81 के प्रथम प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की क्रियान्विति विषयक) से सम्बन्धित समिति का 40वां प्रतिवेदन उप स्थापित करता हूं।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

ग्राम कालख तहसील फुलेरा जिला—जयपुर की चारागाह भूमि को कुछ व्यक्तियों द्वारा हथिया लिया जाना।

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत डॉ. हरिसिंह, सदस्य विधान सभा ग्राम कालख तहसील फुलेरा जिला—जयपुर की चारागाह भूमि को राजकीय अधिकारियों की शह पर कुछ व्यक्तियों द्वारा हथिया लिये जाने से ग्रामवासियों को अपने पशुओं को चराने में हो रही परेशानी की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

डॉ. हरिसिंह (फूलेरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने मोशन में सारी बातें राजस्व मंत्रीजी को कह दी हैं। अब मैं चाहूंगा कि वे क्या जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक बात है। राजस्व मंत्रीजी।

राजस्व मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) : उपाध्यक्ष महोदय, एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा माननीय विधायक महोदय ने यह चाहा है कि उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24-5-90 की पालना स्वरूप निश्चित कराई जाए तथा ग्राम कालख की खसरा नम्बर 962/1 में किये गये आवंटनों को निरस्त करवाया जाय।

ग्राम कालख के खसरा नम्बर 962/1 रकबा 98 बीघा 9 बिस्वा को 7 व्यक्तियों को भूमि आवंटन के प्रकरण में जिला कलेक्टर जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उपखण्ड अधिकारी सांभर के न्यायालय में 5 वाद धारा 88 एवं 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत ग्राम सभा ग्रामदानी गांव गणेशपुरा क्रमशः बनाम बचात, बचना, कल्याण बनाम आसूराम बनाम सोहनलाल बनाम सुगना। 1988 में वे दायर हुए। इन दावों में धारा 212 के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर की आदेश आवंटियों के पक्ष में होने के कारण आप ग्राम सभा ग्रामदानी गांव गणेशपुरा की ओर से दायर अपील राजस्व अपील राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के न्यायालय में विचाराधीन है। इस भूमि आवंटन के विरुद्ध अतिरिक्त कलेक्टर जयपुर के यहां राजस्थान भू-राजस्व कृषि के प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के अन्तर्गत गणेशलाल पुत्र कालूराम निवासी गणेशपुरा ग्रामदानी गांव की ओर

(श्री गंगाराम चौधरी)

से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो अतिरिक्त कलेक्टर जयपुर द्वारा आवंटियों के पक्ष में दिनांक 2-5-88 को निर्णित कर खारिज कर दिया गया। अतिरिक्त कलेक्टर जयपुर के इस आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की गयी। जिला कलेक्टर जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 24-5-90 को रिट याचिका नम्बर 2240/90 श्री प्रेम बिहारी बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य में कलेक्टर जयपुर को यह निर्देश दिये कि कलेक्टर जयपुर यह निर्धारित करें कि विवादग्रस्त भूमि चारागाह है अथवा नहीं और यदि वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विवादग्रस्त भूमि चारागाह है तो इस भूमि पर किये गये आवंटनों पर रोक लगाई जाय। माननीय उच्च न्यायालय के इन आदेशों की पालना में कलेक्टर जयपुर द्वारा जांच करने पर यह पाया गया कि विवादग्रस्त भूमि का उपयोग चारागाह हेतु हो रहा है अतः कलेक्टर जयपुर ने उनके आदेश क्रमांक आर 11205/90/174 दिनांक 21-6-90 को द्वारा इस भूमि पर किये गये आवंटनों की क्रियान्विति पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जयपुर पीठ जयपुर के आदेश दिनांक 24-5-90 जो एस. बी. सिविल रिट पिटिशन नम्बर 2240/90 प्रेम बिहारी बनाम सरकार वगैरा में पारित किया गया है, की पालना में तहसील से रिकॉर्ड तलब कर जांच की गयी। जांच में पाया गया कि विवादग्रस्त भूमि चारागाह होने का नोट रजिस्टर के ओ-14 में लगा हुआ है। खसरा गिरदावरी संवत 2019 से संवत 2032 में भूमि चारागाह अंकित है किन्तु जमाबंदी संवत 2018 में चारागाह में अंकित इस खसरा नम्बर एवं क्षेत्र को काट कर के सिवाय चक में अंकित कर दिया गया। सिवाय चक को इस क्षेत्र में अंकित करने पर सिवाय चक के कुल क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन अंकित नहीं है जबकि चारागाह के खाते में अन्तर अंकित कर दिया गया है। इसके पश्चात संवत 2022 की जमाबंदी से यह भूमि सिवाय चक बताई गई है। सिवाय चक भूमि अंकित रिकार्ड होने से यह भूमि 7 व्यक्तियों को दिनांक 11-9-76 को आवंटित हो चुकी तथा आवंटियों को खातेदारी सन् 1983 में एक को तथा 87 में 6 को मिल चुकी। खातेदारी मिलने पर 4 व्यक्तियों द्वारा भूमि अन्य लोगों को विक्रय कर दी गयी जिसके नाम 30 और 31 मार्च, 1990 को नामान्तरण हो चुका है। एक व्यक्ति ने भूमि बख्शीश कर दी तथा बख्शीश पर लेने वाले ने भूमि विकास बैंक से ऋण भी ले लिया जबकि मौके पर भूमि में कोई काश्त नहीं है तथा मवेशी चरने के काम में भूमि आती है अतः उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24-9-90 की पालना में विवादग्रस्त भूमि का उपयोग चारागाह में होने से आवंटन आदेश की क्रियान्विति पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी गयी है। जहां तक आवंटन किये गये भूमि को निरस्त करने का सम्बन्ध है इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि यह भूमि आवंटन के सम्बन्ध में हुए नामान्तरकरण के विरुद्ध अपील में अंतिम निर्णय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त का होने के कारण राजस्व अभिलेख में हुए गलत अंकन को निरस्त करने हेतु रेफ्रेंस की कार्यवाही

(श्री गंगाराम चौधरी)

नहीं की जा सकती एतदर्थ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 9 के तहत राजस्व अभिलेख के अंकन को दुरुस्त करने की कार्यवाही हेतु जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा उप-खण्ड अधिकारी, सांभर को उनके पत्र क्रमांक आर 11205/92/11573 दिनांक 14-2-92 को निर्देशित कर दिया गया है। विवादग्रस्त भूमि का उपयोग चारागाह में होने से आवंटन आदेश के क्रियान्विति पर जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा उनके आदेश क्रमांक 11205/90 7174 दिनांक 21-6-90 द्वारा अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी गयी है जिसकी पालना करने हेतु उप खण्ड अधिकारी, सांभर तथा तहसीलदार, फूलेरा को निर्देश दिया गया है। राजस्व रिकार्ड में हेरा-फेरी कर काट-छांट करने के लिए दोषी व्यक्ति की जांच हेतु जिस वर्ष में रिकार्ड में यह काट-छांट की गयी है उससे पूर्व की जमाबन्दी को पड़त पटवार, पड़त सरकार खसरा गिरदावरी आदि की रिकार्ड के आधार पर जांच कर जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु उपखण्ड अधिकारी, सांभर को लिख दिया गया है। इस प्रकरण में जिला कलक्टर, जयपुर ने यह भी बताया है कि इस विवादग्रस्त भूमि के संबंध में श्री प्रेम विहारी द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका संख्या 2240/90 माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ, जयपुर में अभी तक विचाराधीन है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि कलक्टर, जयपुर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24-5-90 की पूर्ण रूप से पालना की जा चुकी है तथा वे विवादग्रस्त भूमि पर किये गये आवंटनों को निरस्त करने हेतु भी कार्यवाही करवा रहे हैं। चूंकि इसी विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रेमविहारी द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 2240/90 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा विचाराधीन है और अंतिम निर्णय की अपेक्षा है अतः मामला सबज्यूडिस होने की वजह से इस पर अधिक विचार किया जाना उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर साहब तथ्य तो आ गये सारे आपके फेवर में। हां थोड़ा कुछ पूछ लीजिए, बाकी तो सब आपके फेवर में चल रहा है।

डा. हरिसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ तो तथ्य सही बताये गये हैं, कुछ तोड़ मरोड़ कर बताये गये हैं, कुछ विवाद में डाले गये हैं। यह तीनों बातें मैं संक्षेप में बताऊंगा। पहले तो मैंने अपने ध्यानाकर्षण में स्पष्टीकरण मांगा था कि जमीन का जब अलाटमेण्ट हुआ, उस वक्त यह ज़मीन चुपके-चुपके अलाट हो गई। मेरे पास डाक्यूमेंट हैं, जो यह दर्शाते हैं कि जमीन का अलाटमेंट हुआ है गणेशपुरा के नाम से कि यह भूमि गणेशपुरा की है जबकि यह गणेशपुरा की भूमि थी ही नहीं। यह कापी है जिसमें मूला वगैरा को अलाटमेंट किया गया है तो उसमें लिखा है प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति के समय मुकाम गणेशपुरा पर पेश हुई जिसमें प्रार्थी को भूमिहीन होना बताया है। इसमें खसरा नम्बर 962/1 यह गणेशपुरा में दर्शाई गई है तो इसका मतलब आवंटन कमेटी को यह मालूम ही नहीं था कि यह भूमि गणेशपुरा में है या कालख में है। सबसे पहले तो यह साबित हो जाता है कि यह जालसाजी है। फिर पटवारी को आदेश देते हैं तो उसमें भी यहीं लिखते हैं

(डा. हरिसिंह)

गणेशपुरा की इतने खसरा नम्बर की जमीन इनको अलाट हो गई, तो यह सारी कार्यवाही गुपचुप और मिलीभगत से हुई है। यह जमीन 58 में गांव वालों की रिक्वेस्ट पर सैटलमैंट हुआ था शायद 55 में और 58 में उनकी रिक्वेस्ट पर कलक्टर को उस वक्त पावर्स थे पोस्ट सैटलमैंट के, इसको चारागाह डिक्लेयर कर दिया गया और चारागाह में यह दर्ज हो गई। यह 76 तक चारागाह में ही दर्ज रही, अब विदाउट एनी परमीशन आफ दी गवर्नमेंट और कोई अपने आप ही अलाटमेंट कर ले पटवारी से मिलकर साजिश कर ले और इसको काटकर सिवाय चक दिखा दिया गया। अब स्थिति इसकी यह है कि यह जमीन कई लोगों को बेच दी। अब आपको मालूम होना चाहिए इस पर ऋण भी ले लिया जबकि इस पर कभी काश्त नहीं हुई। जब गांव वालों को 88 में पता लगा कि यह जमीन अलाट हुई, इससे पहले पता ही नहीं लगा। क्योंकि मैं भी 1977 से वहां विधायक हूं। मेरे को भी पता नहीं था अलाटमेंट का कोई मामला है। जब लोग कब्जा करने पहुंचे तब पता लगा कि यह जमीन 76 में अलाट हो गई थी और वह चारागाह का काम ले रहे थे। तब जाकर कागज बड़ी मुश्किल से मिले। माननीय नत्थीसिंह जी जब रेवेन्यू मिनिस्टर थे, मैंने इनको लिख कर दिया था कि वह विवादग्रस्त मामला है। वहां मर्डर होने की गुंजाइश है तो उस वक्त तो वह पार्टियां इतनी खतरनाक नहीं थीं लेकिन अब जो नयी पार्टियों ने जमीन खरीदी है, जमीन 5 दफा बिक चुकी है और अब वहां लठैत लोग आ गये तो वहां मर्डर होने की पूरी गुंजाइश है इसलिये मैं राजस्व मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि इस जमीन में बड़ा घोटाला हुआ है, अलाटमेंट गलत हुआ है, आज तक किसी का कब्जा नहीं हुआ, रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि यह चारागाह है। चारागाह के काम ली जा रही है। इसमें कानूनी हवाला दिया है हाईकोर्ट का। हाईकोर्ट ने यह डाइरेक्शंस दिये थे। जब सब रास्ते बंद हो गये कलक्टर के यहां मैं मिल लिया, नत्थी सिंह जी राजस्व मंत्री से मैं मिल लिया कि मर्डर होने वाला है। सब रास्ते बन्द हो गये तब हाईकोर्ट में गये। हाइकोर्ट ने डायरेक्शन दिये हैं, जिसको आप चाहें तो मैं पढ़कर सुना दूं कि कलेक्टर देखें, अगर यह चारागाह की भूमि का अलाटमेंट हो गया है तो निरस्त करे, वरना सिवाय चक का अलाटमेंट हो गया है तो हाइकोर्ट को इसमें कुछ नहीं करना है। तो इसमें सबज्यूडिस नाम की कोई चीज ही नहीं है। डाइरेक्शन साफ है। शायद आपके पास कापी भी होगी, मैं पढ़कर सुना दूं आपको।

श्री गंगाराम चौधरी : मेरे पास है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रशासन ने भी आर्डर के अनुसार सारा काम कर दिया।

डा. हरिसिंह : कर दिया लेकिन जब तक निरस्त नहीं हो, वह वादविवाद में डालें। दूसरा कहेंगे रिजेक्शन हो गये ए. डी. एम. के यहां। ए. डी. एम. के यहां इस ग्राउण्ड पर रिजेक्शन हुआ कि ग्राम ढाणी कालख है, अलाटमेंट तो गणेशपुरा के नाम से हुआ और गणेशपुरा के लोग जब गये तो उनको कहा आपको कोई अधिकार नहीं है, यह तो कालख की जमीन है। इस टैक्निकल ग्राउण्ड पर उनकी अपील रिजेक्ट की, तो

(डा. हरीसिंह) :

आप जानते हो अदालतों में तो एक तारीख मांग ली, छह महीने चले गये । तो वहां आज टेंशन बना हुआ है, वहां लोग रात को पहरा देते हैं कि इस पर कोई कब्जा नहीं कर ले । ऐसी परिस्थिति में मैं चाहूंगा कि माकूल व्यवस्था हो और इसके निरस्त की कार्यवाही की जाये । हाइकोर्ट ने कितने दिन पहले कलक्टर को डाइरेक्शन दिये थे ? दो साल पहले दिये थे और दिये थे कि 15 दिन में फैसला करे । कलक्टर ने इसका आज तक फैसला नहीं किया ।

श्री गंगाराम चौधरी : नहीं कलक्टर ने आर्डर पास कर दिया था, मैंने पढ़कर सुनाया ना आपको । इसमें कहा है ना ।

डा. हरीसिंह : नहीं आर्डर तो पास कर दिया पर निरस्त करने की कार्यवाही के लिए हाईकोर्ट ने 15 दिन में कहा था । हाईकोर्ट ने कहा था कि हमें 15 दिन में अवगत करवाये, उसका शायद अब तक भी कलक्टर ने जवाब नहीं दिया, इससे आप समझ सकते हो ।

श्री गंगाराम चौधरी : नहीं-नहीं भेज दिया है ।

डा. हरीसिंह : कब भेजा है ? तारीख बताइये हाईकोर्ट को जवाब कब भेजा है ? आप तारीख बताइये माननीय मंत्रीजी ।

श्री उपाध्यक्ष : डेट का उल्लेख तो किया था इन्होंने ।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, जब यह आर्डर हाईकोर्ट ने पास किया था जिसकी तारीख है, 24.5.90 और जून में कलक्टर ने इनक्वायरी करके 31.6.90 को यह आर्डर पास किया, जिसकी कापी आपके पास नहीं है तो मैं पढ़कर सुना दूं, उसमें कलक्टर ने यह लिखा है माननीय उच्च न्यायालय,राजस्थान, जयपुर पीठ जयपुर के आदेश दिनांक 24.5.90 जो एस. बी. सिविल रिट पिटीशन नम्बर 2240/90 प्रेम बिहारी बनाम सरकार वगैरा ने पारित किया गया है कि पालना में तहसील से रिकार्ड तलब कर जांच की गई, जांच में पाया गया कि विवादग्रस्त भूमि, चरागाह होने का नोट रजिस्टर ओ 14 में लगा हुआ है । खसरा, गिरदावरी

डा. हरीसिंह : मंत्रीजी वही जवाब है जो आपके यहां आया । करीब-करीब वही जवाब है ।

श्री गंगाराम चौधरी : खसरा, गिरदावरी सवम्त् 2010 से 2032 में भूमि चारागाह में अंकित है किन्तु जमाबंदी संवत् 2018 में चारागाह में अंकित इस खसरा नम्बर एवं क्षेत्र को काटकर सिवाय चक में अंकित कर दिया गया है । सिवाय चक को इस क्षेत्र में अंकित करने पर सिवाय चक के कुल क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन अंकित नहीं हैं । टोटल होता है, इसमें वह नहीं जुड़ा है ।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो माना जालसाजी है ।

श्री गंगाराम चौधरी : अंकित नहीं है जबकि चारागाह के खाते में अंतर अंकित कर दिया गया है । इसके पश्चात् सम्वत् 2022 की जमाबंदी से यह भूमि सिवाय चक बतायी गई है । सिवाय

(श्री गंगाराम चौधरी)

चक भूमि अंकित रिकार्ड होने से यह भूमि 7 व्यक्तियों को दिनांक 11.9.76 को आवंटित हो चुकी तथा आवंटियों को खातेदारी सन् 1983 में एक को व 87 में जैसा मैंने ही पढ़कर बताया, खातेदारी दे दी गई। 4 व्यक्तियों द्वारा भूमि अन्य लोगों को विक्रय कर दी गई, जिनके नाम 30 व 31 मार्च 1990 को

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आ चुका है पहले ही मंत्रीजी।

श्री गंगाराम चौधरी : मैं अंतिम पैरा बता दूं।

श्री उपाध्यक्ष : अंतिम पैरा भी इन्होंने सुन लिया, सब सुन लिया।

श्री गंगाराम चौधरी : अतः उक्त तथ्यों के

श्री उपाध्यक्ष : वह तो बिल्कुल इनके फेवर में चल रहा है सब कुछ।

श्री गंगाराम चौधरी : अतः उन तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.5.90 की पालना में विवादग्रस्त भूमि का उपयोग चारागाह में होने से आवंटन आदेश की क्रियान्वित पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगायी जाती है।

डा. हरीसिंह : उपाध्यक्षजी, हाईकोर्ट के डायरेक्शंस यह थे, आपने कहा ना पालना हो गई। पिछले महीने 20 दिन पहले तो हाईकोर्ट को जवाब दिया है जबकि हाईकोर्ट ने 15 दिन का टाइम दिया था। आप देख लीजिए प्रशासन सुस्त था, हाईकोर्ट ने कहा था कि 15 दिन में कहा था कि इसका निर्णय हो। यह अगर चारागाह की भूमि है तो कार्यवाही करके इस अलाटमेण्ट को कैंसिल करो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजस्व मंत्री जी मामला साफ है, आप कितने दिन में कार्यवाही करेंगे, आश्वासन दीजिए। एवरी थिंग इज वैरी क्लीयर।

डा. हरीसिंह : आप समझ सकते हैं कि हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद कि दो हफ्ते में,

श्री उपाध्यक्ष : एवरीथिंग इज वेरी क्लीयर आप कितने दिन में कर लेंगे, पजेशन का मामला है। पजेशन में चारागाह उनका कोई राइट नहीं है। संवत् 2018 की जमाबंदी में चेंज किया, बाकी जमाबंदी भी वही है, गिरदावरी उनके नाम की है। कितने दिन में इसको ठीक कर लेंगे केवल रेकार्ड को ?

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जैसे मैंने पहले ही इसमें निवेदन किया कि इसमें रेफरेंस हो नहीं सकता, केवल मात्र सेक्शन 9, जो राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट का है, उसके तहत सुपरिटेंडेंट्स के जो भी पावर्स हैं रेवेन्यू बोर्ड के पास उनके तहत हमारा मैटर कलक्टर मूव करेगा और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सुनकर के यह तीन जगह जो फैसले हुए हैं

श्री उपाध्यक्ष : नहीं एस.डी.ओ. को रेफर किया कि नहीं, आल रेडी रेफर किया हुआ है आपने ?

श्री गंगाराम चौधरी : एस.डी.ओ. को

(श्री गंगाराम चौधरी)

यह कहा है कि रेवेन्यू बोर्ड को सेक्शन 9 में अर्जी पेश करे सुपरिटेंडेंट। सीधा बोर्ड में जायेगा, अब और कोई जगह गुंजाइश नहीं है। 14 (4) में हार गये, राजस्व अपीलेंट अधिकारी के पास में फैसला खिलाफ हो गया, दावा इनका जरूर 88 और 188 में चल रहा है, उसकी तो मैं कह नहीं सकता उसकी फेट क्या होगी लेकिन हमारे पास केवल एक ही रास्ता खुला है और वह रास्ता हम अपना रहे हैं, हमने आर्डर दे दिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार जायेगी ना रेवेन्यू बोर्ड में।

श्री गंगाराम चौधरी : सरकार ही जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : हां तो ठीक है। इस समय इससे ज्यादा नतीजा मिल ही नहीं सकता।

श्री रामनारायण वर्मा : रूल्स जो हैं आपके उसमें 133 के तहत आपको जो सुओमोटो पार्ट एज ए लैंड होल्डर जो तहसीलदार की है, क्या उसके तहत आप इसको नहीं कर सकते रिवाइज। स्वतः ही आप कर सकते हैं रेवेन्यू बोर्ड की जरूरत नहीं है।

डॉ. हरीसिंह : सरकार इतने दिनों तक डिले कर रही है। दो तीन साल से गांव वाले परेशान हैं। क्या वहां दो चार आदमी मर जायेंगे तब करेंगे। कोई कब्जा करने नहीं आ जाये इसके लिए सारी रात वहां पर लोग लाठी लेकर बैठे रहते हैं। सारे गांव की नींद हराम है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह चाहता हूं कि सरकार उस गलत काम की इन्क्वायरी कराये। दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही कराये। फर्जी ऋण ले लिये, लोगों के फर्जी अलाटमेण्ट हो गये, डाक्यूमेण्ट में काट-छांट हो गयी, तीन साल तक सरकार ने मेरे एप्रोच करने के बावजूद लेण्ड रेवेन्यु मिनिस्टर से एप्रोच, एप्रोच दी कलक्टर, एप्रोच दी एस.डी.एम. पर कुछ नहीं हुआ। अदालत में जाते हैं ए.डी.एम. के यहां खारीज हो जाती है टेक्निकल ग्राउण्ड पर तो वहां 15-20 आदमी मर जायेंगे तब एस.डी. एम. की अदालत में सही फैसला होगा या पहले होगा। आप इस बात की जांच का आश्वासन दें कि जांच करायेंगे। अलाटमेण्ट को कैंसिल करायेंगे। यह आश्वासन चाहता हूं।

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने पहले ही यह आश्वासन दे दिया था जांच कराने का उसमें कहा है। राजस्व रिकार्ड में हेराफेरी और काटा छांटी के लिए....

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने तो ससपेण्ड करने को कहा है। पटवारी ने हेराफेरी की है। आप चाहते हैं कि 145 में कुड़क करा दें, बहुत जल्दी चाहते हैं। इसके अलावा तो कानून कार्यवाही है। लीगल कार्यवाही है। चारागाह है, चारागाह है, (व्यवधान)

श्री गंगाराम चौधरी : हमने एस. डी. ओ. को पाबन्द किया है कि इसमें किसी को काश्त नहीं करने दे।

डा. हरीसिंह : आप अगले सत्र तक इसका फैसला करा दें।

श्री गंगाराम चौधरी : मैं इतना ही कह सकता हूँ कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यु में सेक्शन 9 में करेंगे और तब तक वहां काश्त नहीं करने देंगे । यह बात पहले भी मैंने कही है ।

श्री उपाध्यक्ष : तब तक देखभाल करेगी सरकार । (व्यवधान)

श्री गोपालसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है ।

श्री उपाध्यक्ष : आपका क्या सवाल है ? खण्डेलाजी बोल रहे हैं ।

श्री गोपालसिंह (खण्डेल) : उपाध्यक्ष महोदय यह एक बड़ा गम्भीर मामला है । मंत्री महोदय ने इसको स्वीकार किया है कि इसमें बड़ा घपला हुआ है और घपला हुआ तो एस.डी.एम. अलाटमेण्ट कमेटी का चेयरमैन था और उनके सामने दो गांव हैं एक कालख और गणेशपुरा वो गांव की बात मेरे समझ में आती है लेकिन जब कमेटी को प्रिसाइड एस.डी.ओ. कर रहे थे तो उनके सामने यह स्पष्ट था कि यह कालवाड़ की है गणेशपुरा की नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : 76 का मामला है । बहुत पुराना मामला है । आज का नहीं है ।

श्री गोपालसिंह : हो सकता है वह आदमी सर्विस में होगा । उसके साथ वाले सर्विस में होंगे यह अलग प्रश्न है लेकिन उनकी निजी जानकारी में यह मामला आया था उसके बाद भी यह अलाटमेंट हुआ है । क्या राजस्व मंत्री इस अधिकारी के खिलाफ खासकर इन तत्कालीन एस.डी.ओ. के खिलाफ कार्यवाही करने की कोशिश करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : यह ठीक बात है ।

श्री गंगाराम चौधरी : फैसले के बाद । उपाध्यक्ष महोदय, रेवेन्यु बोर्ड का फैसला हो जाता है उसके बाद कार्यवाही होगी । मैं एक चीज निवेदन करूँगा उपाध्यक्ष महोदय कि 11.9.76 को जो अलाटमेण्ट कमेटी की बैठक हुई उसमें सात आदमी उपस्थित थे । आप बता रहे हैं किसी को मालूम नहीं है एस.डी.ओ. तो उसका चेयरमैन है । उसमें के.के. जैमन एस.डी.ओ. गजराज प्रधान पंचायत समिति, सांभर, भंवरसिंह, तहसीलदार, हरलालसिंह, विकास अधिकारी, गंगाराम, नोमिनेटेड मेम्बर भूराराम, नागा सरपंच है । पंचायत का सरपंच उपस्थित है तो फिर उसने आपत्ति क्यों नहीं की होगी ?

डा. हरीसिंह : सब मिलीभगत है ।

श्री गंगाराम चौधरी : मिलीभगत है तो पब्लिक को करना चाहिए । सरकार को क्या करना है ।

डा. हरीसिंह : आपको यह डाक्यूमेण्ट दिखा रहा हूँ यह बात गलत हुई है । यह खसरा नम्बर गणेशपुरा में दिखाया गया यह गलत है । यह अलाटमेण्ट एव इनिशियों ही गलत है यह देख लीजिए । मेरे पास डाक्यूमेण्ट है । आप जांच करा लीजिए खसरा नम्बर 962 को गणेशपुरा में बताया गया है । एज यूजवल अलाटमेण्ट ही गलत है । पटवारी को निर्देश दिया है कि नामान्तरण खोले उसमें भी जमीन गणेशपुरा की बतायी है । जबकि गणेशपुरा में जमीन

(डा. हरिसिंह)

नहीं है। कितनी बड़ी धांधली है। अलाटमेण्ट कमेटी को यह मालूम नहीं था कि जमीन कौन से गांव में है। अलाटमेण्ट कमेटी मौके पर नहीं गयी। प्रोसीजर फालो नहीं हुआ। एस. डी. एम. निकालता है पटवारी को कि यह नोटिफिकेशन निकालो कि फलां दिन अलाटमेण्ट होगा। ऐसा कोई प्रोसीजर रिकार्ड वहां पर अवेलेबल नहीं है तहसील में। अलाटमेण्ट कमेटी के दस्तखत नहीं हैं। मैंने अलाटमेण्ट का रिकार्ड तहसील में देखा है। वहां एस.डी.एम. के ऊपर दस्तखत हैं अलाटमेण्ट के, नीचे हाजरी पर दस्तखत हैं लेकिन पटिक्यूलर जिस आदमी को अलाटमेण्ट किया है तो एक रजिस्टर होता है उसमें दस्तख्त नहीं हैं। आप मौजूद होने की बात कर रहे हैं। यह सब फर्जीवाड़ा हुआ है। आपने कहा कि इतने आदमी मौजूद थे। यह था वह था वहां किसी के दस्तखत नहीं है। मीटिंग ही नहीं हुई गणेशपुरा में कभी मीटिंग होती तो गांव वालों को ही पता लग जाता। यह बड़ा गम्भीर मामला है। राजस्व मंत्रीजी इसको लाइटली मत लो नहीं तो खून खराबा होगा। उसकी बद्दुआएँ आपको लगेगी। मैं धरना दिलाउंगा आपके यहां।

श्री गंगाराम चौधरी : सरकार ने उपाध्यक्ष महोदय, इसको लाइटली नहीं लिया है। लाइटली तो माननीय सदस्य ने लिया है। किसी अदालत में बराबर पैरवी नहीं हुई। मैंने फैसला पढ़ा है न तो कोई वकील ने ढंग से पैरवी की और न पैरोकार ने पैरवी की जहां पर करना चाहिए उस अदालत में नहीं गये।

श्री उपाध्यक्ष : सारी बात सही है पर अब तो यह सरकार की जानकारी में आ गयी बात। अब आप तुरन्त कोई जांच करके कार्यवाही करायें।

श्री गंगाराम चौधरी : परन्तु रास्ता पहले ही बंद कर दिया अब हमारे सामने तो केवल बोर्ड ऑफ रेवेन्यु का ही रास्ता बचा है।

डा. हरिसिंह : अब आप उसको सरकार के कब्जे में लीजिए।

श्री गंगाराम चौधरी : रिकार्ड पहले ही सरकार के पास कब्जे में है। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : लोग मरेंगे वहां जमीन कब्जे में लो आप।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनिट विराजिये (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : राजस्व मंत्री जी यदि कोई मर गया तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : मरने के लिए वहां जायेगा ही कौन (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज। (व्यवधान)

डा. हरिसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय कितनी गैर जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। लठैत लोग कब्जा करने जायेंगे तो गांव वाले मरेंगे नहीं तो क्या होगा।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : मरने के लिए कहना गैर जिम्मेदाराना नहीं है। रोकने के लिए तो कह रहा हूं...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मन्त्री महोदय, समझ नहीं रहे हैं।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : मैं समझ रहा हूं आपसे भी ज्यादा समझ रहा हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इस प्रकार बोलना बड़ा गैर जिम्मेदाराना है।

श्री परसादीलाल मीणा : आप जैसे पहलवान नहीं हैं वहां गांव में (व्यवधान) आप जैसे बड़े पहलवान नहीं हैं, मूछों वाले, मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करूंगा। (व्यवधान)........

श्री उपाध्यक्ष : आखरी व्यवस्था का उत्तर दे दीजिए। मैं समाप्त करता हूं इसको।

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने पहले ही निवेदन किया कि एस. डी. ओ. ने कह दिया है कि वहां पर कोई काश्त नहीं करे। जान के खतरे वाली बात हो तो पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए।

डा. हरिसिंह : तहसीलों और अदालतों के जरिये तो आप जानते हैं गांव वाले परेशान हो गये हैं। इसलिए तो वह हाई कोर्ट में गये वहां से थोड़ा बहुत रिलीफ मिला सरकार उसकी पुष्टि भी नहीं करना चाहती है।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो सारी बात की ताइद कर रहे हैं। जमीन चारागाह की है। सारी बात रिकार्ड पर कह रहे हैं। कलक्टर ने आदेश दे दिया, हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया आप भी उसी बात की ताइद कर रहे हैं। आपने भी चारागाह रखने के फेवर में सारा उत्तर दिया। आप यह व्यवस्था कर दीजिए कि जो जमीन है उसकी देखभाल की जायेगी। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हो तब तक एस. डी. ओ. अपने पजेशन में रखेगा।

श्री गंगाराम चौधरी : यह आदेश पहले ही दिया जा चुका है। उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में एवं न्यायालय के आदेश दिनांक 24-5-90 की पालना में विवादग्रस्त भूमि का उपयोग चारागाह में होने से आवंटन की क्रियान्विति पर अग्रिम आदेश तक रोक लगायी जाती है। एस. डी. ओ. को कह दिया कि किसी को काश्त नहीं करने देंगे और क्या चाहते हैं ? इसका उपयोग चारागाह में होगा।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक बात है और क्या चाहते हैं। नेक्स्ट प्लीज। (व्यवधान)........

डा. हरिसिंह : सीधी सी बात है माननीय मन्त्री महोदय स्वीकार क्यों नहीं करते हैं कि इसको कम से कम दो महीने में निपटा देंगे।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इसको कमिट करना इसलिए मुश्किल है कि बोर्ड आफ रेवेन्यु में जायेगा। हम 15 दिन में बोर्ड में पेश कर देंगे इतना ही कह सकता हूं। (व्यवधान)

पाली जिले के गांव चौटीला में कुछ प्रभावशाली लोगों को ग्रेनाइट की अवैध रूप से खानों का आवंटन

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर व श्री गुलाबसिंह। पाली जिले के गांव चौटीला में कुछ प्रभावशाली लोगों को ग्रेनाइट की

(श्री उपाध्यक्ष)

अवैध रूप से खानें आवंटित किये जाने की ओर खनिज राज्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाली जिले के गांव चौटीला में लोगों का जीवन खतरे में डालकर प्रभावशाली लोगों द्वारा दो दर्जन के लगभग ग्रेनाइट खानें अवैध रूप से आवंटित करने के सम्बन्ध में खनिज राज्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : खनिज मंत्रीजी ।

श्री कालूलाल गुर्जर (खनिज मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाली जिले में चौटीला गांव के लोगों का जीवन खतरे में डालकर प्रभावशाली लोगों द्वारा दो दर्जन के लगभग ग्रेनाइट की खानें अवैध आवंटित करने के सम्बन्ध में माननीय सदस्यगण ने मेरा ध्यान आकर्षित किया है । इस बारे में जवाब इस प्रकार है । ग्राम चौटीला जिला पाली में खनिज ग्रेनाइट के खनन पट्टों की स्वीकृति हेतु 26 आवेदन पत्र राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 5 के अन्तर्गत सहायक खनिज अभियंता, कार्यालय सोजत में प्रस्तुत हुये । इन आवेदन पत्रों का विवरण परिशिष्ट "अ" में अंकित है । इनमें से 12 आवेदन पत्र खनिज अभियन्ता, सिरोही द्वारा स्वीकृत किये गये जो निम्न व्यक्तियों के हैं—

(1) श्री रूपम मुरड़िया
(2) श्रीमती मंजू मुरड़िया
(3) श्री जसवंतराज
(4) श्री भीमराज
(5) श्री कमल शर्मा
(6) श्री जसवंतराज
(7) श्रीमती बीना काक
(8) श्री सुनील संचेती
(9) श्री विजय सिंह
(10) श्रीमती बीना काक
(11) श्री महेन्द्र कुमार
(12) श्री सुनील कुमार

उक्त स्वीकृत खनन पट्टों में से केवल श्रीमती बीना काक के पक्ष में संविदा निष्पादित हुयी है ।

दिनांक 22–11–1991 को ग्राम चौटीला के निवासियों ने एक शिकायत प्रस्तुत की जिस पर उसी दिन जिला कलक्टर, पाली को यह निर्देश दिये गये कि वस्तु स्थिति की रिपोर्ट करें एवं मौके की यथा–स्थिति बनाये रखें । जिला कलक्टर, पाली ने दिनांक 26-11-1991 एवं दिनांक 12-12-1991 को अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं । दिनांक 26-11-1991 के प्रारम्भिक प्रतिवेदन में जिला कलक्टर ने यह सूचित किया है कि लीज आबादी से 120 मीटर के लगभग दूर है । इसलिये छह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये । जिला कलक्टर, पाली ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 12-12-1991 के द्वारा यह सूचित किया है कि सम्बन्धित भूमि सम्वत् 2021 के राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन आबादी दर्ज है इस कारण उनके द्वारा छह अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त किये गये हैं जो पूर्व में जिला कलक्टर, पाली द्वारा ही जारी किये गये थे । जिला कलक्टर ने अपने प्रतिवेदन में यह अंकित किया है कि सचिव, खान विभाग द्वारा जांच आदेश

(श्री कालूलाल गुर्जर)

के कारण उन्होंने तहसीलदार एवं उप खण्ड अधिकारी को पुनः जांच हेतु भेजा, जिन्होंने जांच करने के बाद यह रिपोर्ट की कि खनन कार्य करने से आबादी प्रभावित हो सकती है इसलिये उक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त किये गये।

इसके अतिरिक्त विभाग के अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता) जयपुर को भी मौके पर वस्तु स्थिति ज्ञात करने हेतु भिजवाया जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 20-2-1991 को प्रस्तुत की जिसके अनुसार सम्बन्धित क्षेत्र गैर मुमकिन आबादी होने के कारण उक्त खनन पट्टे राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 4 (5) के प्रतिकूल है। वर्तमान में शासन द्वारा स्थगन जारी किया हुआ है। अतः मौके पर कोई खनन कार्य नहीं हो रहा है। इस मामले में राजस्व विभाग से रिकार्ड व नक्शे के बारे में रिपोर्ट मांगी गयी है। जिसके प्राप्त होते ही अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावर ?

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाली जिला कलक्टर ने दो प्रकार के आदेश दिये। एक बार तो यह आदेश दिया कि 120 मीटर दूरी है इसलिये इसको एन. ओ. सी. दी जा सकती है। दूसरा आदेश वह देते हैं कि यह एन. ओ. सी. नहीं दी जा सकती क्योंकि आबादी को खतरा है। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 26·11 को जिस कलक्टर ने आदेश दिये उनका नाम क्या था ? उसके बाद दूसरा जब आदेश दिया गया निरस्त करने का उनका नाम क्या था जिला कलक्टर का ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि जब पहले 26·11 को जिला कलक्टर ने आदेश दिया तो क्या उस समय यह पता नहीं था कि आबादी के पास यह जमीन है ? क्या उनको यह भी पता नहीं था कि यह पहाड़ी के ऊपर जमीन है जहां पर कोई ग्रैनाइट का आधार नहीं है ? क्या उनको यह भी पता नहीं था कि शीतला माता का मन्दिर वहां है ? क्या जिला कलक्टर को यह भी पता नहीं था कि यह एक बहुत बड़ी गुफा है जिसमें एक साधु अभी रहता है। क्या खनन करने से उनको नुकसान नहीं होता और फिर पत्थर लुढ़क कर आते हैं तो सारे गांव वालों के मकानों पर पड़ते, वह मर जाते, यह भी जानकारी नहीं थी ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय. इस प्रकार से मैं यह भी पूछना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी से कि जो 26 आवेदन दिये हैं। तो यह कितने परिवारों के लोग हैं ? इसमें ऐसा लगता है कि दो-तीन परिवार हैं जो कांग्रेस से सम्बन्ध रखते हैं। क्या बीना काक जो पहले कांग्रेस की मंत्री थी जिन्होंने इस प्रकार से भ्रष्टाचार फैलाकर, लोगों पर दबाव डालकर अनैतिक तरीके से इस प्रकार से आवंटन कराया और उस चौटीला गांव के लोगों को मरने के लिये मजबूर कर दिया। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं आप इसका जवाब दें।

श्री बिरधाराम चौधरी : नाम ले रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नाम आया है इसलिये है। ऐसा कोई आरोप नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह सदन की मेम्बर नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : रिपोर्ट में आया उसका उत्तर दे रहे हैं उसमें और कुछ भी नहीं है ।

श्री बिरधाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व मन्त्री नामजद पुकार रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये । उनका नाम है आवंटन में इसलिये बोल रहे हैं । बाकी कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं ।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित (सुमेरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मंत्रीजी ने अपने वक्तव्य में यह बात बतायी कि यह जो खनिजों का आवंटन हुआ और उसमें चौटीला ग्रामवासियों ने शिकायत की उसके बाद कलक्टर को निर्देश दिये, कलक्टर ने जांच की, एन. ओ. सी. निरस्त की फिर तहसीलदार, एस. डी. ओ. ने जांच की । उन्होंने भी नियमों के विपरीत पाया उसके बाद उनके अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता) विभाग ने भी नियमों के विपरीत पाया । मैं पूछना चाहता हूं । माननीय मन्त्रीजी कि गांव वालों ने शिकायत की और गांवों ने शिकायत नहीं भी की होती तो क्या आपके विभाग की यह ड्यूटी नहीं बनती थी कि वह मौके पर जाते वहां पर स्थिति को देखते, वहां पर लीज दिया जाना उचित है या नहीं वह सारा देखकर लीज देते । आपके ई. एम. ओ सोजत बैठते हैं वह गये होंगे । सर्वेयर गया होगा ? उन्होंने अपनी रिपोर्ट सिरोही के अभियन्ता को दी होगी ?उन्होंने उस आधार पर लीज सेंक्शन की है और उसके बाद गांव वालों ने शिकायत कर दी । अभी जैसा कि अटरू से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि चौटीला गांव की पहाड़ी है उसके तीन ओर गांव बसा हुआ है उसमें एक बहुत अच्छी गुफा है जिसमें एक साधु रहता है लोग उसके दर्शन करने के लिये जाते हैं और वहां पर जो पत्थर है वह बिल्कुल पहले से ही इस तरह से गोल हुये हैं अगर नजदीक जाकर देखे तो महसूस होता है कि यह अभी गिरे, यह अभी गिरे, लेकिन पहाड़ी अच्छी है सुबाहनी है, लोग इसको देखने चार्म से जाते हैं । उसमें अगर खनन कार्य होता है तो वहां पर पत्थर लुढक कर गांव वालों पर नहीं गिरेंगे क्या, वहां पर जन हानि नहीं होगी ? इस सारी बात को नजर अन्दाज करके लीज दे दी और फिर जैसा कि यह अभी बताया कि कलक्टर ने एन. ओ. सी. जारी की । क्या कलक्टर वहां मौके पर गये बिना ही एन. ओ. सी. जारी कर दी ? उन्होंने मौका देखा ही नहीं और बिना मौके पर गये आफिस में बैठकर कागजी कार्यवाही में दे दी ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : उनके नाम तो बता दो ।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : आपने 12 के नाम बताये, 26 आवेदन पत्र आपके पास आये । 12 को आपने लीज सैंक्शन की, दो का आपने एग्रीमेण्ट किया । जो 14 के नाम है वह आपने नहीं बताये........

एक माननीय सदस्य : सूची दी है ।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : सूची मेरे पास तो नहीं आयी । यह जो लोग हैं यह

(श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित)

कांग्रेस के प्रभावशाली लोग हैं। इन्होंने अपने प्रभाव से या अनैतिक तरीके से जैसा नियमों के प्रतिकूल माना है। तो नियमों के प्रतिकूल तो कोई अनैतिक या अव्यवहारिक तरीका ही अपनाया होगा तब उनको यह सेंक्शन दे दी। इसलिये मेरा निवेदन है। आपने यह नहीं बताया कि ग्रामीणों ने शिकायत किसको की और किसने डिटेल्स किसको दिये और अभी तक स्टे है.......

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : इसमें कांग्रेसी, नान कांग्रेसी का सवाल कहां से पैदा होता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय आप बिराजें।

श्री गुलाब सिंह राजपुरोहित : गलत थोड़े ही कहा है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : मैं इसलिये बोल रहा हूं कि आप कांग्रेस और नान कांग्रेस की बात कर रहे हैं (व्यवधान)।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : मैं पाली जिले की बात कर रहा हूं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : एन. ओ. सी. दे दी फिर उसमें कांग्रेस का नाम, यह क्या सवाल है। यह तो हर एक को राइट है एप्लाई करने का।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय इन्दौराजी बिराजें।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये कह रहा हूं कि कलक्टर ने एन. ओ. सी. को निरस्त किया है, इनके अभियन्ताओं ने माना है कि यह सब प्रतिकूल हुआ है, एस. डी. ओ., तहसीलदार ने भी माना है कि यह गलत हुआ है। इसलिये मैं कह रहा हूं कि उन्होंने अपने प्रभाव से या अव्यवहारिक तरीके से वहां के अधिकारियों से मिलकर या उच्च अधिकारियों से मिलकर जैसे भी हुआ है यह गलत हुआ है। कृपया इसे स्टे नहीं दें और इसको निरस्त करें और जिस अधिकारी ने कोताही बरती है उसके विरुद्ध जांच करें, शीघ्र एक्शन लें। यह मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजाद।

(2·00 म. प.)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाल इस बात का नहीं है, केसरीसिंहपुर से आने वाले माननीय सदस्य आपत्ति कर रहे थे। यह सवाल कांग्रेस और बी. जे. पी. का नहीं है। यह अगर चाहते कि बीना काक की कैन्सिल करके तारा भण्डारी को दे देते तब तो सवाल फिर भी राजनीति का होता। यह सवाल तो है नहीं। सवाल यह है कि इसमें मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी पूछना चाहूंगा यह जो 12 आदमियों की सूची उपलब्ध कराई है उसके क्रमांक 7 पर तो लिखा है श्री बीना काक पुत्री श्री आर. भसीन और इसी पर क्रमांक नं. 10 पर श्रीमती हो गई, श्रीमती बीना काक धर्मपत्नी श्री भरत काक........

एक माननीय सदस्य : दूसरी होगी....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अगर यह दो अलग-अलग हैं तो बताएं....(व्यवधान)....इसलिए मैलाफाइड इन्टेशन और बदनीयती तो पहले से ही साबित हो गई मैं आपको यह कहना चाहता हूं....

श्रीमती तारा भण्डारी : सेम ही है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि 120 मीटर की दूरी कितनी-सी होती है और उस पहाड़ी के तीनों तरफ आबादी है, घनी आबादी है यह भी नहीं कोई एक-दो चार मकान बन रहे हों उस वक्त एन.ओ.सी. देते वक्त यह दिखा नहीं। उसका नक्शा साथ में था कि इसमें गुफा भी है, इसमें मन्दिर भी है, इसके तीनों तरफ रिहायशी मकान हैं, लोग रह रहे हैं, अगर उसमें ब्लास्टिंग होगी तो पत्थर लोगों के मकानों में जाकर पड़ेंगे, उससे लोगों का जीवन खतरे में पड़ेगा। यह सारी स्थिति थी इसके बावजूद इसका अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया वह बिल्कुल गलत किया गया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि आज तो आपने यह बता दिया कि कोई खनन कार्य नहीं हो रहा है और उसको रोक दिया गया है लेकिन यह उसका कोई इलाज नहीं होता। जो यह एक बीमारी पैदा हुई है गलत, अनैतिक और नियम विरुद्ध काम हुआ उस काम को किस अधिकारी ने किया, कौन उसके लिए दोषी है, उसके खिलाफ आपने अब तक क्या कार्यवाही की, अगर की है तो आप बताएं और यदि नहीं की तो आप आगे क्या करने जा रहे हैं ? हमारे कहने का तात्पर्य यह है। हम आपके माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहते हैं कि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो पाये, लोगों का आगे जीवन संकट में नहीं पड़े और इस तरीके के अनैतिक और अवैध कार्य नहीं हों।

दूसरा मैं आपके माध्यम से यह और कहना चाहूंगा कि जब लोगों ने शिकायत कर दी, आपने इसमें लिखा है कि दिनांक 22.11.91 को ग्राम चौटीला के निवासियों ने एक शिकायत प्रस्तुत की। शिकायत प्रस्तुत किसको की, महामहिम राज्यपाल को, मुख्य मंत्रीजी को की या खनिज मंत्री को की, कलक्टर को की या माइनिंग सैक्रेट्री को की। इस तरीके का गोलमोल जवाब देकर आप सदन को गुमराह करते हैं। आप वस्तुस्थिति से कृपया हमको अवगत करायें किस अधिकारी के समक्ष शिकायत की, गांव वालों ने शिकायत की उस पर आपने क्या एक्शन लिया और अब तक उस पर क्या कार्यवाही हो गई और आगे आप क्या करने जा रहे हैं ? कृपया यह बतायें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीया तारा भंडारी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकरण में सरकार की ओर से दिये गये जवाब की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, सरकार ने कहा है कि हमें 26 आवेदन मिले, 26 लोगों में से 12 लोगों को सलेक्ट किया गया। 12 में से 6 लोगों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र मिले और 6 में से केवल 1 श्रीमती बीना काक के नाम एग्रीमेन्ट हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, स्पष्ट है कि श्रीमती बीना काक पूर्व सरकार में राज्य मंत्री थीं। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और अपने प्रभाव का उपयोग करके यह लीज प्राप्त की, यह स्पष्ट है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगी।

श्री उपाध्यक्ष : कौनसी तारीख को की ? (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : आप शान्त रहो, सब पूछेंगे। अभी शान्ति रखो, सारे मामले सामने आएंगे।

श्री हीरालाल इन्दौरा : घपले किये हैं वह भी सामने आयेंगे...

श्री उपाध्यक्ष : हीरालालजी विराजे, तारीख बता रहे हैं।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : माननीय उपाध्यक्ष महोदय + + +(व्यवधान)।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, हम जन-प्रतिनिधि हैं।

श्री उपाध्यक्ष : दिलावर जी आप क्या चाहते हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि श्रीमती बीना काक इस समय सदन की सदस्या नहीं है और हमारे यहां प्रक्रिया के नियमों में है कि जो सदन का सदस्य नहीं है उसको हम किसी प्रकार से यहां आरोपित न करें।

श्रीमती तारा भण्डारी : नाम व वक्तव्य में है।

श्री उपाध्यक्ष : उनके नाम अलाटमेन्ट है, उनका नाम लिया जायेगा रैफरेन्स है खाली।

श्री टीकमचन्द कान्त : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकारी जवाब है....

श्री उपाध्यक्ष : मैं इसको स्वीकार करने में असमर्थ हूं, विराजें आप। किसी के नाम का अलाटमेन्ट होगा उसका नाम जायेगा।

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, यह आना चाहिये सरकार को पूछा जा रहा है (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष : श्री इन्दौरा साहब, विराजे।

श्री बिरधाराम चौधरी : यह कह रहे हैं कि मंत्री होते हुए पद का दुरुपयोग हुआ। यह कहते हैं व्यक्तिगत बात तो दूसरी थी, आरोप लगा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह तथ्य आ जायेगा सामने। आप बैठो तो सही, तथ्य सामने आ रहा है....

श्री हरिसिंह (महुआ) : तो फिर बाकी क्या रह जायेगा अगर सदन के सामने आ जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : तारीख बता रहे हैं।

श्री टीकमचंद कान्त : उस समय की कांग्रेस सरकार ने दुरुपयोग किया है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यह गलत लोगों को डिफेण्ड करने की आपकी आदत क्यों बढ़ रही है ? जो काम गलत है, गलत है।

श्री बिरधाराम चौधरी : प्रक्रिया के नियम हैं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस कलक्टर को यह अधिकार दिया उसको यह अधिकार का दायित्व निभाना चाहिए। कलक्टर के लड़के को भी अलाट-

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

मेन्ट हुआ है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष : गुलाबसिंह जी बिराजें, तारा जी बोल रही हैं।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : बोल लिया, फिर आप क्या चाह रहे हैं ?

श्री सुनील कुमार विश्नोई : यह कहा है कि मंत्री पद का दुरुपयोग किया है पहले यह बता दीजिये।

श्रीमती तारा भण्डारी : यह दुरुपयोग नहीं है तो क्या है ?

श्री सुनील कुमार विश्नोई : यह अलाटमेन्ट कब हुआ ?

श्रीमती तारा भण्डारी : 12 लोगों में से 1 के साथ एग्रीमेन्ट किया है यह दुरुपयोग नहीं तो क्या है (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष : वह बता रहे हैं, टाइम तो दीजिये। बिराजें। अलाटमेन्ट की तारीख बता देंगे।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माइनिंग लीज के लिए पार्टीज ने एप्लाई किया एन. ओ. सीज.कब अवेलेबल हुई और गांव की शिकायतें कब आई ?

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक सूचना देनी है।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, पहले उनको बोलने दीजिये।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, हम जन-प्रतिनिधि हैं। हम लोग जो भी आचरण करते हैं उसको सारा राजस्थान देखता है और हमारे ही आचरण पर जनता चलने की राह पकड़ती है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्य जो पूर्व मंत्री के हिमायती खड़े हुए हैं मैं उनको भी कहना चाहूंगी कि जो भी काम गलत हुआ है उसको गलत सुनने की क्षमता रखें और उसे गलत करार देने की भी क्षमता रखें...(व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले में....

श्री हीरालाल इन्दौरा : आपने खुद ने ऐसा काम किया होगा आज भी मैं लेता हूं जिम्मेदारी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सीधा लगाइये, माननीय सदस्य मौजूद हैं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : मैं था, माइन्स मिनिस्टर था, जो एप्लीकेशन्स आयीं उनको जांचा गया, सर्वे कराया गया, एन.ओ.सी. आई और जिसका हक था उसको अलाट कर दिया गया।

श्री कालीचरण सराफ : एक ही व्यक्ति से एग्रीमेन्ट हुआ।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, 26 में से 12 का सलेक्शन किया गया है पहली बात, 12 में से 6 को एन.ओ.सी. मिली है, दूसरी बात और 6 में से एक का एग्रीमेन्ट हुआ है यह गौर

(श्रीमती तारा भण्डारी)

करने वाली बात है। मेरा एक सवाल है इसमें। माननीय सदस्यों को अगर तकलीफ होती हो।

श्री उपाध्यक्ष : आप आसन से बात कीजिए।

श्रीमती तारा भंडारी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा एक स्पेसिफिक सवाल है कि श्रीमती बीना काक के पक्ष में खनिज विभाग ने जो संविदा निष्पादित की वह कब और किस तारीख को की? नम्बर एक। दूसरा मेरा सवाल है कि क्या एग्रीमेन्ट होने के बाद श्रीमती काक ने उस खान में खनन कार्य किया? यदि हां, तो कब से कब तक?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय खनिज मंत्री जी।

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना देना चाह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इसी सम्बन्ध में है?

श्री हेतराम बेनीवाल : इसी सम्बन्ध में। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय खनन मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि इस लिस्ट में एक नाम है कमल श्रे शर्मा। तत्कालीन जो वहां के कलक्टर यह उनके सुपुत्र हैं। अगर वाकई यह उनके सुपुत्र हैं और उनको अलाट कर दी है तो यह सारा मामला बड़ा संदिग्ध है कि कलक्टर अलाटमेन्ट करने वाला, अपने लड़के को करने वाला, मंत्री को करने वाला, एन.ओ.सी. देने वाला। एन.ओ. सी. का मतलब तीन जगह एन.ओ.सी मिली है एन.ओ.सी. उसने दे दी, उसने फोरेस्ट से दिलवा दी अपने पुत्र की जमीन के लिए। यह भी सही है कि वहां का वासी नहीं था। यह मामला बड़ा सीरियस है। माननीय खनिज मंत्री जी बताएं कि क्या इसकी इन्क्वायरी करके उस तत्कालीन कलक्टर के खिलाफ, जो आज भी राज्य सरकार की नौकरी में है, कोई एक्शन ले लें?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक पाइण्ट पर स्पष्टीकरण कर देऊं कि कमल शर्मा दामोदर शर्मा के लड़के नहीं हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : उनके कोई रिश्तेदारी भी नहीं हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिसने एन.ओ. सी दी है, वे शिड्यूल्ड कास्ट के हैं और ये शर्मा है। इसलिए वह तो आप जो कह रहे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल कलक्टर कौन था उस समय?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नेता महोदय क्या बोल गये हम सुन नहीं पाये?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह सुन लीजिये फिर कि कमल शर्मा ब्राह्मण हैं। और जिस कलक्टर ने एन.ओ.सी. दी है वे शिड्यूल्ड कास्ट के हैं। लड़के का नाम हैं कमल शर्मा और कलक्टर का नाम है तपेश कुमार।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय खनिज मंत्री।

श्री हेतराम बेनीवाल : दामोदर शर्मा के लड़के नहीं हैं कमल शर्मा, जो उस वक्त वहां कलक्टर रहे हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एन.ओ.सी. उन्होंने नहीं दिया ।

श्री हेतराम बेनीवाल : एन.ओ.सी. उन्होंने नहीं दिया तो कोई शर्मा से दिलवा दिया । एक आई.ए.एस. अफसर के लड़के हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आई.ए.एस. अफ़सर का लड़का नहीं है कमल शर्मा ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : कमल शर्मा किसका लड़का है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कमल शर्मा से पूछना पड़ेगा या आप से पूछना पड़ेगा ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय खनिज मंत्री बताएं कि कमल शर्मा किसके लड़के हैं ? और क्या ये सरकारी अधिकारी के लड़के नहीं हैं कमल शर्मा ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : कमल शर्मा की वल्दियत तो लिख रही होगी, क्या लिख रही है ?

श्री उपाध्यक्ष : आ जायेगी पूछ लो उनसे!

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : पूछ रहे हैं । आपके माध्यम से ही तो पूछेंगे । एप्लीकेशन दी जाती है तो एप्लीकैण्ट का नाम, पिता का नाम, पता—यह तो लिखा होता है ।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप । उत्तर आने दीजिये इन सारी बातों का ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : इसकी वल्दियत क्या लिख रही है, यह बता दें ।

श्री उपाध्यक्ष : बता देंगे अभी । आप क्या कह रहे हैं, सुरेन्द्र जी ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मुख्य मंत्रीजी ने ऐसे कैसे कह दिया ? उसकी वल्दियत लिखी हुई है, वल्दियत बतानी चाहिए कि कमल शर्मा की वल्दियत क्या है । ऐसे कैसे मुख्य मंत्री जी ने कह दिया ? पूछना पड़ेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी जो कुछ कहते हैं मैं जानता हूं जहां तक, सही तथ्यों से अवगत होकर बोलते हैं । कभी ऐसी बात नहीं कहते ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह तो तथ्यों से बिना अवगत हुए बोले हैं, मुख्य मंत्री जी ।

श्री उपाध्यक्ष : न, न गलत है ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बिल्कुल । बिना अवगत हुए है । मुख्य मंत्री जी को कोई अधिकार नहीं है सदन में यह कहने का कि मुझे वल्दियत पूछनी पड़ेगी । आपको वल्दियत बतानी पड़ेगी ।

श्री रामकरण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी है कि वे तपेश कुमार के लड़के हैं और ब्राह्मण लड़की से शादी की वजह से शर्मा लगाते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप । आप क्या पूछ रहे हैं, गोयल साहब? (व्यवधान).... आ रहा है । उत्तर तो आने दीजिए उनका ।

डा. चन्द्रभान : मुख्य मंत्री जी, एक मिनट ।

श्री उपाध्यक्ष : खनिज मंत्री जी से उत्तर आने दें उसके बाद बात करो आप ।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने यह बात कही कि लड़के का सरनेम ब्राह्मण है इसलिए शिड्यूल्ड कास्ट नहीं हो सकता । इनका सरनेम गोयल है और ये कुमावत हैं । यह कोई जरूरी है ? कमल शर्मा किसके लड़के हैं ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप तो इसकी वल्दियत क्या लिख रही हैं, यह बता दें ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : सवाल यह है कि खनिज मन्त्री जी उसकी वल्दियत क्यों छिपाना चाहते हैं ? क्यों नहीं खनिज मंत्री यह बताते कि कमल शर्मा के पिता का नाम क्या है ? खनिज मन्त्री इस बात को छिपा क्यों रहे हैं कि कमल शर्मा के पिताजी क्या हैं ? वे सरकारी अधिकारी हैं या नहीं ? यह मैलाफाइड इण्टेंशन सिद्ध करने के लिए जरूरी है कि इसमें कौन-कौन इन्वाल्व्ड है ।

श्री उपाध्यक्ष : वे रिकार्ड से बता देंगे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार के तथ्य यहां अभी बताये हैं, ये मेरे सामने पहले आ चुके हैं । मैंने इसकी इन्क्वायरी शुरु करवा दी है, राजस्व सचिव इसकी इन्क्वायरी कर रहे हैं । दो इश्यू इसमें हैं । आबादी की जमीन में इस प्रकार का एन. ओ. सी. किस प्रकार दिया गया, यह पहला इश्यू है । दूसरा, मैंने फिर कहा है कि एन. ओ. सी. मिल गया जो मिलना नहीं चाहिए था । उसके कारण एक बीना काक को निष्पादन कर दिया गया पट्टा वगैरह । उसको कैंसल किया जा सकता है या नहीं, इस सम्बन्ध में जानकारी करके गलत अलाटमैण्ट हुआ है तो कैंसल कर दिया जाएगा ।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक । अब कोई सवाल नहीं रहता । प्लीज । (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल : आबादी भूमि के पास कितनी जमीन छोड़कर.... ।

श्री उपाध्यक्ष : सारी बातें आ गई हैं । मैं अलाउ नहीं करूंगा । याचिकाओं का उपस्थापन । श्री मोहम्मद माहिर आजाद ।

श्री मदन दिलावर : सदन के सामने आना चाहिए कि लोग कौन-कौन हैं.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या चाहते हैं, दिलावर जी ? उत्तर आ चुका है।(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : दरख्वास्तें आ गयीं, ये नीरू मिश्रा कौन है ?

श्री उपाध्यक्ष : इससे ज्यादा कोई उत्तर आ नहीं सकता ।....(व्यवधान).... मैं अलाऊ नहीं करूंगा ।

डा. चन्द्रभान : आप मत कीजिए अलाउ लेकिन आप उसके पिता श्री का नाम बता दीजिए, बस हम इतना ही चाहते हैं । वह आप फिर छिपा गये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको इतना

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बता देऊं कि मुझे इस समय तो जानकारी नहीं है। रिकार्ड में इनके पास होगी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : तो मन्त्री जी को बताने दें, साहब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें छिपाने में कौनसा बड़ा रहस्य है। अगर कलेक्टर का लड़का है, रिश्तेदार है और कलेक्टर ने रिश्तेदारी के कारण एन. ओ. सी. दिलाई है तो मैं एक्शन लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : सारी बातें आ गई हैं। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। माननीय माहिर आजाद।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं झुंझुनूं जिले की देरवाला रघुनाथपुरा तक स्वीकृत सड़क को बनाये जाने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिला बूंदी के ग्राम देई की अनुसूचित जाति की बस्ती इन्दिरा रैगरान कालोनी, देई में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जाने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। माननीय श्री कुन्दनलाल जी मिगलानी प्रस्ताव करेंगे। माननीय श्री लालचन्द जी डूडी।

डा. चन्द्रभान : व्यवस्था का सवाल है। आपने नाम पुकार लिया और मन्त्रीजी नहीं हैं मौजूद।

श्री उपाध्यक्ष : आ जाएँगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मन्त्री नदारद हैं आपके। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : यह बहुत गैरजिम्मेदाराना बात है। समाज कल्याण मंत्री का आपने नाम पुकार लिया।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह इस सदन में दूसरी घटना है।

श्री हेतराम बेनीवाल : आप हाउस की व्यवस्था रखिये।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे पास दो प्रस्ताव हैं।

डा. चन्द्रभान : पहले खनिज राज्य मंत्री मौजूद नहीं थे और आज समाज कल्याण मंत्री मौजूद नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये अब तो आप।

श्री हेतराम बेनीवाल : हाउस की व्यवस्था दें दुबारा रखा जाएगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जो डिमाण्ड मूव करेगा जवाब भी वही देगा, यह परम्परा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा नहीं है कहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वेसर्वा हैं, ऐसा कर सकते हैं।

श्री सुमित्रा सिंह : जवाब देंगे मुख्य-

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

मंत्री जी ? ठीक है। करिये मूव। जवाब आपको देना है तो मूव कर दीजिए।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : क्या यह विभाग आपने ले लिया अपने पास ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जवाब आपको देना पड़ेगा, नेता महोदय जवाब आपको देना पड़ेगा।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो गलत है। आपने शुरू कर दिया। यह प्रक्रिया समझ में आई नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : जब तक प्रस्ताव नहीं किया गया उस समय तक मन्त्री जी हाजिर हैं। इस समय मंत्री हाजिर हैं। जब तक आप बोलने का मौका नहीं दे रहे थे, आपने बोलने का मौका दिया नहीं। अब माननीय मंत्री महोदय, प्रस्ताव कीजिए।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पहले ताड़ना दीजिए सदन में।

डा. चन्द्रभान : मन्त्री महोदय पहले सदन में माफी मांगें। इसके बाद ही इनको पढ़ने दिया जाय। पहले आप इनको प्रताड़ना दीजिए कि सदन से माफी मांगें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पहले मन्त्री को ताड़ना दीजिए।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : उपाध्यक्ष महोदय, क्षमा चाहूंगा। मैं इस प्रस्ताव को लेने के लिए गया था, इसलिए थोड़ी बाधा पड़ गई।

श्री उपाध्यक्ष : इट इज सफीशिएण्ट। हां, अब बोलिये आप।

आय–व्ययक 1992–93

अनुदान की मांगें

मांग संख्या 33–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की प्रस्तुति

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : (समाज कल्याण राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 33–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 85 करोड़ 29 लाख 36 लाख 29 हजार तक की राशि प्रदान की जाय।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : दुबारा, अंकों में हेराफेरी हो गई।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अपने मन्त्रियों का नमूना देखो।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : रुपए 85 करोड़ 36 लाख 19 हजार तक की राशि प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री लालचन्द डूडी।

मांग संख्या 9–वन की प्रस्तुति

श्री लाल चन्द डूडी : उपाध्यक्ष महो-

(श्री लाल चन्द डूडी)

दय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 9–वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 73 करोड़ 38 लाख 90 हजार तक की राशि प्रदान की जाय।

मांग संख्या 33 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 33 मुख्य शीर्षक सामाजिक, सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय;

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) :

1. सवाई माधोपुर में चलाये जा रहे सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के कार्यक्रमों में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चन्दन मल बैद (तारा नगर) :

2. राज्य में सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के नये कार्यक्रम प्रारम्भ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची) :

3. अनुसूचित जाति व जन जाति के लाभार्थ खर्च किये जाने वाली राशि का लाभ बिचौलियों द्वारा उठाये जाने को, रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

4. मारवाड़ जंक्शन में अनुसूचित जाति के लिये निर्मित अधूरा छात्रावास पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) :

5. जिला उदयपुर के खैरवाड़ा में अनुसूचित जन जाति के छात्रों के लिए छात्रावास खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

6. तहसील क्षेत्र खैरवाड़ा में विभिन्न छात्रावासों के भवनों की जीर्ण-शीर्ण व्यवस्था को ठीक करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

7. प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धित योजनाओं की क्रियान्विति में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री घासीलाल (टोडारायसिंह) :

8. प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यों में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) :

9. डूंगरपुर जिले के जन जाति के लोगों की सामाजिक सुरक्षा व कल्याण योजनाओं को कारगर बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपलदा) :

10. प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के मौहल्लों में आवास, पानी, बिजली, सफाई, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा आदि की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में विभागीय पहल की आवश्यता पर चर्चा के लिये।

11. अनुसूचित जाति एवं जन जाति के छात्रावासों में आवास, भोजन, वस्त्र, बिस्तर, बर्तन, पुस्तकें, फीस तथा स्टेशनरी हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

12. अनुसूचित जाति एवं जन जाति

(श्री हीरालाल आर्य)

हेतु आरक्षित पदों के बेकलॉग को विशेष नियुक्ति अभियान चलाकर भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. अनुसूचित जाति एवं जन जाति के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु और अधिक कारगर प्रयत्न किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. अनुसूचित जाति एवं जन जाति के छात्रों को देय छात्रवृत्ति में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) :

15. महिला छात्रावास के निर्माण हेतु भी इस विभाग से अनुदान दिये जाने के प्रावधान पर चर्चा के लिये।

16. सभी तहसील मुख्यालयों पर राजकीय समाज कल्याण छात्रावास प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती रमा पायलट (हिण्डौली) :

17. बून्दी जिले में सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के नये कार्यक्रम चालू करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

18. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के बारे में जन–हित की दृष्टि से कारगर प्रयत्न करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. भीलवाड़ा जिले में कमजोर वर्गों के उत्थान की विशेष योजना बनाकर राहत देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. भीलवाड़ा जिले में कमजोर एवं निर्धन वर्गों पर होने वाले अत्याचारों की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. राज्य के असहाय एवं कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को रोजगार मुहैया कराने के समुचित प्रबन्ध करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. अनुसूचित जाति के भीलवाड़ा स्थित भूमिहीन तथा गृहहीन लोगों को रहवासी भूमि मुहैया कराने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती मदन कौर (गुढ़ामालानी) :

23. वृद्धों के आवास, भोजन, स्वास्थ्य सेवा एवं मनोरंजन की एक ही स्थान पर कीमत न व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. सामाजिक सुधार एवं कल्याण में महिलाओं की शिकायतें सुनने एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में सुधार और सुझाव हेतु महिला कल्याण समिति के गठन पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मी लाल (आसीन्द) :

25. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के बेरोजगार व्यक्तियों के लिये स्वरोजगार योजनायें शुरु करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) :

26. सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (गंजपुरग्रामीण) :

27. महिला कैदियों की स्थिति में आवश्यक सुधार कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. जन जाति व अनुसूचित जाति के छात्रों को बढ़ती महंगाई के अनुसार और अधिक छात्रवृत्ति बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. वृद्धावस्था पेन्शन की उम्र 70 से घटाकर 55 किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजराज मीणा (दीगोद) :

30. कोटा जिले के सुल्तानपुर कस्बे में अनुसूचित जाति, जन जाति छात्रावास के किराये के भवन के स्थान पर विभाग द्वारा निजी भवन प्राथमिकता के आधार पर निर्माण करने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. कोटा जिले के सांगोद कस्बे में निर्माणाधीन समाज कल्याण के छात्रावास के निर्माण में काफी विलम्ब होने से उत्पन्न जनाक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खां (रामगढ़) :

32. अल्पसंख्यक को समुचित रूप से सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहने पर भी अल्पसंख्यक बोर्ड को दी जाने वाली सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा) :

33. अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण हेतु चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों को सुचारु रूप से चलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) :

34. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों पर हो रहे अत्याचारों में वृद्धि को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) :

35. झुंझुनू जिले के सभी कस्बों में समाज कल्याण विभाग के छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेतराम बेनीवाल (सांगरिया) :

36. गंगानगर में विभागीय अधिकारी द्वारा छात्रों को होस्टलों में दिये जाने वाले भोजन, कपड़े व अन्य सुविधाओं की शिकायतों पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं होने पर चर्चा के लिये।

37. विभाग द्वारा पिछले वर्षों में की गई जाँच पर कार्यवाही न करके लीपा-पोती करने पर चर्चा के लिये।

38. गंगानगर जिले में विभाग द्वारा चलाये जाने वाले केन्द्रों की देखभाल सुचारु रूप से नहीं होने तथा किये जाने वाले खर्चों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

39. सादुलशहर के समाज कल्याण छात्रावास में सुचारु प्रबन्ध न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल (परबतसर) :

40. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के छात्र/छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि में बढ़ोतरी नहीं करने से छात्रों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

41. जिला नागौर में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृति की राशि का भुगतान समय-समय पर नहीं करने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये ।

42. राजकीय छात्रावासों में अधीक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री ईश्वर लाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) :

43. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (अलवर) जनजाति बाहुल्य क्षेत्र होते हुये भी छात्रावास नहीं खोलने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

44. अलवर में समाज कल्याण विभाग की ओर से चलाये जा रहे छात्रावास की भोजन व अन्य अव्यवस्थाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री टीकमचन्द कांत (रेवदर) :

45. प्रदेश में अनुसूचित जाति के साथ हो रहे भेदभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) :

46. सामाजिक समानता बनाई जाने के लिये धार्मिक उत्सवों, धार्मिक स्थानों, मंदिरों, सामाजिक पर्वों में अनुसूचित जाति के लोगों को योजनानुसार शामिल कर सामाजिक सौहार्द बनाया जाने में विभाग के विशेष प्रयासों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

47. राजस्थान अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम के सलाहकार बोर्ड को अधिकारियों से मुक्त करवाकर चुनाव कराने एवं सही मायने में नियम के उद्देश्यों को पूरा करने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये ।

48. अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति के लिये निर्धारित आरक्षण कोटे को पूरा नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

49. समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में वर्षों पुराने बेकार सामान के स्थान पर नया सामान खरीदने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री नन्द किशोर शर्मा (छबड़ा) :

50. पिछड़े व गरीबों के कल्याण की योजनाओं को गरीबों की आवश्यकता से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री फूलचन्द मीणा (सलूम्बर) :

51. सलूम्बर की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति की बस्ती में दैनिक आवश्यकता की समुचित सुविधायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

52. सलूम्बर क्षेत्र में गिगला, विडावल में नये छात्रावास सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर) :

53. बीकानेर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति और घुमन्तु जाति के निराश्रित वृद्धों की देखभाल हेतु निःशुल्क व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के के लिये ।

54. भिक्षावृत्ति को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

55. बीकानेर जिले के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के स्नातक और स्नातकोत्तर व्यक्तियों को बेरोजगार भत्ते की राशि 150 से 500 तथा 250 से 750 तक किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

56. लूणकरणसर में गाड़िया लुहारों के स्थाई निवास के लिए आवासीय भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने तथा काफी वर्षों से सरकारी भूमि पर हुए कब्जे को नियमित करने हेतु विभागीय प्रयासों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. बीकानेर के छत्रगढ़ में समाज कल्याण के अपूर्ण छात्रावास को पूर्ण कर सार्वजनिक निर्माण विभाग से कब्जा प्राप्त करने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये ।

डा. चन्द्रभान (मण्डावर) :

58. प्रदेश के विकलांगों की पेंशन राशि बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

59. झुंझुनूं जिले के मण्डावा कस्बे में अनुसूचित जाति के छात्रावास हेतु भवन निर्माण के कार्य को प्रारम्भ कराने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

60. राज्य में 65 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले वृद्ध लोगों के लिए वृद्धावस्था पेंशन शुरू कर सामाजिक सुरक्षा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

61. अनुसूचित जाति सहकारी निगम द्वारा संचालित स्काईट योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल) :

62. गांव सेनावास तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा के आदिवासियों को प्रभावी लोगों द्वारा डरा धमका कर भगा देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

63. गांव ईसरवाला तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा के हरिजन बस्ती में समाज कल्याण विभाग द्वारा रोड लाईट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

64. जिला बांसवाड़ा की तहसील घाटोल में गांव बरोड़ा के हरिजन बस्ती में विद्युत कनेक्शन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

65. जिला बांसवाड़ा तहसील घाटोल के गांव चन्दुजी का गढ़ा के हरिजन बस्ती निवासियों को सवर्ण जातियों द्वारा डराने धमकाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) :

66. ग्राम निमाज (पाली) में सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल होने एवं नजदीक में 25 ग्राम होने के बावजूद भी अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

67. समाज कल्याण छात्रावास जैतारण (पाली) का भवन छोटा होने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी पाली के निर्देश के बावजूद दूसरा भवन किराये पर नहीं लिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

68. नगरपालिका क्षेत्र जैतारण में अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम के द्वारा बनवाई जा रही पांच दुकानों का अधूरा निर्माण कार्य सम्पूर्ण नहीं करवाये जाने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

69. जैतारण (जिला पाली) के ग्राम लिखमणीया को बाल्मिकी ग्राम विकास योजना में चयनित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

70. जैतारण जिला पाली के समाज कल्याण छात्रावास आनन्दपुर कालू में राज्य सरकार द्वारा भवन निर्माण की स्वीकृति दिलाने हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनूं):

71. झुंझुनूं जिला समाज कल्याण सलाहकार समिति की बैठक जिसमें विकलांगों को ओटोरिक्शा आवंटित करने थे की बैठक 25-2-92 व 29-2-92 को रखे जाने से उत्पन्न असुविधा पर चर्चा के लिये।

72. राजस्थान प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित संस्थाओं द्वारा की जा रही अनियमितताओं व भ्रष्टाचार के बाद भी इन्हें दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

73. प्रदेश के छात्रावासों व समाज कल्याण भवनों की जर्जर हालत से उत्पन्न रोष पर चर्चा के लिये।

74. झुंझुनू जिले के शहर स्थित छात्रावास में रह रहे छात्रों को पेयजल आपूर्ति में कमी से हो रहे परेशानी पर चर्चा के लिये।

75. झुंझुनू जिले में समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों की अपर्याप्त संख्या तथा छात्रावास में रहने वाले छात्रों को पर्याप्त भोजन व आवश्यक सुविधायें उपलब्ध न होने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 9 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 9 मुख्य शीर्षक वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय :

श्री अमीन खां (शिव) :

1. बाड़मेर जिले की तहसील शिव—राणासर से गड़रारोड़ इरसानी से बालेवा-देताणी से रामसर रोडों पर पेड़ लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) :

2. प्रदेश में वनों की हो रही अवैध

(श्री रामस्वरूप)

कटाई को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) :

3. सवाई माधोपुर जिले में वनों की हो रही अवैध कटाई को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रभूलाल (सपोटरा) :

4. प्रदेश में वनों को हो रही अवैध कटाई को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मी चन्द मेहता (सांचौर) :

5. जालौर जिले के पहाड़ों पर पेड़ लगाकर वन विकास न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री चन्दन मल बैद (तारानगर) :

6. राज्य में वनों का विस्तार एवं वनों की हो रही अवैध कटाई को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

7. प्रदेश के वनों को पड़ौसी ग्रामवासियों को वन समिति बनाई जाकर जंगल को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

8. राज्य सरकार प्लान्टेशन में पौधे लगाने के पश्चात् उनकी सुरक्षा करने में असफल रही है, पर चर्चा के लिये।

9. प्रदेश में सामाजिक वानिकी द्वारा नंगी पहाड़ी व रोड के किनारे पौधे लगाकर उन्हें सुरक्षित (जिन्दे) रखने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

10. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के कुशलगढ़ व डुगरा रेन्ज के वनों को बचाने व बरसों से नंगी पहाड़ियों पर प्लान्टेशन में पौधे लगाकर बचाने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) :

11. रेंजर, प्रोजेक्ट रेंज खण्डार की लापरवाही के कारण मकोला डांग में लगी आग से लाखों रुपये का जंगल, जंगली जानवर जलकर नष्ट हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

12. बाघ परियोजना सवाई माधोपुर में प्रोजेक्ट रेंज सवाई माधोपुर व खण्डार में करायी जा रही खाई फेंसिंग एवं पत्थर की मीनार में की जा रही अनियमितता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

13. बाघ परियोजना रेंज सवाईमाधोपुर के नाका शेरपुर व राजबाग तथा नीम चौकी में करायी जा रही पत्थर की मीनार में की जा रही अनियमितता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

14. राष्ट्रीय उद्यान रणथम्भौर सवाई माधोपुर में वन अधिकारियों की लापरवाही से दिनांक 4/3/92 को लगी आग से हजारों वन्य जीव मौत के शिकार एवं वन को हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

15. वर्ष 89-90 व 90-91 में रेंज

(श्री चुन्नीलाल)

खण्डार में कराये गये चारागाह विकास में हुई अनियमितता एवं घोटाले से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची) :

16. पाली जिले में गेम सेन्चुरी क्षेत्र के पहाड़ों को हरा-भरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

17. पाली जिले में रोजड़ों द्वारा कास्तकारों की फसलें नष्ट करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर) :

18. गत दो वर्षों में इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में वृक्षारोपण के कार्यों को योजनानुसार न लिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) :

19. वन व्यापार मण्डल का डिपो खेरवाड़ा में पुनः चालू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

20. फोरेस्ट नाका झाँझरी (खैरवाड़ा) में वन रक्षकों की संख्या बढ़ाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

21. वनों पर काबिज लोगों को खातेदारी हक दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर) :

22. प्रदेश में वनों की अवैध कटाई को रोकने मे विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये ।

23. प्रदेश में रेगिस्तानी इलाकों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वन लगाने में विभागीय विफलता एवं प्रदेश के अभ्यारण्यों को बिगड़ती हालत से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :

24. प्रदेश में वनों की कटाई से वनों का औसत दिन प्रतिदिन कम होने पड़ रहे दुष्प्रभाव एवं प्रदेश में प्रतिवर्ष वन विभाग द्वारा लाखों की संख्या में नये वृक्ष लगाने, परन्तु उनकी समुचित देखभाल नहीं होने के कारण हो रही फिजूल खर्ची पर चर्चा के लिये ।

श्री घासी लाल (टोडारायसिंह) :

25. विधान सभा क्षेत्र टोडारायसिंह में वन सुधार करवाने व वनों की अवैध रूप से हो रही कटाई को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री महेन्द्र कुमार परमार (आसपुर) :

26. डूंगरपुर जिले में वनों के रख रखाव में समुचित रूप से सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) :

27. डूंगरपुर जिले में वनों को हो रही बरबादी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

28. डूंगरपुर जिले में जन जाति के लोगों को वन विभाग से इमारती लकड़ी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

29. वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए विभाग का पुनर्गठन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

30. वन क्षेत्रों में हो रहे अवैध खनन कार्यों को रोकने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये ।

31. वृक्षारोपण कार्य में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

32. प्रदेश में वनों को हो रही अंधाधुंध कटाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

33. प्रान्त में वन क्षेत्र घटने से बिगड़ रहे पर्यावरण संतुलन से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये ।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर) :

34. जिला बांसवाड़ा के घाटोल क्षेत्र में सूखे हुए पेड़ों को काटने की इजाजत न देने से किसानों में उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये ।

35. जिला बांसवाड़ा के कृषकों को कृषि औजारों हेतु वन से लकड़ी लाने के फ्री पास न देने से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

36. बांसवाड़ा जिला के आदिवासी लोगों को वन से जलाऊ लकड़ी के पास न देने से उनमें उत्पन्न रोष पर चर्चा के लिये ।

37. जिला बांसवाड़ा में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम हाथ में नहीं लिए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

38. बांसवाड़ा जिले की घाटोल तहसील में वन कर्मियों की मिली भगत से हो रही वनों की अवैध कटाई को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) :

39. वनों की आवश्यकता को देखते हुए वृक्षारोपण हेतु मौजूदा अपर्याप्त व्यवस्था को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

40. झुंझुनूं शहर के बीड़ पर अतिक्रमियों से बीड़ की भूमि को निकाले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती रमा पायलट (हिण्डोली) :

41. बून्दी जिले में वनों की सुरक्षा किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री गोपाल सिंह (आहोर) :

42. अवैध आरा मशीनों से होने वाली वनों की कटाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

43. परम्परागत पेड़ पौधे ही वन लगाने के काम में लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री भंवर लाल (सुजानगढ़) :

44. हिरण अभ्यारण्य छापर (चूरू) के क्षेत्र में स्वीकृत शुद्धा बाउण्ड्री (खाई) नहीं बनाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

(श्री भंवर लाल)

45. तहसील सुजानगढ़ (चूरू) में सालासर गांव से बीदासर व रतनगढ़ तक दोनों तरफ पेड़ पौधे लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

46. ताल छापर (चूरू) की हिरण अभयारण्य के रेस्ट हाउस मे और कमरे बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

47. एशिया प्रसिद्ध हिरण अभयारण्य छापर जिला चूरू के हिरणों के लिए चारे पानी की पूर्ण व्यवस्था नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

48. जिला भीलवाड़ा में पिछले दो वर्षों में पौधे लगाने के नाम पर फर्जी व्यक्तियों को अनुदान देकर धन का दुरुपयोग करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

49. भीलवाड़ा स्थित मंगरोप, सांगानेर—ढ़िकोलारोड, दाथलहस्तेड़ा रोड़ तथा माण्डलगढ़ रोड के सहारे-सहारे पौधे (वन) लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. भीलवाड़ा जिला के पहाड़ी क्षेत्र में वन की दृष्टि से खेजड़ी, देशी बबूल, अर्जुन पेड़, सुहाजड़ा, करमाले, शीशम, नीम आदि पेड़ लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

51. राज्यभर में वन विभाग द्वारा सफेदे के पौधे लगाने से जल स्रोत प्रायः समाप्त हो गये हैं, से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

52. भीलवाड़ा स्थित हरणी महादेव तथा पुर के पहाड़ी क्षेत्र और सिंघरी की मगरियों में वनीय पेड़ लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती मदन कौर (गुढ़ामालानी) :

53. वन्य जीव नीलगाय को सुरक्षित वन्य-जीवों की सूची से बाहर निकालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

54. टी पी. के नियमों से व्याप्त भ्रष्टाचार तथा टी. पी. के नियमों को वापस लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

55. आरक्षित, रक्षित और विभिन्न प्लान्टेशन्स की सुरक्षा के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री लक्ष्मी लाल (आसीन्द) :

56. वन्य जीवन के पोषण एवं उनकी सुरक्षा के लिये समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

57. वृक्षारोपण का विशेष कार्यक्रम बनाकर पौधों की सुरक्षा किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

58. वृक्षों की अन्धाधुन्ध कटाई पर सख्ती से रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

59. गांवाई चारागाहों के विकास की विशेष योजनायें बनाकर वनों का विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री घासीलाल (टोडारायसिंह) :

60. पंचायत क्षेत्रों में वन लगाये जाने

(श्री घासी लाल)

हेतु पंचायतों द्वारा दी गई भूमि पर वन विभाग द्वारा पेड़ पौधे नहीं लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

61. मालपुरा से टोडारायसिंह, मालपुरा से केकड़ी, टोडारायसिंह से केकड़ी सड़कों के दोनों ओर लगे हुये पुराने पेड़ों की कटाई रोकने व नये तरीके से नये छायादार पेड़ लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोतीलालमीणा (सवाई माधोपुर) :

62. सामाजिक वानिकी कार्यालय सवाई माधोपुर में वर्तमान अधिकारी, रेन्जर, फोरेस्ट जिन्होंने मौके पर 20 प्रतिशत कार्य करवाकर बाकी कार्यों की फर्जी मस्ट्ररोल भरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

63. सवाई माधोपुर में वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी एक ही जाति तथा एक दूसरे के रिश्तेदार होने से जिले में वन विकास हेतु लगाई जा रही राशि के दुरुपयोग से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

1. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) :

2. **श्री फूलचंद** (नीमकाथाना) :

3. **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार) :

64. राज्य में वन क्षेत्र बढ़ाने व वनों की कटाई रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. जयपुर नगर में घाटगेट, आमेर, जमवारामगढ़ तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों को वृक्षविहीन किये जाने से रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. वनों के उत्पाद व लकड़ियों को शहर में विक्रयार्थ लाने से रोकने के लिये स्थापित वन विभाग की चौकियों को बन्द किये जाने से बेरोकटोक शहर में लकड़ियां आने व प्रदेश से बाहर ले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

67. वन्य जीवों को क्रूरता से मारे जाकर उनकी खालें अधिकारियों की मिली भगत से बेचे जाने को रोकने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

68. वनोषधियों को अधिकाधिक लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा) :

69. डूंगरपुर जिले में वन क्षेत्र में बीजों के छिड़काव पर लाखों रुपयों का दुरुपयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) :

70. वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा पाछोडाला, कचारा, मोनावास क्षेत्र में वनों को नष्ट करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

71. विभाग द्वारा काफी धन खर्च करने पर भी एक भी पेड़ जीवित नहीं रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

72. पेड़ लगाने में खर्च होने वाली राशि तथा उससे लगाये गये पेड़ों की संख्या

120

(श्री रामकरण सिंह)

का समय-समय पर स्टेटमेंट तैयार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

73. बूचरा-मोनावास तहसील कोटपूतली में फोरेस्ट गार्डों द्वारा बड़ी तादाद में पेड़ काटकर बेचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

74. वन कर्मियों द्वारा वनों में अवैध रूप से पेड़ काटने का कार्य करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) :

75. तहसील बेगूं के केरपुरा चारागाह पर लगाये 16-17 हजार पौधों की रक्षा की व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

76. वन क्षेत्र में अवैध खनन को रोकने कारगर कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

77. चित्तौड़गढ़ जिले के सुरक्षित वनों की मारवाड़ की लाखों की तादाद में आने वाली भेड़ों से रक्षा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

78. गेम संचूरी एवं सुरक्षित वनों से सूखी लकड़ी को विभाग द्वारा बाहर निकाल कर जनोपयोग हेतु बिक्री व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

79. चित्तौडगढ़ जिले में वनों की बढ़ोतरी हेतु एनीकटस निर्माण पर विशेष ध्यान देने की आवश्कता पर चर्चा के लिये ।

श्री बृजराज मीणा (फलोदी) :

80. कोटा जिले में पर्यावरण की समस्या के निदान के लिए प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक गाँव में चारागाह भूमि छायादार वृक्ष लगाने का कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा) :

81. आदिवासी क्षेत्रों में वनों के लगाने की योजनाओं पर होने वाला खर्च व्यर्थ होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

82. वन भूमि पर आदिवासियों के कब्जों को नियमन न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

83. वन विभाग द्वारा आदिवासियों का शोषण एवं वन भूमि पर उन्हें प्रताड़ित व परेशान करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री रामप्रसाद (वैर) :

84. वन विभाग के अन्तर्गत बयाना एवं अन्य इलाके में चोरी से लकड़ी काटकर बेचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) :

85. खेतड़ी कॉपर काम्पलेक्स के कारण सल्फूरिक एसिड के निकलने से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण टी. बी. की बीमारी फैलने पर चर्चा के लिये ।

86. राजस्थान में सघन वनों के नितान्त अभाव तथा पर्यावरण सुधार की आवश्यकता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री मदन लाल सैनी (गुढ़ा) :

87. वन विभाग में सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्क चार्ज सर्विस रूलस लागू किए जाने के निर्णय का क्रियान्वयन न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

88. वन क्षेत्रों में विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारियों की साजिश से बड़े पैमाने पर अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

89. जंगलों में योजना बद्ध ढंग से लगायी जाने वाली आग से जंगलों को नष्ट करने तथा अवैध प्रकार से जंगल से कटती लकड़ी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

90. उदयपुर-वाटी से सीकर, उदयपुर-वाटी से नीमकाथाना तथा खण्डेला में सड़क के किनारे-किनारे पेड़ लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) :

91. वन की अवाप्त भूमि को वापिस अवाप्ति मुक्त करने में किये गये भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

92. वन विभाग के दो वर्ष से अधिक कार्य करने वाले समस्त वर्क चार्ज कर्मचारियों को स्थायी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

93. वन विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों से पेड़ काटने का झूठा आरोप लगाकर रिश्वत लेने व परेशान करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

94. कोल्हा फार्म गंगानगर में नये पेड़ बहुत कम मात्रा में लगाये जाकर धन का दुरुपयोग करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री रामकिशोर सैनी (बांदीकुई) :

95. वन विभाग बांदीकुई के अधीन आने वाली खानें लिब्लोज, सबडापली, ऐचेडी में वन विभाग की मिली भगत से हो रहे अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

96. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई से गुढ़ाकला, बांदीकुई से बसवा, बांदीकुई से बडियाल तक सड़क के दोनों ओर वृक्ष लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

97. दौसा जिले में हरे पेड़ों की कटाई को रोकने में वन विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

98. दौसा जिले में पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रारम्भ करने की अवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामप्रसाद (वैर) :

99. महुवा रेन्ज में काम नहीं करने के कारण पांच कर्मचारियों को निलम्बित कर दिये जाने एवं करौली के अटा प्लाण्टेशन का कार्य 20 प्रतिशत हो पाया जाने पर भी कोई भी कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

100. भरतपुर जिले के बयाना सब डिवीजन के वैर, रूपवास, बयाना में वनों की कटाई की रोकथाम की व्यवस्था के लिये एवं अधिक वृक्षारोपण किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(श्री रामप्रसाद)

101. हिण्डौन तहसील के खड़ी, हेवत प्लान्टेशन, घूसरी प्लान्टेशन के काम में भारी कमी पाये जाने पर भी सम्बन्धित कर्मचारियों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना) :

102. परबतसर क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय द्वारा चौमास में पौधों का वृक्षारोपण हेतु बेचान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

103. मकराना पंचायत समिति क्षेत्र में वनों व पेड़ों की हो रही अवैध कटाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

104. परबतसर स्थित क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय के द्वारा पौध समय पर तैयार नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री मोहन लाल (परबतसर) :

105. जिला नागौर में नील गायों द्वारा काश्तकारों की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

106. जिला नागौर में भौगोलिक स्थिति के अनुसार सड़कों पर वृक्ष नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

107. राजस्थान में वनों को हो रही अवैध कटाई को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) :

108. अरावली पर्वत श्रृंखला विशेषकर अलवर जिले में पर्वतों पर हो रहे कार्य को पूर्णतया बन्द किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

109. राजस्थान के पर्वतों विशेषकर अलवर जिले के पर्वतों में हो रही पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

110. सरिस्का बाघ परियोजना में उचित व्यवस्था नहीं होने से बाघों की कमी होती हुई संख्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) :

111. बून्दी जिले के राजगढ़ अभयारण्य के जंगली जानवरों को गर्मियों में शुद्ध जल उपलब्ध कराये जाने हेतु सादेड़ा के पास मेज नदी पर एनीकट निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

112. जिला बून्दी में झर महादेव में वन विकसित करने हेतु स्वीकृत राशि का उपयोग करने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये ।

113. गोबरिया राड़ी को उचित देखभाल नहीं करने के कारण हो रहे वन विनाश पर चर्चा के लिये ।

114. गोबरिया (रायथल) प्लांटेशन पर विभागीय कर्मचारी हेतु रिहायशी क्वाटर बनाये जाने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन)

115. बून्दी जिले में वन क्षेत्रों में हो रहे अतिक्रमण एवं अवैध कटाई को सख्ती से रोका जाकर हो रही अव्यवस्था पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. वन क्षेत्रों में उपयोगी, औषधि वाले एवं जमीन उर्वरा शक्ति प्रदान करने वाले पेड़ों को प्राथमिकता से लगाये जाकर उपयोगिता को बढ़ाये जाने पर चर्चा के लिये।

117. प्रदेश में वन विभाग का क्षेत्र निर्धारित मात्रा से लगातार कम होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

118. वन विभाग में राज्य सरकार द्वारा घोषित अनुसूचित जाति/जन-जाति का आरक्षित कोटा पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. वनों को सुरक्षित रखने के लिये विशेष प्रयास, कड़ी सुरक्षा, पर्याप्त स्टाफ एवं वांछित साधन समय पर मुहैया करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) :

120. वनों में अवैध कटाई रोकने के लिए भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. वन क्षेत्रों में स्वदेशी पेड़ बबूल, नीम, आम, खेर खेजड़ा, बांस, आंवला आदि लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

122. वन लगाने का कार्य किसानों के सहयोग से सफलता पूर्वक सम्पन्न कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फूलचन्द मीणा (सलूम्बर) :

123. आदिवासी क्षेत्रों में प्रतिवर्ष लगाये जाने वाले पौधों की रख-रखाव ठीक ढंग से करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. वन क्षेत्राधिकारी प्रतापगढ़, धरियावद, व बासो वृत्त स्थानान्तरण से वनों की हो रही अवैध कटाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

125. वनों की अवैध कटाई को विभाग द्वारा कारगर ढंग से नहीं रोक पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

126. वन क्षेत्र में होने वाले खनिज कार्यों को विभाग द्वारा नहीं रोक पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर) :

127. लूणकरणसर के असिंचित क्षेत्र में वृक्षारोपण के प्रति विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये।

128. लूणकरणसर क्षेत्र में वन्य जीव हिरण को घुमन्तु जाति, वन बावरियों द्वारा शिकार करने से रोकने सम्बन्धी उपाय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री मनीराम सियाग)

129. लूणकरणसर में कंवर सैन लिफ्ट पर आर. डी. 227 से आर. डी. 303 तक अन्धाधुन्ध वृक्षों की हो रही कटाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

130. छत्रगढ़ क्षेत्र में वानिकी कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से न चलाने वाले जिम्मेदार अधिकारी के प्रति सख्त कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

131. लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत रामबाग में लगाई गई नर्सरी में हुए सरकारी धन के दुरुपयोग से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

डा. चन्द्रभान (मण्डावर) :

132. मण्डावा से झुंझुनूं और मण्डावा से बिसाऊ सड़क पर वन विभाग द्वारा प्लानटेशन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

133. मण्डावा विधान सभा में रेत के क्षेत्र टीलों में बढ़ाव को रोकने हेतु और अधिक पौधे लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

134. झुंझुनूं जिले के खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट के आस-पास के इलाके में पर्यावरण सुधार कार्यक्रम किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल) :

135. जिला बांसवाड़ा के तहसील घाटोल गांव देलवाड़ा व गांव कुवानिया के किसानों के खेतों के किनारों पर सागवान के पेड़ों की रक्षार्थ सम्बन्धी उपाय किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

136. जिला बांसवाड़ा तहसील घाटोल के गांव बीजोर व कुडवाउमरी पंचायत पड़ोली गोधनी में विजलिया पहाड़ी पर बाँस, खाकरा व सादड़ सरस के पौधे लगाये जाकर जंगल आबाद करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

137. जिला बांसवाड़ा तहसील घाटोल के गांव नरवाली में आर. एफ. डब्ल्यू. पी. द्वारा 20 हैक्टर भूमि पर लगाये गये पौधों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

138. जिला बांसवाड़ा उप तहसील पीपलखूंट के गांव बखतोड़ में 30 हैक्टर भूमि पर आर. एफ. डब्ल्यू. पी. द्वारा लगाये गये पौधों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

139. जिला बांसवाड़ा पंचायत समिति पीपलखूंट पंचायत सेमलिया में हुडियामाल में 50 हैक्टर भूमि में आर. एफ. डब्ल्यू. पी. द्वारा लगाये गये 55 हजार पौधों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) :

140. विधान सभा क्षेत्र जैतारण रेंज सैंदड़ा के अन्तर्गत आने वाली विभाग की आरक्षित भूमि में वृक्ष एवं घास की अवैध रूप से हो रही कटाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

141. विधान सभा क्षेत्र जैतारण रेंज

(श्रीसुरेन्द्र गोयल)

सेंदडा में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिली भगत से विभाग के कटीले तार एवं एंगल का अवैध रूप से बेचकर रुपये हड़प कर लिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

142. जिला-पाली में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा पौधे लगाने से पूर्व पानी की जांच किये बगैर पौधे लगाने एवं बाद में पानी की अनुपलब्धता के कारण पौधे सूखे जाने के बावजूद अधिकारियों द्वारा पानी के नाम पर लाखों रुपये हड़प कर जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

143. जिला-पाली क्षेत्र (जैतारण) के ग्राम गांवलियां एवं बाबरा में मरुस्थल विकास एवं चारागाह विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पड़े अधूरे कार्य को पूरा नहीं करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

144. जैतारण (पाली) में चण्डावल-जैतारण मार्ग पर वन विभाग के कर्मचारियों की मिली भगत से हो रही विभाग के वृक्षों की अवैध कटाई को नहीं रुकवाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 33 व 9 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री लक्ष्मी लालजी गुर्जर।

श्री सम्पतसिंह (नगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो जातिवाद मिटाना चाहते हैं। यहां पिछड़ी जाति करके लड़ाना चाहते हैं (व्यवधान) किसी बनिया पर जोर नहीं देते। गुर्जर, नाई और जाट, को मार रखा है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, इनकी इजाजत से गुर्जर, नाई और जाट, सबको गायब कर दीजिये।

श्री लक्ष्मीलाल (आसीन्द) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण तथा मांग संख्या 9 वन पर चर्चा हो रही है। मैं वन विभाग से सम्बन्धित मांग के बारे में निवेदन कर रहा हूं। इस विभाग का गठन सन् 1950 में आज से 42 वर्ष पहले हुआ था। इस विभाग से सम्बन्धित कार्यों में वनों की सुरक्षा, वनों का संरक्षण और वनों का विकास आता है लेकिन मुझे यह कहते हुए बड़ा खेद है कि पिछले 42 सालों में इस विभाग में इसके प्रशासनिक ढांचे में निरन्तर बढ़ोतरी हुई और 1950 से लेकर आज दिन तक इस विभाग का बजट लगातार बढ़ता रहा है। इस वर्ष के बजट में 74 करोड़ के लगभग धन की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन आज जब हम उस स्थिति को देखते हैं तो पर्यावरण के सन्तुलन के हिसाब से, वृक्षों और वनों के हिसाब से हमारा निरन्तर ह्रास हुआ है और जो 42 वर्ष पहले की वन और पर्यावरण सन्तुलन की जो स्थिति थी, उसका लगभग हम आधे पर रह गये हैं। इतना वनों का ह्रास। इतने प्रयास करते हुए भी हम निरन्तर गिरावट की तरफ जा रहे हैं। इसके लिये केवल विभाग ही जिम्मेदार नहीं है, इसके लिये दूसरी

(श्री लक्ष्मीलाल)

समस्याएं भी हैं। आज जो वनों की स्थिति है और आज जो वनों का कार्यक्रम है, उसके बारे में हमको बहुत गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस विभाग का दायित्व निरन्तर बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां जनसंख्या की वृद्धि हुई है, जनसंख्या की वृद्धि के साथ-साथ जलाऊ लकड़ी की समस्या उत्पन्न हो गई है। घरेलू काम में आने वाली लकड़ी, ईंट, चूने के पत्थर में जलने वाली लकड़ी के तौर पर जंगल की जो कटाईहो रही है और दूसरा पर्यावरण संरक्षण, भू-संरक्षण और हवा पानी से जो होने वाला भूमि का इरोजन है, उसके लिये पशु की चराई के बारे में, चारे की व्यवस्था के बारे में इस विभाग का दायित्व लगातार बढ़ता जा रहा है। इस सम्बन्ध में जो स्थिति हमारे सामने है, वह बहुत ही निराशाजनक है। पर्यावरण के सन्तुलन के लिये एक तरफ जहां 33 प्रतिशत कुल भू-भाग का क्षेत्र इसके अन्दर आना चाहिये, वहीं हमारे हिन्दुस्तान की स्थिति 22 प्रतिशत है और राजस्थान तो 9 प्रतिशत में ही है। 9 प्रतिशत में भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि आज जो हमारी 9 प्रतिशत की भू-भाग की स्थिति हैं, उसमें भी 2 प्रतिशत तो नोशनल मान लीजिये, ऐसे वन मान लीजिये जिनके अन्दर न तो सघन वृक्ष है और न वहां पर वन नाम की कोई चीज है, ये नाममात्र के क्षेत्र है। दो प्रतिशत और घटा दीजिये तो हमारे वनों की स्थिति लगभग 7 प्रतिशत रह जाती है। जहां एक तरफ पर्यावरण सन्तुलन के लिये हमें कुल भू-भाग का 33 प्रतिशत चाहिये वहीं राजस्थान 7 प्रतिशत पर है। यह हमारे लिये बहुत निराशा की बात है। इसके बाद में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के बजट का सवाल है, वनों के विकास का सवाल है, हमें इस बात को समझना चाहिये कि हमारे प्रदेश की स्थिति कैसी है। एक तरफ हमारा प्रदेश मरुस्थल है, जहां पर पानी नहीं है, रेत ही रेत है, दूसरी तरफ ऐसा क्षेत्र आता है जो पहाड़ी है, अरावली पर्वत शृंखला है और फिर नीचे की तरफ मैदानी क्षेत्र आता है। इन तीनों क्षेत्रों की अलग-अलग समस्या है। जो हमारे प्रदेश का पश्चिमी भाग है, वहां पर वृक्षों को पनपाने के लिये पानी नहीं है। जहां पर हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर पानी से जमीन के कटाव की और बहकर पानी के चले जाने की समस्या है। जहां पर मैदानी क्षेत्र है, वहां पर इस पानी से होने वाले कटाव के कारण भीषण समस्या उत्पन्न हो गई है। तो इस तरह से हमारे प्रदेश की स्थिति को देखते हुए हमें वनों के बारे में, वनों के विकास के बारे में विचार करना चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे वनों के बारे में कई तरह की योजनाएं विभाग के अन्तर्गत चल रही है। एक तरफ विश्व बैंक से सहायता लेकर हम सामाजिक वानिकी के कार्यक्रम में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ जापान की मदद से इंदिरा गांधी

(2.25 म. प.)

(श्री बुलाकी दास कल्ला, सभापति पदासीन)

नहर और अरावली की पहाड़ी के विकास के कार्यक्रम में लगे हुए हैं। भूमि

(श्री लक्ष्मीलाल)

विकास बोर्ड से भी कटाव को रोकने के लिये, भू-संरक्षण के कार्य हमने हाथ में लिये हैं। वनों के विकास की समस्या है। जहां मरुस्थल है, वहां पर वनों के विकास के लिये पानी नहीं है। जहां पर यह कटाव वाले क्षेत्र हैं, वहां पर भू-संरक्षण की समस्या है और जहां मैदानी क्षेत्र है, वहां वृक्षारोपण के लिये स्थल उपलब्ध नहीं है। यह समस्या है। इस तरह की वन की स्थिति है। इस पर कुल मिलाकर हमें गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा क्योंकि यह एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर एक दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। जब वृक्ष नहीं होंगे तो बरसात नहीं होगी, बरसात नहीं होगी, अन्न नहीं होगा, अन्न नहीं होता तो हमारे सामने भुखमरी की समस्या आयेगी। तो हमारे पर्यावरण के सन्तुलन के लिये और इन सारी चीजों से उभरने के लिये सबसे जरूरी और अहम मसला हो गया है कि हमें वनों का सही ढंग से विकास करें, वनों के बारे में हम गम्भीरता से सोचें। वृक्ष लगाने के बारे में जो फर्जी आंकड़े और इस तरह की जो कार्यवाहियां हैं, उनको हम बहुत गम्भीरता से लें। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो हमारे सामने स्थिति है, वह ऐसी है कि जहां हम एक तरफ इस क्षेत्र को बढ़ाने की बात सोचते हैं तो हमारे पास में जमीन उपलब्ध नहीं है। आज सारी जमीन अलाट हो चुकी है। वनों के विकास के लिये हमारे पास जमीन नहीं है। तो हम इन सारी चीजों से किस तरह से उभरें, वनों का विकास किस तरह करें, इसके बारे में बहुत नजदीक और बहुत बारीकी से सोचना पड़ेगा। इसके लिये, जो हमारी कृषि भूमि है, जो हमारी पड़त भूमि है, वन क्षेत्र है, राजकीय भूमि है या दूसरी जो जंगल और चारागाह भूमि है, इन सबके विकास के बारे में हमको सोचना पड़ेगा और व्यावहारिक तरीके से हमको यह योजना बनानी पड़ेगी।

एक तरफ विभागीय ढांचे में ऊपर के स्तर पर कई तरह की बड़ी पोस्टें और इस तरह के पद सृजित कर दिये गये हैं लेकिन जो असली काम है वह नीचे के स्तर के लोगों का है। पेड़ों को पनपाने का काम ऊपर के अधिकारी नहीं किया करते, पेड़ों की रक्षा का काम ऊपर के अधिकारी नहीं किया करते। जब हम इस विभाग के ढांचे को देखते हैं तो ऊपर के स्तर पर तो बड़े-बड़े पद सृजित कर दिये गये हैं लेकिन नीचे के स्तर पर रखवाली के लिये वहां पर न तो आपके कैटल गार्ड हैं, न आपके फोरेस्टर हैं इसकी रक्षा करने के लिये और इसकी देखभाल के लिये। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस ढांचे के बारे में सोचें कि ऊपर के पद इतने जरूरी नहीं हैं, नीचे के स्तर पर इसका संरक्षण करने के लिये इस तरह की छोटी पोस्ट हमको क्रियेट करनी चाहिये चाहे हमको ऊपर की पोस्ट अबोलिश करनी पड़े या उनमें फेर-बदल करना पड़े, इसलिये एक बुनियादी तौर पर इस ढांचे के ऊपर, माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

इस विभाग के दूसरे जो कार्यक्रम हैं कि किस तरह वनों का विकास हो, उसके

(श्री लक्ष्मीलाल)

लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे पास जमीन नहीं है लेकिन पहले वाली सरकार ने इस मामले में कुछ गम्भीरता से विचार किया था और उस तरह कुछ योजनाएं ऐसी हाथ में ली थी जैसे कि जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, वहां पर शैल्टर बैल्ट के नाम से वनों के विकास का कार्यक्रम हाथ में लिया था, इंदिरा गांधी नहर के दोनों किनारों पर पड़त जमीन के अन्दर वृक्षारोपण का कार्यक्रम हाथ में लिया गया था। माननीय सभापति महोदय, आज की समय की परिस्थितियों और आवश्यकता अनुसार माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह बहुत विशाल स्तर पर जन-आन्दोलन के रूप में इसको लेना चाहिये और जितनी भी सड़कें हैं, पी. डब्ल्यू. डी. की हो, चाहे कोई भी हो, उन सड़कों के ऊपर इस बैल्ट वाली वृक्षारोपण की योजना को अनिवार्य कर दीजिये। चाहे पी. डब्ल्यू. डी. की सड़क हो, उसके दोनों तरफ पी. डब्ल्यू डी. के अधिकार में जमीन आती है 50 फीट, 75 फीट या 100 फीट, आप अनिवार्य कर दीजिये कि उस रोड के साथ ही सैक्शन कर उस पर पौधे लगाने की जिम्मेदारी और पनपाने और उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी वे अपने पर लें। इसी तरह जो गांव के अन्दर ग्रेवल सड़कें हैं, चाहे वह पक्की सड़क हो, चाहे वह कोई और प्रकार की सड़क हो, जातनी विभाग की सड़कें हैं उन सड़कों को आप इससे कवर अप करेंगे तब जाकर उसके मामले में कुछ क्षेत्र बढ़ सकेगा। इसी तरह से जहां पर तालाब हैं, सिंचाई की नहरें हैं। उन सिंचाई की नहरों के दोनों तरफ हालांकि व्यक्तिगत खाते की जमीन या काश्तकारों की जमीन होती है लेकिन इन नहरों के ऊपर हमको ऐसी सुविधा मिलती है जहां पर इस वृक्षारोपण के टाइम में पौधों को पानी की जरूरत होती है वहां पर इन तालाबों से हम पानी छोड़कर पौधों में पानी देकर दोनों तरफ वृक्ष पनपायें तो 3–4 महीने तक पानी वृक्षों को मिल जाने की वजह से पनप सकते हैं। उनको अधिकार, उन खातेदारों को उनके अधिकार दे दीजिए या आप चाहें उन आदमियों को दे दीजिए जो उनके मालिक हैं लेकिन इस तरह से योजना अनिवार्य रूप से तालाब, सिंचाई की नहरें और सिंचाई के जो बड़े बांध हैं, जो कुछ भी हैं वहां पर पौधे लगाने की बात आप करें। यह प्रैक्टिकल बात होगी और इससे वृक्ष पनपेंगे।

माननीय सभापति महोदय, इस विभाग के अन्दर जहां पर वन्य उपज का सवाल है—जैसे लकड़ी, कोयला, घास, कत्था, तेंदू, गोंद आदि ऐसी कई तरह की चीजें मिलती हैं। विभाग इस मामले में पहले ठेकेदारी प्रथा पर देता था। ठेकेदारी प्रथा की वजह से ठेकेदार बेरहमी से जंगलों को काट देते थे। आज भी जंगलों को काट कर जंगलों का दोहन कर रहे हैं। यह जो नेचुरल प्रोड्यूज है उसको लेने के लिए जो लीकेज है। अब इस विभाग के अन्दर आपने इसमें बताया है कि जो पहले ठेकेदारी प्रथा थी उससे आमदनी होती थी उसकी जगह विभागीय स्तर पर देना शुरू किया है उससे तीन गुना आमदनी में वृद्धि

(श्री लक्ष्मीलाल)

हो गई है। मैं समझता हूं कि फिर भी इसके अन्दर 50 पर्सेण्ट लीकेज हो रही है इस लीकेज को आप रोकिए। अगर इस लीकेज को रोकेंगे तो विभागीय आमदनी जो वर्तमान में आमदनी हो रही है उससे दुगुनी आमदनी हो जायेगी। इसलिए इस लीकेज पर आप ध्यान दीजिए।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी बताया है और बजट भाषण में भी बताया है कि हम हरित राजस्थान की कल्पना कर रहे हैं। दूसरी तरफ 7 प्रजातियों के पेड़ काटने की छूट दे दी। मैं, माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि पेड़ काटने की तो आपको सामान्य तौर पर छूट देनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि इस प्रकार से 7 प्रजातियों के पेड़ काटने की छूट मिल जायेगी तो वह 7 प्रजातियों की बजाय 10 तरह की प्रजातियों के पेड़ कट जायेंगे। यह ऐसी बात है कि जहां सामाजिकि वानिकी के अन्दर काटने का सवाल है कि जब पौधे परिपक्व हो जाते हैं तो रिमूव करने की बात है तो स्पेशल मंजूरी लेकर पेड़ों को काट सकते हैं लेकिन आपने खुली छूट देकर एक तरह से वनों के अन्दर इस तरह की बात है उस पर गम्भीरता से विचार करें और ऐसी छूट आप नहीं दें।

माननीय सभापति महोदय, एक बिन्दु और है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हवाई जहाज से छिड़काव कराया गया बीजों का केवल एक प्रयोग किया। पहाड़ी की चोटियों पर हवाई जहाज के द्वारा बीज फेंके गए। माननीय सभापति महोदय, यह एक तरह से क्रिमिनल वेस्टेज हुआ है। मैं आपको अपने हिसाब से निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी ऊँचाई से आपने बीज तो फेंक दिए, बरसात का टाइम नहीं, बरसात आई या नहीं आई, उन बीजों का क्या हुआ, उससे क्या लाभ मिला? आपने 25 लाख रुपये हवाई जहाज से बीज छिड़काव पर खर्च किए यह एक तरह से क्रिमिनल वेस्टेज है। यह पौधे ऐसे ही आसानी से नहीं पनपते हैं। जिस तरह बच्चे की परवरिश की जाती है उसी तरह से पौधों की परवरिश करनी पड़ती है तब जाकर पौधे पनपते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा कि आप यदि इस योजना के तहत आदमियों से या दूसरे लोगों से इसकी क्रियान्विति करवाते तो इस अमाउण्ट में इससे ज्यादा उपलब्धि मिलती और सही काम होता। इसलिए हवाई छिड़काव केवल शोखियाना काम है। इस काम को आप इस बात से करिए जिससे ज्यादा उपयोगिता हो और वैसे कार्यक्रम हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि एक तरह से इस विभाग की बहुत बड़ी महती जिम्मेदारी है लेकिन भ्रष्टाचार की तरफ भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। विभाग ने चेकपोस्ट भी बना रखी है, विभाग ने उड़न दस्ता भी बना रखा है, विभाग ने वृक्ष काटने के सारे जितने कानून-कायदे हैं वह सब बना रखे हैं। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप

(श्री लक्ष्मीलाल)

सुबह शाम, देर रात तक अगर दौसा सड़क पर चले जाएं या इधर से, जयपुर से दिल्ली सड़क पर चले जायं, या कोई भी सड़क पर चले जायं जो जयपुर में आ रही है अगर आप रात को गश्त कर लें तो आपको पता चल जायेगा कि पेड़ों की कटाई कितनी निर्मता से हो रही है। सैंकड़ों ऊंट गाड़ों पर लदी हुई हरे वृक्षों को काट-काट कर लाई गई गाड़ियां नजर आ जायेंगी जो शहरों के अन्दर आ रही हैं। न आपकी चेक-पोस्ट काम कर रही है, न आपके उड़न दस्ते काम कर रहे हैं और काम क्यों नहीं कर रहे हैं? वह उनसे मिले हुए हैं और मिले हुए होने की वजह से उनसे कुछ मिल जाता होगा और वह आराम से निकल जाते होंगे। इस तरह से एक नहीं सैंकड़ों उदाहरण रोजमर्रा के सामने आ रहे हैं। इस तरह से जो भ्रष्टाचार वाली बात है इस बात के ऊपर भी आपको आगाह करना चाहता हूं कि इस पर आप ध्यान दीजिए।

मैं इसी तरह से आपकी जो किसान नर्सरी है, पौध शालाएं हैं उनके बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। पौध शालाओं के लिए विभाग ने नियम यह बना दिया कि बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्दर चयनित परिवार वालों को हम पौध शालाएं लगाने के लिए देते हैं। चयनित परिवार वाले हैं उनके पास न तो जमीन है, न बैल है, न हल है, न कुंआ है, न पानी है और आप उन लोगों को पौधशालाएं लगाने के लिए 30 पैसे प्रति पौधे के हिसाब से अनुदान दे रहे हैं। उसकी तो गरीबी केवल 2-4 हजार रुपये मिलने से ठीक हो जायेगी लेकिन आपका जो सारा काम है वहां उसका क्या हो रहा है, 10 पर्सेण्ट भी पौधे पनपते नहीं हैं। क्योंकि न उसके पास कुंआ है न पानी है पौधों को पिलाने के लिये। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पौधे पन-पाने के लिए आप इस कार्यक्रम को ऐसे काश्तकारों को दीजिए जिनके पास पूरा पानी हो, अच्छी जमीन हो और पौधे पन-पनपायें। नहीं तो यह केवल खानापूर्ति की बात है। इसके अन्दर न तो पौधे पनपेंगे। यदि उन पौधों को लगाना है और आगे वृक्ष तैयार करना है तो मैं इस चयनित परिवार वाली बात की धारणा से मैं सह-मत नहीं हूं। क्योंकि इसका कोई उपयोग नहीं है। इसलिए आप अच्छे काश्तकारों को, समृद्ध काश्तकारों को आप दीजिए तो वहां पौधे पनपेंगे और अच्छे पौधे पनपेंगे तो आगे चलकर वृक्षारोपण के काम में आवेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी सड़क के दोनों तरफ खड्डे खुदवा रहे हैं। वृक्षारोपण के लिए वृक्षारोपण होगा जुलाई या अगस्त में। तब तक वह खड्डे वापस भर जायेंगे। मौके पर तो काम होता नहीं है। जहां पर आपकी आज पौध शालाएं हैं वहां पर पौधे पनपायें, यह बात तो ठीक है लेकिन खड्डे खुदवा रहे हैं आज, 2-3 महीने बाद आपके वह खड्डे वापस भर जायेंगे फिर वापस खड्डे खुदवाने पड़ेंगे। इसलिए जिस समय पौधे लगायें उसके 15-20 दिन पहले खड्डे खुदवा कर उसके अन्दर आप नर्सरी लगायें। उसके बाद आपकी चेकअप क्या है? आपने पौधे तो लगा दिए कितने सर्ववाइव हुए? मैं कहता हूं कि मुश्किल से लाखों पौधों में, हर साल वन विभाग इस तरह के पौधे लगाता है लेकिन मैं आज दावे के साथ कह

(श्री लक्ष्मी लाल)

सकता हूं कि उसके अन्दर 10 पर्सेण्ट भी सर्ववाइव नहीं होते हैं। क्योंकि इसके पीछे कोई फालोअप नहीं, कोई देखने वाला नहीं है और वह पौधे सारे के सारे जितने लगते हैं उनमें 50 पर्सेण्ट पौधे तो लगते नहीं हैं। मुझे अच्छी तरह से अनुभव है कि जो नर्सरी के अन्दर पौधे के टार्गेट्स हैं उसके अन्दर 50 पर्सेण्ट से ज्यादा पौधे सर्ववाइव होते नहीं और फिर जो होते हैं उनमें से प्लाण्टेशन करके पौधे पनपाने और पेड़ बनाने की बात है वह मुश्किल से 10 पर्सेण्ट वह सर्ववाइव नहीं होते तो सबसे बड़ी अहम् बात है कि जहां हम पौधे लगाने का टार्गेट रखते हैं तो उसके सर्ववाइव करने के लिए हमारी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक नीचे के स्तर पर इस बात को देखने वाला कोई नहीं होगा तब तक उसके ऊपर किसी तरह की प्रगति और उपलब्धि वाली बातें हमारे सामने नहीं आयेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पौधशालाओं के अन्दर जिस तरह के पौधे लगाये जाते हैं, किस तरह के पौधे हम लगाते हैं–अमूमन उनके अन्दर जूलिफ्लोरा, सफेदा आदि के पौधे लगाते हैं। दूसरे पौधे दूसरी जगह पर सूट नहीं होते हैं। जूलि फ्लोरा जिसे विदेशी बबूल कहते हैं सब जगह लग जाता है लेकिन दूसरे पौधे नहीं लग पाते हैं। उन पौधों को नर्सरी में इन्ट्रोड्यूज क्यों करते हैं? स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार आप उनको क्यों नहीं इन्ट्रोड्यूज करते हैं। जाल पनपाने वाला स्थान है वहां पर जाल पनपाने वाला पौधा लगायें, बबूल जहां लग सकता है वहां बबूल लगायें और जहां नीम लग सकता है वहां नीम लगायें। जैसे नीम है, कैर है, जाल खाकरा है, बबूल है, खेजड़ी है, वह वृक्ष आप लगायें और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्लाण्टेशन करेंगे तो वह पनपेंगे।....

(समय–समाप्ति–सूचक–घण्टी)

माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत संक्षेप में अर्ज कर रहा हूं। बहुत ज्यादा लम्बी चौड़ी बातें नहीं कह रहा हूं। जहां पर दूसरे इन पौधों के ऊपर एक्ट्रेक्शन का सवाल है। मैं मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आम लोगों तक अगर इस बात को पहुंचाना है तो यह जो नस्लें तैयार करते हैं उसके अन्दर भी आप थोड़ा परिवर्तन कर दीजिए। जहां पर फलदार पौधे हैं और इस तरह के पौधे हैं जो काश्तकार लगाता है और जिसमें उसकी रुचि होती है। उस तरह के पौधे भी आप अगर नर्सरी से देंगे और उसमें कुछ नोमिनल कीमत के ऊपर आप देना शुरु कर देंगे तो बहुत से आदमी दो-दो, चार-चार वृक्ष भी अगर लगाएंगे क्योंकि वहां पर वह इन्ट्रेस्ट से लगाएंगे फलदार पौधे। कोई आम लगाएगा, कोई जामुन लगाएगा। इस तरह के पौधे जिसमें उसको आगे चलकर के लाभ मिले तो ऐसे पौधे भी आप इनके अन्दर लगाएंगे तो यह जन आन्दोलन के रूप में लोग इसको ग्रहण करेंगे नहीं तो आम लोगों की इसमें रुचि नहीं होगी और इसी वजह से यह पौधे आपके लग नहीं पाते।

सभापति महोदय, जहां जन आन्दोलन की बात है गांव-गांव के अन्दर जहां चारागाह हैं, गांवों के अन्दर जहां जंगल हैं,

(श्री लक्ष्मी लाल)

गांवों के अन्दर जहां इस तरह से फोरेस्ट को पनपाने वाली बात है, गांवों के आदमियों को रेस्पान्सिबल बनाना चाहिए। आपने इसमें बताया कि समितियां बनाने की बात की जा रही है। लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि यह फोरेस्ट के लिए आप हर गांव के अन्दर अनिवार्य रूप से एक फोरेस्ट की समिति बना दीजिए। चाहे छोटा गांव हो, चाहे बड़ा गांव हो। गांव का एक चारागाह तो होता है उस चरागाह के अन्दर भी इस तरह की बात, पौधे लगाने की बात वह समिति करेगी। कोई सहकारी संस्था है, स्कूल है या दूसरी संस्थाएं हैं जिसके अन्दर हम बड़े पैमाने पर इस काम को हाथ में ले सकते हैं। उनके अन्दर आप उत्तरदायित्व उनको देकर के उनसे आप इस कार्यक्रम को चलाएं तो उससे कुछ पोधों का संरक्षण भी हो सकेगा और कुछ पौधे पनप भी जाएंगे। पौधों की सबसे भयंकर स्थिति हो जाती है जहां अकाल का एरिया होता है। लोग पेट पालने के लिए पेड़ों की कटाई शुरु कर देते हैं। आज मारवाड़ के अन्दर जहां अकाल पड़ा हुआ है वहां पर लोग क्या करेंगे अगर आप वहां परकाम नहीं चलाएंगे तो लोग पेट पालने के लिए पेड़ काट रहे हैं। तो इसके ऊपर भी आप ध्यान दीजिए तो ज्यादा अच्छी बात होगी।

सभापति महोदय, जहां विभाग वाले स्वयं ही वनों के रक्षक हैं स्वयं ही ऐसा काम करें पेड़ काटकर कोयला बनाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कोयला बनाने वाली बात तो कतई इस विभाग को नहीं करनी चाहिए। आज सूखी लकड़ी है उसको बेचने के लिए आप कुछ व्यवस्था कर दीजिए अगर वह सूख जाती है या पेड़ एक परिस्थिति में गिर जाता है या इस तरह की बात हो जाती है तो उसके लिए तो ठीक है। लेकिन आप स्वयं लकड़ियों के कोयले बनाकर के बेचते हैं तो जंगलों का विनाश होगा ही। इसके साथ आपकी इमारती लकड़ी है, इमारती लकड़ी के बजाए आप लोहे के, सीमेण्ट के, पत्थर के जो फर्नीचर वगैरह हैं या मकानों में काम आने वाली जो थड़ी बारसोट है यह लोहे के बन सकते हैं, सीमेण्ट के बन सकते हैं या पत्थर के बन सकते हैं। तो आप इनकी ऐसी व्यवस्था और ऐसी बातों के ऊपर भी पब्लिक का ध्यान आकर्षित करिए। इसके अन्दर फर्नीचर वगैरह में इस लकड़ी का उपयोग कम से कम हो।

इसी तरह से आप वृक्ष लगाने वाले जो व्यक्ति हैं उनको भी आप प्रोत्साहन करने वाली बात करिए। स्कूल के अन्दर, सहकारी समितियों में या दूसरे और लोग हैं इस तरह के फक्शन में उनको आप प्रशंसा पत्र दीजिए। या जो ज्यादा वृक्ष लगाए, कोई वृक्ष मित्र हो उनको आप नौकरी के अन्दर प्रिफरेंस दिलाने वाली कोई बात करिए तो इस तरह से लोगों का इसमें उत्साह बढ़ेगा और यह ज्यादा से ज्यादा काम आपका इसमें आएगा।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर्यावरण का सवाल है और पर्यावरण के लिए वन विभाग पूरी तरह से जिम्मेदार है। लेकिन जहां करने के काम होते हैं वहां तो वह नहीं करते और जो नहीं करने के काम होते हैं वहां

(श्री लक्ष्मी लाल)

पर्यावरण का काम किया जाता है। यह ऊन के और इस तरह के कारखाने हैं जहां पर पर्यावरण की कोई परिस्थिति पैदा नहीं होती वहां तो उनके ऊपर नियन्त्रण की तलवार आप चला रहे हैं और जहां पर दूसरे लोग इस तरह से पर्यावरण बिगाड़ रहे हैं, दूषित कर रहे हैं उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती। तो इस तरह से आप इसको भी न्याय संगत बनाएं और पर्यावरण के सन्तुलन के लिए जो जिम्मेदार हैं उनके लिए भी आप सख्ती से काम में लें।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं विभाग की इससे ज्यादा और क्या हो सकती है। बड़े-बड़े जंगल जहां हैं, अभ्यारण्य वगैरह हैं वहां पर किसी वजह से अगर आग लग गई महीनों तक आग जलती रहती है। विभाग वालों को पता ही नहीं पड़ता है कि वहां कौन हैं, इसके अन्दर क्या है तो इस तरह से आग बुझाने वाली बात है इस तरह की बात है जहां वन सारे नष्ट होते थे तत्काल उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए और जहां इस तरह की प्राकृतिक विपदाओं से क्षति जंगलों को होती है उसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। आपके खुद के फोरेस्ट गार्ड हैं, आपके कैटल गार्ड हैं वह खुद मिले हुए हैं लोगों से और वह जंगलों के अन्दर बकरियों को बेच देते हैं, पैसे ले लेते हैं। इस तरह से आपकी जो व्यवस्था है इस व्यवस्था के ऊपर आप गम्भीरता से विचार करेंगे तभी जाकर आप जंगलों के बारे में ठीक ढंग से इसकी बात करेंगे।

सभापति महोदय, मैं कन्क्लूड कर रहा हूं बहुत संक्षेप में कि वन मंत्री महोदय बिराजे हुए हैं और यहां पर व्यक्तिगत या गांवों के चारागाह वगैरह हैं, उनके ऊपर आप अधिक से अधिक ध्यान दीजिए। जहां पर यह देवस्थान है। छोटे-छोटे मन्दिर और देवरों के आस-पास, छोटे-छोटे टुकड़ों के अन्दर जिस तरह की देवगनियां हैं आप उसके अन्दर देंगे तो यह देवगनियां हैं वहां पर आप वृक्षारोपण की व्यवस्था करवा दीजिए। लोग अपनी धार्मिक भावना से जुड़कर वहां वृक्षों को नहीं काटेंगे। मैंने देखा है कि बहुत सी देवगनियां जिनके अन्दर किसी तरह की कोई देख-रेख नहीं करता फिर भी वहां से सूखी लकड़ी का एक तिनका तक भी कोई आदमी नहीं ले जाते हैं क्योंकि उनका सेंटीमेंट देवता के प्रति बना है तो इस तरह से आप वृक्षों को उसके साथ जोड़िए ऐसे कार्यक्रमों के साथ में तो यह वृक्षारोपण का कार्यक्रम सफल होगा। मुझे आपने टाइम दिया मैं बहुत आभारी हूं। (धन्यवाद)

श्री सभापति : श्री जगमाल सिंह यादव।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : माननीय सभापति महोदय, वन एवं पर्यावरण और समाज कल्याण की मांग संख्या 33 और 9 पर मैं अपनी राय सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। सभापति महोदय, पर्यावरण आज का न केवल राजस्थान के लिए बल्कि विश्व में एक समस्या बनकर रह गई है। अब से कुछ दिन पहले पर्यावरण पर मैंने मेरे काल-अटेन्शन के मार्फत भी सदन का ध्यान आकर्षित किया था लेकिन उस बीच में अपनी बात रखने से पहले माननीय वन मन्त्री महोदय, अलवर

(श्री जगमाल सिंह यादव)

जिले में अभी जो एक घटना घटी और भोपाल गैस काण्ड बनते-बनते जो रह गया उसकी सूचना शायद पर्यावरण विभाग ने आपको दे दी होगी। नहीं दी होगी तो अलवर की पुलिस ने उसकी सारी कार्यवाही कर ली है। सभापति महोदय, दस तारीख को सुबह श्री राम फाइबर्स नाम के भिवाड़ी इण्डस्ट्रियल एरिया के पास जो एक फैक्ट्री है, उद्योग है जिसमें क्लोरीन गैस बनती है, इसकी पृष्ठभूमि में अर्ज करना चाहता हूं। पिछली विधान सभा में, जब हम इधर बैठा करते थे माननीय मुख्य मन्त्री जी ने और दूसरे साथियों ने मिलकर मेरे साथ तिजारा में भिवाड़ी इण्डस्ट्रियल एरिया के पास इस श्रीराम फाइबर्स की स्थापना का विरोध किया था। तत्कालीन मुख्य मन्त्री माननीय हरिदेव जोशी जी जब तिजारा पधारे थे मैंने इस उद्योग की स्थापना के लिए तिजारा के स्थान को भिवाड़ी इण्डस्ट्रियल एरिया जो बहुत बड़ा एरिया डवलप हो रहा है उस जगह स्थापना करने का विरोध किया था।

सभापति महोदय, यही नहीं तत्कालीन मुख्य मन्त्री ने यह घोषणा भी की कि आम सभा में कि माननीय सदस्य जगमाल सिंह के विरोध को ध्यान में रखते हुए श्रीराम फाइबर्स की स्थापना, रीको इण्डस्ट्रियल एरिया का जो डवलपमेंट हो रहा है उसके पास तिजारा में इसकी स्थापना नहीं की जाएगी। लेकिन पता नहीं किन परिस्थितियोंवश उसकी स्थापना हुई। सभापति महोदय, श्रीराम फाइबर्स को मध्यप्रदेश ने अपने यहां स्थापना करने से इन्कार कर दिया, लाइसेन्स देने से इन्कार कर दिया, हरियाणा सरकार ने इन्कार किया और उत्तर प्रदेश ने, जो इसकी स्थापना होने जा रही थी उत्तर प्रदेश ने जबर्दस्त विरोध किया कि जहरीली गैस है इसको हम अपने यहां इस उद्योग को नहीं लगने देंगे।

सभापति महोदय, यही नहीं राजस्थान में भिवाड़ी इण्डस्ट्रियल एरिया जो डवलप हो रहा है उसमें रीको ने इस बात का एतराज किया है कि यह जहरीली गैस बनाने का उद्योग है इसको रीको के क्षेत्र में नहीं डाला जाएगा। इस विरोध के और एन. ओ. सी. नहीं मिलने के बाद सभापति महोदय, इस उद्योग को रीको से कुछ दूर टपूकड़ा के पास बीस किलोमीटर दूर घनी आबादी में उसकी स्थापना की गई। मैं फिर मुद्दे पर आ रहा हूं। माननीय वन मन्त्री जी दस तारीख को सुबह इसमें गैस का रिसाव हुआ और उस गैस के रिसाव से बीस और पच्चीस किलोमीटर की दूरी में न केवल राजस्थान के दस, पन्द्रह गांव खिजूरीवास, बलबन, छापलदा, साड़ौद, भिवाड़ी, आलुपुर, सहडपुर, मलिकपुर यह राजस्थान के पन्द्रह गांव प्रभावित नहीं हुए मैं खुद मौके पर अभी 17–18 तारीख को वहां पर गया। पुलिस के अधिकारी भी मेरे साथ वहां देखने गए।

सभापति महोदय, केवल नुकसान नहीं हुआ है यह जो गैस का रिसाव हुआ यह गैस का रिसाव 200 मीटर एक बैल्ट में हुआ। जिस तरह गैस का रिसाव होना था वह एक दिशा में हुआ और जिस तरफ की हवा चल रही थी उस तरफ उसका रिसाव हुआ। दस हजार बीघा जमीन में चने, सरसों और गेहूं की जो फसल खड़ी थी न केवल नष्ट हुई बल्कि बकरियां, भेड़ जो

(श्री जगपाल सिंह यादव)

उस समय आड़ में जीव आ गया प्रत्येक वह मरा पाया गया।

सभापति महोदय, न केवल फसल नष्ट हुई बल्कि पचास-पचास, साठ-साठ साल के सफेदे के पेड़, पचास-पचास, साठ-साठ साल के नीम और शीशम के पेड़ जहां से उस गैस का प्रकोप हुआ आज भी सूखा हुआ पड़ा है, जहरीला खड़ा है। माननीय वन मन्त्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दस तारीख को गैस का रिसाव होने के बाद में मेरे विधान सभा क्षेत्र में जब गया तो मुझे मालूम हो गया लेकिन पर्यावरण विभाग के आपके राजस्थान में जो अधिकारी बैठे हैं और अलवर में जो आपके एक्सईएन. लेबल के और भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में पर्यावरण के काम को देखने वाला आपका अधिकारी क्या कर रहा है। मुझे कहते हुये खेद है माननीय सभापति महोदय, कि यह सरकार बराबर कहती है कि वन को लगाओ। वन और ग्रामीण जीवन की बात मैं बाद में करूंगा लेकिन यह भोपाल गैस काण्ड कब हो जायेगा। माननीय वन मंत्री जी यह न केवल 10 तारीख को रिसाव हुआ उससे दो माह पहले भी इसी गैस के सिलेण्डर को भिवाड़ी इण्डस्ट्रियल एरिया में ट्रक यूनियन का एक ट्रक भर कर ले गया। दुर्भाग्य से उसका वाल्व वहां निकल गया इतना जबरदस्त तरीके से धुआं फैला, भिवाड़ी इण्डस्ट्रियल एरिया में भगदड़ मच गई। 4—5 घंटे तक इधर से उधर भिवाड़ी का जन जीवन, भिवाड़ी गांव का, इण्डस्ट्रियल एरिया का जन जीवन अस्त-व्यस्त हो गया। इससे पहले माननीय सभापति महोदय, इसी सदन में मैंने दो साल पहले उठाया था गैस का रिसाव हुआ पूले जिसे झुण्डा कहते हैं जितने पड़े थे सब नष्ट हो गये। यही नहीं है वन मंत्री जी, मेरे पास रिपोर्ट है। मैं पेश करूंगा कहोगे तो मैं सदन में रख दूं। पिछले दो साल पहले मैंने श्री राम फाइबर्स के खतरों से आगाह करवाया था सदन को और सरकार को और मैंने लिखकर और हाउस में बोल कर भी मैंने शिकायत भारत सरकार को और यहां तक की राजस्थान सरकार को, तत्कालीन सरकार को लिखी थी। इसमें भारत सरकार के पर्यावरण विभाग ने यह आदेश दिये कि श्री राम फाइबर्स जहरीली गैस है इसका गैस का रिसाब हुआ। केमीकल रिपोर्ट्स मांगी गई और जो दो साल पहले रिसाव हुआ उसको जहरीली गैस मान कर यह आदेश प्रसारित किये गये कि श्री राम फाइबर्स को तुरन्त बन्द कर दिया जाये। मैं पूछना चाहता हूं आपको कि किन अधिकारियों ने ऐसी जहरीली गैस बनाने वाले श्री राम फाइबर्स को जिसमें क्लोरीन गैस बनती है, आपके ध्यान में अब तक नहीं लाया, नहीं लिया तो मैं पूछना चाहता हूं कि खतरनाक खेल, पर्यावरण की बात करते हैं, जन जीवन अस्त-व्यस्त हो जायेगा, भोपाल गैस काण्ड हो जायेगा तब यह सरकार क्या मुंह दिखाने लायक रहेगी। माननीय सभापति महोदय पुलिस के थानों में रिपोर्ट दर्ज है, भिवाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज है, हरियाणा की सरकार ने रिपोर्ट आपके खिलाफ दर्ज कर ली है। श्री राम फाइबर्स के खिलाफ थाना धारू एडाक थाना तावड़ू, और आपके पर्यावरण विभाग के अधिकारी ने आज तक आपको रिपोर्ट नहीं दी। इसलिए मैं आपको यह सलाह देना चाहता हूं

(श्री जगमाल सिंह यादव)

माननीय सभापतिजी, आप काम करें या नहीं करें, उद्योगों से हमको एतराज नहीं है। प्रथम तो मेरा यह एतराज है कि राजस्थान में अगर कहीं ग्रीन बैल्ट और पैदावार का जिला है तो अलवर और भरतपुर है। आप औद्योगिक क्षेत्र को डवलप कीजिए, आप उद्योग डालिये लेकिन वन मंत्री जी यह कहां का न्याय है कि जो भी ग्रीन बैल्ट है जो पैदावार की जमीन है आपने भिवाड़ी और दूसरे आस पास के इलाकों में और आपने खुसकर्ट और बूढीबाल और सलारपुर को लिया है उसके बाद में आप जैनपुर को बानसूर ले आये। बहरोड़ में आपने औद्योगिक क्षेत्र डिक्लेयर किया है और शाहजहापुर जो आपकी ग्रीन बैल्ट है उसमें आप उद्योग स्थापित कर रहे हैं। कहां बचेगी आपकी ग्रीन बैल्ट। इसलिये मेरी राय है सरकार को आपके मार्फत कि उद्योग डालिये, अलवर में ही शौक है उद्योगपतियों को, उद्योगपति का शौक दिल्ली में रहने का अगर पूरा करते हैं तो अलवर में भी मेहरबानी करके उस जमीन को ढूंढ लीजिए जो ऊबड़, खाबड़ हो और उपजाऊ नहीं हो। यह ग्रीन बैल्ट जहां है, यह पैदावार का इलाका है उसमें आप उद्योग डालने से बाज आयें। मेरी सभापति महोदय, आपके मार्फत इस सरकार को सलाह है। वन मंत्री जी मैं आपको एक सलाह और देना चाहता हूं। पर्यावरण पर जब जब भी चर्चा हुई है। पर्यावरण फैलाने का काम दूसरे तरीके से भी हो रहा है लेकिन उद्योग को राजस्थान में लगा, आपने क्या यह जांच करवा ली कि जितने उद्योग रन कर रहे हैं, इस राजस्थान में जितनी इन्डस्ट्रीज रन कर रही हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने उद्योगों को ट्रीटमेंट लगाने के लिए पहले शर्त लगाई। आपके अनुज्ञा पत्र में बाकायदा प्रावधान है जो कम्पलसरी है कि पहले ट्रीटमेंट प्लांट लगाओ फिर यह आपका····

श्री लालचन्द डूडी : यह पर्यावरण की डिमाण्ड नहीं है केवल वन की है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह अलग रखा गया है लेकिन वन के साथ है। पर्यावरण वन के साथ अटेच है।

श्री लालचन्द डूडी : डिमाण्ड जो है वन विभाग की है। पर्यावरण अलग है, वन की डिमाण्ड भी अलग है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : डिमाण्ड तो आज है। कौनसा हैड है जरा बताइये आप। पर्यावरण वन से सम्बन्धित है। यह अलग बात है कि उन्होंने एक दिन अलग रखा है। वरना वन के साथ है। यदि वन के साथ नहीं है तो हमारी यह डिमाण्ड क्यों एक्सेप्ट की गई। हमने तो पर्यावरण पर दी थी, क्यों एक्सेप्ट की आपने। आसन व्यवस्था दे क्यों एक्सेप्ट की गई हमारी।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय मन्त्री महोदय, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि आज पर्यावरण की डिमाण्डे नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पर्यावरण पर जो हमने कटमोशन्स दिये हैं उनको एक्सेप्ट क्यों किया गया ?

श्री सभापति : मांग संख्या 33 सामाजिक

(श्री सभापति)

सुरक्षा और कल्याण, मांग संख्या 9 वन यह बी.एस.सी. ने तय की थी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ऐसा है कि पर्यावरण वन से अलग नहीं है। वन के साथ ही है और इसी का अंग है और यदि नहीं है तो हमने जो कटमोशन्स दिये हैं उन्हें स्वीकार क्यों किया गया है ?

डॉ. चन्द्रभान : इसमें वानिकी तथा वन्य जीवन कृषि अनुसंधान और शिक्षा तथा वानिकी तथा वन्य जीवन का है यही शीर्षक है। इसी डिमान्ड पर वन्य जीवन पर्यावरण के बिना कैसे बचेगा। वैसे पर्यावरण पर चर्चा तो हो चुकी है।

श्री सभापति : वैसे तो वन विभाग और पर्यावरण विभाग दोनों साथ-साथ हैं लेकिन मांग संख्या जो 9 है वह वन रखी गई है उसमें यह सम्मिलित नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हमारे कटमोशंस एक्सेप्ट क्यों किये गये ?

श्री सभापति : कटमोशन्स तो ऐसा है कि जो मांगें यहां डिसकस नहीं कर रहे हैं वह भी एक्सेप्ट किये गये हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : कटमोशन्स कैसे आ जायेंगे ?

श्री लालचन्द डूडी : मुझे डिस्कशन पर कोई एतराज नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आज अगर कोई शिक्षा का देता तो स्वीकार थोड़े ही करते आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जो बजट में प्रोवीजन है वही कटमोशन्स स्वीकार करते हैं।

श्री लालचन्द डूडी : मुझे डिसकशन में कोई एतराज नहीं है लेकिन मैं उसका जवाब देने के लिए....(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पर्यावरण की मांग संख्या कौनसी है यह भी बता दें आप हमें। बताओ फिर यह कैसे कह सकते हैं वन मंत्री। तो डिमाण्ड है इस पर फिर बोलेंगे हम। हमारे कटमोशन्स है।

श्री सभापति : जो माननीय सदस्यों ने अभी व्यवस्था उठाई है उसके सम्बन्ध में पर्यावरण इसमें सम्मिलित है प्रदूषण सम्मिलित नहीं है।

डॉ. चन्द्रभान : मंत्री जी को जानकारी नहीं है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मंत्री महोदय को यही पता नहीं कि आज क्या-क्या सबजेक्ट है तो फिर जवाब क्या मिलेगा सरकार की तरफ से।

श्री सभापति : व्यवस्था दे दी गई है।

श्री जगमाल सिंह यादव : उनको यही पता नहीं है कि मैं किस चीज की डिमाण्ड रख रहा हूं पर्यावरण उसमें है या नहीं है।

श्री सभापति : आप जारी रखें प्लीज।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप भी पूर्व मंत्री की तरह प्रदूषण और पर्यावरण में अन्तर नहीं समझते क्या ?

श्री हेतराम बेनीवाल : महावीर जी

(श्री हेतराम वेनीवाल)

क्या मंत्री का जानना जरूरी नहीं है क्या ?

श्री सभापति : आप कृपया जारी रखें।

डॉ. चन्द्रभान : टौंक से आने वाले माननीय सदस्य हमेशा पर्यावरण को दूषित करते रहते हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय सभापति महोदय, आपकी व्यवस्था आने के बाद मैं माननीय वन मंत्री महोदय को यह सलाह दे रहा हूं आपके मार्फत, राजस्थान में जितने उद्योग लगें हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि जब लाइसेंस देते वक्त यह शर्त कम्पलसरी है कि ट्रीटमेंट प्लांट पहले लगेगा तो मैं यह भी सलाह आपको देना चाहता हूं। माननीय वन मंत्री जी कि अब जो आप लाइसेंस दें उसमें तो यह शर्त कम्पलसरी रखें कि कोई भी उद्योग उत्पादन में तब आये जब ट्रीटमेंट प्लान्ट उसका कम्पलसरी हो जाये। वन मंत्री जी केवल यही नहीं होगा अब जो उद्योग के लाइसेंस दे उनको ट्रीटमेंट प्लान्ट की शर्त लगायें....(व्यवधान)

श्री लालचंद डूडी : मैं यह कह रहा था कि पोल्यूशन पर नहीं है।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय सभापति महोदय, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि पर्यावरण और प्रदूषण को एक-दूसरे से अलग कैसे करूं ?

श्री सभापति : आपस में बात नहीं करें।

श्री जगमाल सिंह यादव : जब पर्यावरण होगा तो प्रदूषण होगा। पर्यावरण खराब हुआ तो निश्चित है कि प्रदूषण फैलेगा। मेरा आपको निवेदन है जो भी उद्योग आप डालें, आपका पर्यावरण ठीक ही रहे यूं कह कर मैं कह लूं आपसे, कि आप जो भी उद्योग डालें कम्पलसरी यह शर्त लगा दें कि आपका ट्रीटमेंट प्लान्ट पहले तैयार होगा उसके बाद इकाई उत्पादन में आयेगी ना केवल पर्यावरण को ठीक करने के लिए यह करना पड़ेगा बल्कि माननीय सभापति महोदय, मैं फिर कहता हूं कि जितने भी उद्योग है, जितने भी आपके चाहे वह मोदी एक्रेलिक हो चाहे आपका श्रीराम फाइबर्स हो इन पर पर्यावरण को ठीक रखने के लिए निश्चित तौर पर कठोर अंकुश लगाना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार ने 9 जनवरी को गजट नोटिफिकेशन निकाल कर जिस तरह की संकट की स्थिति पैदा राजस्थान सरकार के सामने कर दी उसकी बात तो मैं बाद में कहूंगा लेकिन वन मंत्री महोदय, आज अखबार में मैंने पढ़ा कि अरावली हिल्स पर प्लान्टेशन को लेकर कर्मचारियों और अधिकारियों में बड़ी आपाधापी है। माननीय सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि अरावली हिल्स के लिए 176 करोड़ रुपये जापान से राजस्थान सरकार को मिलते हैं और जिस तरह का मैंने पढ़ा है उसमें जिस तरह की आपाधापी का जिक्र किया गया, माननीय सभापति महोदय, आप इससे क्या संकेत मानते हैं। इससे साफ संकेत है, जैसे मैंने पहले काल अटेंशन में यह बात रखी थी माननीय सभापति महोदय कि राजस्थान में 176 करोड़ रुपये का प्लान्टेशन अरावली हिल्स

(श्री जगमाल सिंह यादव) :

का जापान से आएगा, उसमें कितना सफल हो पायेंगे, फिर बाद में यही आंकड़े फोरेस्ट विभाग के लोग देंगे कि 57 प्रतिशत प्लांटेशन हमारा सफल हुआ है। उस दिन भी मैंने....(समय समाप्ति सूचक घण्टी) मैंने तो चालू ही नहीं किया है।

(3.00 म. प.)

श्री सभापति : 15 मिनट हो गये हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : अभी तो चालू ही नहीं किया है। मैंने तो बोलना ही चालू किया है।

श्री सभापति : 10 मिनट का समय है, 15 मिनट हो गये हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैंने कहा है ना, मैंने तो अभी चालू ही नहीं किया, आप कहें तो बैठ जाऊंगा। मैं तो जूनियर ही समझता हूं अपने आप को। ऐसा वहम पाला ही नहीं है। वहम पालकर तो यहां आ गया मैं।....(व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : आप वन मंत्री जी को ज्यादा सलाह मत दो। आपकी सलाह वह बहुत खतरनाक मानते हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : मेरी सलाह मानकर आप वहां बैठे हैं। यह तो क्रम चल रहा है....(व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अजी सास भी कभी बहू थी।

श्री जगमाल सिंह यादव : तो सभापति महोदय, जिस तरह की शंकाएं प्रकट की जा रही हैं, मैंने शंकाएं प्रकट की थी। माननीय वन मंत्री जी ने इस सदन में बताया, एक प्रश्न के जवाब में बताया कि राजस्थान में प्लांटेशन किया हुआ फोरेस्ट विभाग का 57 प्रतिशत प्लांटेशन आज जिन्दा है। मैं चैलेंज से कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, अगर 30 या 35 प्रतिशत से ज्यादा, अलबत्ता वे इलाके जो बिल्कुल उपजाऊ हैं, उसमें हम जो प्लांटेशन करते हैं, पहाड़ों के प्लांटेशन को अगर हम छोड़ भी दें तो माननीय सभापति महोदय, मुश्किल से 60 और 65 प्रतिशत जो प्लांटेशन जिन्दा रह पाता है उसे हम सफलतम प्लांटेशन मानते हैं। आज 176 करोड़ रुपये में जो प्लांटेशन होगा या राजस्थान में पिछले सालों में प्लांटेशन हो गया, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं सदन के मार्फत, माननीय वन मंत्रीजी, मैं आपको चैलेंज करता हूं जिस तरह का आपने जवाब दिया है, आप सर्वे करा लीजिए, सदन की एक कमेटी बना दीजिये, मैं दावे से यह कहना चाहता कि अगर आज 30 प्रतिशत से ज्यादा प्लांटेशन जिन्दा रह जाय तो सदन में हम आपके गुलाम हो जायेंगे। माननीय सभापति महोदय....

श्री राजेन्द्र पारीक : यह तो सदन की अवमानना है।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं सिद्ध करता हूं। मैं शिष्य हो जाऊंगा।

श्री सभापति : आप कृपया जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्य, गुलामी से मुक्त हो गये क्या?....(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय सभापति महोदय, जिस 9 जनवरी के नोटिफिकेशन को भारत सरकार ने निकाला है, जारी किया है, उसके बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। जिस तरह से हम नहीं चाहते कि वनों का क्षेत्र कम हो या फोरेस्ट को नष्ट किया जाय, माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि फोरेस्ट से ग्रामीण जन-जीवन का और उद्योगों का एक ऐसा समायोजन है, जिस तरह से जहां आपका फोरेस्ट मिलेगा वहीं राजस्थान में मिनरल मिलेगा, वहीं आपका खनन का धन्धा होगा। माननीय सभापति महोदय, जिसको चूंकि आप बार-बार बता रहे हैं, वन मन्त्री जी कह रहे हैं कि पर्यावरण का नहीं है, मैंने तैयारी पर्यावरण की की थी, प्रदूषण की की थी और पर्यावरण से प्रदूषण फैलता है। मैं, माननीय सभापति महोदय, चाहूंगा कि राज्य सरकार इस मामले में प्रोटेस्ट करे जबरदस्त तरीके से कि 9 जनवरी का जो नोटिफिकेशन भारत सरकार ने निकाला है उसका विरोध करे यह राजस्थान सरकार और वन उद्योगों में एक सन्तुलन बनाये रखें साथ ही मैं यह भी चाहूंगा कि राज्य सरकार दूसरी राज्य सरकारों से मिलकर वन का जो सब्जेक्ट है, वन का जो विषय है, जो पहले राज्य की सूची में था और अब समवर्ती सूची में रखा है, मैं मांग करूंगा इस सदन के मार्फत कि उसको राज्य की सूची में रखा जाय क्योंकि यह जिस तरह से परेशानी हमको यहां हो रही है, यह दूसरे सूबों में भी हो रही है। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय वन मन्त्री जी से, पिछले सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है, रोज जिसको हमारे यहां कहते हैं, जिसको देशी भाषा में, सभ्य भाषा में नील गाय कहते हैं, आपके जिले में और राजस्थान के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है—मुझे पता नहीं, लेकिन जिस तरह से अलवर के किसान इन रोज से या नील गाय आप कह लीजिये, उससे बहुत परेशान है। आज जो भी उनकी फसल चाहे सरसों, चना, गेहूं, बाजरा की फसल है, माननीय सभापति महोदय, इस तरह से किसान परेशान हो गये कि एक दिन का काम, इसके अलावा रात को एक-एक खेत में 10–10 आदमी पहरा देते हैं और रात भर सो नहीं पाते हैं और किसान की पकी फसल को न केवल ये रोज चरते हैं माननीय वन मन्त्री जी, बल्कि खेत में बैठकर उस फसल को तहस-नहस करते हैं। अगर आप इनको वन्य जीव मानते हैं तो मेरी राय है कि राज्य सरकार चाहे कुछ भी करें, इनको आप जहां पर इनके लिए अलग से बाड़ा बनाएं, उस पर ले जाइए वरना यह अधिकार राज्य सरकार को नहीं है कि वन्य जीव पालने के लिए आप सारे किसानों की खेती को नष्ट कर दें, या तो आप खुले तौर पर इनको मारने के लिए लाइसेंस दीजिये या कुछ कड़े उपाय आप कीजिये।

मेरा एक और सवाल है। मेरे क्षेत्र में सफेदे के पेड़ों की और समस्या है अलवर जिले में। जो सफेदे के पेड़ पहले लगा दिये, उसको पेड़ों की परिभाषा में मानते हैं, जबकि किसान उसको फसल के रूप में लगाते हैं। कई हजार बीघा में सफेदे के पेड़ खड़े हैं, पककर तैयार हो गये। फोरेस्ट विभाग के लोग काटने नहीं देते और जब तक वे कटेंगे नहीं, तब तक दुगने उत्साह से नहीं फूटेंगे। माननीय सभापति महोदय,

(श्री जगमाल सिंह यादव)

आप जानते हैं कि सफेदे के पेड़ 3–4 फसल देते हैं, इसलिए उनको काटने की छूट दी जाए और ज्यादा से ज्यादा यह शर्त किसानों पर लगा दें कि किसान जितना पेड़ काटता है उससे दुगुनी या उसकी तादाद में उतने पेड़ आप लगवा दें। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री गोपाल सिंह जी खण्डेला।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : माननीय सभापति महोदय, आज वन और सामाजिक सुरक्षा की अनुदान की मांगों पर विचार हो रहा है। वन विभाग द्वारा सारे प्रदेश में भिन्न-भिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वनों के विकास की कार्यवाही चल रही है, प्रोग्राम चल रहे हैं और इन सबके बावजूद भी, जैसा हमें रिपोर्ट में बताया, मान्यता यह है कि पर्यावरण की दृष्टि से सारे भू-भाग का 33 प्रतिशत जंगलात के नीचे आना चाहिये ताकि जो सम्भावित खतरे हैं उनसे हम बच सकें और राजस्थान की स्थिति यह है सभापति महोदय कि 33 प्रतिशत तो दूर की बात है, यहां तो केवल 9 प्रतिशत क्षेत्र जंगल के नीचे है, तो यह सोचने की बात है। आज सही है कि बढ़ती हुई जनसंख्या, लोगों की आवश्यकता और उनके साथ-साथ यह पनपते हुए कारखाने, जिससे फैलता हुआ प्रदूषण, एक बड़े सवाल हैं जिनके साथ जंगल के विकास को, वनों के विकास की बात को देखना होगा।

ज्यों-ज्यों सभ्यता बढ़ती जा रही है, लोगों को फर्नीचर की आवश्यकता पड़ती जा रही है। बढ़ती जनसंख्या के साथ जलाऊ लकड़ी की आवश्यकता पड़ रही है तो यह स्वाभाविक है कि चाहे हम हजारों प्रयत्न करें, हमारी आवश्यकता के लिए तो लकड़ी होगी। हम रोकेंगे एक सीमा तक, लेकिन निश्चित रूप से जो मानव की आवश्यकता है उनकी पूर्ति होगी और उसके लिए चोरी से या इजाजत से लकड़ी कटेगी और उसके लिए यह बहुत जरूरी हो गया कि वन विकास के लिए बड़े पैमाने पर काम करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि वनों के विकास की कोई कार्यवाही नहीं चल रही है प्रदेश के अन्दर, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह पर्याप्त नहीं है, इसके लिए विभाग द्वारा जो कुछ किया जा रहा है, जिसका अभी संकेत दिया गया कि कागजों तक सारा सीमित नहीं है लेकिन अधिकांश कागजों तक सीमित है। इसके ऊपर भारी बजट खर्च हो रहा है। खड्डे खोदे जाते हैं लेकिन अनप्लांड हैं। सिर्फ खड्डे खोदे जाते हैं, आने वाले समय में उसके पानी देने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सम्भाल नहीं है उसकी, और नतीजा यह होता है कि पौधे लगाने के बाद जल जाते हैं, फिर उसके ऊपर सुपरवीजन नहीं। दूर-दराज में वन विभाग के अधिकारी रिपोर्ट देते हैं कि आपने 20 हजार पौधे भेजे, सब लगा दिये, सब जिन्दा हैं, कोई देखने वाला नहीं। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। मैं भ्रष्टाचार पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहता। इसको माननीय वन मन्त्री जी कितना रोक पायेंगे, इनके बूते की बात है नहीं, क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी आजकल खुद हार चुके हैं, भ्रष्टाचार को मिटाने वाले बड़े स्तम्भ थे। आज जब हम पूछते हैं कि आप अपने मन से कहिए कि आपके प्रदेश के अन्दर आज

(श्री गोपाल सिंह)

तहसीलदार, इन्जीनियर्स पर्सेन्टेज नहीं लेते हैं तो वे कहते हैं आपने सब तहसीलदारों को बेईमान बता दिया। आप अपनी कमजोरी को पहचानते हुए उससे दूर भागते हैं तो यह वन मंत्रीजी के बस की बात नहीं है भ्रष्टाचार मिटाने वाली, माननीय सभापति महोदय। लेकिन आवश्यक है कि वन का विकास हो। आपने छोटी-छोटी वन समितियों का भी प्रावधान किया है संरक्षण और संवर्द्धन के लिए। अच्छा प्रयास है। यह कितना सफल होता है, इसको हमें देखना है। माननीय सभापति जी, मेरी मान्यता है कि जब तक वनों के काम को आस्था से नहीं जोड़ेंगे, भावना से नहीं जोड़ेंगे, इस प्रकार का प्रयास नहीं करेंगे तो चाहे कितना ही वन पर खर्चा करें, नतीजे नहीं आयेंगे। आप तो स्वयं जानते हैं सभापति जी, आप गांवों में गये होंगे, आपने देखा होगा कि गांव में बड़ का पेड़ होता है। लोगों की उसमें आस्था होती है, उसको बचाना चाहते हैं। कोई गार्ड नहीं है, कोई सुरक्षा प्रबन्ध नहीं है लेकिन वह फलता-फूलता है और उससे जो सूखी लकड़ी गिरती है वह भी जलाने के काम में आती है। वो चीज़ आस्था से जुड़ी हुई है इसलिए केवल सरकार ही इस काम को नहीं पनपा सकती ? इसलिए सरकार को सोचना होगा कि इस काम को गांव के लोगों से कैसे जोड़ें, जनता से कैसे जोड़ें ? मैं समझता हूं कि सरकार इस पर वर्क आउट करें। कुछ सोचें तो निश्चित इसका नतीजा आयेगा। मेरा इस दिशा में माननीय मंत्री जी को सुझाव है, मैं सोचता हूं कि यदि हम इस तरह से विचार करें प्रत्येक गांव में स्मृति उपवन बनायें। स्मृति में जो उपवन बनेंगे वे उस गांव के लोगों के होंगे। गांव के लोग अपने भाई, माता-पिता, बहन आदि की याद में अपने सहयोग से एक-एक या दो-दो पेड़ लगा लेते हैं तो मैं समझता हूं एक गांव के अन्दर 1000-500 पेड़ खड़े हो सकते हैं और माननीय सभापति जी, प्रत्येक गांव के अन्दर ज्यादा तो नहीं 5-10 एकड़ जमीन, चाहे वो चारागाह के नाम से है, चाहे खेल-कूद के नाम से है, चाहे श्मशान भूमि है, सब जगह छोटी-छोटी जमीनें होती हैं और इसे राजस्थान के नक्शे में जोड़कर देखते हैं तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र बनता है इसलिए मैं सोचता हूं इस काम को आगे बढ़ाने के लिए ग्राम स्तर पर स्मृति उपवन समितियां बनाई जाएं। गांव के लोग भी आगे आएं, गांव के लोग उसमें पैसा भी देंगे लेकिन उस काम को सम्बल देने के लिए शुरूआती समय में राज्य सरकार को आगे आना होगा। ये ग्राम उपवन समितियां कानून के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन करायेंगी, उसका आडिट होगा, सरकार का जो पैसा उसमें लगा सहयोग के रूप में, वह जमा होगा और उसके खर्चे का हिसाब होगा और इन गांव के लोगों को आश्वस्त कीजिए कि स्मृति वन से जो पैदावार होंगी आगे आने वाले समय में, उसका 80 प्रतिशत गांव के लोगों का होगा, 20 प्रतिशत राज्य सरकार को वापस आयेगा तो मैं समझता हूं कि सरकार को कोई घाटा भी नहीं है और इस दिशा में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मेरी दृढ़ धारणा है कि यह एक ऐसा प्रोग्राम साबित हो सकता है इस प्रदेश में कि जिसके लिए हम करोड़ों-लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं वह बहुत थोड़े धन की लागत

(श्री गोपाल सिंह)

से काम आगे बढ़ सकता है। सभापति महोदय, मैं आशा करता हूं कि माननीय वन मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे, इसकी कोई योजना तैयार करेंगे। (समय-समाप्ति सूचक-घण्टी)। मैं थोड़ा-सा और बोलना चाहूंगा (व्यवधान) मैं तो मूल बात कहना चाहता हूं और इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं वन मंत्री जी। आपके सामने बहुत उदाहरण आयेंगे और चर्चा होगी लेकिन इस बात को पकड़ लें और आपकी विभाग पर कोई पकड़ है और आपको माननीय मुख्य मंत्री जी का कोई सहयोग है तो आप इस योजना को मूर्त रूप दे सकते हैं, एक बहुत बड़ा काम हो सकता है।

माननीय सभापति जी, वन विकास के साथ-साथ पर्यावरण जो इससे जुड़ा हुआ है वह उतना ही महत्वपूर्ण है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के दौर में यदि हमने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, कोई कण्ट्रोल नहीं किया, यों ही लोग अन्धाधुन्ध आगे बढ़ते रहे, कारखाने लगते रहे, कोई जैक नहीं हुआ तो बड़ा खतरा है। आपके पास पर्यावरण विभाग भी है। आपके उसमें बड़े अधिकारी भी बैठते हैं लेकिन चारों तरफ से शिकायत है माननीय सभापति जी, कि यह दफ्तर निठल्ला बैठा है, कोई इनका सुपरवीजन नहीं है, इनसे सम्भलता नहीं है। यदि इनके पास कोई काम है तो वह यह है कि वे अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के लिए दोनों हाथों से रात-दिन पैसा बटोरने में लगे हुए हैं। इनकी आंखों के नीचे दिन-दहाड़े कानून का उल्लंघन होता है। मैं नहीं समझता, इनकी जानकारी में नहीं है लेकिन अपने वेस्टेड इण्टरेस्ट उनके होते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और घोटालों से प्रदूषण का काम आगे बढ़ता जा रहा है।

मैं अब नीमकाथाना और उसके आस-पास के क्षेत्र के बारे कहना चाहता हूं। खण्डेला के पास सलहदीपुरा एक जगह है। वहां पी. पी. सी. एल. की तरफ से खाद का कारखाना बनाने की भी योजना है। एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा। पर्यावरण की दृष्टि से हमें उस क्षेत्र को सुरक्षित रखना होगा। वहां और अधिक कारखानों से आस-पास दबाव बढ़ेगा तो फिर एतराज होगा कि पर्यावरण की दृष्टि से खाद का कारखाना नहीं लगाया जाय। इसलिए समय रहते माननीय सभापति महोदय, आपकी मार्फत पर्यावरण मन्त्री जी, जो वन मन्त्री भी हैं, को आगाह करता हूं कि उस क्षेत्र के आस-पास चाहे वहां खानों से वातावरण दूषित होता है, चाहे सीमेंट फैक्ट्री लगाने से वहां का वातावरण दूषित होता है उस पर कड़ी निगाह रखनी चाहिए। वहां पास में मारूति सीमेंट फैक्ट्री लगी हुई है। उसी ग्रुप ने एक और सीमेंट फैक्ट्री लगा दी है। मुझे जानकारी मिली है सभापति जी, आज तक प्रदूषण के लिहाज से अपने कारखाने में कोई ऐसा यंत्र नहीं लगाया है जिसकी वजह से हवा में जो प्रदूषण फैलता है उस पर रोक लग सके। उसके पास गंगाराम ढाणी है, उसके पास रामपुरा ऐसा गांव है लोग आकर शिकायत करते हैं कि रोज उठते हैं तो उनके मुंह पर धूल जमी हुई होती है। आपका पर्यावरण विभाग क्या करता है? आपको इन सब बातों को देखना चाहिए, इन चीजों की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपका ज्यादा समय न लेता हुआ सामाजिक सुरक्षा की बात कहना

(श्री गोपाल सिंह)

चाहता हूं । माननीय सभापति जी, सरकार की तरफ से अनुसूचित जाति कल्याण निगम की ओर से स्काइट योजना का काम चलाया गया और प्रत्येक जिले के प्रोजेक्ट डाइरेक्टर के मार्फत इन योजनाओं को आगे चलाना था । जयपुर का उदाहरण तो आपके सामने है । बी. के. मीणा उस समय के प्रोजेक्ट डाइरेक्टर थे जिनके खिलाफ इतने मामले उभर कर सामने आये, लाखों रुपये का घोटाला सामने आया । लेकिन यह तो हुआ कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने उसको चैक कराया लेकिन उसके बाद क्या हुआ ? माननीय मुख्य मन्त्री जी डर गए ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मन्त्री जी सुन ही नहीं रहे हैं ।

श्री गोपाल सिंह : स्काइट की बात कर रहा हूं । (व्यवधान) स्काइट योजना के अन्तर्गत बी. के. मीणा को पकड़ा लेकिन बाद में क्या हुआ ? आप तो डर गए इस लॉबी से । मैं आपकी मार्फत कहना चाहता हूं, क्या मन्त्रीजी ने कोशिश की कि राजस्थान के और जिलों के अन्दर भी इस योजना के अन्तर्गत फर्जी संस्थाएं बनी हैं और उनके अन्दर बड़ा भारी गड़बड़ घोटाला हुआ है । मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज तक जयपुर के अलावा इस लॉबी से दब कर इस राजस्थान सरकार ने इस घोटाले को दबाया, इसको उजागर नहीं किया इसलिए आज सरकार भैरोंसिह जी की नहीं है, यह सरकार उस लॉबी की है, आई. ए. एस. ऑफिसर्स की है जिनसे दबकर यह सरकार आगे चलती है और उनके सामने+ + +इसलिए आवश्यकता है इन सब चीजों को देखने की । यह जनता का धन है । मेरे सीकर जिले की ओर से वहां पर स्काइट योजना के अन्दर घोटाला हुआ है । जयपुर का ही उदाहरण नहीं है, कई उदाहरण हैं । इसलिए सभापतिजी, मैं आपके मार्फत कहना चाहता हूं माननीय मन्त्रीजी, स्काइट योजना में सारे जिलों की आप जांच करायें तो आपके सामने नतीजे आयेंगे । बड़े पैमाने पर इसमें घोटाले निकलेंगे । विभाग का कोई अफसर आता है तो आता है और एक आई. ए. एस. अफसर को प्रोटेक्स करना है तो आप काहे की सरकार चलाते हैं । एक बड़ा सवाल है जिसको आपको देखना होगा । मैंने जो मुद्दे उठाये हैं उन पर आप विचार करेंगे । आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद ।

श्री सभापति : माननीय श्री टीकमचन्द कांत ।

श्री टीकमचन्द कांत (रेवदर) : सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा और समाज कल्याण, वन और पर्यावरण पर तो काफी चर्चा हो रही है लेकिन मैं सबसे पहले अनुसूचित जाति की बात करूंगा । अनुसूचित जाति के दिल और दिमाग के अन्दर और उसके मस्तिष्क में अगर यह बात है कि उसे आरक्षण की व्यवस्था का लाभ और जो आज उसे मिलने वाली

+ + +अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री टीकमचन्द कांत)

सुविधाएं हैं, सभापति महोदय, यदि कांग्रेस ने दी है तो इस पवित्र सदन में मैं आज यह घोषणा करते हुए सूचित करना चाहूंगा कि वह कांग्रेस की दी हुई नहीं है, वह डॉक्टर अम्बेडकर की दी हुई है। अगर वह नहीं होते तो सुविधाएं नहीं मिलतीं।

डॉ. चन्द्रभान : शुरूआत तो ठीक है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इनकी शुरूआत इतनी बढ़िया है, आगे देखना।

श्री सभापति : आप व्यवधान न करें।

श्री टीकमचन्द कांत : सभापति महोदय, मैं आपको याद दिलाता हूं उस समय की, जिस समय साइमन कमीशन की घोषणा हुई उसका विरोध हुआ और विरोध होने के फलस्वरूप गांधीजी और कांग्रेस ने बहुत बड़ा आन्दोलन किया। आन्दोलन करने के बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलवाया गया लन्दन में और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं गया था।

श्री हरिसिंह (महुआ) : बी. जे. पी. का गया था?

श्री सभापति : कृपया सीधे बात न करें।

श्री टीकमचन्द कांत : सभापति महोदय, उसके अन्दर 89 प्रतिनिधि गये थे। उसमें हरिजनों का प्रतिनिधि था, मुसलमानों का प्रतिनिधि था, जमींदारों का प्रतिनिधि था, मजदूरों का प्रतिनिधि था, व्यापारियों का प्रतिनिधि था। और उसके अन्दर सबसे बड़ी बात यह थी, उस समय जिन्नाजी 14 सूत्री मांगों पर अड़े रहे और उन्होंने पृथक् निर्वाचन क्षेत्र नहीं, पृथक् राष्ट्र की मांग रखी एक प्रकार से। डॉक्टर अम्बेडकर ने उस समय कहा कि पृथक् निर्वाचन क्षेत्र की तो मैं भी हिमायत करता हूं लेकिन पृथक् एकदम से नहीं, हिन्दुओं के अन्दर अल्पसंख्यक, स्वतन्त्र अल्पसंख्यक के स्वरूप में हमको भी पृथक् निर्वाचन क्षेत्र चाहिए और यह समाज सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से और सबसे अधिक राजनैतिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। इस समाज को अगर आगे लाना है तो इसको पृथक् निर्वाचन क्षेत्र का लाभ देना पड़ेगा। वह जब तक नहीं दिया जायेगा तब तक यह समाज आगे नहीं आयेगा। उसके बाद गांधी-इरविन समझौता हुआ, बात बैठी नहीं और गांधी-इरविन समझौता हो जाने के बाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भी उपस्थित थे। महात्मा गांधी उपस्थित हुए। उस गोलमेज सम्मेलन में जाते समय डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मैं जा रहा हूं गोलमेज सम्मेलन में, मेरे वर्ग के लिए जो कुछ भी चाहिए वह जरूर मांगूंगा लेकिन इस स्वराज्य के साथ कोई सौदा नहीं होगा, उसके सम्मान के साथ कोई सौदा नहीं होगा। ऐसे राष्ट्रवादी व उदारवादी वह नेता रहे। स्वराज्य की मांग के साथ में कोई सौदा नहीं था। सभापति महोदय, उस समय भी जब वहां पर साम्प्रदायिकता को लेकर, अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात को लेकर जब कोई बात नहीं बैठी तो उस समय के प्रधान मन्त्री मैकडोनाल्ड ने यह कहा कि अब या तो इस साम्प्रदायिकता के स्वरूप में कोई भी अपना फैसला तय कर

(श्री टीकमचन्द कांत)

लें, एक सर्वसम्मत हल तय कर लें, अगर नहीं होता है तो फिर कामचलाऊ कोई न कोई व्यवस्था ब्रिटिश सरकार जारी करेगी और उस कामचलाऊ सरकार के अन्दर उन्होंने साम्प्रदायिक पंचाट की बात रखी। सभापति महोदय, आपने तो पढ़ा होगा इतिहास, उस समय महात्मा गांधी को आमरण-अनशन करना पड़ा और उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर अपनी बात वापस लें। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मुझे धमकाया जा रहा है, मुझे भले ही सड़कों पर जिन्दा जला दिया जाय या लैम्प पोस्ट पर लगा दिया जाय लेकिन मैं अपने वर्ग के लिए जिन हितों की बात कर रहा हूं, उनसे मैं मुड़ नहीं सकता। मैं तो वह मांग करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी कहना पड़े। उस समय डॉक्टर मदन-मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद, एम. एस. राजा डॉक्टर अम्बेडकर के पास पहुंचे और उनसे कहा कि जाओ, गांधीजी के साथ किसी न किसी बात पर समझौता करो, यह आवश्यक है। तब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मैं मानवतावादी हूं, जनतन्त्रवादी हूं, मुझे एक मनुष्य, एक मूल्य, हम जनतन्त्र के हामी हैं हमको यह चाहिए और उन्होंने जाकर गांधीजी के साथ समझौता किया और समझौते में ऐसा हुआ, अलग पृथक् निर्वाचन क्षेत्र, साथ में एक जहां रहता है, एक साधारण क्षेत्र में भी एक अधिक मत देने का अधिकार, वह स्वीकार किया और पूना पैक्ट उसका नाम रखा जो कि 26 सितम्बर, 1932 को गांधीजी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में हुआ। उसके आधार पर आरक्षण, उसके आधार पर सुविधाएं थीं। वह किसी कांग्रेस की दी हुई नहीं थी; यह स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़ने वाले महान राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर अम्बेडकर के कारण मिली थी। इसलिए मैंने कहा कि मैं इस पवित्र सदन से राजस्थान की अनुसूचित जाति को यह सन्देश देना चाहता हूं कि आज हम जो कुछ भी भुगत रहे हैं वह कांग्रेस के कारण नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर की लम्बी लड़ाई के कारण है। उस पूना पैक्ट के बाद सभापति महोदय, फिर भी उसके साथ भी हमको विशेष प्रकार से धोखा हुआ। उसमें भी विश्वासघात हुआ लेकिन फिर भी डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैंने यह समझौता किया है कि महात्मा गांधीजी की जान....

श्री सभापति : एक मिनट। माननीय सदस्य, आप कृपया कटौती प्रस्ताव पर बोलें, नहीं तो समय खत्म हो जायेगा। हिस्ट्री पर नहीं बोलें, कटौती प्रस्तावों पर बोलें।

श्री टीकमचन्द कांत : सभापति महोदय मैं समाज कल्याण विभाग के अन्दर अनु-सूचित जाति के लिए बोल रहा हूं जिस जाति के लिए शायद बहुत कम लोग बोलेंगे।

श्री डूंगरराम पंवार : उस समाज के लिए बोल रहे हैं जिसका कल्याण करना जरूरी है। (व्यवधान)

श्री सभापति : बहुत ठीक है। आप आसन पर आक्षेप नहीं लगा सकते और आप अपने स्थान से बोलिये, मंत्री होकर अनुशासित रहिये।

श्री टीकमचन्द कांत : सभापति महोदय इतना सब कुछ होने के बाद अनुसूचित

(श्री टीकमचन्द कांत)

जाति की जो आज स्थिति है, मैं आपको बता दूं थोड़ा पदोन्नतियों और नियुक्तियों के बारे में। इस संविधान के तहत हमको अधिकार होते हुए भी, पदोन्नतियों और नियुक्तियों के अन्दर थोड़े आंकड़े आपको प्रस्तुत करूंगा। यह आंकड़े मेरे पास 1979-80 के हैं....

एक माननीय सदस्य : लेटेस्ट नहीं हैं....

श्री टीकमचन्द कांत : लेटेस्ट हैं अभी। जब मैं पूरे नहीं बता दूं, मालूम पड़ जायेगा उनको। वर्ष 1977–78 में, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पद भरे जाते हैं, लिखित परीक्षाओं द्वारा अनुसूचित जाति के 51 आरक्षित पदों में से एक पद भरा गया....

श्री देवेन्द्र सिंह (बनेड़ा) : राज किसका था ?

श्री टीकमचन्द कांत : सुनते जाओ। राज की बात नहीं है, यह मानसिकता की बात है....

श्री देवेन्द्र सिंह : मानसिकता ऐसी ही है।

श्री टीकमचन्द कांत : यह मानसिकता की बात है आप लोगों की। मैं यह कह रहा हूं, यह मानसिकता इस देश के अन्दर आपने जो भरी है उसके लिए। जनजातियों के 42 थे उसमें से पद भरे गये-जीरो-शून्य।.... साक्षात्कार के द्वारा 144 पद भरने थे उसमें से 26 भरे गए और जनजाति के 100 पद थे उसमें से 23 भरे गए और इस प्रकार से लिस्ट को आगे बढ़ाया जाये तो जहां लिखित परीक्षा में 203 पद थे 78-79 के अन्दर, वहां 203 में से 49 भरे गये और जनजाति के 176 में से 11 भरे गये। साक्षात्कार के द्वारा 151 में से 78 और 112 में से 37 भरे गये। इसी प्रकार 80, 81, 82, 83 और 84 का है। 82-83 की भी मैं बात कर दूं। 1982-83 के अन्दर भी 291 में से 170 और 222 में से 98, 1983-84 के अन्दर 152 में से 97 और जनजाति के 114 में से 28 और 84-85 के अन्दर पुलिस उप-निरीक्षक के पद 17 थे उसमें से 5 भरे गये और जनजाति के पद 12 थे उसमें से 1 भरा गया। न्यायिक क्षेत्रों में भी 12 में से 8 पद भरे गये। अब सभापति महोदय, यह हालत है इस जाति के आरक्षण और उसके लाभ की। सभापति महोदय, इसमें लोक सेवा आयोग के अन्दर जो व्यवस्था आजकल चल रही है उस व्यवस्था को अगर हम देखें—उसकी बात मैं बाद में करता हूं उसके पूर्व में एक और उदाहरण देना चाहता हूं। राजस्थान की प्रशासनिक सेवाओं में आज तक कोई भी अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा में क्रमोन्नत नहीं किया गया है इस अनुसूचित जाति में से, उसमें कांग्रेस का काल भी शामिल है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए सुपर टाइम स्केल में कोई आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता। राजस्थान राज्य में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य श्रेणी में चयन के उपरान्त भी आरक्षित कोटे में ही माना जाता है। यह भी उसका एक उदाहरण है एक श्री हीरालाल का। आर.जे.एस. के अन्दर दो वर्ष पूर्व टाप किया था उसने लेकिन उसको रखा किसमें गया ? आरक्षण में। सामान्य प्रतियोगिता को टाप करके

(श्री टीकमचन्द कांत)

निकला था लेकिन उसको उसमें रखा गया है। इन आंकड़ों के आधार पर मैं आपको प्रतिशत बताता हूं वर्ग के हिसाब से। वर्ग के हिसाब से वर्ग में पदोन्नति में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व है 5. 63 और जनजाति का प्रतिनिधित्व है 2. 31। वर्ग 2 अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व है 5. 3 और जनजाति का 3. 9 और वर्ग 3 के अन्दर....

श्री हेतराम बेनीवाल : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री सभापति : ठहरिये, इनका व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री हेतराम बेनीवाल : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आज हम जिन मांगों पर बहस कर रहे हैं उसमें से सिर्फ एक मंत्री बैठे हैं। श्रम मंत्री जी तो अपनी जगह नहीं बैठे और गप्पें मार रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि आज उनकी मांग है। न वन मंत्री जी हैं....

श्री सभापति : वन मंत्री जी थे। वह उठकर अभी गये हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : वन मंत्री की जगह वह बैठे हैं। सभापति महोदय, हाउस की यह परम्परा है कि जब कोई मांग हो तो उसके विभाग से संबंधित मंत्री और विभाग से संबंधित अधिकारी हाउस में हों ताकि हम जो अपनी बात कहें उसका उनको पता चले। सरकार सीरियस नहीं है।

श्री सभापति : ऐसा है कि माननीय वन मंत्री जी अभी थे। किसी काम से बाहर गये हैं और राज्य मंत्री जी बिराजे हुए हैं। श्रम मंत्री जी से भी मैं कहूंगा कि वह अपने स्थान पर बैठकर ध्यान से सुनें तो उचित रहेगा। आप (श्री कांत) अपनी बात जारी रखिये।

श्री लालचन्द डूडी (वन मंत्री) : स्टेट मिनिस्टर हैं यहां।

श्री टीकमचन्द कांत : सभापति महोदय वर्ग 3 में 13. 88 और जनजाति का है 3.87 और वर्ग 4 के अन्दर जरूर प्रतिनिधित्व ठीक ढंग से चला है लेकिन उसका कारण यह है कि मैला ढोने का काम, सफाई कर्मचारियों का काम, उस भंगी कार्य को सिर्फ भंगी करता है और उसमें कोई दूसरा आरक्षण मांगने नहीं आता इसीलिए वर्ग 4 में जो नौकरियां हैं उसमें प्रतिनिधित्व बराबर है।

सभापति महोदय, मैं लोक सेवा आयोग की बात कर रहा था। लोक सेवा आयोग की चयन प्रक्रिया के अन्दर जब यह कहकर कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिला उसके बाद में 50 परसेन्ट की इसमें सूची बना दी जाती है और उसके बाद में उन स्थानों पर बैकडोर एन्ट्रीज हो जाती हैं, रिजर्व सीट पर बैकडोर एन्ट्रीज हो जाती हैं। उस स्थान पर दूसरे लोग आते हैं और इन लोगों को कोई लाभ नहीं मिलता। सभापति महोदय, इसी तरह से मुख्य रिक्तियां जब भरी नहीं जाती हैं तो उसके बाद में अब आप कैसे सोच सकते हैं कि जिन स्थान पर वह लोग नहीं लिये गये वह स्थान कैसे भरे जायेंगे।

(श्री टीकमचन्द कांत)

सभापति महोदय, लोक सेवा आयोग के अन्दर, केन्द्रीय लोग सेवा आयोग के अन्दर ऐसे स्थानों के लिए सिर्फ विज्ञप्ति जारी की जाती है तो वह सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए ही की जाती हैं तो उन्हीं के अन्दर से चयन होकर उनकी नियुक्ति की पूर्ति हो जाती है लेकिन यहां राजस्थान लोक सेवा आयोग के अन्दर ऐसा नहीं होता है....

श्री सभापति : जल्दी समाप्त करें ।

श्री टीकमचन्द कांत : जल्दी क्या, इसमें तो और भी बहुत सारी बातें हैं ।

श्री सभापति : समय हो चुका है ।

श्री टीकमचन्द कांत : अब तीन साल वाली बात है और उसमें दूसरे लोग भरे जाते हैं अब आप कहते हैं 16 और 12 यानि 28 प्रतिशत यह कोटा पूरा हो पायेगा यह हो पाना मुश्किल है । इसलिए आवश्यक है कि उनके स्थानों पर अगर भरने की आवश्यकता पड़े तो सिर्फ उसी वर्ग के लिए विज्ञप्ति वापिस निकाली जाये और उन स्थानों को भरा जाये ।

सभापति महोदय, अब रोस्टर प्रणाली के बारे में कहना चाहूंगा । हमने एक तरफ रोस्टर प्रणाली लागू की 100 बिन्दुओं पर । उसके बाद में बदल कर 40 बिन्दु पर हो गयी और उसके बाद 85 बिन्दु और फिर वापिस 100 बिन्दु की हो गयी । रोस्टर के नियमों के अनुसार नियुक्ति और पदोन्नति के अन्दर लोगों को बराबर प्रतिनिधित्व मिले लेकिन उस रोस्टर रजिस्टर को चैक कौन करता है ? उसके लिए जो नियम बने हुए हैं उसको कौन देखता है ? बैकलांग की त्रैमासिक रिपोर्ट कौन देखता है ? पहले तो ऐसा था कि समाज कल्याण विभाग इसके ऊपर निगरानी रखेगा और रिपोर्ट जायेगी और उसके बाद में यह कार्मिक विभाग को जाने लग गयी और उसके बाद आज स्थिति यह है सभापति महोदय कि उन सारे स्थानों पर....

श्री सभापति : 20 मिनट हो चुके हैं । माननीय सदस्य आज मुखबंद का भी प्रयोग है ।

श्री टीकमचन्द कांत : मिल जायेगा आप बेफिक्र रहिये । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस रोस्टर के ऊपर चैकिंग बराबर होनी चाहिए और जब डी .पी. सी. बैठती है तो कहीं कम्पलसरी नहीं है कि अनुसूचित जाति का प्रतिनिधि उसमें बैठेगा । अनुसूचित जाति का प्रतिनिधि उस डी. पी. सी. में यदि बैठेगा नहीं तो कैसे न्याय मिलेगा जब कि सामाजिक व्यवस्था ऐसी है । मेरा निवेदन है सरकार से कि इस मामले के अन्दर या तो अनुसूचित जाति का प्रतिनिधि बैठाया जाये या फिर समाज कल्याण विभाग को कम से कम इसकी मानीटरिंग का, इसकी चैकिंग का और प्रतिनिधि के रूप में बैठने का ऐसे मामलों में अधिकार दिया जाना चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए ।

श्री सभापति : कृपया जल्दी समाप्त करें ।

श्री टीकमचन्द कांत : सभापति महोदय, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद में योजना आयोग ने जब सारे आंकड़े निकाले

(श्री टीकमचन्द कांत)

तो उसमें देखा कि इतना सारा खर्च होने के बाद में भी अनुसूचित जाति की समस्याओं का न तो निवारण हुआ और न इनके स्तर में कोई फर्क आया तब उन्होंने यह तय किया है कि इनके लिए हमको विशेष तौर से स्पेशल काम्पोनेंट प्लान के तहत पैसा प्रारम्भ इसके लिए कर देना चाहिए और उन्होंने यह किया कि यह राज्य की योजना है। राज्य की योजना में से, प्रत्येक विभाग अपनी योजना में से 17 प्रतिशत की राशि अनुसूचित जाति के लिए ही रखे, उनके लाभ के लिए ही रखे लेकिन सभापति महोदय, 78-79 से प्रारम्भ हुई यह एस. सी. काम्पोनेंट प्लान आज अगर किसी विभाग को पूछा जाय, उससे पूछ लो कि पैसा कहां खर्च किया, उसका भौतिक सत्यापन हम करवाना चाहें। पी. डब्ल्यू. डी. से कहेंगे कौन-कौन से क्षेत्र में एस. सी. को ध्यान में रखकर सड़क आपने बनाई है ? अगर हम पानी वालों की बात करें और अगर उनसे कहें कि अनुसूचित जाति के लिए विभाग में कितना पैसा आपने इस मद पर खर्च किया है, कोई हिसाब नहीं मिलता। मैं धन्यवाद दूंगा समाज कल्याण मंत्रीजी, इस बार आपको कि आपने कम से कम यह शुरूआत तो की है। यह एस. सी. के बारे में पूछना चाहता हूं, शुरू तो किया है. हमारा पैसा कहां गया ? मैं इस सदन में, सरकार से निवेदन करता हूं कि अनुसूचित जाति के नाम पर वह स्पेशल काम्पोनेंट प्लान का पैसा उनका, 17 प्रतिशत की उनके लिए अलग से योजना बनाई जाय, उनको ध्यान में रखकर बनाई जाय तब कहीं जाकर पंचवर्षीय योजना के बाद में और आयुक्त ने जो रिपोर्ट दी थी उसका कोई न कोई लाभ मिलेगा।

सभापति महोदय, राजस्थान में राजस्थान अनुसूचित विकास सहकारी निगम के कई कार्यक्रम हैं। मैं लम्बी-चौड़ी बात नहीं करूंगा लेकिन कई कार्यक्रम हैं उसके ताकि थोड़े उभर के, थोड़े ऊँचे उठें, उनका स्तर ऊँचा आये। सभापति महोदय, 28 करोड़ रुपया उनके पास ऐसे ही पड़ा है। वह 28 करोड़ रुपया आज तक उन्होंने काम में क्यों नहीं लिया ? अनुसूचित जाति के लाभ के लिए खर्चा क्यों नहीं किया ? 28 करोड़ रुपया उनके पास अब तक है। सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि वह पैसा उनके कार्यों में लगे। सभापति महोदय, अब आपको आज की पूर्व स्थिति बताऊं। आज भी गांवों में कप-प्लेट हरिजनों के लिए होटलों में अलग होते हैं। आज भी सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता है। आज भी घोड़ी पर से दूल्हों को नीचे उतारा जाता है। आज भी उनको जाजम के ऊपर कौने पर बैठाया जाता है भले ही वे कोई भी हों, पंच हों, कैसे भी हों। आज भी मंदिर प्रवेश नहीं होता है। 81 में माननीय शिवचरणजी माथुर ने जरूर वह नाटक किया था नाथद्वारा में उनको प्रवेश दिलवाने का। समाज में सिर्फ संघर्ष पैदा हुआ था। समाज की मानसिकता बदलने की आवश्यकता थी। मन्दिरों में अगर हम आज पूजना छोड़ दें, उसी देवता से हम अपना मुंह मोड़ लें, उस देवता को हम अपना देवता नहीं मानें कल उस मन्दिर में आस्था रखने वाले हिन्दू समाज का क्या होगा ? सभापति महोदय, एक मीनाक्षीपुरम् काण्ड

(श्री टीकमचन्द कांत)

क्या नहीं कर पाया इस हिन्दुस्तान में। इन्दिरा गांधी तक को उस पर विचार करना पड़ा कि मीनाक्षीपुरम् का काण्ड इस हिन्दुस्तान को कहां से कहां ले जाकर पटक देगा। आज मैं इसका अन्त जानता हूं। मैं चाहता हूं कि यहां की सरकार, सामाजिक संस्थाएँ, विभाग कुछ ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तनों की तरफ बढ़ें कि मंदिरों में प्रवेश के लिए हमको आन्दोलन नहीं करना पड़े और मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर साहब को नाथद्वारा में यह नाटक नहीं करना पड़े। नाटकों की आवश्यकता नहीं है। इस मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है और मानसिकता क्यों नहीं बदली गयी ? 40 वर्ष के शासन में अनुसूचित जाति को सिर्फ कब्जे में रखा गया इसलिए आज भी मैं कह रहा हूं इन सुविधाओं को मत समझो कि कांग्रेस की दी हुई यह सुविधायें हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की दी हुई है। उसी के कारण से अनुसूचित जाति के लोगों को इस कांग्रेस ने जिस प्रकार से गुलाम बना रखा है मैं कांग्रेस पार्टी से भी निवेदन करता हूं, उसको स्वतंत्र सोचने दीजिये। उसका इतिहास उसके सामने रखिये ताकि वह समझ सके यह राजनीतिक गुलामी। यह राजनीतिक गुलामी भी हमारा शोषण है। सभापति महोदय, हम यह राजनीतिक गुलामी नहीं चाहते।

श्री सभापति : माननीय श्री हरिसिंह महुआ। अब आप समाप्त करें।

श्री टीकमचन्द कांत : थोड़ा-सा और बोलूंगा।

श्री सभापति : अब आप 25 मिनट बोल चुके हैं। माननीय हरिसिंह महुआ।

श्री टीकमचन्द कांत : एक बात और कहना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, आरक्षण का विरोध क्यों हो रहा है ? आरक्षण का विरोध सिर्फ राजनीतिक है। माधवसिंह सोलंकी गुजरात में आरक्षण विरोध अमरसिंह चौधरी को नीचे उतारने के लिए करते हैं। आरक्षण का विरोध यहाँ पैसे देकर पार्टियां और राजनीतिक पार्टियां करवाती हैं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप 25 मिनट बोल चुके हैं। रुक ही नहीं रहे हैं।

श्री टीकमचन्द कांत : आरक्षण का विरोध क्यों....

श्री सभापति : आसन से ऐसी व्यवस्था है कि 20 मिनट से ज्यादा नहीं बोलें। आप 25 मिनट बोल चुके हैं।

श्री टीकमचन्द कांत : सदियों तक देश का शासक सत्तापक्ष या सत्तापक्ष के जो लोग भी रहे....

श्री सभापति : ऐसा है माननीय सदस्य आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिये। मैंने आगे पुकार लिया है।

श्री टीकमचन्द कांत : सदियों तक इस देश पर जो शासन रहा है वह तथाकथित सवर्णों का रहा है। फिर देश सदियों तक गुलाम क्यों रहा ?

श्री हेतराम बेनीवाल : तथाकथित क्यों

(श्री हेतराम बेनीवाल)

असली सवर्णों का, तथाकथित किसलिए ? आप भी तथाकथित समझते हो ।

श्री टीकमचन्द कांत : अनुसूचित जाति के लोगों ने देश को नहीं बेचा । मीर जाफर और जयचंद अनुसूचित जाति में पैदा नहीं हुए । अनुसूचित जाति में पैदा हुआ है माया मेघवाल जिसने जोधपुर में किला बनाने के लिए उसमें जाकर अपनी बली दी । जिन्दा उसमें गाडा गया । अनुसूचित जाति में डॉक्टर अम्बेडकर पैदा हुआ जिसने भारत को इतना महान् संविधान दिया है । अनुसूचित जाति में बालिमकी पैदा हुए जिन्होंने रामायण सरीखा ग्रन्थ दिया । अनुसूचित जाति में उत्तम सिंह पैदा हुआ जिसने जनरल डायर को, जलियांवाला हत्याकाण्ड करने वाले जनरल डायर को इंगलैण्ड जाकर मारा । अनुसूचित जाति में रैदास हुआ जिसकी पत्नी मीरा थी सभापति महोदय ।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें (व्यवधान)....

श्री टीकमचन्द कांत : हां, मैं करता हूं । सभापति महोदय, मैं यह चाहूंगा कुल-मिलाकर के आज राजस्थान की अनुसूचित जाति की प्रोवीजनल जनसंख्या 21·7 प्रतिशत होने जा रही है । 12 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की है । 33 प्रतिशत बनने जा रही है । 33 प्रतिशत समाज को, उसके कल्याण को, देख लीजिये और मिला लीजिए कि दूसरों को क्या मिल रहा है और उस 33 प्रतिशत को क्या मिल रहा है ? (समय-समाप्ति सूचक घण्टी) इस 33 प्रतिशत की अगर कोई भी पार्टी अवहेलना करेगी, उपेक्षा करेगी तो उस पार्टी का नहीं, फिर 33 प्रतिशत का राज होगा । (समय समाप्ति सूचक घण्टी) सिर्फ एक बात और ।

श्री सभापति : कहिये ।

श्री टीकम चन्द कांत : सभापति महोदय, इस देश की राजनीति में, सबसे बड़ी बात तो मैं कहूंगा कि कांग्रेस जगजीवन राम, जगजीवन राम हमारे दलित नेता थे उनके सामने बी. पी. मौर्य को लाई, बी.पी. मौर्य के बाद में रामधनजी को लाई एक भी खड़ा नहीं होने दिया और रामधनजी ने जब कहा कि अब तो राज्य सभा में 11 सदस्य ही मात्र अनुसूचित जाति के हैं और इस मांग पर कि हमारा कोई कोटा पूरा नहीं कर रहे हो, इसलिए मैं इस कांग्रेस के महामंत्री के पद से इस्तीफा देता हूं और स्वर्गीय राजीव गांधी, उनके विषय में मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन हवाई जहाज पर चढ़ते हुए उस रामधन के स्तीफे पर दस्तखत हो रहे हैं । मेरा मतलब यह था कि अनुसूचित जाति का कोई भी नेता इस कांग्रेस ने पैदा नहीं होने दिया । धन्यवाद ।

श्री सभापति : माननीय श्री हरिसिंह महुआ ।

सदन की कार्यवाही

सदन की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओम प्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक बढ़ाया जावे ।

श्री सभापति : क्या सदन की सहमति

(153)

(श्री सभापति)

है कि सदन का समय कार्य सूची समाप्त होने तक बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय कार्य सूची पूरी होने तक के लिए बढ़ाया गया

— मुख बन्द के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि आय-व्ययक वर्ष 1992-93 की शेष मांगें सायं 7 बजे मुख बंद का प्रयोग किया जाकर मतदान हेतु प्रस्तुत की जाय।

श्री सभापति : मुख बंद का प्रयोग जो है माननीय अध्यक्ष महोदय से बात करके अभी अनाउंस कर दिया जायेगा।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : बात कर ली।

श्री सभापति : तो ठीक है। 7 बजे मुख बंद का प्रयोग होगा। माननीय वक्ता बोलते समय टाइम का ध्यान रखें।

मांग संख्या 33 व 9 पर विचार

श्री प्रद्युम्न सिंह : मंत्री महोदय का उत्तर कब होगा ?

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : वह छह बजे बोल लेंगे।

श्री सभापति : वह इसमें सम्मिलित हैं। 7 बजे पहले-पहले सब हो जायेगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : 7 बजे से पहले-पहले।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : 6 बजे हो जायेगा उत्तर। 7 बजे दोनों का हो जायेगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मंत्री महोदय तो गागर में सागर करेंगे। 15 मिनट में सब अपनी बात कह देंगे।

श्री दिग्विजय सिंह : दोनों का ही 6 बजे उत्तर शुरू हो जायेगा, छह बजे से साढ़े छह, साढ़े छह बजे से सात बजे। 6 बजे दोनों का उत्तर शुरू हो जायेगा।

श्री सभापति : माननीय श्री हरिसिंह महुआ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में....

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, एक सदन को सूचना देना चाहता हूं कि टोडारायसिंह में जो जघन्य अवरोध और हत्या हुई थी उनके पाँचों मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय श्री हरिसिंह (महुआ)।

श्री हरिसिंह : (महुआ) : सभापति महोदय, आज सदन में समाज कल्याण और वन की डिमाण्ड के ऊपर वाद-विवाद में अपने आपको शरीक करते हुए, मैं वनों के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा। सभापति महोदय, यह तो निर्विवाद सत्य है कि वनों की महत्ता को आज हिन्दुस्तान में ही नहीं, सारे संसार में स्वीकार किया गया है। वन और पर्यावरण, यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आज पर्यावरण इतना प्रदूषित हो गया है कि सारी मानवता ही खतरे में पड़ गई

(श्री हरिसिंह)

है और पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए वनों का होना बहुत आवश्यक है। सभापति महोदय, इसकी महत्ता को नकारा तो नहीं जा सकता और वनों की महत्ता को देखते हुए ही राजस्थान की सरकार पिछले लम्बे समय से वनरोपण और वनों की सुरक्षा, वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु बजट में बहुत बड़ी-बड़ी राशियों का प्रावधान रखा। सभापति महोदय, तकलीफ इस बात की है कि हमने वन के ऊपर जितनी राशि खर्च की है, सन् 80 से लेकर 92 तक के आंकड़े उठाकर देख लो और 92-93 की बजट बहस में हम सम्मिलित हैं, एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे बजट का हमने वनों के लिए आरक्षित किया है। सभापति महोदय, सन् 80 से लेकर 92 तक एक अरब से अधिक पेड़ राजस्थान में वन विभाग द्वारा लगाये जा चुके हैं। यह बहुत बड़ी संख्या है और उन एक अरब पेड़ों की तरफ हम देखेंगे तो अब राजस्थान में वनों का कोई घाटा रहा ही नहीं, पूरा राजस्थान हरा-भरा हो गया। स्वयं वन विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के आधार पर, यह जितने पेड़ लगाते हैं उसमें 56 परसेण्ट का इन्होंने सरवांइवल माना है। उसके आधार पर भी अगर 55-56 करोड़ वृक्ष अगर राजस्थान की धरती पर हैं तो मैं समझता हूं हमारा जो टोटल वन क्षेत्र है, उसका प्रतिशत भी ऊँचा चला जाना चाहिए था। दुर्भाग्य की बात यह है कि सम्पूर्ण वनों का हमारा प्रतिशत एक अरब पेड़ लगाने के बाद भी नीचे आया है और इसके पीछे एक मुख्य कारण यह है, सभापति महोदय, मैं वन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि आपके विभाग में जितना भ्रष्टाचार व्याप्त है, मेरे पास अखबारों की कटिंग है, जिसमें आपने स्वयं ने इसको स्वीकारा है और अधिकारियों से कहा है कि भ्रष्टाचार को मिटाइये। हकीकत यह है कि आप जो कुछ भी बजट यहां पारित करके दे रहे हैं वन विभाग को, मुझे विश्वास नहीं है कि उसका 15 प्रतिशत भी काम यह लोग कर पायेंगे। 85 प्रतिशत रकम पाकेटेड हो जाती है, यह दुर्भाग्य है प्रदेश का। सभापति महोदय, राजस्थान प्रदेश में किस प्रकार वृक्षारोपण हो रहा है, उसका नमूना मैं आपके माध्यम में वन मंत्री महोदय को प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। सभापति महोदय, मैंने 88 में मेरे यहां के एक रेंजर की शिकायत की और उस शिकायत के आधार पर उसका वहां से स्थानान्तरण कर दिया गया। स्थानान्तरण के बाद 6 जुलाई, 88 को दूसरा रेंजर आ गया और उसने उस रेंजर को रिलीव कर दिया। रिलीव कर देने के बाद उसी महीने 19 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक डी. एफ. ओ. करौली ने उस व्यक्ति को 11 लाख रुपये का चैक दिया, एक हजार क्विटल गेहूं दिया और सबसे ज्यादा तकलीफ की बात यह है कि उसी अवधि में उसको मस्टररोल दी गई, जिसका समायोजन भी उसको विदइन फिफ्टीन डेज था और इसकी भी मैंने शिकायत की। दो साल तक शिकायत चलती रही, उसका भुगतान नहीं हुआ। उन्होंने महुआ रेंज आफिस में डेढ़ लाख रुपये की एक बिल्डिंग बनायी। आप आश्चर्य करेंगे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। आपके विभाग के किसी भी अधिकारी ने, कर्मचारी ने यह नहीं पूछा कि यह

(श्री हरिसिंह)

बिल्डिंग किसने बनायी है ? उसका कोई पेमेण्ट नहीं उठाया। वह आदमी इतना पैसा खाये हुए था कि जब उस भवन के बनाने की गड़बड़ियां मेरे हाथ में आयीं, तो उन्होंने वह हिसाब डी. एफ. ओ. के यहां प्रस्तुत नहीं किया और आज तक उसका पेमेण्ट नहीं लिया। इतना दानशील, इतना उदार मन, इतने उदार हृदय से वह महुआ रेंज को डेढ़ लाख रुपये का भुगतान करके चला गया, आज तक आपके विभाग के किसी अधिकारी ने नहीं पूछा कि इसका हिसाब तो पेश कर दो। मैं तो उसको मजाक में लोगों से कहा करता हूं कि यह भूत बंगला है, रात-रात में भूत बना गये। सभापति महोदय, मैंने शिकायत की और शिकायत करने के बाद दो साल तक कार्यवाही चलती रही। उसके कार्यों का वेरीफिकेशन नहीं किया गया, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मई, 1990 में सी. एफ., भरतपुर ने अपने कार्यालय में पदस्थापित ए. सी. एफ. सुश्री श्रुति शर्मा, जिनका कि अधिकार क्षेत्र महुआ नहीं था, महुआ डी. एफ. ओ. करौली के क्षेत्राधिकार में आता है, उन सब वाउचर्स का, मस्टररोल का वेरीफिकेशन नहीं करवाया और उस व्यक्ति को भुगतान कर दिया। उसी दरम्यान, सभापति महोदय, 597 क्विटल गेहूं हिण्डोन के केदार घासी की दुकान पर बिकता हुआ पकड़ा गया मंडी में, जिसमें 277 क्विटल गेहूं महुआ वन क्षेत्र का था, 247 क्विटल गेहूं करौली वन क्षेत्र का था और वह भी रफा-दफा हुआ उसके बाद 90 में मैंने फिर शिकायत की, सी. एफ. साहब के यहां पेश हुआ। मैंने उनसे निवेदन किया कि इतने-इतने प्लांटेशन मेरे पास हैं। मैंने गांवों के नाम दिये, जहां प्लांटेशन थे। रसीदपुर, बालोहड़ी नोरंगवाड़ा, नांदना, कालापहाड़, सहारनपुर, ओडमीणा, सरावली। शिकायत में मैंने तो यह कहा था कि आप अपने कार्यालय के किसी व्यक्ति को भेज दीजिये, उन्होंने डी.एफ.ओ., करौली को भेज दिया। डी.एफ.ओ., करौली खुद उस चोरी में सम्मिलित था और उन्होंने वहां अपने उप वन संरक्षक से उसकी जांच करवायी।

सभापति महोदय, मेरे महुआ क्षेत्र के पास से बाणगंगा नदी होकर गुजरती है। बाणगंगा के किनारे 50 हजार पेड़ लगाने का भुगतान उठा लिया गया, एक खड्डा नहीं खोदा, मैंने शिकायत की और स्पेसिफिक अपनी कम्पलेंट में मैंने यह लिखा कि शिकायतकर्त्ता को साथ लिया जाये, जब भौतिक सत्यापन किया जाये उस समय। आप आश्चर्य करेंगे, मुझे आज तक नहीं पूछा गया और मैंने अभी सदन में यह प्रश्न लगाया था, उस प्रश्न का जवाब आया है। वन मंत्रीजी, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, उसमें सरकार को भी गुमराह किया गया है। मैंने पूछा क्या शिकायतकर्त्ता की दोबारा जांच व्यक्तिगत सुनवाई की गई ? यदि नहीं तो क्यों ? प्रारम्भिक जांच अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता को सुनवाई हेतु पत्र लिखा गया है, जाँच की कार्यवाही अभी जारी है। जांच सम्पन्न होने के पश्चात् दोषी अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। यानि एक तरफ वह यहां कह रहे हैं कि जांच जारी है और दूसरी तरफ अंत में वह लिख रहे हैं उक्त बिन्दुओं की

156

(श्री हरिसिंह)

परख तथा जांच, रिकार्ड एवं निरीक्षण के आधार पर करा ली गई है, किसी वनकर्मी की गलती नहीं पायी गई और मैंने जिस बाणगंगा की नदी के पेटे में वृक्ष लगाने की शिकायत की थी, उसके लिये आप लिख रहे हैं, रसीदपुर वृक्षारोपण 1990 का कार्य, बिल, वाउचर आदि की जांच कर ली गई है तथा इस वृक्षारोपण के बाणगंगा नदी में बाढ़ आने के कारण बहने की रिपोर्ट इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 74-76 दिनांक 5-10-90 द्वारा पूर्व में प्रस्तुत की जा चुकी है। मैं दावा करता हूं कि 80 से लेकर 92 तक बाणगंगा में बाढ़ तो दूसरी बात है, दो फीट पानी भी नहीं आया। आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस बाणगंगा नदी, जिससे जमवा रामगढ़ बंधे को पानी आ रहा है, पर इतने एनीकट्स का निर्माण हो गया है कि जमवा रामगढ़ के बंधे में भी पानी आ नहीं रहा है। जमवा रामगढ़ का बंधा भी भराव क्षमता प्राप्त नहीं कर रहा है। बाणगंगा के पानी को तो एनीकट्स ने रोक दिया है, महुआ तक बाणगंगा का पानी आज तक नहीं पहुंचा और बड़ी××× से यह कह दिया गया कि बाणगंगा में बाढ़ आई और 50 हजार पेड़ उसमें बहकर चले गये।

यह पूरे राजस्थान का बजट जितना आप मांग रहे हैं वह कहीं नदियों की बाढ़ में बह जायेगा, कहीं वनों में जंगलों में आग लगकर खत्म हो जायेगा, कहीं तूफान, आयेंगे कहीं तबाही आयेगी और कुछ नहीं होने वाला है। आपके अन्दर अगर क्षमता है आप संकल्पवान हैं और आप विभाग के अन्दर भ्रष्टाचार मिटाने के लिए संकल्प लेते हैं तो ही आपको इसके नतीजे मिल सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा। इस सदन में पूछा गया प्रश्न उसमें भी आपको धोखा दे रहे हैं।

सदन को गुमराह कर रहे हैं अगर इस पवित्र सदन को वन विभाग के अधिकारी गुमराह करने की बात करते हैं तो सभापति महोदय, आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि राजस्थान के इस पवित्र सदन और यहां बैठने वाले जन प्रतिनिधियों की कोई रिलेवेंसी नहीं रह जाती है कोई अर्थ नहीं है। मैं किसी दूसरे की शिकायत की बात नहीं कर रहा हूं। शिकायत मेरी खुद की थी और वह कह रहे हैं, लिख रहे हैं मेरे जवाब में कि शिकायतकर्त्ता को पत्र लिखा भी है तो उन्होंने अपनी दराज में डाल दिया। मैं हल्फिया बयान दे सकता हूं कि मेरे पास आज तक करोली के वन विभाग के अधिकारी का कोई पत्र नहीं आया। न मुझे साथ लिया गया न इसका भौतिक सत्यापन किया गया। यही नहीं मैं एक बात और आपसे निवेदन कर रहा हूं एक और जगह वृक्षारोपण हुआ है। सभापति महोदय, चार लाख का खर्चा हुआ। मैंने डी. एफ. ओ. करौली को शिकायत की है। ढाई हजार में सरकण्डे के पूलें बांधकर बैच दिये। 10 हजार के सरकण्डे आपके अधिकारी ने, आपका रेंजर भी मिला हुआ था आपका फोरेस्टर भी मिला हुआ था और

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हरिसिंह)

10 हजार की पूंजी को ठिकाने लगा दिया। आपका वहां पर अधिकार नहीं था, चारागाह की भूमि थी, चारागाह में अगर कोई है तो पंचायत और आपका मिश्रित हक है। दोनों की साझेदारी थी। आपने बिना पंचायत की इजाजत के कैसे इन सरकण्डों को बेच दिया? पर आज तक कुछ नहीं हुआ। मैंने डी. एफ. ओ. से शिकायत की। डी. एफ. ओ. साहब कहते हैं पचास हजार का काम होगा। मैंने पूछा कार्यवाही क्यों नहीं करते हो! मैं कर रहा हूं। बाणगंगा की बाढ़ में वह गये इसी प्रकार इसमें आग लग जायेगी। मैं आपके द्वारा सभापति महोदय, निवेदन करूं. मेरे यहां सरावड़ी गांव है जहां पर इन लोगों ने प्लाण्टेशन लगाये हुए हैं। वहां आप आश्चर्य करेंगे इनको यह पता नहीं कि सवाई माधोपुर जिले की सीमा कहां समाप्त हो गयी और अलवर जिले की सीमा कहां शुरू हो गयी। सरावड़ी में लगने वाला प्लाण्टेशन अलवर में बूढा और उकेरी गांव में लगा दिया। मौके पर सरावड़ी गांव में प्लाण्टेशन नहीं है वह गुढ़ा और उकेरी में लगा दिया। इतनी बड़ी-बड़ी गलतियां आपका विभाग करे और जांच भी वही अधिकारी कर रहा है जो इसमें परसेण्टेज ले रहा हैं, वही काम करेगा और आप आश्चर्य करेंगे कि शिकायत करने के बाद कुछ नहीं हुआ तो या तो हम असत्य कह रहे हैं और अगर मैं गलत आपको पाऊं तो इस सदन में खड़े होकर आप मेरा इस्तीफा मांग लेना। नहीं तो अपने अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कीजिए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से अनुरोध कर रहा हूं कि यह जो शिकायत की है, मेरी शिकायत की जांच की, उसकी कीमत 30 हजार है। जिस फोरेस्टर और रेंजर की शिकायत की है उसने कहा आपने हमारा क्या बिगाड़ लिया 30 हजार का नुकसान करा दिया। 10 प्रतिशत तो पहले ही ले लिया था डी. एफ. ओ. ने और 30 हजार रुपये और ले लिये और माफीनामा मिल गया। सभापति महोदय, यह एक जगह का हाल नहीं है मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं बूंदी का भी यही हाल है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

समय का अभाव है इसलिए मैं अलग से वन मन्त्री महोदय को शिकायत लिखकर दे दूंगा और देखता हूं मन्त्री महोदय उस पर कितनी कार्यवाही करते हैं।

एक और तकलीफ वाली बात है। मेरे जिले में भारत प्रसिद्ध टाइगर प्रोजेक्ट है "रणथम्भोर" और उसमें रहने वाले वन्य जीवों की सुरक्षा के कारण हम को रासायनिक खाद का पांच सौ करोड़ के कारखाने से हाथ धोड़ा पड़ा। सवाई माधोपुर में वह नहीं लगा दूसरी जगह चला गया और अब वहां एक तालाब है खण्डार तहसील में मानसरोवर मैं वहां गया तो रास्ते पर सड़क के किनारे मैंने देखा कि जो 15–20 फुट ऊंचाई के धोक के पेड़ थे उनको दो फिट ऊपर से काट दिया। आप खुद वहां उस सड़क से वन मन्त्रीजी निकलें तो आप पायेंगे कि लाखों पेड़ कट गये जो प्रकृति की देन थे आपके विभाग को उससे कोई लेना देना नहीं था। वह आपके विभाग ने नहीं उगाये, आपके विभाग ने नहीं लगाये वह तो प्रकृति की

(श्री हरिसिंह)

देन हैं उस प्रकृति की देन को काट दिया। ग्राज स्थिति यह है कि उस टाइगर प्रोजेक्ट में सरे ग्राम गधों पर, घोड़ों पर, ऊंटों पर लकड़ी कटकर ग्रा रही है ग्रौर सवाई माधोपुर में बिक रही है। हर एक की रेट फिक्स है गधे की पांच रुपये, ऊंट गाड़ी की रेट 15 रुपये ग्रौर खच्चर की 10 रुपये। सरेग्राम वन ग्रधिकारी बैठे हुए हैं शाम को काउण्ट करके ले रहे हैं तुमने कितने गधे निकाले इतने रुपये दो, तुमने कितनी ऊंट गाड़ी निकाली, इतना दो, किसी को कोई ध्यान नहीं है। निरन्तर वन विकास के नाम पर पूरे के पूरे ग्रलवर में यह हाल हो रहा है। खनिज उद्योग बंद हो गया है। ग्ररावली के विकास के नाम पर ग्रौद्योगिकरण को रोकने की साजिश हो रही है। न वन लग रहे हैं ग्रौर ग्रौद्योगिकरण की दृष्टि से राजस्थान को पिछड़वाना चाहते हैं। खनिज हमारा महत्वपूर्ण साधन है उसमें भी राजस्थान के हक को छीनना चाहते हैं। दूसरी तरफ वन का विकास नहीं विनाश कर रहे हैं। मैं सभापति महोदय, इतना ही कहकर ग्रापके माध्यम से मन्त्री महोदय से ग्रनुरोध कर रहा हूं कि वन मन्त्रीजी ग्राप मुस्तैदी के साथ ग्रपने विभाग को सम्भालिए। ग्राप स्वयं जाकर या ग्रपनी एजेंसी से जब वृक्षारोपण हो भौतिक सत्यापन कराइये। रिपोर्ट मंगवाइये तो ही कारगर-नतीजे हासिल होंगे वर्ना नहीं हो सकते हैं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय प्रो. सांवरलाल।

श्री सांवरलाल (मिनाय) : सभापति महोदय, मांग वन ग्रौर सामाजिक सुरक्षा के समर्थन में मैं ग्रपने विचार रख रहा हूं ग्रौर सदन से ग्रपेक्षा करता हूं कि यह राशि इन विभागों के प्रभारी मन्त्रियों को इस वित्तीय वर्ष में खर्च करने के लिए दे दी जाय।

माननीय सभापति महोदय, बहुत पुराने जमाने से कहावत हुग्रा करती थी मिनखा माया सूखा पेड़। जब देश ग्राजाद हुग्रा प्रजातान्त्रिक सरकार बनी तो दो महकमे कायम हुए। एक तो मानव के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय बनाया गया ग्रौर दिल्ली वालों ने ग्राजकल मानव संसाधान मंत्रालय बना दिया ग्रौर पेड़ पौधों के लिए जंगलात का महकमा वन विभाग कायम किया ग्रौर स्वास्थ्य विभाग को जिम्मेदारी दी कि मानव को सीमित रखे, जनसंख्या पर नियन्त्रण जरूरी है ग्रौर वन विभाग को जिम्मेदारी दी कि पेड़ पौधे लगावें क्योंकि ग्रशोक के जमाने से लगते ग्रा रहे हैं। ग्राप नया काम नहीं कर रहे हैं। छायादार पेड़ लगाग्रो, फलदार लगाग्रो ग्रौर हमें यह कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि दोनों महकमे ग्रपने क्षेत्र में ग्रसफल रहे हैं। जनसंख्या नियन्त्रण की जगह जनसंख्या बढ़ रही है ग्रौर पेड़ पौधे जब से यह महकमा बना जहां तक हमारी जानकारी है निश्चित तौर पर हम उसको रोकने में कामयाब नहीं रहे। एक महत्वपूर्ण समस्या हमारे यहां देशी बबूल है उसको तो हम लगाने में नाकामयाब रहे, किसी के दिमाग में ग्राया विदेशी बबूल (जूली फ्लावर) के लिए तो वह ग्रंग्रेजी बबूल निश्चित रूप से इस जंगलात के महकमे की उपलब्धि मानी जा सकती है। दूसरा जंगल में विचरण करने वाला रोजड़ा।

(श्री सांवरलाल)

नील गाय जिससे हमारा किसान सबसे ज्यादा परेशान है और यह "जूली फ्लावर" नाम याद नहीं रहता है इसलिए हमारे गांव वाले कहते हैं कौन सा पेड़ है "अंग्रेजी बबूल" हमारे हिन्दुस्तान का नहीं है ।

मेरा निवेदन है सबसे पहले वन मंत्रीजी से कि 57 प्रतिशत अगर हमारे पेड़ सुरक्षित रहते हैं तो में निश्चित रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे पेड़ पौधे लगाने को आप तरजीह दीजिए जो हमारे वातावरण के अनुकूल हैं । जैसे खेजड़ी लगाइये, शीशम, बबूल, नीम लगाइये । विदेशी पेड़ किसी काम के नहीं हैं उल्टे परेशानी पैदा करते हैं जैसे रोजड़ा ने हमारे सामने परेशानी पैदा कर दी । नील गाय से किसान परेशान हैं और सो नहीं सकता है । रात किसान वहीं पर गुजारता है । जंगल में रहना पड़ता है । फिर भी वह जनसंख्या बढ़ रही है ।

(4.10 अपराह्न)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पर्दासीन)

यह कौन बढ़ा रहा है । जैसे गांवों में बढ़ रही है इसका भी आंकड़ा मंत्रालय को कलेक्ट करना चाहिए कि जनसंख्या कहां बढ़ रही है । मेरा यह निवेदन है कि वन विभाग को विशेष रूप से इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि जो भौगोलिक स्थिति के अनुसार पेड़ पौधे हैं उनको लगायें और उनको सुरक्षित रखना आपके विभाग का पूर्ण उत्तरदायित्व होना चाहिए । छायादार पेड़ सड़क के किनारे अशोक ने लगाये थे । अब जब सड़क बनती है तो पेड़ पहले काट देते हैं कि साहब यह वन के बीच में आ रही है । मेरा निवेदन यह है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग को आप हिदायत दें कि कम से कम सड़क बने तो उसके साइड में पेड़ रहें । इससे कई फायदे होंगे । आपका कोई राहगीर जा रहा है उसको छाया मिलेगी । आपके गाड़ी-घोड़े चलते हैं वह भी गरम नहीं होंगे, प्रदूषण की समस्या नहीं होगी । इसलिये मेरा स्पष्ट निवेदन है कि हिन्दुस्तान में आप देख लीजिये जैसे-जैसे वन सीमित होते गये सदाबहार वन है असम और कुछ क्षेत्र को छोड़कर लेकिन सदाबहार वन हमारे पास नहीं है जिसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं । बे-मौसम में बरसात हो रही है । आज बरसात की हमें जरूरत नहीं है पर बरसात हो रही है और किसान खलिहानों के अन्दर भगवान को याद करें, इस राज को याद करें । न तो राज साथ देता है और न ही राम साथ देता है । इसलिये मेरा निवेदन है कि वनस्पति के ऊपर ध्यान देना जरूरी है । आज पहाड़ी देख लीजिये । जब हम छोटे-छोटे थे, छोटी-छोटी पहाड़ी हरी भरी हुआ करती थी पर आज वीरान हैं । अरावली योजना लागू की है । तो निश्चित रूप से हमने पहले भी निवेदन किया कि वन प्रदेश की सूची के अन्दर सम्मिलित होना चाहिये । भारत सरकार ने सूची में लेकर कुछ हमारे इस वन विकास के ऊपर प्रतिबन्ध लगाया । इसके साथ ही दूसरे कार्यक्रम हम स्थापित कर सकते हैं । राजस्थान सरकार अपने प्रदेश के लिये कर सकती है । आज जैसे एक समस्या आयी, हमारे अलवर या भिवाड़ी हों औद्योगिक क्षेत्र हो या माइनिंग हो । निश्चित रूप से

(श्री सांवरलाल)

खान भी जरूरी है, औद्योगिक क्षेत्र का विकसित करना भी जरूरी है और इसके साथ-साथ पर्यावरण भी जरूरी है यह मेरा निवेदन है कि यह प्रदेश की सरकार के ऊपर छोड़ देना चाहिये भारत सरकार को कि राजस्थान सरकार किसी भी प्रकार से इस कार्यक्रम को सन्तुलित करें क्योंकि दोनों का सन्तुलन होना मानव जीवन के लिये निश्चित रूप से अनिवार्य है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी ग्रीनरीज देख लीजिये। शायद पेड़ पौधे वन विभाग नहीं लगाता पर खेत-खेत के अन्दर किसान बीज डालता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस वन विषय के लिये यह सदन एकमत हो कि यह राज्य सूची में हो और राज्य सरकार इस बारे में नीति बनाये कि कहां उन्हें वन लगाना है, कहां पर खनन करना है, कहां पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करना है।

वन विभाग के सम्बन्ध में मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ अधिकारी स्तर पर मैं यह नहीं कहता कि भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार में अगर किसी कर्मचारियों के खिलाफ जांच होती है उसमें दोहरा व्यवहार होता है। एक कर्मचारी के साथ जांच चल रही है उसको निलम्बित कर दिया, उसकी सुनने वाला ही नहीं है उसको नोटिस दे देंगे कि आपको क्यों नहीं सेवा मुक्त कर दिया जाय और दूसरा इस प्रकार की जांच में कर्मचारी लगा हुआ है चाहे जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में चल रही हो चाहे जांच के लिये भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने रिकमण्ड कर दी कि एफ. आई. आर. कर दो पर वह सेवा के अन्दर बहाल है, सेवा कर रहा है। इसी प्रकार से जहां डिस्क्रिमिनेशन हो माननीय मन्त्री महोदय कम से कम विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार अधिकारी नहीं करें, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये और भ्रष्टाचार पर तभी अंकुश लग सकता है जब सब के साथ समान व्यवहार हो। अगर एक कर्मचारी को तो प्रोटेक्ट किया जाय और दूसरे कर्मचारी को हत्तोसाहित किया जाय तो निश्चित रूप से कन्फ्रन्टेशन होता है। इस कारण आपका जो कार्य होगा उसके अन्दर निश्चित रूप से अवरोध पैदा होगा।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : आप तो कोई एग्जाम्पल दीजिये।

श्री सांवरलाल : वह जवाब में मांगा है मैंने आ जायेगा। यह अभी की बात नहीं है। यह तो पुराना इतिहास बता रहा हूं। जवाब मांगा है जब आयेगा बता दूंगा आपको।

उपाध्यक्ष महोदय, अरावली योजना के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मन्त्री महोदय चाहे सहयोग जापान सरकार दे रही हो पर राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में आप ज्यादा जानते हैं। अजमेर राजस्थान के बिल्कुल मध्य में स्थित है और अरावली अजमेर होकर के, कहते हैं अजमेर के बिना अरावली आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिये मेरा निवेदन है कि अगर अजमेर जिला इसमें सम्मिलित नहीं है तो निश्चित रूप से इस योजना के अन्तर्गत अजमेर जिले को

(श्री सांवरलाल)

प्राथमिकता से सम्मिलित किया जाय जिससे वहां की वीरान नंगी हुयी पहाड़ियों पर आप वृक्षारोपण कर सकेंगे ।

माननीय समाज कल्याण मन्त्री महोदय से इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं एक योजना है । विशेष छात्रवृत्ति । जिन छात्रों के पूर्व परीक्षा में 55 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त हुए हैं उन्हें पब्लिक स्कूल में पढ़ने पर विशेष छात्रवृत्ति स्वीकार की जाती है । माननीय मन्त्री महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप किस व्यवस्था की ओर देश और प्रदेश को ले जाना चाहते हैं । जो पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं उन 31 विद्यालयों में जिस छात्र के 55 या ज्यादा हैं जिसमें अनुसूचित जाति और जन जाति के नहीं हैं उनको आप छात्रवृति दे रहे हैं । हमारी सरकार इस दोहरी शिक्षा, इस पब्लिक स्कूल की शिक्षा के फेवर में है । इस प्रकार की व्यवस्था हमने लागू कर रखी है । यह व्यवस्था कब से लागू है । मेरा तो विनम्र निवेदन यही है कि जो सरकारी स्कूलों में पढ़ें उन बच्चों के लिये इस प्रकार की व्यवस्था करें उसमें 55 की जगह 75 पर्सेण्ट आप कर दें तो निश्चित रूप से हमें खुशी होगी और यदि यह व्यवस्था जारी रहेगी तो निश्चित रूप से हमारी मान्यताएं यह होगी कि हम सरकारी स्कूलों के बजाय पब्लिक स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों को जो व्यवसाय की तरफ बढ़ रहे हैं उनको फेवर करेंगे ।

इसी प्रकार दूसरा मेरा निवेदन है कि जो अनुसूचित जाति और जन जाति के विद्यार्थियों के लिये छात्रावास हैं उन छात्रावासों में गद्दे, कम्बल, चद्दरें 10–10 साल तक नहीं बदली जाती हैं । अब यह राज दो साल से है मैं कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूं । सरकार कोई भी हो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर पुराने समय में किसी प्रकार की अनियमितता हुयी है तो निश्चित रूप से इसे देखें और कम से कम अनुसूचित जाति और जन जाति के ऊपर हमको यह तो उपकार करना ही चाहिये कि गद्दे, कम्बल दो-दो या तीन-तीन साल में दें । इस प्रकार का हमारा सोच होना चाहिये । नाम मात्र के लिये छात्रावास हम खोलते हैं और 10-15 साल तक उनके गद्दे, कम्बल फट कर चिथड़े-चिथड़े हो जाते हैं और चद्दरों का तो पता ही नहीं है । तो निश्चित रूप से यह योजना सार्थक नहीं होगी ।

इसके साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र पिछड़ा हुआ है और इस क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जन जाति की काफी जनसंख्या है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि एक आश्रम स्कूल आप बांदनवाड़ा में दें, खुगावणा में एक छात्रावास दें और फतेहगढ़ और बोरेड़ा में एक-एक छात्रावास की व्यवस्था अगर करवा सकें तो अतिकृपा होगी । इसके साथ ही में गढ़ाई में जो छात्रावास संचालित होता है उसकी आपके पास शिकायत भी पहुंची है । आप राजकीय छात्रावास की घोषणा करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ उसमें सुविधा बढ़ेगी ।

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज का जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और हमारे पूर्वज पुराने जमाने से वन लगाते आ रहे हैं । तो आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि वन लगाने में एक तो भौगोलिक स्थिति के अन्दर दूसरा जब जन चेतना, जब गांव का व्यक्ति यह नहीं समझे

(श्री सांवरलाल)

कि पेड़ लगाना हमारे लिये जरूरी है, पेड़ काटना पूत मारने के बराबर है। इस प्रकार की भावना आप पैदा करें और गांव-गांव के व्यक्ति का यदि आपने सहयोग नहीं लिया तो निश्चित रूप से आपका यह कार्यक्रम सफल नहीं होगा। आसींद से पधारने वाले माननीय सदस्य ने जैसे एक बात बतायी मैं इसका समर्थन करता हूं। देविक के नाम से आप विकसित कीजिये। हमारे हिन्दुस्तानी की भावनाएं बहुत हैं लोग टूट पड़ते हैं धर्म के नाम पर। इसलिये मेरा निवेदन है ऐसे जितने भी क्षेत्र हैं उनको चुन सकते हैं वहां पर पेड़ लगायेंगे तो अगर सूख भी जायेंगे तो पण्डितजी, महाराज या उस पुजारी के कोई हाथ नहीं लगायेगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये इससे हम पेड़ पौधों को बनाये रख सकते हैं। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से आज की जो हालत है बेमौसम की बरसात होना, मौसम की बरसात नहीं होना। रैनी डेज पहले 18 दिन हुआ करता था, महीने-महीने तक सूरज नहीं निकलता था आज 8-10 दिन से ज्यादा बरसात हिन्दुस्तान में नहीं तो राजस्थान की मैं कह सकता हूं नहीं होगी। एक दिन में हो जायेगी और हम कहेंगे औसत बरसात हो गयी। यह औसत बरसात 10-15 दिन में होगी तब तो हमारी फसल पैदा होगी एक दिन के अन्दर इस प्रकार से बरसात आ गयी और 10 दिन से ज्यादा बरसात बरसती नहीं तो निश्चित रूप से असंतुलन होगा। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि यह हमारी सब की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो और चाहे सामाजिक सुरक्षा का काम हो, वन का हो, दोनों बड़े महत्वपूर्ण विभाग हैं और इन्हें अपनी जिम्मेदारी से निश्चित रूप से प्राथमिकताएं निर्धारित करते हुये करनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय जंगल। जिस मांग के ऊपर आज विचार कर रहे हैं सदन में वह महत्वपूर्ण मांग है क्योंकि जंगल, जानवर और जमीन यह तीन किसी भी देश और प्रदेश की सम्पदा है और उसकी धरोहर है। इन तीन के जरिये ही हम अपने आर्थिक प्रगति के आयाम भी स्थापित कर सकते हैं। इसलिये जंगल जो हमें जलाने के लिये, फर्नीचर बनाने के लिये लकड़ी, भू-संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण यह सब प्रदान जंगल करता है और जंगल के अन्दर ही पुराने जमाने में घने जंगलों में बैठ कर हमारे ऋषि मुनियों ने वैदिक ज्ञान को लिपिबद्ध किया था। जिसने सारे संसार में प्रस्थापित किया कि भारत भी कोई देश है। यह जमीन जो खनिज प्रदान करती है वहां अन्न भी जमीन पर पैदा होता है और जानवर भी जहां हमें दूध, मांस और ऊन देते हैं। जहां हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वहां पर हमारी आर्थिक प्रगति का भी एक साधन है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रही हूं कि जंगल और जानवर की जो हमारी संस्कृति है इसे हमें अक्षुण्य रखना है। यह हमारे लिये बड़े दुःख की बात है कि राजस्थान के निर्माण के समय तो राजस्थान में दस प्रतिशत वन थे अब धीरे-धीरे

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

1988–89 की जो रिपोर्ट आई है, हालांकि प्रगति विवरण में फिर भी 9 पाइंट समथिंग वन बताए हैं लेकिन 1988–89 की जो रिपोर्ट है उसमें 6.71 प्रतिशत ही राजस्थान में वन प्रदर्शित किये हैं और उसमें भी सघन वन 10 प्रतिशत से घटते-घटते 1 प्रतिशत रह गये हैं। किसी भी देश के प्राकृतिक सन्तुलन के लिए 33 प्रतिशत वनों का होना अनिवार्य है लेकिन यह प्रदेश बराबर अपनी इस सम्पदा को काटता चला जा रहा है और आंकड़ों में हम प्रदर्शित कर रहे हैं जंगल लगाना। यदि उतने जंगल जितने जंगल बताए गये हैं उतने पेड़ यदि लगा दिये गये तो मेरी समझ में राजस्थान में आदमी को खड़ा होने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इतने अधिक संख्या में करोड़ों की संख्या में बता रहे हैं। लेकिन वह कहां लगे सर्वाइव होते नहीं हैं और बिना सर्वाइव के आप पेड़ों की गिनती कर लेते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि वृक्ष जलवायु के, भूमि के और मौसम के अनुकूल होने चाहिये। हमने एक परम्परा इस तरह की डालदी कि जिसमें बुकिश नालेज को, किताबी नालेज को तो हमने बहुत महत्वपूर्ण मान लिया और जो हमारी प्रेक्टिकल नालेज है, या जो हमारा प्राचीन ज्ञान है उसको हमने दरगुजर कर दिया। पुराने जमाने में इस राजस्थान धरती पर पेड़ थे पीपल, नीम, शमी, जिसे खेजड़ा भी कहते हैं और जंगल के अन्दर धोक, रोहिड़ा यह सब इस तरह के पेड़ थे। इस रेगिस्तान के लिए इतने उपयोगी पेड़ हैं, रेगिस्तान के बारे में धीरे-धीरे यह कहा गया कि मरुस्थल को नहीं रोका गया, उसको रोकने के प्रयत्न नहीं किये गये तो यह रेगिस्तान गंगा के किनारे तक पहुंच जायेगा। इसलिए हमें यह प्रयत्न बहुत करने हैं लेकिन हमने इस प्रदेश की जलवायु के, इस प्रदेश की वर्षा के, इस प्रदेश की मिट्टी के अनुकूल पेड़ नहीं लगाकर के और लगाया तो गुलमोहर, लगाया तो यूकोलिप्टस, यह पेड़ लगाये। उनकी उम्र बहुत कम है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी भी शायद जानते होंगे कि इन पेड़ों की बहुत कम उम्र है। गुलमोहर का पेड़ 25,26 साल से ज्यादा जिन्दा नहीं रहता। इसी तरीके से सफेदा जहां कहीं आप लगायेंगे इतनी एसिड निकलती है इसमें से, यदि इसको आपने खेत के चारों तरफ लगा लिया तो जहां तक इसकी छाया पड़ती है, एसिड इतनी जबरदस्त होती है कि वहां कुछ नहीं पैदा होता। शमी हमारा ऐसा वृक्ष है कि जिसके नीचे अनाज और जगह से अधिक उगता है, अधिक बढ़ता है, अधिक पैदा होता है। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि प्राचीन जमाने में धार्मिक महत्व के जरिये पेड़ों का महत्व बताया गया था जो कि अब हम नहीं बता रहे हैं। न तो हम पर्यावरण की चेतना कर पा रहे हैं। यदि हम पर्यावरण के जरिये ही वृक्षारोपण का महत्व समझायें तो भी समझ में आता है। हमने धार्मिक दृष्टिकोण भी छोड़ दिया आपने देखा होगा, कभी किसी ने पूछा कि सब जगह शमशानों के अन्दर पीपल लगे हुए होते हैं। वहां पीपल क्यों लगाते हैं। पीपल इसलिए लगाते हैं कि पीपल के अन्दर एक अद्‌भुत क्षमता है। बाकी के पेड़ तो सूर्य की किरणों के समय ही आक्सीजन छोड़ते हैं, इन दी एबसेंस ऑफ सन रेज वह आक्सीजन नहीं छोड़ते हैं। लेकिन यह

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

पीपल ऐसा वृक्ष है जो सनरेज के अभाव में, सूर्य की किरणों के अभाव में भी हरदम आक्सीजन छोड़ता है और इसी लिए शमशान के अन्दर किसी भी बीमारी से लिप्त आदमी को वहां जलाने के लिए ले जायें, तो बैठने के दृष्टिकोण से भी, और वायु को शुद्ध करने की दृष्टि से भी, एक पीपल के अन्दर इतनी क्षमता है कि वह दो हजार फिट के रेडियस तक भयंकर से भयंकर प्रदूषण को भी खत्म कर देता है। वह पर्यावरण को शुद्ध करता है। इसलिए पीपल का महत्व है। इसीलिए पुराने जमाने में कोई पीपल काटता नहीं था। इसलिए पीपल के हाथ नहीं लगाओ, पीपल कोई नहीं काटेगा। तो न तो हम अपने लोगों को यह समझा पा रहे हैं। इसी तरीके से जो खेजड़े का वृक्ष है, मैं हर बार यहां पर कहती हूं कि खेजड़ा इस मरुस्थल का कल्प वृक्ष है जिसकी एक-एक चीज काम आती है। उसके पत्ते जहां जानवरों के लिए चारा है, जमीन पर गिर जायें तो वह खाद है उनको काट लो तो जानवर के लिए चारा है जो छोटी-छोटी लकड़ी हर साल कटती है वह जलाने का ईंधन है उसके बाद यदि उस पेड़ का तना अच्छा हो तो वह किवाड़ बनाने के भी काम आता है। गांव में तो लोग किवाड़ बनाने के काम में लेते हैं। उसकी छाल को 1956 के अकाल में लोगों ने पीस-पीस कर अपना जीवन निर्वाह किया था क्योंकि उसकी फूडवैल्यू है। उसे पीस करके लोगों ने खाकर के अपने आपको जिन्दा रखा था उसके नीचे जो जड़ें होती हैं वह रांगजड़ कहलाती हैं उससे चमड़े की रंगाई होती है उससे कपड़े की रंगाई होती है और फिर उससे नीचे जाओ, तो जो गांवों में दूध दही बिलोया जाता है उसका भेरना बना है। गांव के अन्दर जो ऊंट पर और बैल पर रखकर हल चलाते हैं, जिसको पुरानी कहते हैं वह पुरानी उससे बनती है। जब उसकी फली लगती है तो सांगरी की सब्जी बना सकते हैं। आप देखो, हर बड़े-बड़े भोज और उत्सवों के अन्दर लोग कहते हैं कि सांगरी की सब्जी बनाना भाई। इतनी बढ़िया सब्जी बनती है। जब वह पक जाता है तो खोखे के रूप में, ड्राई फ्रूट के रूप में बच्चे खाते हैं। जिसकी एक-एक चीज काम आती है जिसका पत्ता काम आता है हमने आज दिन तक उसे प्लांट करके, उसे लगा करके उसे बड़ा करके उसके बांटने के बारे में अभी तक हमारी कोई योजना नहीं है। रोहिड़ा वृक्ष की एक तारीफ की बात है। आपकी शीशम, आपकी सागवान, यह समय के साथ पकते हैं लेकिन रोहिड़ा जैसे-जैसे बड़ा होता है दो साल का रोहिड़ा होगा, इतना सा तना होगा तो भी वह पक जायेगा, इतना सा तना भी पका हुआ होता है। जैसे-जैसे रोहिड़ा बढ़ता है वैसे-वैसे रोहिड़ा अपने आप पकता चला जाता है और इसीलिये जितना फर्नीचर का काम है, खास तौर से कार्विंग फर्नीचर की वह सब रोहिड़े में होती है। रोहिड़े की लकड़ी को दीमक नहीं लगती। इसलिए इस तरह के जो हमारे वृक्ष हैं जैसे नीम है, जो हमें निम्बोली के रूप में औषधि प्रदान करता है, जो निमोली को गलाकर बहुत बढ़िया हमें खाद देता है, उस नीम के, उस पीपल के, उस खेजड़े के, उस रोहिड़े के, उस शीशम के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं। हम बात करते हैं केवल गुलमोहर की, या यूकेलिप्टस की। मैं आपसे कहती हूं आपसे तो अंग्रेज

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

अच्छे थे दिल्ली की सड़कों के ऊपर जामुन लगा गये, इमली लगा गये। चलता-चलता राहगीर भी कभी दो पांच सात जामुन ही खा ले, इमली ही तोड़ कर खा ले लेकिन आपने लगाया सफेदा, आपने लगाया गुलमोहर जो किसी काम के न काज के। या जूली फ्लोरा लगाया। जिसके नीचे से निकलो तो चप्पल पहिनने वाले को तो मालूम है उस पर क्या बीतेगी, किसी ने जूते पहिन रखे हों तो अलग बात है चप्पल पहिनने वाले को तो पता लग जाता है कि जूली फ्लोरा के नीचे से गुजर रहा है। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि अंधाधुंध किसी होड़ के अन्दर कि विदेशों में क्या हो रहा है। विदेशों से ज्ञान केवल वही आयातित करने की आवश्यकता है जो यहां की मिट्टी, यहां की जलवायु और यहां की धरती के लायक हो। बाकी जरूरी नहीं है कि उनकी होड़ करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी कि विश्व बैंक से सामाजिक वानिकी में 39.19 करोड़ रुपये मिले मरुस्थलीय 16 जिलों के लिए। मुझे नहीं पता, हमारे जिले में कहां क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। बताएंगे माननीय मंत्रीजी कि कहां पर क्या हुआ ? मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि अरावली पर्वत श्रृंखला पर वृक्षारोपण के लिए जापान सरकार की सहायता से 176.90 करोड़ रुपये खर्च किये जाने का प्रावधान हैं। निजी व्यक्तियों को उनकी भूमि पर वृक्ष लगाने के लिए वितरित करने का लक्ष्य है उसमें भी 24.74 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि इन सब चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पर जानकारी जब हमें ही नहीं है तो बाकी आम किसान, आम आदमी को तो उसकी क्या जानकारी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि जो प्रगति विवरण हमें मिला है इसमें टसर योजना का जिक्र किया गया है और टसर योजना में अर्जुन का वृक्ष लगाने की बात है। जहां तक मेरी अपनी जानकारी है अर्जुन वृक्ष की छाल हाई पोटेंशल है, हाई ब्लड प्रेसर होता है उसमें काम ली जाती है। टसर योजना क्या है और यह अर्जुन वृक्ष क्यों लगाया जायेगा, उसका क्या उपयोग होगा, मेरी समझ में सदन के बहुत ही कम लोगों को शायद इसकी जानकारी होगी। माननीय मंत्री जी बताएं कि टसर योजना में अर्जुन वृक्ष लगाने के पीछे आपकी क्या मंशा है ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगी, मैंने माननीय मंत्री जी से इस बारे में पहले भी निवेदन किया कि पूरे झुंझुनू जिले में केवल दो जगह पर थोड़े-बहुत वन हैं, बीड़। एक तो गुहाना की बनी कहलाती है जो गुहाना में है और एक झुंझुनू का बीड़। गुहाना की बनी के बारे में तो ज्यादा मुझे जानकारी नहीं लेकिन झुंझुनू के बीड़ की मुझे पूरी जानकारी है। झुंझुनू के बीड़ को लोगों ने इस कदर अतिक्रमण कर दबा लिया। माननीय मंत्री जी से शिकायत की इस बात की। लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। आधे से अधिक बीड़ पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। लेकिन माननीय मंत्री जी ने उस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं दी। मैं फिर निवेदन करना

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

चाहती हूं कि हम एक तरीके से आपकी सेवा कर रहे हैं, हमारा कोई इण्टरेस्ट नहीं है। जब आपका वह बीड़ है, फारेस्ट है तो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। जिस आदमी को आप वहां भेजते हैं वह किसी न किसी से मिलकर पैसे-टके खाकर लोगों को सुविधा देता है। पास-पड़ौस के जितने लोग हैं उन्होंने धीरे-धीरे आधे बीड़ पर तो अतिक्रमण कर लिया। मैं चाहूंगी इस बारे में आप निश्चित तौर से मुझे जवाब दें कि आप इस बारे में क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं, कब तक उन अतिक्रमियों को यहां से हटा डालेंगे ?

समाज कल्याण मन्त्रीजी से कुछ निवेदन करूं उससे पहले पर्यावरण के बारे में निवेदन करना है कि झुंझुनूं में खेतड़ी कापर काम्लैक्स एक बहुत बड़ा कारखाना है जो कापर प्रोड्यूस करता है। उसकी वजह से वहां पर्यावरण का जो ह्रास हुआ है उस बारे में, मंत्री महोदय, आप सोचो। आप अपनी सरकार में तो उद्योग लगाने के लिए कुछ लोगों को बंधन में कर सकते हो कि वे आपसे एन.ओ.सी. लेंगे, पहले इन्तजाम करेंगे उसके बाद कुछ करेंगे। लेकिन वहां पर जिस तरह हो रहा है उस बारे में आप क्या करेंगे ? वह भारत सरकार का मामला है। नीचे का सारा पानी ले लिया। एग्रीमेन्ट था तीन सौ फीट नीचे से पानी निकालेगा लेकिन ऊपर का पानी भी ले लिया और सलफ्यूरिक एसिड से जिस तरह प्रदूषण फैलाकर हमारे प्राकृतिक सन्तुलन को बिगाड़ा है, इस बारे में आप सोचिये, आपकी जिम्मेदारी है, आपको कुछ न कुछ करना चाहिए।

जहां फारेस्ट हैं, हमारे यहां तो नहीं लेकिन जहां कहीं भी ये जंगली जानवर हैं इनके बारे में मुझे कहना है कि आज यह एक जिले की नहीं समस्त राजस्थान की समस्या बन गई है। नील गायें जितनी संख्या में हो गई हैं, इनको न तो मार सकते और एक बार यदि ये आ जाती हैं तो उसके बाद इस कदर हिल जाती हैं कि खेत को छोड़ती ही नहीं। इतना नुकसान करती हैं कि इसकी कुछ न कुछ व्यवस्था आप करिये, वर्ना किसान के लिए तो ये एक बहुत बड़ी दुश्मनी हो गई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाज कल्याण मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी, चूंकि राजस्थान में महिला शिक्षा बहुत पिछड़ी हुई है इसलिए महिला शिक्षा की प्रगति के लिए, उसके प्रसार के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए जो छात्रावास हैं समाज कल्याण के वे केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए नहीं है, महिला कल्याण भी इसमें है। महिला कल्याण इसमें जब है तो जो छात्रावास चलते हैं प्राइवेट तौर से वैसे तो जहां-जहां पर महिला कालेज हैं वहां-वहां राजकीय छात्रावास हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूं लेकिन जहां महिलाओं के राजकीय कॉलेज नहीं हैं और छात्रावास हैं, ऐसे दो जिलों की तो मुझे जानकारी है। एक, झुंझुनूं में और एक सीकर में। दोनों की मुझे जानकारी है, जहां महिलाओं के छात्रावास हैं। लेकिन उनको अभी तक किसी प्रकार का कोई राजकीय अनुदान, राजकीय सहायता के रूप में एक पैसा भी नहीं मिला है। लोगों ने हां अपने पैसे इकट्ठे कर उसको प्रारम्भ किया और आपकी सेवा की। नहीं तो लड़कियां

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर कहां जाएंगी ? कहां जाकर रहेंगी ? कैसे पढ़ पाएंगी ? इसलिए ऐसे छात्रावासों को भी सहायता देने के बारे में बजट में कुछ न कुछ प्रावधान करना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : 20 मिनट हो गये । कृपया समाप्त करें ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अन्तिम बात ।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहती हूं कि समाज कल्याण के छात्रावासों में विद्यार्थियों के आपने पैसे तो बढ़ा दिये । गवर्नर स्पीच में बढ़ाये थे, लेकिन उस बारे में किसी तरह का इम्प्रुवमेण्ट नहीं हुआ । मैं तो इतना ही चाहती हूं, सुनिये, आपको मौका मिलेगा, कि जो दुर्व्यवस्था हो रही है आपके यह पैसे बढ़ाने का फायदा कहीं यह मैनेजमैण्ट और सुपरिण्टैण्ट जो लगे हुए हैं या जो प्राइवेटली चलाते हैं, वही लोग न उठा जायं, बल्कि जिस निमित्त आपने यह राशि बढ़ायी है उन बच्चों के लिए इसका उपयोग होना चाहिए, उन विद्यार्थियों के लिए इसका उपयोग होना चाहिए । बस मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ अपने कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करती हूं ।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी (समाज कल्याण राज्य मंत्री) : एक सैकण्ड, बात है इनके लिए ।

श्री उपाध्यक्ष : हर बात का उत्तर थोड़े ही दिया जाएगा ।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : पैसे के लिए माननीय सदस्य ने जो बात फर्मायी है 170 रुपये के अगेंस्ट 250 रुपये कर दिये । वे चाहे राजकीय छात्रावास हैं चाहे अनुदानित छात्रावास हैं, सबमें बढ़ाये गये हैं और 1-11-1992 से देना चालू कर दिया ।

श्री केदारनाथ शर्मा : 1991 से ।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : यह नहीं कि सिर्फ कहा गया है ।....आप सुनें न, मैं बता देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप । आप अपना उत्तर दें उस समय कहिये । बीच-बीच में देने का प्रावधान नहीं है । एक साथ दीजिए अपना उत्तर देना है तो ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैनेजर और सुपरिण्टैण्डैण्ट का बन्दोबस्त तो करें कि वे न खा जाएं । उसकी व्यवस्था के लिए कह रही हूं आपसे ।

श्री उपाध्यक्ष : जोगेश्वर जी गर्ग ।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जातियां—इन लोगों के कल्याण के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए पिछले 40 सालों से बहुत ढोल पीटे गये, बहुत ऊंची-ऊंची बातें की गयीं और बहुत ही लुभावने नारे दिये गये, बहुत मीठे-मीठे सपने दिये गये । पर उसका परिणाम क्या रहा हकीकत में ? इस बात की एक बानगी उस समय सामने आयी जब वर्तमान सरकार ने समाज कल्याण बोर्ड से अनुदान लेकर समाज की सेवा करने वाली 55 संस्थाओं की जांच करायी ।

उपाध्यक्ष महोदय, आश्चर्यजनक

(श्री जागेश्वर गर्ग)

तथ्य 47 में से 35 संस्थाएं फर्जी पाई गई। सारे के सारे उनके कामकाज कागजों पर पाये गये और असलियत में, हकीकत में कहीं कुछ काम नहीं हो रहा था। लाखों रुपये उन्होंने डकार लिये। इतने सालों तक 8-10 साल तक वह संस्थाएं चलती रहीं, इस तरह के घोटाले होते रहे और उन सब घोटालों को आंख मूंदकर उस समय के शासक भी अधिकारी भी लिप्त रहे। इस प्रकार से पिछले 40 सालों में अरबों रुपया खर्च होने के बाद भी वास्तव में इस समाज के लोगों का जो उत्थान होना चाहिए था, वह कहीं नजर नहीं आया। असलियत में वह उत्थान उन धपलेबाजों का हो गया जिन्होंने उनके नाम पर अपनी रोटियां सेकीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार को धन्यवाद दूंगा कि इतना गम्भीर मामला, इतना बड़ा स्कैंडल उन्होंने पकड़ा, उस पर कार्यवाही की और उन संस्थाओं को बन्द किया, उन पर कानूनी कार्यवाही चालू की। इसके साथ-साथ आपके माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन करूंगा कि इतने सालों तक वे संस्थाएं चलती रहीं, उनका ऑडिट हुआ होगा, उनका इन्स्पेक्शन भी हुआ होगा, वे इन्स्पेक्शन रिपोर्ट्स क्या बोलती हैं, वे ऑडिट रिपोर्ट्स क्या बोलती हैं। यदि वे इन घपलों को नहीं पकड़ पायीं तो गलत पकड़ा और चुप रहे तो गलत। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए किसी न किसी की जिम्मेदारी निश्चित होनी चाहिए। जिस भी अधिकारी की यह जिम्मेदारी थी निरीक्षण करने की, इन संस्थाओं का निरीक्षण करके इनके लिए अनुदान पारित करने की, उन अधिकारियों की निश्चित रूप से जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। केवल उनके विरुद्ध 16-17 सी.सी. की कार्यवाही करने से काम नहीं चलेगा। वित्तीय घोटाला हुआ है, वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं तो वित्तीय भार उन पर डाला जाना चाहिए, वित्तीय पेनल्टी उन पर लगाई जानी चाहिए तभी जाकर इस प्रकार की प्रवृत्तियों पर अंकुश लगेगा, भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो पायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण बोर्ड क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। करोड़ों रुपये आते हैं और इस प्रकार से घोटाले में चले जाते हैं। वास्तव में उनका सही जगह उपयोग नहीं हो पाता। इसके साथ ही अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए निगम बना हुआ है, उस निगम के खर्चे को देखा जाय, साल भर में करोड़ों रुपये खर्च होते हैं तनख्वाह पर, भत्ते पर, गाड़ियों पर, टेलीफोन पर लेकिन उसमें होता क्या है, उपाध्यक्ष महोदय, बड़े अफसोस की बात है, उस निगम के पास करोड़ों रुपये अनयूटिलाइज्ड पड़े हैं। करोड़ों रुपये ऐसे पड़े हैं जिनका उपयोग नहीं हो रहा है। जो यदि काम में लगते तो समाज के हित में, समाज की स्थिति के सुधार में सहायक होते लेकिन वे करोड़ों रुपये बेकार पड़े हैं। उनका कुछ भी उपयोग नहीं हो रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और वह रुपया काम में लें। उसका आज जो चैयरमैन बना रखा है, वह क्या करता है इस बारे में भी राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए। इतने बड़े आई.ए.एस. अधिकारी को चैयरमैन बना रखा है तो वह क्या सारे पैसे को तनख्वाह में खर्च करवाने के लिए है या क्या वह सिर्फ इसलिए चैयर-

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

मैन बनाया गया है कि उनको बढ़िया-सी गाड़ी मिल जाय और घर पर एस.टी.डी. वाला टेलीफोन मिल जाय ? सिर्फ इसलिए चेयरमैन बनाया गया है ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि इस पर पुर्नविचार करें और इस निगर्म के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके, इस दृष्टि से पुख्ता कार्यवाही की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से समाज कल्याण मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित छात्रावासों की स्थिति सुधारने के लिए बहुत प्रयास किया। न केवल उन्होंने प्रतिमाओं को देने वाली राशि में बढ़ोतरी की बल्कि उन्होंने स्वयं ने क्षेत्र में जाकर मौके पर जाकर छात्रावासों की जांच की, निरीक्षण अचानक किये। उसके कारण से कई गड़बड़ी सामने आई और उनको सुधारने का उन्होंने प्रयास किया। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। पर यह पर्याप्त नहीं है। आप अकेले मंत्री इतने लम्बे-चौड़े राजस्थान के कितने छात्रावासों का निरीक्षण कर सकते हैं। इस निरीक्षण व्यवस्था को और पुख्ता किया जाना चाहिए और प्रभावी बनाया जाना चाहिए ताकि छात्रावासों के नाम पर मिलने वाली सुविधा का दूसरे लोग उपयोग न कर जाय, वहां के वार्डन या दूसरा कोई स्टॉफ या अधिकारी उसका दुरुपयोग नहीं कर ले। छात्रों के नाम से आने वाले पैसे का दुरुपयोग करके वे ऐश-आराम नहीं कर लें। इस बात को रोकने के लिए, जांच करने के लिए, चैक करने के लिए पुख्ता व्यवस्था हो, ऐसा मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र जालौर में सायला एक जगह है। वहां बहुत पहले, कई साल पहले अनुसूचित जाति का छात्रावास स्वीकृत हुआ। उसके लिए भवन बनाने के लिए पैसा मिला, भवन के लिए जमीन तय हो गई और तत्कालीन मुख्य मन्त्री माननीय हरिदेवजी जोशी ने शिलान्यास कर दिया। शिलान्यास के पत्थर को लगे हुए सालों बीत गये, वह भवन नहीं बना। पिछले साल उस पर निर्माण कार्य शुरू हुआ। लेकिन तत्कालीन कलक्टर जालौर ने जहां पर शिलान्यास हुआ था, उस जगह पर भवन का निर्माण नहीं कराकर वहां से थोड़ी दूर अपनी व्यक्तिगत जिद के कारण और स्थानीय राजनीतिक दबाव के कारण स्थान को परिवर्तित कर दिया और ऐसी जगह में उस छात्रावास को बनाना शुरू किया जहां उस छात्रावास के बिल्कुल पिछवाड़े लगते हुए कुछ उद्योग चल रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप कल्पना कर सकते हैं कि उद्योग चल रहे हैं तो छात्र पढ़ाई कैसे करेंगे। उद्योगों के कारण छात्र डिस्टर्ब होंगे और छात्रों के कारण उद्योग भी कभी-कभार डिस्टर्ब हो सकते हैं। छात्रों में बचपना होता है, कभी बचपना भी कर सकते हैं। दोनों एक-दूसरे को परेशान कर सकते हैं। मैंने आग्रह किया था, जोर दिया था कि इसको उसी स्थान पर बनाया जाय जहां शिलान्यास हुआ था तो ज्यादा उपयोगी होगा, ज्यादा लाभकारी होगा लेकिन तत्कालीन कलक्टर साहब ने उस बात को नहीं माना। राजस्व मन्त्री के यहां से आदेश दिये, उसको नहीं माना और अपनी

(170)

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

जिद से वह लाखों रुपये ऐसी जगह पर लगा दिया जहां उसका पर्याप्त उपयोग नहीं होना है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करूंगा, मैंने पहले भी इसके लिए निवेदन कर रखा है, आज मैं सदन के माध्यम से और निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच करवायें और उस हठधर्मिता के लिए उस अधिकारी को दण्डित किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं मांग संख्या 9 पर भी संक्षेप में अपने विचार रखना चाहता हूं। वन विभाग और पर्यावरण विभाग पर 6 तारीख को विस्तृत बहस होने वाली है, उसमें भाग लेते समय मैं ज्यादा विस्तार से बोलूंगा आज मैं केवल अपने जालोर जिले के लिये कुछ बात कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इसी सत्र में एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा था कि जालोर जिले की पहाड़ियां अरावली पहाड़ियां नहीं हैं। मैंने निवेदन किया था कि, मंत्री महोदय, यह उत्तर सही नहीं है, आपके जिस भी अधिकारी ने यह बात कही है, वह सही नहीं है। मैं इसके लिये प्रमाण भी ले आया हूं। पिछले दिनों में यह पुस्तक पढ़ रहा था और उसको किन्हीं से मांग के लाया हूं।

"Working Plan of the Pali & Jalore Forest Division (1984–85 to 1993–94)".

1984–85 से चालू हुआ है और 1993–94 तक चलेगा, यह वर्किंग प्लान इसके पेज नम्बर 3 पर चेप्टर 1,4 में लिखा है, उपाध्यक्ष महोदय,

"Hill portion formed by the Aravallis running in the south–west to north–west part of the tract, Highest elevation of 1,154 mts. is in Bera block compartment No. 13, Next highest is kanmagra (elevation 1099 mts) in block Bijapur whereas in Jalore distt. is Uchmat hill of 991 mts."

वन विभाग की यह अधिकृत पुस्तक, उनका वर्किंग प्लान यह कहता है कि जालोर जिला अरावली की सीमा में है, जालोर जिले में आने वाली पहाड़ी अरावली की श्रृंखला है। उसके बावजूद, उपाध्यक्ष महोदय, अरावली क्षेत्र की विकास की जो योजना बनी जिसमें जापान सरकार से करोड़ों रुपये मिले हैं उस योजना में सम्मिलित करने से जालोर जिले को वंचित कर दिया गया है। इसका कारण या तो वहां वन ज्यादा है, पर्याप्त मात्रा में वन सम्पदा थी इसलिए वहां विकास की आवश्यकता नहीं थी।

इसी पुस्तक में लिखा है कि जालोर जिले के अन्दर 2.9 पर्सेन्ट एरिया में फोरेस्ट है। जबकि, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का फोरेस्ट एरिया 11 पर्सेन्ट है उसके मुकाबले में जालोर में 2.9 पर्सेन्ट है, इतना कमजोर क्षेत्रफल वन की दृष्टि से जो क्षेत्र हो यदि विकास की वहां आवश्यकता नहीं थी तो किसको थी ? न जाने किस घड़ी में, किस दबाव में और कहां किस कमजोरी में जालोर को छोड़ दिया गया और उस योजना में शामिल नहीं किया गया। उसके

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

लिए जालोर को जो नुकसान भुगतना पड़ रहा है उसके लिए मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा और निवेदन करूंगा कि जालोर क्षेत्र में वन की जो स्थिति है उसको सुधारने की ओर विशेष ध्यान दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 2 सालों से मैं इस सन्दर्भ में मांग कर रहा हूं, पहले जो मंत्री महोदया थीं उनसे भी और वर्तमान में जो मंत्री महोदय हैं उनसे भी मांग कर रहा हूं कि वहां पर किसी नौजवान आई. एफ. एस. आफिसर को जिलाधिकारी के रूप में लगाया जाय। वह नौजवान आदमी बैठेगा, उसमें कुछ काम करने का दम होता है, शरीर में दम होता है, भाग-दौड़ करने की हिम्मत होती है....

श्री हेतराम बेनीवाल : मंत्री भी नौजवान बनना चाहिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग : सहानुभूति के लिए धन्यवाद। आपकी दुआ रही तो फिर बनेंगे। लम्बी उम्र पड़ी है मेरी तो। अभी इस अवसर पर यह मत नहीं था। उपाध्यक्ष महोदय, नौजवान आदमी बैठेगा तो कुछ काम करेगा। हमारे जिले का दुर्भाग्य देखिए 5 साल तक जो आफिसर बैठे रहे उनके 4 लड़कियां थीं, राजपूत परिवार से सम्बन्धित थे और अब जो लगे हुए हैं वह व्यापारी परिवार से सम्बन्धित हैं। उनके 3 नौजवान लड़कियां शादी लायक हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि उस आदमी का दिमाग कहां होगा? उस आदमी का दिमाग तो इस चिन्ता में रहता है कि कहां लड़का मिले, कहां से दहेज खर्च हो, कहां से पैसा आयेगा, शादी कहां होगी। पेड़-पौधे उसके लिए गौण हो जाते हैं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि यदि आई. एफ. एस. की पोस्ट जालोर में नहीं है तो वहां आई. एफ. एस. की पोस्ट बनाई जाय। आखिर बनाने वाले हम लोग ही तो हैं। वह बनाई जाय और किसी अच्छे नौजवान अधिकारी को वहां लगाया जाय ताकि वास्तव में वहां काम हो सके। वरना हालत यह हो रही है कि जालोर जिले मे वन विभाग कर्मचारियों पर वेतन के रूप में एक साल में 50 लाख रुपये खर्च होते हैं और 50 लाख रुपये वेतन लेने वाले कर्मचारियों को काम दिया गया है इस साल 32 लाख रुपये का 1.50 लाख जिन पर हम खर्च कर रहे हैं उन लोगों से हम 32 लाख का काम ले रहे हैं। यह विसंगति है और 32 लाख के काम में 12 हजार पेड़ पौधे लम्बे-चौड़े जालोर जिले में लगायेंगे। जालोर जिले का टोटल एरिया है 10,565 वर्ग किलोमीटर उसमें हम केवल 12,500 खाली पेड़ पौधे इस साल लगाये जायेंगे तो इतना लम्बा चौड़ा स्टाफ क्या काम करेगा? यह मेरी समझ में नहीं आता है। इसलिए वहां कोई बजट दिया जाना चाहिए और इस जिले में कुछ काम दिया जाना चाहिए। जैसा अभी पिलानी से आने वाली माननीय सदस्या कह रही थीं कि स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए पेड़-पौधे लगाये जाने चाहिए। उन्होंने जब सांगरी की सब्जी का नाम लिया तो मुंह में पानी भर आया। आज हम सांगरी की सब्जी को तरस गए। हमारी धरती पर से वह पेड़ लुप्त होता जा रहा है। वह केवल सब्जी देने वाला

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

पेड़ नहीं है और वह बहुत सारी चीजें भी देता है जो हमारे किसानों के काम में आती हैं, किसान की खेती और पशुधन के लिए रोजमर्रा की जिन्दगी के लिये जो उपयोगी होती हैं। उस चीज को हम नजर-अन्दाज कर रहे हैं और विदेशी चीजों को लाकर बसा रहे हैं, पनपा रहे हैं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि कोई लड़का विदेशी लड़की को बहु बनाकर ले आये तो वह लड़के की बहू तो हो सकती है, लड़के को बहू मिल सकती है, पर सास को बहू नहीं मिलेगी, सास-श्वसुर की वह सेवा नहीं कर सकती है, उनके पैर नहीं वह दबा सकती है, वह ननद को अपनी भौजाई का स्नेह नहीं दे सकती है और देवरजी को भौजाई का वह प्यार नहीं दे सकती है....

श्री परसादीलाल मीणा : यह डिमाण्ड में है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : यह तो एग्जाम्पल दे रहे हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग : विदेशी धरती में है इसलिए वैसी ही चीज पैदा होगी। वह हमारे लिए लाभकारी और उपयोगी होगी इस दृष्टि से सोचा जाय। मुख्य रूप से, उपाध्यक्ष महोदय, चिन्ता का विषय यह नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से कि नये वन लगाये जायें उनकी बजाय उसके पहले चिन्ता का विषय यह होना चाहिए कि जो लगे हुए हैं उनको बचाया जाय। उनको बचाने की बात बिल्कुल नहीं हो रही है वह चिन्ता नहीं है। बचाने के जो हमारे परम्परागत कार्य थे उनको हम भूल रहे हैं, दरकिनार कर रहे हैं। विदेशी ट्रेनिंग लेकर हम विकास करना चाहते हैं। वास्तव में हमें वनों का विकास करना है तो उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा जाय, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनके पास ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा जाय। बीकानेर के पास करणी माता का मन्दिर है, इतने विशाल क्षेत्र में हरा-भरा वन खड़ा है। पेड़ तो क्या एक डाली तक नहीं कटती है। क्यों नहीं कटती है। पिलानी से आने वाली माननीय सदस्या ने निवेदन किया था, इस ओर इंगित किया था। मैं निवेदन करना चाहूंगा उन परम्पराओं को पुनर्जीवित किया जाय। तभी हमारे वनों की दशा सुधरेगी नहीं तो एक-एक कर सब समाप्त हो जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं मांग संख्या 33 और 9 का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पटेल।

श्री प्रभुलाल पटेल (सपोटरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 9–वन के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। वन और मनुष्य का बहुत गहरा सम्बन्ध है। वन के अभाव में प्राणी का जीना असम्भव है। आज वनों के अभाव में और वनों की दशा देखते हुए चारों तरफ व्यवधान पैदा हो रहे हैं। इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो भयंकर रूप धारण कर लेगी। क्योंकि जहां वन है वहां वर्षा है, वर्षा है वहां अन्न है और अन्न है वहां प्राणी है।

उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में जो वन है यदि उन्हें ही रोकें और बचाया जाय तो नये वन लगाने को वास्तव में कोई

(श्री प्रभुलाल पटेल)

जरूरत नहीं है। आज तक जो भी नये वन लगाए गए हैं वह मेरी निगाह में नहीं के बराबर है। मैं मेरे सपोटरा क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगा वहां पर जो वन विकास की नर्सरी लगाई है उसमें आधी उपज भी नहीं होती है। और जो कुछ भी बीज बांटा जाता है वह किसानों और बच्चों को बांट दिया जाता है वह वहां लगाने में असमर्थ होते हैं और उनको रास्ते में तोड़–मरोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से व्यर्थ में बजट खर्च करने का क्या मतलब है? कम पेड़ लगायें परन्तु पूरे लगायें।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे इलाके में हेलिकाप्टर द्वारा बीज बुवाई की गई और उसका खर्चा आया 33,76,000/– आज की तारीख में 100–50 पेड़ की बात तो मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसकी मंत्री महोदय जांच करवायें। पिछले साल जब मैं वहां गया था तो मैंने फौरेस्ट वालों से बात की थी कि भाई, जो बुवाई हुई थी उसका क्या हुआ? तो वह बोले कि साहिब हेलिकोप्टर से बुवाई हुई थी। हवा तेज थी तो बीज जाकर चम्बल में बह गए। बड़े शर्म की बात है, उपाध्यक्ष महोदय, 33 लाख रुपये जो राजस्थान की जनता की मेहनत की कमाई चम्बल में बह गई या अफसरों की जेब में चली जाय जो रिकार्डेड है।

श्री उपाध्यक्ष : यह यादव साहब पूछ रहे हैं कि यह 1989 की है।

श्री प्रभुलाल पटेल : नहीं, सरकार यह हो चाहे वह हो। वास्तव में सही बात तो सही रहती है। वनों का सम्बन्ध हर प्राणी मात्र से है न कि किसी गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट अपनी जगह है। यदि वन इसी रफ्तार से नष्ट होते रहे तो न यह सरकार रहेगी और न कोई और सरकार और न प्राणी रहेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि अवैध खनन कार्य रिजर्व कैलादेवी (करौली) में चल रहा है जो 30 खनन खानों में बरकरार है जो रिजर्व फोरेस्ट में है। इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय से अधिकारियों से निवेदन किया है। अधिकारी वहां पर गए भी हैं और उसकी जांच भी हुई है और अधिकारी महोदय मौके पर पहुंचे भी हैं पर वह असल वापिस आ जाते हैं। भरतपुर से वहां पार्टी गई हुई है और उनसे वहां सलाह मशविरा करके आ गई, मैं कह नहीं सकता, मैं सामने नहीं था, किस मकसद से वह वापिस आ गए और ठाण चालू है बदस्तूर। ठाण कोई ऐसा आइटम नही है जो एक दो रोज या एक महीना चलाने के बाद यह ठाणें हट जाते हों। यह ठाणें सालों चलते हैं तब उनको प्रोडक्शन मिलता है। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे रिजर्व वन में यदि ठाणें चले और यदि ऐसे रिजर्व वन में फोरेस्ट वाले पैसे लेकर के मवेशी चराएं, कितने + + + की बात है। वह

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री प्रभुलाल पटेल)

किस बात का रिजर्व वन है जिसमें सरकार करोड़ों रुपये खर्च करती है ।

5.00 सायं

दूसरा निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि जो रिजर्व फोरेस्ट की जमीन में उस पर नाजायज कब्जे हो रहे हैं । कम से कम मेरे यहां सपोटरा में हजारों बीघा फोरेस्ट की फसल खड़ी हुई है । मैंने कैला-देवी रेन्जर साहब मिस्टर सिंह से कहा था कि फोरेस्ट की जमीन को खाली करवाइए, तो रेन्जर साहब मौके पर पधारे थे और सरसों की फसल को देखकर रेन्जर साहब ने उन काश्तकारों से कहा कि बोलो अब क्या करना चाहिए, फसल को उजाड़ू ? तो काश्तकारों ने कहा कि साहब अपना हिस्सा ले लीजिए और हमारी फसल को हम काट लें । तो रेन्जर साहब ने किसी से 1600 किसी से 1500, जिसके मेरे पास सबूत हैं उनसे वसूली करके उनकी फसल कटवा दी और रेन्जर साहब ने अपना मतलब हल कर लिया । यह आपकी फोरेस्ट की जमीन के हाल हैं ।

वन बचाओ, वन बचाओ, वन बचाने का सवाल कहां है । जो रक्षक हैं वह भक्षक बने हुए हैं । उपाध्यक्ष महोदय, आज नए वन लगाने की कोई जरूरत नहीं है । मेरे यहां सपोटरा में आधे क्षेत्र में जहां धूप नहीं पहुंचती थी, पेड़ों की इतनी सघन छाया थी वहां आज नाम मात्र की छाया नहीं है । सम्बन्धित अधिकारियों ने जलाऊ लकड़ी के लिये उन सबको कटवा दिया है । करौली, गंगापुर, सपोटरा और जयपुर भिजवा दिया है भर भर कर ट्रकों के अन्दर जिनको कोई पूछने वाला नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है हमारा धंधा ही पशुपालस था जो कि सर्वस्व नष्ट हो गया है पेड़ों के पीछे ।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे यहां कम से कम बीस हजार इमारती लकड़ी के पेड़ हैं । एक-एक पेड़ की कीमत आज की तारीख में बीस और तीस हजार से कम नहीं है । जो बिना लगाया हुआ वन है देवी बरवासण का, हजारों साल से उसके पीछे यह भावना थी कि देवी बरवासण की है इसमें से कोई तिनका भी नहीं काटेगा । अब कुछ गुण्डा तत्वों ने और कुछ सम्बन्धित अधिकारियों की शह से उसको भी काटना चालू कर दिया है । मैंने रेन्जर सपोटरा से उसके बारे में निवेदन किया था । मैंने डी. एफ. ओ. करौली से उसके बारे में निवेदन किया था कि इस लगाए हुए वन को आप सुरक्षित रखें । जंगल लगाने के लिए आप करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं । यह लगे लगाए की आप सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो यह आपके लिए बड़ी + + + की बात है । इसलिए आप सुरक्षित रखें । उपाध्यक्ष महोदय, उसमें अब तक भी कटान चालू है । अवैध कटान, कुछ कानूनी तौर पर और कुछ गैर कानूनी तौर से कटान चालू है पर पेड़ कट रहे हैं । सबसे बड़े दुःख की बात यह है कि जो पुराने दरख्त खड़े हैं उनको तो जरा आप रुकवाएं । नए लगाने वाली बात तो दूसरी है । मन्त्री महोदय से मैं

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री प्रभुलाल पटेल)

निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारे पुराने जंगल हैं उनको सुरक्षित रखें। आपके जो अधिकारी हैं उनको पाबन्द करें और वह वहां थोड़ी सजगता रखें कि जो अवैध लकड़ी काटते हैं उनको दण्ड दें। उनको किसी भी प्रकार से रोकें तो हमारा किसानों का जीवन यापन हो सकता है। जो मुख्य धन्धा पशुपालन है वह बदस्तूर रह जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, 72 करोड़, 86 लाख का इतना बजट आता है तो यह सारा का सारा बीज उस चम्बल में कहीं नहीं बह जाए। मेरे कहने का मतलब यह है कि इसका सदुपयोग होना चाहिए और हमारे वनों का रख रखाव होना चाहिए। यह आपकी जिम्मेदारी है। मन्त्री महोदय को इसके लिए थोड़ा और सजग करें तो हमारे वन हरे-भरे रहें और हमारे वन, हमारी खुशहाली हमारा राजस्थान हरा-भरा रहे। (धन्यवाद)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हेमराज मीणा।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 33 और 9 पर अपनी कुछ बातें कहना चाहता हूं। समाज कल्याण की जब मैंने किताब देखी तो इस किताब में इतने लम्बे चौड़े आंकड़े दिए हुए हैं, इतनी लम्बी चौड़ी स्कीम दी हुई है, इसकी स्कीमों के बारे में पढ़कर के और व्यवहारिक रूप में इसको हम क्षेत्र में देखें तो वास्तव में चालीस साल में अब तक तो अनुसूचित जाति और जनजाति का कल्याण हो जाना चाहिए था। लेकिन वास्तव में जब हम व्यावहारिक रूप से फील्ड में देखते हैं तो कुछ योजनाएं दिखाई नहीं देतीं और उनका कार्य रूप में परिणित होना दिखाई नहीं देता। खास तौर से छात्रावास के लिए माननीय मन्त्री जी ने बहुत प्रयास किया है। छात्रावास नए खोले हैं, इसमें लिखा है कि 416 छात्रावास पहले थे इन्होंने नए बीस छात्रावास और खोले हैं। इन छात्रावासों से विद्यार्थियों को बहुत लाभ होगा। वास्तव में अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उत्थान करना है तो उनकी जो शिक्षा और शिक्षा से जुड़े हुए छात्रावास, इसमें अनुदानित छात्रावास भी हैं और सरकारी छात्रावास जो चलाए जाते हैं वह भी इसके अन्दर सम्मिलित हैं, यदि हमने इन छात्रावासों को अच्छी तरह चलाया तो शिक्षा का विस्तार होगा और इस जनजाति के कल्याण के लिए सहयोग मिल सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, खास तौर से छात्रावास खोले हैं और छात्रावासों में माननीय मन्त्री जी भी बहुत ध्यान दे रहे हैं, उसके बाद भी बहुत कमी दिखाई देती है। आज कई छात्रावास ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं है, जहां पर पानी का इन्तजाम नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर तख्ते और गद्दे दिए हुए हैं वह 10–10 साल से पुराने चल रहे हैं। एक छात्रावास तो मेरे यहां पर ऐसा है कि वह छात्रावास प्राइवेट बिल्डिंग थी, पुराने जमाने की बिल्डिंग उस छात्रावास के लिए दी थी। आज वह छात्रावास गिरने की स्थिति में है। न वहां का कोई जिला अधिकारी उसको संभालता है और न ही कोई राज्य सरकार का प्रतिनिधि जाकर उसको सम्भालता है।

(श्री हेमराज मीणा)

तो मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि कुछ छात्रावास जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं जिनमें सामान पुराना है उनकी मरम्मत कराई जाए और जो सामान जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं उस सामान को बदला जाए। वहां पर नया सामान दिया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, यदि छात्रावास अच्छा नहीं होगा, बिजली की व्यवस्था नहीं होगी तो विद्यार्थी का मन पढ़ने के अन्दर कैसे लगेगा। यह बात नितान्त आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष : मीणा साहब आपके दो काल-अटेन्शन मोशन हैं उन पर बोलिए आप।

श्री हेमराज मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे जो मोशन थे वह मैंने डिलीट करा लिए हैं, उसके बारे में अलग से टाइम दिया जाएगा। मैं डिमाण्ड पर बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष ; उस पर बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहोगे तो आइन्दा अवसर नहीं मिलेगा।

श्री हेमराज मीणा : उस पर नहीं बोलूंगा, डिलीट करा लिया है, उसके लिए अलग से टाइम मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : हां ले लीजिए फिर अलम से टाइम।

श्री हेमराज मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, आश्रम स्कूल जो चलाए जा रहे हैं राजस्थान के अन्दर, 315 आश्रम स्कूल हैं। मेरे यहां भी आश्रम स्कूल है। कई स्थानों पर यह आश्रम स्कूल बहुतअच्छे चल रहे हैं। आज मेरे यहां जो आश्रम स्कूल चल रहा है वह एक बहुत अच्छा चल रहा है और अच्छी प्रगति कर रहा है। बीच में अनुदान बन्द कर दिया था पिछली सरकार ने, लेकिन मन्त्री जी ने यह देखा, उपाध्यक्ष महोदय, जब सरकार ने देखा कि स्कूल अच्छे चल रहे हैं, छात्रावास अच्छे चल रहे हैं, उन छात्रावासों की प्रगति हमको मिल रही है, विद्यार्थी वहां पर अच्छी तरह से विद्या अध्ययन कर रहे हैं तो उन छात्रावासों का अनुदान इन्होंने बढ़ाया और उन छात्रावासों को अच्छी तरह संचालित करने के लिए इन्होंने आदेश दिए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, खास तौर से मैट्रिक छात्रवृत्ति के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि कक्षा 6 और 8 तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 15 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से छात्रवृत्ति दी जाती है, आज वह बहुत कम है। आज 15 रुपये का हिसाब हम लगाएं तो 150 रुपया 10 महीने का बनता है। तो न तो उसकी किताबें आ पाती हैं, न स्कूल की वर्दी वह बना सकता, मैं चाहता हूं कि मैट्रिक छात्रवृत्ति को 15 से बढ़ाकर कम से कम 50 रुपया महीना किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी को पढ़ने में आसानी हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार मैट्रिक छात्रवृत्ति है वह 65 रुपये से 80 रुपये तक है। यह भी बहुत कम है। महाविद्यालय में पढ़ने वाले जो छात्र हैं उसका कितना खर्चा होता है। एस. टी., एस. सी. के विद्यार्थी कमजोर तबके के विद्यार्थी हैं जिनको आर्थिक परेशानी होती है। तो अगर हम इसमें बढ़ोतरी करेंगे तो निश्चित रूप से इस तबके को लाभ मिलेगा और प्रगति हो सकेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री

(श्री हेमराज मीणा)

महोदय को इसके बारे में धन्यवाद देना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति के 100 ग्राम ऐसे चयनित किये हैं जहां पर 50 प्रतिशत आबादी है। उन गांवों में बाल्मिकी योजना इन्होंने चालू की है यह एक बहुत अच्छी सोच है। इससे जो गांव अनुसूचित जाति के हैं उनके अन्दर बिजली पानी और सड़कें इन सबकी व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। तो वह आदर्श गांव बनेंगे और उन बस्तियों को सबसे बड़ा लाभ हो सकेगा।

अनुसूचित जाति और जन जाति के जो प्रतियोगिता केन्द्र बने हुये हैं वह राजस्थान के अन्दर लगभग 22 हैं। उपाध्यक्ष महोदय, 6 अम्बेडकर संस्थान खोले गये, 3 एकलव्य संस्थान खोले गये। इसके अलावा 13 केन्द्र ऐसे हैं जो राजस्थान में पूर्व से चल रहे हैं। उनमें केवल 443 एस. टी. और एस. सी. के विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं। राजस्थान में केवल 443 विद्यार्थियों का लाभान्वित होना यह भी बहुत कम है। आज एस. टी. और एस. सी. की अपनी जनसंख्या देखें तो राजस्थान में कितनी हैं उसके अनुसार उनकी संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। उनके अन्दर और सुविधायें बढ़ानी चाहिए। खास तौर से मैं आपको निवेदन करूं कि जो आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र हैं उनमें केवल 40 छात्र अध्ययन कर रहे हैं। आज 40 छात्र ही केवल आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र के अन्दर अध्ययन कर रहे हैं। मैं समझता हूं यह भी बहुत कम है राजस्थान के हिसाब से। राजस्थान कितना बड़ा है, कितने एस. टी., एस. सी. के बन्धु रहते हैं। कितनी एस. टी., एस. सी. की जनसंख्या है। आज इन सब बातों पर विचार करना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि 2 साल का जो समय है इसी में सारी परिस्थिति बदलने वाली नहीं है। पुराने लोगों ने इसके बारे में विचार नहीं किया। आज उसके कारण से समस्या खड़ी है। मैं चाहता हूं इसके बारे में मंत्रीजी पुनः विचार करें और इस संख्या को बढ़ायें ताकि अधिक विद्यार्थी लाभ ले सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी भत्ता भी एस. टी., एस. सी. के विद्यार्थियों को दिया जाता है। मैं समझता हूं यह बेरोजगारी भत्ता ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। उपाध्यक्ष महोदय, जो विद्यार्थी बी. ए. और एम. ए. पास हैं, जो द्वितीय श्रेणी में पास हैं उनको डेढ़ सौ रुपया और ढाई सौ रुपया दिया जाता है। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि राजस्थान में केवल 63 विद्यार्थियों को बेरोजगारी भत्ता मिलता है अभी तक। क्या राजस्थान के और जिलों में एस. टी., एस. सी. के पढ़े लिखे विद्यार्थी नहीं हैं? मैं मंत्रीजी से चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान में जिलेवार इस बात का सर्वे करवाया जाये कि एस. टी., एस. सी. के कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो बेरोजगार हैं, जो इस छात्रवृत्ति का या बेरोजगारी भत्ते का लाभ लेने के योग्य हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसे सब विद्यार्थियों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए ताकि एजूकेशन प्राप्त विद्यार्थी आर्थिक उत्पीड़न से परेशान न रहें और थोड़ा बहुत सहारा उसको मिल सके। वैसे अपन विचार करें, डेढ़ सौ ढाई सौ रुपये महीने में उसका काम चलने वाला नहीं है। इससे कोई

(श्री हेमराज मीणा)

उसकी आर्थिक दशा में सुधार होने वाला नहीं है लेकिन डूबते को तिनके का सहारा, वैसी बात है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा इसके बारे में विचार करें और कोई न कोई नई घोषणा करें।

उपाध्यक्ष महोदय, नागरिक सुरक्षा के लिये यहां पर एक समिति बनाई हुई है। हरिजनों पर अत्याचार होते हैं उन मामलों में जिला स्तर पर ऐसी समितियां बनी हुई हैं, राज्य स्तर पर भी ऐसी समितियां बनी हुई हैं। मुख्य मंत्रीजी उसकी मोनिटरिंग करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कितने ऐसे लोगों को राहत दी गई, कितने लोग ऐसे हैं जो परेशान थे, और कितनी बार उसकी दो साल के अन्दर मीटिंग हुई। मैं चाहूंगा मंत्री महोदय मुझे जरा इसका भी कुछ बतायें।

उपाध्यक्ष महोदय, आर. ए. एस. और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये कुछ प्रशिक्षण केन्द्र चला रखे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको आर्थिक परेशानी होती है। दिन में तो मजदूरी करते हैं और अपना व्यवसाय करते हैं और वह दिन के अन्दर उन केन्द्रों में भाग नहीं ले सकते। तो मैं चाहूंगा कि रात्रिकालीन ऐसी कक्षायें चलाई जायें ताकि जो लोग आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, दिन में मजदूरी करते हैं, वे रात को उन प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रतियोगी परीक्षाओं का लाभ ले सकें और कम्पीटीशन में पास होकर अपना स्थान बना सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, जहां एस. सी., एस. टी. का सवाल है, तो सबसे बड़ा आरक्षण जो भारत सरकार ने दे रखा है आज उस आरक्षण की पालना नहीं हो रही है। हर विभाग के अन्दर हजारों पद खाली हैं। वैसे तो मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की है कि तीन महीने में सारे पद भर देंगे। भारत सरकार भी एक विधेयक लाने जा रही है कि तीन महीने के अन्दर यह पद नहीं भरे गये तो एक विधेयक लाया जायेगा जबरदस्त, उन पदों को भरने के लिये। भारत सरकार का आग्रह है। भारत सरकार ने कई बार पत्र राज्य सरकार को लिखे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि राज्य सरकार की मन्शा है, मुख्य मंत्रीजी चाहते हैं कि पद भरने चाहिए, मंत्रीजी भी चाहते हैं कि पद भरने चाहिए लेकिन कोई न कोई ऐसी अड़चन आ रही है जिसके कारण पद नहीं भरे जाते। वह अड़चन कौनसी है? मुझे लगता है कि एक चयन कमेटी बनाई जाती है, किसी भी सर्विस के लिए चयन कमेटी बनाई जाती है उसमें एस. टी., एस. सी. के प्रतिनिधि मंत्री जी नहीं लगाते, इसके कारण से ही आज वह कमी दिखाई देती है। तो जो भी चयन समिति हमारी बने, चाहे आर. ए. एस. की हो चाहे फिर एल. डी. सी. की हो या दूसरे लेवल की हो, उन सबके अन्दर एस. टी., एस. सी. का एक-एक प्रतिनिधि होना चाहिए ताकि उनकी भावनाओं को वहां पर प्रजेन्ट करें और उन लोगों को इसका लाभ मिल सके। मैं चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात पर गौर करें।

मैं एस. टी., एस. सी. की बस्तियों की तरफ भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो गन्दी बस्तियां हैं उनकी ओर किसी का

(श्री हेमराज मीणा)

ध्यान नहीं जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग आर्थिक दृष्टि से सफल हैं, जो आर्थिक दृष्टि से मजबूत हैं, वह उन बस्तियों में बिजली ले जायेंगे, पानी का इन्तजाम खुद कर लेंगे। आज कई एस. टी. की बस्तियां ऐसी हैं। जिनके बिजली का कोई इन्तजाम नहीं है। मैं चाहूंगा कि जो अनुसूचित जाति की बस्तियां हैं, जहां गरीब लोग रहते हैं, निःशुल्क विद्युत उनको दी जाये और उनके मकानों के अन्दर रोशनी की जाये। ऐसी व्यवस्था भी राज्य सरकार करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं....

श्री उपाध्यक्ष : बहुत कह दिया आपने।

श्री हेमराज मीणा : अभी 6 न्यायालय, विशेष न्यायालय खोले गये थे। उनके अन्दर 18 एल. डी. सी. की पोस्टिंग की गई। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुये बड़ी पीड़ा है, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहूंगा और मैं मुख्य मंत्री जी को भी बताना चाहूंगा कि 18 की हमने भर्ती की है उसके अन्दर एक भी एस. टी. और एस. सी. का एल. डी. सी. भर्ती नहीं किया गया। मुझे बड़ी पीड़ा है। उपाध्यक्ष महोदय, क्या एस. टी., एस. सी. के एल. डी. सी. बनाने के लिये भी कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता पड़ती है? जब भी कोई बड़ा साक्षात्कार होता है तो कह देते हैं कि उसके लिये योग्य पाया नहीं गया, योग्य नहीं पाया गया उसके कारण से भर्ती नहीं किये गये, लेकिन बाबू के लिए तो कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है। लोग उपलब्ध थे, लोगों ने एप्लीकेशन्स दी हुई थी, लेकिन उनको जान बूझ कर भर्ती नहीं किया गया। यह तो हालत, उपाध्यक्ष महोदय, न्यायालयों की है जहां हमको न्याय मिलता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री हेमराज मीणा : मैं थोड़ी देर में एक बात कहना चाहूंगा। फोरेस्ट के बारे में अपनी बात कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मीणा जी, सुनिये। 6 बजे बाद माननीय मंत्रीगण जवाब देंगे। 7 बजे मुख बन्द है, इसलिए जो वक्ता हैं, कम से कम समय में अपनी बात कहें। विराजिये आप।

श्रीमती मदन कौर।

श्री हेमराज मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे किशनगंज शाहबाद में सबसे बड़े फोरेस्ट हैं कोटा जिले में। कोटा जिले में इतना फोरेस्ट होने के बाद भी उस फोरेस्ट की हालत ऐसी है जैसे ना तो कोई उसकी सम्भाल है ना कोई उसकी पूछ है। उपाध्यक्ष महोदय, कटाव हो रहा है....

श्री उपाध्यक्ष : कोई स्पेसिफिक बात हो तो कहिये आप।

श्री हेमराज मीणा : स्पेशल कह रहा हूं। पूरे इलाके के अन्दर खनन हो रहा है। फोरेस्ट के अधिकारी करवा रहे हैं, सब मिले हुये हैं, इसके कारण अवैध खनन हो रहा है। मैंने माननीय मन्त्रीजी को पहले अवगत कराया था। मैं चाहता हूं या तो आप उनको वैध कर दीजिये ताकि

(श्री हेमराज मीणा)

नुकसान नहीं हो और लोगों को रोजगार मिल जाये। दोनों तरफ से खनन करने वाले मारे जा रहे हैं और उसका लाभ सही मायने में नहीं मिल पा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने 15 मिनिट ले लिये। प्लीज कोपरेट।

श्री हेमराज मीणा : जंगलों को कटने से रोकने के लिये स्पेशल नियुक्ति नहीं की तो, उपाध्यक्ष महोदय, कभी भी जंगल का कटाव रुक नहीं सकता। जो मांग संख्या 9 है मैं उसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती मदन कौर।

श्रीमती मदन कौर (गुढ़ामालानी) : उपाध्यक्ष महोदय, वन मन्त्री महोदय ने इसी सदन में भारत सरकार के हवाई सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के आधार पर इस सदन को अवगत कराया था कि हमारे प्रदेश में वन क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है और हमारे प्रदेश का इस तरह से बढ़ोतरी में देश में दूसरा स्थान है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वन मन्त्रीजी और उनके विभाग को इस उपलब्धि के लिए बधाई देना चाहती हूं, लेकिन साथ ही सावधान भी करना चाहती हूं, कि आप इस जानकारी के आधार पर गुमराह न हों और न ही इस जानकारी से प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास करें। निसंदेह इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक किया गया है और अन्यत्र भी किसानों की वृक्षारोपण में रुचि की वजह से यह बढ़ोतरी सम्भव हुई है। लेकिन मन्त्री महोदय, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि प्लान्टेशन्स के रख रखाव की आज क्या व्यवस्था है। प्रतिवर्ष आप उसके मेन्टिनेंस के लिए कितना रुपया खर्च करने जा रहे हैं और क्या आप सुरक्षा और रक्षा के प्रति आश्वस्त हैं? और इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में ही क्यों, आपने पहले भी जगह-जगह तरह-तरह के प्लान्टेशन्स खड़े किये हैं, आज उन प्लान्टेशन्स की क्या स्थिति है? भारी खर्चा किया है इस प्रदेश की जनता ने उसके ऊपर लेकिन अगर आप मौके पर जाकर वहां देखें तो उन प्लांट्स में आपको वृक्ष की जगह दिखाई देंगे खाली बंजर, वृक्ष विहीन प्लाट्स वहां। नजर क्या आता है? नजर आती है टूटी-फूटी, छितरी-बिखरी चार दीवारी और फेंसिंग जिसका निर्माण आपके विभाग ने उन प्लान्टेशन्स की सुरक्षा के लिए किया था। मैं आपसे यह जानना चाहती हूं कि अगर यही स्थिति हमारे नये प्लान्टेशन्स की होने वाली है तो फिर यह किस बात की उपलब्धि है और क्यों आप धन्यवाद ले रहे हो।

मान्यवर, इतना ही नहीं पूरे वन क्षेत्र को ले लीजिये। आरक्षित और रक्षित वन क्षेत्र जो सैकड़ों वर्षों से कड़े कानून और नियमों और उनकी कड़ाई से अनुपालना के बाद बचे हुए थे, आज उनकी हालत क्या है? आज कागजों में ये वन क्षेत्र हैं। मौके पर वहां ठूंठ भी नहीं मिलेंगे। उन ठूंठों को भी खोदकर जला लिया गया। मान्यवर, आज जब ऐसी स्थिति है तो वन विभाग इस बढ़ोतरी के ऊपर क्यों धन्यवाद लेना चाहता है और बधाई प्राप्त करना चाहता है?

(श्रीमती मदन कौर)

इसी के साथ-साथ मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि उन तथा-कथित इन क्षेत्रों की आज स्थिति क्या है, खाली हो गये, वृक्ष नहीं हैं, और लगातार उस पर अतिक्रमण हो रहे हैं, आबादी बस गई है, खेती हो रही है, उद्योग-धन्धे लग रहे हैं और बड़े पैमाने पर खनन कार्य हो रहा है। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस प्रदेश में एक के बाद एक आने वाली सरकारों ने उन अतिक्रमणों का नियमन किया और आज भारत सरकार के कड़े रुख की वजह से ऐसे अतिक्रमण को नियमित करने में आपको कठिनाई आ रही है। इस स्थिति के बावजूद हमारी प्रादेशिक सरकार उनका नियमन करने के लिए गलत तथ्य भारत सरकार के सामने प्रस्तुत करती है कि उक्त वन क्षेत्रों की सीमाबन्दी नहीं हो। आपके सैकड़ों वर्षों से खड़े वन क्षेत्र बाकायदा डिमार्केटेड हैं, पिलर्स लगे हुए हैं, फिर सीमाबन्दी कैसे नहीं? लेकिन फिर भी मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहती कि आप कैसे अतिक्रमण करें या नहीं करें। मैं तो अपना मन्तव्य बताना चाहती हूं कि प्रचलित सामाजिक सोच और हमारी आवश्यकताओं के रहते, वर्तमान कानून और नियमों के रहते मौजूदा सरकारी तन्त्र आपके वन क्षेत्रों और प्लान्टेशन्स की सुरक्षा नहीं कर सकता। हम न तो महात्मा गांधी थे और न हैं और न ही बनने वाले हैं, हम तो जो हैं वो ही रहेंगे। इसलिए इसकी स्थिति को आप अगर समय पर समझ लें तो बहुत अच्छा हो, वहां नुकसान बहुत हो चुका, बहुत विलम्ब हो चुका है, जंगलों की बहुत बरबादी हो चुकी है, सत्यानाशी में भी कोई कमी नहीं रही। लेकिन फिर भी अगर हम अपनी व्यवस्था को गौर करके आमूल परिवर्तन करने का साहस जुटा सकें तो निश्चित रूप से कुछ परिवर्तन आ सकता है। मैं इस सम्बन्ध में आपको एक सुझाव देना चाहती हूं कि आज मौके पर जो स्थिति है, अपने वन क्षेत्रों का आप पुनः वर्गीकरण करें। वन क्षेत्र में भूमि जल का संरक्षण का सम्बन्ध महत्वपूर्ण है, आज आपको पहाड़ों, पठारों और कंदराओं की स्थिति है, और साथ ही पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन वन क्षेत्रों की सुरक्षा उसी तरह से की जाय जैसे आपके वाइल्ड लाइफ सेंक्चुअरी, नेशनल पार्क्स और नेशनल रिजार्ट्स की होती है। सच बात तो यह है कि जो आय आपके इन वन क्षेत्रों की कटाई से होती है, इससे कहीं अधिक आमदनी और रोजगार सरकार और वहां के निवासियों को पर्यटन से मिलेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि वहां जो वस्तुस्थिति है, उसको समझकर अपने वन क्षेत्रों का पुनः वर्गीकरण करें।

इस सन्दर्भ में हाल में भारत सरकार द्वारा अरावली के सम्बन्ध में जो अधिसूचना जारी की गई है, वह बहुत प्रासंगिक है। हमें अगर इस धरती पर रहना है और बदली हुई परिस्थितियों में मान-सम्मान और अच्छे स्वास्थ्य के साथ रहना है तो, मान्यवर, हमें नई व्यवस्था खोजनी पड़ेगी, नये प्रतिबन्ध स्वीकार करने पड़ेंगे, और उसके आधार पर हमें अपना जीवन बसर करना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, बजट भाषण में मुख्य मन्त्रीजी ने प्रत्येक पंचायत समिति के एक-एक ग्राम में वन लगाने और ऐसे ग्राम पंचायत गठित करने का उल्लेख

(श्रीमती मदन कौर)

किया और साथ ही विश्व खाद्य कार्यक्रम के जरिये 40 लाख यूनिट वन श्रमिकों को उपलब्ध कराने की बात कही है। निश्चित रूप से यह अच्छे प्रस्ताव हैं और मैं उनका समर्थन करती हूं। लेकिन आज आवश्यकता इससे भी आगे एक कदम और बढ़ाने की है। हमारे प्रदेश में विश्व बैंक से और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सामाजिक वानिकी के लिए, अरावली के पुनरुद्धार के लिए, इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र के लिए, चारागाह विकसित करने के लिए बड़ी मात्रा में धनराशि हमें मिल रही है। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इस धनराशि से आप जो काम करेंगे, उसमें आपको विभाग के साथ-साथ गैर सरकारी संस्थाओं को शामिल करना चाहिये। आप सम्पूर्ण काम गैर सरकारी संस्थाओं को नहीं सौंपना चाहें, तो कम से कम आधा क्षेत्र को गैर सरकारी संस्थाओं, चाहे वो ग्राम पंचायत हो चाहे वो सरकारी समिति हो, कार्पोरेट बोडीज हो चाहे कम्पनीज़ हों और यहां तक कि इंडिविजुअल भी इस काम को लेना चाहते हों, तो आपको उनको भागीदार बनाना चाहिये। इस तरह आपका प्रतिद्वन्दिता का माहौल बनेगा, मुकाबला होगा और कार्य कुशलता बढ़ेगी, आपके वृक्षारोपण के काम की गुणवता बढ़ेगी।

इसके साथ-साथ यहां पर यह सम्भावना व्यक्त की जा रही है कि अरावली के पुनरुद्धार का काम लैण्ड डवलपमेंट कारपोरेशन के माध्यम से किया जा सकेगा। इस तरह की बात भी चल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, चाहे राजकीय विभाग से कराओ चाहे राजकीय उपक्रम से कराओ, अब कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, बात तो एक ही है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस काम को विभाग के दायरे से निकाल कर, सरकारी व्यवस्थाओं के दायरे से निकाल कर प्राइवेट लोगों के हाथ में दिया जाना चाहिये, तभी यह काम सफलतापूर्वक किया जा सकेगा। अन्यथा होगा क्या, आपका एक अधिकारी एक बार लगेगा, उसके बाद में उसके पास रख रखाव का पैसा नहीं होगा, स्टाफ नहीं होगा और वह प्लान्टेशन्स बरबाद होगा, चोरी निश्चित रूप से होगी। खास तौर से कहना चाहती हूं कि यह आपका पैसा कोई मुफ्त का पैसा नहीं है, यह पैसा आपको कर्ज के रूप में मिल रहा है और इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण के प्रथम पृष्ठ पर जो भारत सरकार के प्रति शंका व्यक्त की, वह भी प्रासंगिक है। भारी मात्रा में ऋण लेने से देश की ऋण भुगतान दायिता में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई तो मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जो ऋण हम प्राप्त करेंगे, उससे हमने अगर असेट्स नहीं बनाई तो हमारी भुगतान करने की क्षमता नहीं बढ़ेगी और यह हमारी जनता के ऊपर एक बहुत बड़ा वजन होगा। आप जानते हैं कि इस बात के ऊपर प्राइवेट संस्थाओं को, इंडिविजुअल को, जो पहले अनुभव था, वह सरकार को अच्छा नहीं रहा। लेकिन इसमें भी, मान्यवर, ज्यादा गलती लोगों की, पंचायत समितियों की नहीं, इसमें भी सरकार की गलती ज्यादा है। अब छोटे-छटे प्लाट्स आपने उपलब्ध कराये, अब छोटे-छोटे प्लाट्स पर कोई जंगल लगता है क्या ? और इतने छोटे-छोटे टुकड़ों की किस प्रकार सुरक्षा की जा

(श्रीमती मदन कौर)

सकती है ? न इन्डीविजुअल्स कर सकते हैं और न सरकार कर सकेगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगी आप ये सारे काम प्राइवेट संस्थाओं के हाथ में दें और सरकार को इन लोगों की जमीन प्राप्त कराने में मदद करनी चाहिए, पानी उपलब्ध कराने में मदद करें, पैसा उपलब्ध कराने में मदद करें और विभाग का अपना एक रोल हो सकता है। आप तकनीकी जानकारी दें, डिमान्स्ट्रेशन प्लांट्स के माध्यम से उन लोगों का मार्गदर्शन करें। इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूं सारा काम आपको, भारत सरकार यह सरकारी मोह छोड़कर एक खुले विचार से आगे आ रही है, तो उस खुलेपन के रिवाज को हमें भी अपनाना चाहिए। यह जो वृक्षारोपण का काम है इसका भी गेस्टेशन पीरियड बहुत लम्बा होता है। आपके अधिकारी लग जायेंगे, दो साल एक आदमी रहा, उसका तबादला हो जायेगा। तो यह इतना लम्बा काम है कि इसको सुधारने के लिए स्थायित्व चाहिए, स्थायित्व के बिना यह चीज नहीं पनप सकेगी और जो कर्जा लेकर आप वृक्षारोपण कर रहे हैं इसमें आपको निराशा हाथ लगेगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इस काम को निश्चित रूप से प्राइवेट हाथों में दिया जाना चाहिए, तभी यह काम सफलतापूर्वक किया जा सकेगा।

मान्यवर, मेरा एक कटौती प्रस्ताव टी. पी. के सम्बन्ध में है फोरेस्ट एक्ट का दायरा, जिसके अन्तर्गत यह टी. पी. के नियम बने हुए हैं, उसका मूल आधार रक्षित और आरक्षित वन क्षेत्र हैं। अब हमारे राजस्थान में अव्वल तो बात यह है कि वनस्पति से आच्छादित क्षेत्र हैं ही और जो बचे हुए हैं वे वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी, नेशनल पार्क्स और नेशनल रिजॉर्ट के अन्तर्गत हैं और वहां कटाई होती नहीं। और वहां नहीं होती तो यह टी. पी. भी इश्यू नहीं की जा सकती है और यह टी. पी. आरक्षित और रक्षित क्षेत्रों के लिए ही है। इसको खातेदारी जमीन पर लागू करना सर्वथा गलत है, गैर कानूनी है। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि एक ऐसा केस बाड़मेर जिले में जिला कलक्टर के सामने आया था और जिला कलक्टर ने इसी तर्क के ऊपर उसको राहत दी थी।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : उपाध्यक्ष महोदय, तीनों मिनिस्टर बात कर रहे हैं, यहां तक आवाज आ रही है।

श्री चतुर्भुज वर्मा : हम तक तो आवाज नहीं आ रही है।

श्री यदुनाथसिंह : आप तो बहरे हो।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल रहे हैं लेकिन अभी भी बात कर रहे हैं वे तो।

श्रीमती मदन कौर : तो मान्यवर, टी.पी. के सम्बन्ध में मैं निवेदन कर रही थी कि टी. पी. की व्यवस्था को खातेदारी जमीन पर लागू करना सर्वथा गलत है, गैर कानूनी है, असंवैधानिक है और यह मैं इसलिए कहना चाहती हूं कि बाड़मेर के जिला मजिस्ट्रेट के सामने यह केस आया था और उस आदमी को इसी तर्क के ऊपर राहत मिली थी कि कोई भी कानून इतना व्यापक और एम्बीगुअस ज्यूरिस्डिक्शन का नहीं हो सकता। इसी तर्क पर उसको राहत मिली थी। आप अपने आपको खुशकिस्मत

(श्रीमती मदन कौर)

समझें कि कोई गरीब आदमी कोर्ट में गया नहीं । क्योंकि लकड़ी बेचने गरीब आदमी ही जाता है । अगर कोई साधन-सम्पन्न आदमी, कानून का जानकार आपके टी. पी. के मुद्दे को लेकर न्यायालय में गया तो आपका विभाग कटघरे में खड़ा मिलेगा । इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आप इस टी. पी. की व्यवस्था को इसे हमें राजस्व भूमि पर भी लागू करना है तो राजस्व विभाग नया बिल लाये, कानून बनाये, लेकिन मैं तो उसके भी पक्ष में नहीं हूं । क्योंकि अगर आप निजी खातेदार को वृक्षारोपण अपनी खेती की फसल को........

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ आर्डर ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या पाइन्ट ऑफ आर्डर है ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : ये तो डिस्टर्ब करते हैं । इनका क्या पाइन्ट ऑफ आर्डर है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : पाइन्ट ऑफ आर्डर यह है कि 6.00 बजे मन्त्रीजी का जवाब है........

श्री उपाध्यक्ष : वो जवाब दे देंगे 6 बजे ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अभी कई माननीय सदस्यों को बोलना है और आपने कुछ ध्यानाकर्षण भी इसमें रखे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आपका भी है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसलिए मैं चाहता हूं, 5.30 बज गये हैं और यदि स्ट्रिक्टली नहीं करेंगे.... ...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या बहुत अच्छी बात कह रही थीं । उनको डिस्टर्ब करने के लिए आपने यह किया । आप यह पाइन्ट ऑफ आर्डर इनके भाषण के बाद भी कर सकते थे । आपकी यह आदत बन गई है । आज पर्यावरण की मांग है, प्रदूषण की मांग नहीं है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं चाहता हूं, यह सारी व्यवस्था इसमें सम्मिलित हो जाय । या तो आप समय बढ़ाइये, यह मेरा निवेदन है ।

श्री उपाध्यक्ष : समय के अन्दर-अन्दर कर देंगे ।

श्रीमती मदन कौर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रही थी कि इस टी. पी. की व्यवस्था को समाप्त करके मान्यवर मन्त्री महोदय एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं । पहला तो यह कि जो स्टाफ वन और वन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए लगा हुआ है वह इस टी. पी. के लिए सड़कों पर खड़ा रहता है और कोई गाड़ी वाला या और कोई आये तो उससे चौथ वसूल करके अपना टाइम खराब करता है । तो इससे एक तरफ से भ्रष्टाचार का रास्ता बन्द होगा और दूसरी तरफ आपका स्टाफ जो यहां खड़ा रहता है वह वन क्षेत्रों और प्लांटेशन की सुरक्षा में लगेगा । और तीसरा लाभ भी है कि आप किसान और उपभोक्ता

(श्रीमती मदन कौर)

दोनों की इसमें मदद करेंगे। किसान को अपनी पूरी कीमत मिलेगी और उपभोक्ता को सही कीमत में लकड़ी मिलेगी। जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया, अगर आपको राजस्व भूमि पर यह कानून लागू करना है तो आपको अलग बिल लाना पड़ेगा, और मैं इस पक्ष में नहीं हूं क्योंकि इससे सामाजिक वानिकी के प्रोग्राम को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। किसी भी काश्तकार को अगर वह कोई चीज पैदा करे और उसको बेचने नहीं दिया जाय तो वह क्यों पैदा करेगा ? उदाहरण के तौर पर मैं मेरे खेत में सरसों पैदा करती हूं और उसे बिना किसी विघ्न के बेचती हूं लेकिन वहीं लकड़ी पैदा करके लकड़ी ले जाऊंगी तो आप रोकेंगे। यह तो बहुत गलत बात होगी, गैर-कानूनी होगी, असंवैधानिक होगी। इसलिए इस टी. पी. की व्यवस्था को तत्काल एक आदेश से बन्द कर दीजिए। इससे आपके विभाग का भ्रष्टाचार खत्म होगा, आपके वन क्षेत्रों की ज्यादा सुरक्षा होगी।

मान्यवर, मैं नील गायों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहती हूं। नील गाय की वजह से काश्तकारों की फसल को बहुत नुकसान होता है। पिलानी से आने वाली माननीया सदस्या ने इस पर प्रकाश डाला लेकिन मैं एक रास्ता भी सुझाना चाहती हूं। आज किसान को रबी की फसल तैयार करनी है तो फेंसिंग जरूर ही करनी पड़ेगी और फेंसिंग भी 10–10 फिट ऊंची। क्योंकि यह पशु तो ऐसा है कि 10 फिट ऊंचाई से कूद जाता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत इस वन्य पशु नील गाय को वध्य डिक्लेयर कर दिया जाय। चाहे कुछ अवधि के लिए कर दिया जाय, 5 साल के लिए ही कर दीजिए। क्योंकि इसकी आबादी बढ़ गई है। जब कभी यह लुप्त प्रायः प्राणी हो जाय तो फिर आप इसको वाइल्ड लाइफ एक्ट के अन्दर ले आयें।

तीसरा, मैं निवेदन करना चाहती हूं एक जूली फ्लोरा के लिए जिसकी आजकल बहुत आलोचना हो रही है। मेरा निवेदन करना यह है कि गरीब आदमी के लिए और खराब जमीन के लिए जूली फ्लोरा एक तरह से वरदान साबित हुआ। यह ठीक बात है कि हमारे यहां खेजड़ी, रोहिड़ा और बबूल, जो कि हमारे यहां की देशी प्रजातियां हैं, वे निश्चित रूप से बहुत अच्छी हैं और उसका बहुत बड़ा लाभ हमको मिलता है। लेकिन आज जिस तरह की हालत है कि वनस्पति है नहीं, जलाऊ लकड़ी है नहीं, मिट्टी उड़ रही है, इसलिए हमें ऐसी प्रजातियों को ढूंढना पड़ेगा जो जल्दी मेच्योर हो सकें और हमें लाभ दे सकें इस रूप में जूली फ्लोरा इंधन का बहुत बड़ा स्रोत है। इसके साथ ही जो विलायती बबूल है इसने भी हमारी रेगिस्तान में बड़ी भारी मदद की है चारे के रूप में। इसकी फली खाने से बकरियों की प्रजनन शक्ति में वृद्धि होती है। इसके पत्ते ऊंट खाते हैं, बकरियां खाती हैं और झुण्ड के झुण्ड इसके प्लांटेशन के नीचे खड़े रहते हैं।

इसके साथ ही मैं एक-दो बातें और कहना चाहती हूं........

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त कर दीजिए।

186

श्रीमती मदन कौर : सिर्फ एक ही बात है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ये एक्सपर्ट हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं मना कर रहा हूं। कल्ला साहब आप तो हर बात में एक्सपर्ट हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अब आप कैसे बोल रहे हैं ? पाइन्ट ऑफ आर्डर मैं इसलिए दे रहा हूं कि यह सदन की परम्परा रही है और इसमें बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य काफी जागरूक हैं और वह ही ऐसी गलती कर रहे हैं। कई बार आसन से व्यवस्था हुई है। इसलिए आपको याद है तो आपने प्रताड़ना दी थी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जैन साहब, वह जानते हैं कि सदन की क्या परम्पराएं हैं, क्या नियम हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जानते हैं इसलिए प्रताड़ना दें; जान-बूझ कर गलती की है।

श्रीमती मदन कौर : और क्या, मुझे तो दो-चार सेन्टेन्स बोलने हैं।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : उनको तो ज्यादा देनी चाहिए।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन के कीमती समय को बरबाद कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिए आप।

श्री डूंगरराम पंवार : और छलांग लगाकर कितनी दूर जाकर बैठे हैं अपनी सीट से।

श्रीमती मदन कौर : उपाध्यक्ष महोदय, आप इनको बैठाइये।

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिए आप। ऐसी कमेन्ट्री आप सब किया करते हैं बैठे-बैठे। खड़े होकर नहीं बोले थे। अब उसको थोड़ा सुधारो तो अच्छा है।

श्रीमती मदन कौर : उपाध्यक्ष महोदय, आपको भी इस बात की थोड़ी जानकारी होगी कि मारवाड़ जब एक स्टेट थी तब भी हमारे यहां ग्रास फार्म बना हुआ था, चारा इकट्ठा होता था और चारे के स्टॉक लगे हुए रहते थे। आज स्थिति यह है कि कहीं चारे का कोई प्रोग्राम हाथ में नहीं है। जिस साल अच्छी बरसात हो, हमें चारा इकट्ठा करना चाहिए। आज राज्य के बीकानेर, गंगानगर जैसे जिलों में चारे का अभाव है। अगर अच्छी बरसात के समय चारा इकट्ठा किया गया होता तो आज यह हालत हमारे यहां नहीं होती। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहती हूं, वन विभाग को चारा डवलपमेंट और साथ ही साथ चारे के बैंक बनाने चाहिए ताकि खराब वर्षों में हमें चारा उपलब्ध हो सके।

आपके पास बहुत स्टाफ है। मैं एक लाइन आपके प्रशासनिक स्ट्रक्चर के ऊपर निवेदन करना चाहती हूं। आपके यहां एक प्रिंसीपल सी. सी. एफ. है, आठ-नौ आपके यहां मुख्य वन संरक्षक है। आज से सात-आठ साल पहले एक सी. सी. एफ. हुआ करता था, कई मुख्य वन संरक्षक नहीं, कोई प्रधान वन संरक्षक नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : इस स्थिति को तो साल भर आपने भी फेस किया है।

श्रीमती मदन कौर : आज 25–30 तो आपके सी. एफ. हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : केवल पांच महीने।

श्री उपाध्यक्ष : पांच महीने भी फेस तो किया है न, सारा स्ट्रक्चर तो यही था।

श्रीमती मदन कौर : स्ट्रक्चर तो यही था।

श्री यदुनाथ सिंह : यह करने वाले थे........

श्रीमती मदन कौर : लेकिन आने वाले मंत्रीजी के लिए भी तो कुछ काम छोड़ना था, इसलिए छोड़ा है यह काम मैंने उनके लिये। बहुत लम्बा-चौड़ा आपके पास स्टाफ है, आप इस स्टाफ से चारा विकास का काम करवाइये, चारा इकट्ठा करवाइये, लोगों को तकनीकी जानकारी दीजिए। लेकिन वृक्षारोण के रख-रखाव का काम इस सरकार के भरोसे मत छोड़िये, आपका बंटाढार होने वाला है। पेड़ खड़े होंगे नहीं और यह कर्जा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं आपकी नाक से निकाल कर ले लेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हीरालालजी आर्य। आप अपने को दस मिनट तक सीमित रखेंगे। केवल दस मिनट।

श्री हेमराज मीणा : कोटा जिले के हैं, दस मिनट से क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या चाहते हैं ? हर बात में आपको बोलना जरूरी है क्या ? इस आदत को सुधारिये। आगे जाकर तकलीफ देगी यह। प्लीज।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, सामाजिक सुरक्षा और वन के बारे में यह सदन विचार कर रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 के अनुसार सरकार जनता के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, जन जाति के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिये प्रयत्न करेगी तथा उन्हें शोषण और अत्याचारों से मुक्त करेगी, इस प्रकार की व्यवस्था है। संविधान की इसी भावना के अनुरूप प्रांत का समाज कल्याण विभाग प्रांत की अनुसूचित जाति, जन जाति, पिछड़ी जाति, घुमक्कड़ जाति आदि के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए प्रयत्न कर रहा है। इसके अलावा समाज के कल्याण के लिए बाल कल्याण, महिला कल्याण, वृद्धावस्था कल्याण और अपंग आदि के कल्याण के लिए प्रयत्न कर रहा है। देश को आजाद हुए करीब 45 साल हो गये हैं। लेकिन अनुसूचित जाति और जन जाति के उत्थान के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं हुए। यद्यपि राष्ट्र सभी दिशाओं में प्रगति होने का दावा कर सकता है लेकिन अनुसूचित जाति, जन जाति के बारे में इस तरह का नहीं कहा जा सकता। विभिन्न प्रकार की संवैधानिक व्यवस्थाओं, कानूनों और संरक्षणात्मक व्यवस्थाओं के बावजूद भी अनुसूचित जाति और जन जाति के गरीब व्यक्तियों को भूख-प्यास और शोषण से मुक्त कराने में हम सफल नहीं हो पाये हैं। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की गई हैं। कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, बैंकिंग और

(श्री हीरालाल आर्य)

व्यापार में वृद्धि हुई है, जिससे कुछ लोगों को लाभ भी हुआ है। लेकिन इसका लाभ अक्सर समृद्ध लोगों को ही हुआ है। अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को इस सारे विकास से कोई ठोस लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। यही कारण है कि इतने सालों के बावजूद भी अनुसूचित जाति, जन जाति के लोग आज भी अशिक्षित हैं, गरीब हैं, बेरोजगार हैं, पिछड़े और उपेक्षित हैं तथा सामाजिक शोषण के शिकार हैं। वह भूखे हैं, नंगे हैं। गन्दी बस्तियों में रोटी, कपड़ा और मकान, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य आदि की प्राथमिक सुविधाओं के अभाव में जिन्दगी बसर कर रहे हैं और आज उनको पशु से भी बदतर जीवन जीने को बाध्य होना पड़ रहा है। जब तक इस प्रांत में भूखे-नंगे, अनपढ़-अशिक्षित और पिछड़े वर्ग के लोगों पर अन्याय और अत्याचार, उनका शोषण होता रहेगा, यह सब बातें सामाजिक संस्थाओं के लिए, धार्मिक संस्थाओं के लिए और राज करने वाली संस्थाओं के लिए एक चुनौती है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जब तक देश में कोई भूखा, नंगा, शोषित और पीड़ित व्यक्ति है, राज करना बेमानी है।

उपाध्यक्ष महोदय, 1981 की जन-गणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 342.62 लाख है जिसमें 58.3 लाख यानि 17.04 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 41.83 लाख यानि 12.20 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति के लोग हैं। शिक्षा की दृष्टि से वैसे तो राजस्थान का देश में सबसे पीछे स्थान है, लेकिन अनुसूचित जाति और जन जाति के बारे में तो और भी हालत खराब है। शिक्षा की दृष्टि से अनुसूचित जाति का प्रतिशत मात्र 14.04 प्रतिशत है और जन जाति का 10.27 प्रतिशत है। महिला शिक्षा का प्रतिशत अनुसूचित जाति का 2.69 तथा जन जाति का 1.20 है। अनुसूचित जाति और जन जाति के शैक्षणिक विकास के लिए सरकार प्रयत्न-शील है और प्रांत में विभाग द्वारा 414 और स्वयसेवी संस्थाओं द्वारा 93, इस प्रकार से कुल 539 छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं जिनमें 19,552 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन आज छात्रा-वासों की क्या स्थिति है? छात्रावासों में जो सुविधाएं दी जा रही हैं वह ना के बरा-बर हैं। छात्रावासों में आवास की व्यवस्था ठीक नहीं है, भोजन की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। उनके लिए पुस्तकें और स्टेशनरी की व्यवस्था बहुत कम है। उनके लिए बिस्तर, भोजन और बर्तनों की व्यवस्था भी न के बराबर है। यद्यपि राजस्थान सरकार ने इस साल छात्रावासों में नया सामान खरीदने के लिए दो लाख रुपये की व्यवस्था की है, उसके लिए मैं मन्त्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा, और भोजन के लिए जो प्रति माह करीब 170 रुपये भत्ता दिया जाता था उसको बढ़ा कर 250 रुपये प्रति माह किया है उसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। 6 से 8 तक की कक्षा के लिए केवल मात्र 40 रुपये और 9 से 12 तक की कक्षा के छात्रों के लिए मात्र 60 रुपये फीस, स्टेशनरी और पुस्तकों के लिए है। अब केवल 40 और 60 रुपये में तो फीस, स्टेशनरी और पुस्तकें नहीं खरीदी जा सकती, इसलिए मेरा सुझाव है कि राज्य

(श्री हीरालाल आर्य)

सरकार स्टेशनरी, फीस और पुस्तकों की राशि को बढ़ाने का प्रयत्न करें। इसी प्रकार जो सामान वहां उपलब्ध है वह बहुत पुराना है। गद्दे पुराने हैं, बर्तन पुराने हैं, ओढ़ने-बिछाने के बिस्तर नहीं हैं, एक ही कमरे में चार-चार, पांच-पांच बच्चे रहते हैं और वहां पर छात्र पशु से भी बदतर जीवन बिताने के लिए बाध्य हैं। इसलिए उनके लिए आवास की, भोजन की, प्रकाश की, विद्युत आदि की समुचित व्यवस्था करें। इसी प्रकार 6 से 8 तक की कक्षा के लिए 15 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति छात्र को और 20 रुपये छात्रा को दी जाती है। 9 से 11 तक की कक्षा के छात्रों को 30 रुपये और छात्राओं को 40 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाती है, यह बहुत कम है। आज हर चीज के भाव बढ़ रहे हैं, कीमतें बढ़ रही हैं और यह छात्रवृत्ति बहुत कम है और नहीं के बराबर है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी की जाये।

इसी प्रकार से जिन छात्रों के अभिभावक आयकर देते हैं, आजकल करीब-करीब प्रत्येक अभिभावक के आयकर लगता है और जिन छात्रों के अभिभावकों के आयकर लगता है उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। इसलिए प्रत्येक छात्र को छात्रवृत्ति दी जाये इस प्रकार की व्यवस्था की जाये, और यह समय पर दी जानी चाहिए। देखने में यह आया है कि काफी समय के बाद और कम से कम एक साल के बाद छात्रवृत्ति दी जाती है। पिछले साल छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिलने की और छात्रवृत्ति दिये जाने में घोटाला किये जाने की बहुत बड़ी शिकायत मन्त्री महोदय के सामने, और माननीय मुख्य मन्त्री महोदय जब जोधपुर पधारे थे तो वहां के विद्यार्थियों ने आपके सामने की थी। जोधपुर में जो जिला शिक्षा अधिकारी और क्षेत्रीय अधिकारी थे उन्होंने छात्रवृत्ति देने में बहुत बड़ा घोटाला किया है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकरण की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करें और छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाये जाने की व्यवस्था करें।

इसी प्रकार से आर्थिक दृष्टि से अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों की हालत बहुत खराब है। सरकार विशिष्ट संगठन योजना के माध्यम से उनके आर्थिक विकास के लिए प्रयत्न कर रही है। इस दृष्टि से पहली बार जब राजस्थान में जनता पार्टी की सरकार आई थी 1979–80 में, तब सबसे पहली बार विशिष्ट योजना संगठन की स्थापना की गयी थी, जिसके माध्यम से इस बात की हिदायत दी गयी थी कि अनुसूचिय जाति और जनजाति के व्यक्तियों के विकास के लिए वह अपने मद में पैसा खर्च करें ताकि अपने मद के पैसे से अनुसूचित जाति और जन जाति के व्यक्तियों का विकास हो।

आज बीस सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से और विशिष्ट योजना संगठन के माध्यम से अनुसूचित जाति और जन जाति के व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान हैं। इसी प्रकार से विशेष केन्द्रीय सहायता के आधार पर भी इस वर्ग के लोगों के हित के लिए प्रयत्न किये जाते हैं। लेकिन मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो राशि है यह खर्च नहीं की जाती है और

(190)

(श्री हीरालाल आर्य)

खर्च नहीं किये जाने से राशि बिना खर्च किये रह जाती है और इस वर्ग के लोगों को लाभ नहीं मिलता है। अतः मेरा निवेदन है कि अनुसूचित जाति और जन जाति के व्यक्तियों के विकास के लिए जो राशि है उसका समय पर खर्च किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इसी प्रकार से बस्ती योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति के मौहल्लों के लिए बिजली, पानी, चिकित्सा और पर्यावरण सुधार के लिए भी अलग से राशि खर्च किये जाने का प्रावधान है। लेकिन देखने में आया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति की बस्तियां तो ऐसे ही रह जाती हैं और उस राशि को दूसरे मौहल्लों के विकास के लिए खर्च कर दिया जाता है जिससे अनुसूचित जाति और जनजाति की बस्तियां प्रकाश के अभाव में, बिजली के अभाव में और पीने के पानी के अभाव में, सड़कें, नालियां आदि के अभाव में स्लम्स के रूप में और अविकसित क्षेत्र के रूप में रह जाती हैं। अतः मेरा निवेदन है कि उस क्षेत्र में विकास के लिए प्रयत्न करें....

श्री उपाध्यक्ष : अब ओवर कीजिए प्लीज....

श्री हीरालाल आर्य : राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए वाल्मिकी योजना शुरू की है....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें। हम तो मानते हैं आप मास्टर हैं इस सब्जेक्ट के। समय नहीं है।

श्री हीरालाल आर्य : संक्षेप में कह रहा हूं। इसी प्रकार से कई बार देखने में आया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशिक्षित लोग नहीं मिलते हैं। हमारी सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए अम्बेडकर प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। लेकिन बेरोजगार लोगों को भत्ता दिया जाता है वह नहीं के बराबर है। केवल 150-250 रुपये में काम नहीं चल सकता। अतः मेरा निवेदन है कि उस भत्ते में बढ़ोतरी की जाये। फिर यह भत्ता केवल दो साल के लिए आप देते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : घर बैठे भी मिलता है। छात्रावास में भी मिल रहा है, सब मिल रहा है।

श्री हीरालाल आर्य : तो जब तक उन बेरोजगार छात्रों को नौकरी नहीं मिलती है तब तक यह बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए।

आर्थिक दृष्टि से अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए प्रान्त में अनुसूचित जाति और जनजाति विकास निगम कार्य कर रहा है। यह निगम इस वर्ग के उत्थान के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में योजनायें चला रहा है लेकिन देखने में यह आया है कि यह जो निगम है उसको इस वर्ग के लोगों पर जो पैसा खर्च करने के लिए दिया जाता है वह पैसा खर्च नहीं होता है और यह पैसा बिना खर्च के ही पड़ा रहता है। अतः मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति विकास निगम के माध्यम से इस वर्ग के उत्थान के लिए जो पैसा

(श्री हीरालाल आर्य)

खर्च किया जा रहा है वह निश्चित रूप से समय पर खर्च किया जाये....

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद

श्री रामस्वरूप जी मीणा

श्री हीरालाल आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आरक्षण के बारे में निवेदन है। सरकार के हर विभाग में एक कोटा खाली पड़ा है। भर्ती के बारे में और प्रमोशन के बारे में वह कोटा पूरा नहीं हो रहा है। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने 3 माह के अन्दर रिजर्वेशन का कोटा भरने की घोषणा की है जो स्वागत योग्य है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारियों को अनावश्यक रूप से उनके खिलाफ जांच चलाकर और उनके सी. आर. खराब करके उनके प्रमोशन्स को अनावश्यक रूप से रोका जा रहा है इसका भी आप ध्यान रखें कि उनके प्रमोशन की भी ठीक प्रकार से व्यवस्था हो। जोन आफ कन्सीड्रेशन का विभागों में पालन नहीं किया जा रहा है और एक-एक करके प्रमोशन दिये जा रहे हैं जिससे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, इसका भी ध्यान रखें।....

श्री उपाध्यक्ष : बहुत लम्बा कर दिया। सारी बातें थोड़े ही आयेंगी। मन्त्री जी जवाब देंगे। प्लीज कोआपरेट कीजिए। आप मन्त्री जी को दे दीजिए।

श्री रामस्वरूप जी मीणा।

श्री हीरालाल आर्य : मेरे कुछ सुझाव हैं। इस वर्ग के उत्थान के लिए आवश्यक है कि इसका अलग से मन्त्रालय खोला जाना चाहिए। अभी कोई अलग से मन्त्रालय नहीं है। दूसरा मेरा सुझाव है कि अलग से एक विकास खण्ड इस वर्ग के विकास के लिए खोला जाना चाहिए ताकि इस वर्ग के उत्थान के लिए उसके अन्दर से फ़ायदा किया जा सके। (व्यवधान) अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्थान को देखने के लिए कोई एक पर्टीकुलर एजेन्सी नहीं है। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग और अनुसूचित जाति और जनजाति आयुक्त यह दो प्रकार की संस्थायें हैं।

(5.58 सायं)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष पदासीन)

अनुसूचित जाति और जनजाति आयुक्त जिसका आफिस केवल दिल्ली में है और कहीं नहीं है, और आयोग के कई क्षेत्रीय कार्यालय हैं। मेरा निवेदन है कि आयुक्त पद को समाप्त करके उसको अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अन्दर विलीन किया जाये और उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाये।

दूसरे, अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के लिए कानून की व्यवस्था की जाये, और तीसरा, मेरा निवेदन है कि अनुसूचित जाति और जनजाति का जो आयोग है वह अनुसूचित जाति और जनजाति के विभिन्न क्षेत्रों में काम करता है, इसलिये जो एक्सपर्ट्स हैं शिक्षा में और व्यापार में, इनमें से एक्सपर्ट्स लेकर आयोग में लेने चाहिए। राज्य सरकारें

(श्री हीरालाल आर्य)

और केन्द्रीय सरकार जो भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए योजनायें बनायें, नीतियां बनायें, तो अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग से परामर्श करके और विचार विमर्श करके उनके माध्यम से बनाये तो मुझे विश्वास है निश्चित रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का विकास होगा।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री जी जवाब दें। चर्चा समाप्त हुई।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था....

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरा नाम बोल दिया था।

श्री अध्यक्ष : हाउस ने 6 बजे चर्चा समाप्त करने का निर्णय लिया है। हाउस का निर्णय है, मैं उसको बदल नहीं सकता।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरा नाम बोल दिया है। मैं सुबह से बैठा हूं श्रीमान्। सुबह से आकर बैठा रहता हूं। मेरा जैसे ही नाम आया आपने रोक दिया। सारे माननीय सदस्य बोल रहे हैं किसी को नहीं रोका....(व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : इतना जोर से क्यों बोल रहे हैं। इतना जोर से बोलने की क्या जरूरत है। आप कल बोल लेना। कल बुलवा देंगे। अब आपने, आउस से तय किया है 6 बजे का। मैंने तो तय नहीं किया.... (व्यवधान)।

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, 5 मिनट बोलने दीजिए।

श्री अध्यक्ष : 5 मिनट मैं मंत्रीजी का समय दिलवाता हूं। 7 बजे मुख बन्द है। आप बिराजें मन्त्रीजी।

श्री बुलाकी दास कल्ला : 5 मिनट बोलने दीजिए।

श्री अध्यक्ष : 5 मिनट बोल लीजिए। 5 मिनट से 6 मिनट नहीं होने दूंगा। बोलिये-बोलिये। शुरू कीजिए....(व्यवधान) अब ऐसा ही होता है कभी-कभी। बोलिए (व्यवधान)।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप हमेशा ही नाराज रहते हैं, अध्यक्ष महोदय। सुबह 11 बजे आकर बैठते हैं।

श्री अध्यक्ष : शुरू करो न आप अब।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : मैं बोल रहा हूं श्रीमान्। आपने तो पहले ही कन्ट्रोल कर दिया मुझ पर। घण्टी मत बजा देना।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा सौभाग्य है मेरा आप पधारे हैं मेरे बोलने के समय में। इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो समय दिया....

श्री अध्यक्ष : दुर्भाग्य को सौभाग्य नहीं बता रहे हैं आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : जो विषय है वह अनुसूचित जाति और जनजाति से

(श्री रामस्वरूप मी6n

सम्बन्धित है और माननीय समाज कल्याण मन्त्रीजी यहां बिराजमान है, इसके बारे में मेरा एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था इसलिए सबसे पहले मैं अपने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर निवेदन करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम द्वारा ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से स्काउट योजना हेतु दी गई राशि का दुरुपयोग हुआ. माननीय समाज कल्याण मन्त्रीजी से माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस योजना के तहत ही आर.डी.ए. के माध्यम से राजस्थान में साढ़े 4 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है लेकिन इस राशि का खुला दुरुपयोग हुआ है। 88-89 में परियोजना निदेशकों ने जो इस राशि का दुरुपयोग किया है, इसके प्रशिक्षण के नाम से जो चयन किया था वह भी बिल्कुल अनियमितता के रूप में किया गया था। गरीबों के उत्थान के लिए और उनके नाम पर जो राशि दी गई थी उसका एकमात्र जयपुर जिले में जरूर निरीक्षण कराया गया था और जयपुर जिले में वी के. मीणा जो एक आई.ए.एस. अफसर थे उनकी जांच हुई है इसके अलावा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति का यह पैसा, करोड़ों रुपया जिसका कि घोटाला हुआ है, ऐसा कौनसा कारण है जो कि सारे जिलों की इस प्रकार की जांच नहीं कराई गई है? इसलिए मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सीधा माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय, आप बहुत अच्छे हैं। हृष्ट-पुष्ट भी हैं, लम्बे-चौड़े भी हैं, आपका हृदय भी मजबूत है। मुझे आशा है आप निर्भीक है। आप भी हिम्मत करिये और जिस प्रकार बी.के. मीणा को आपने डंकल घोषित किया है, हिम्मत कर के सारे अफसर जो भी उसमें लगे हुए थे और जितने डी.आर.डी.ए. हैं, सारे राजस्थान के, आप आज सदन में घोषणा करें कि हम उनकी अभी जांच कराएंगे और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, चाहे वह कोई भी हों आप उनकी भी वही हालत करेंगे जो एक अन्य अधिकारी की आपने की है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि 4 करोड़ रुपये का जो घोटाला डी.आर.डी.ए. में हुआ है, सारे राजस्थान में जो यह पैसा दिया गया है उसके बारे में आप आज इस सदन में इस बात की घोषणा करेंगे कि स्काउट योजना में जो पैसा दिया है उस पैसे की जांच कराकर दोषी अधिकारी को आप दण्डित करेंगे। यह मेरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था।

इसके साथ मैं दूसरा निवेदन करूंगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के जितने भी छात्रावास हैं उनकी हालत शायद आपने तो जाकर के नहीं देखी होगी और देखी भी होगी तो मेरे क्षेत्र की तो आपने नहीं देखी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में जब भी जाता हूं देखता हूं कि वहां के छात्रावासों की हालत यह है कि बच्चों के लिए बाथरूम बिल्कुल सड़ रहे हैं, उनके बिस्तर बिल्कुल फटे-पुराने हैं, साबुन समय पर उनको नहीं मिलता, तेल समय पर नहीं मिलता है। आप अगर मेरी बात को असत्य मानते हैं तो, माननीय मंत्रीजी, आप मेरे साथ चलिए, कार्यक्रम बनाइये

(श्री रामस्वरूप मीणा)

और आप जाकर के बिना प्रोग्राम के उनका निरीक्षण करिये, यह हालत मिलती है या नहीं। अनुसूचित जाति-जनजाति के होस्टल की। जो व्यक्ति दोषी हैं, जो व्यक्ति वहां पर उनका शोषण करते हैं, उनके पैसे का दुरुपयोग करते हैं आप उनके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करिये। इस बात की भी आप चेष्टा करिये। तीसरा, मेरा निवेदन है कि आपने जो वृद्धा पेन्शन है, घोषणा की थी कि 65 वर्ष के लोगों को दी जायेगी लेकिन आज तक उसके बारे में कोई किसी प्रकार की घोषणा नहीं की गई है। क्या वह दी जायेगी या नहीं दी जायेगी? और एक बात निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि यह जो विकलांगों के लिए आपने पेन्शन दी है वह समय के अनुसार, महंगाई के अनुसार बहुत कम है। मेरा, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि आप उसको भी बढ़ाने की मेहरबानी करेंगे।

एक बात मैं वनों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। माननीय वन मन्त्रीजी बिराजमान हैं। वनों की जो हालत है वह तो माननीय सदस्यों ने कह दी लेकिन मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपने वनों में जो निरीक्षण करवाये हैं, जो जांच करवाई है उसमें बहुत-से ऐसे अधिकारी साहबान हैं जो उनकी तकदीर से या उनकी किस्मत से निष्पक्ष जांच नहीं हुई है। आपने जो टोली, दल भेजे उसमें जाकर के उनसे पहले मुलाकात कर ली थी और जो लोग उनसे, टोली से मिल गये थे उनके बारे में उन्होंने सही रिपोर्ट जो आनी चाहिए थी वह तो नहीं दी और असत्य रिपोर्ट बनाकर के उन्होंने दी है। बहुत-से ऐसे निर्दोष कर्मचारी भी इसमें फंसे हैं। जिनके वास्तव में परिणाम मौजूद थे लेकिन उनको भेदभाव बरत कर के सही नहीं दिखाया गया है इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप पुनः जांच करवायें। आप स्वयं वहां मौके पर पधारें और सही जांच करवा कर दोषी लोगों को आप दण्डित करें, यह मेरा आप से निवेदन है।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि आप एक समिति बनायें और उस समिति के माध्यम से आप पैसा दें। आपने देखा होगा बहुत घोटाले के मामले आपने पकड़े हैं। क्या कारण है बार-बार इस प्रकार के घोटाले के मामले पकड़े जाते हैं? खाली आपको पेड़ नहीं मिलते खड्डे मिलते हैं। बीज जो आप चाहें उगता नहीं है। क्या कारण है इसका? एक सीधा उपाय है, मैं एक सुझाव देना चाहूँगा, माननीय मंत्री महोदय, एक समिति बनाइये उसमें आप जनप्रतिनिधि को लीजिए, माननीय सदस्य, विधायक भी उसमें होने चाहिए, गांव का प्रतिनिधि भी उसमें होना चाहिए। जिस क्षेत्र में आप वन लगा रहे हैं उसमें ऐसे 5 आदमियों की कमेटी बना दी जिसके आधार पर आपका पैसा जाय। (समय समाप्ति सूचक घण्टी) कम से कम इस कमेटी के सामने उस पैसे का ब्यौरा रखा जाय और यह पता लगाया जाय कि इतने पेड़ इस साल में आपके लगे हैं, इतना पैसा मिला है, इतने पेड़ जीवित हैं और इतने मृत हो गये हैं। अगर यह कार्य कमेटी के द्वारा होगा तो निश्चित समझ लो आपके यह घोटाले और उनके खिलाफ जो इतनी शिकायतें आती हैं, लगातार इस विभाग में आ रही हैं इससे

(श्री रामस्वरूप मीणा)

शिकायतों पर निश्चित रोक लगेगी। क्यों कि यह जनता का कार्यक्रम है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय संजय गांधीजी को। आज उनकी याद आती है जिन्होंने इतने बड़े राष्ट्रीय कार्यक्रम को जन्म दिया और सारे देश में एक बहुत बड़ा जनजागरण उन्होंने किया। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो वन हमारे देवता हैं इनकी रक्षा करना जरूरी है। आप भी श्रीरामजी की तरह, जिनकी आप पूजा करते हो, जिनका आपकी पार्टी वाले बहुत नाम लेते हैं उन्हीं राम ने 14 वर्ष का वनवास भोगा था। उनके पीछे एक राज था कि वन में लगने वाले यह पेड़, वन में रहने वाले वह बन्दर और भालू जो जानवर रहते हैं उन सबकी रक्षा कैसे की जाय इसलिए उन्होंने सबसे पहले जंगल का राज स्वीकार किया था, अयोध्या के राज को उन्होंने ठुकरा दिया था। आप भी, मन्त्री महोदय, इन एयर कंडिशनों को छोड़िये और जंगलों में जाया करो। देखो जंगलों की क्या हालत हो रही है? वे मातेश्वरी सीता को साथ लेकर गये थे आप अपनी घर वाली को अपने साथ ले जाकर जंगलों में निवास करने की आदत डालो। ज्यादा नहीं तो कम से कम से एक दिन जंगल में आप अवश्य रहा करो। आप जंगल के मंत्री हो राजस्थान सरकार के मंत्री नहीं हो। आप जंगल में रहकर जंगल के हालात देखो। पेड़ कट चुके हैं।

श्री लालचन्द डूडी (वन मंत्री) : मैं रामस्वरूप जी को साथ ले जाऊंगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : हां, उनको आप साथ में लीजिए और मैं भी आपके साथ चलने को तैयार हूं और, अध्यक्ष महोदय, इस बात की आपके सामने घोषणा करता हूं कि आप और हम मिलकर के वनवास में रहेंगे। महीने में एक दिन तो कम से कम वनवास बितायेंगे। पता लगे इन चोरों का जो लोगों के पेड़ों को काटते हैं, वन देवताओं को काटते हैं उन लोगों का पता लग जायेगा इसलिए आज आप घोषणा करें कौन-सा दिन आप महीने में चुनेंगे जिस दिन आप वन में बितायेंगे? आपसे मेरा यह निवेदन है। (समय समाप्ति सूचक घंटी)।

श्री अध्यक्ष : 10 मिनट हो गये.... (व्यवधान)।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं समझता हूं, आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत आपका आभारी हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : 10 मिनट हो गये हैं : आपको 10 मिनट हो गये। समाज कल्याण मन्त्रीजी, आप बोल रहे हैं। (व्यवधान)। आप बैठिये। आप बोलेंगे नहीं, क्या हो गया।

श्री मोहनलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : क्यों है?

श्री मोहनलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि 7 साल से मैं देखता आया हूं कि जिस दिन समाज कल्याण की डिमाण्ड होती है, उसी दिन

(श्री मोहनलाल चौहान)

मुख बन्द होता है और माननीय सदस्यों को बोलने का कोई मौका नहीं मिलता है। हमारे इस पवित्र सदन में भी हमारा शोषण हो रहा है। समाज कल्याण की डिमाण्ड में अनुसूचित जाति और जनजाति पर विचार किया जाता है। इस तरह से हमारा शोषण हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, आपका कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री मोहनलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, हमको बोलने का मौका तो मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बहुत दिया है। इतना मौका कभी नहीं मिला इस हाउस में जितना मौका आपको इस बार मिल रहा है। किसी चीज का आखिरी नाका मत ले आइये, एक्स्ट्रीम मत करिये। इससे ज्यादा कभी मौका नहीं दिया है। बैठिये।

श्री मोहनलाल चौहान : नहीं, अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण की डिमाण्ड पर पूरी चर्चा नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष : समाज कल्याण विभाग डिमाण्ड पर ही आप सब बोले हैं।

श्री मोहनलाल चौहान : नहीं बोले, साहब।

श्री अध्यक्ष : सब बोले हैं। हां बोलिये।

मांग संख्या 33 (समाज कल्याण) एवं मांग संख्या 9 (वन) का पारण

श्री कुन्दनलाल मिगलानी (समाज कल्याण मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, आज समाज कल्याण विभाग, मांग संख्या 33 पर चर्चा हुई। बहुत अधिक सदस्य इस पर नहीं बोले, मगर 10 सदस्यों ने अपनी तरफ से कुछ सुझाव दिये, कुछ कमियां बतायीं। मैं निवेदन करना चाहूंगा जो मुझे कमियां बतायीं। शुरूआत हुई है शिक्षा से, महिला शिक्षा से। जो महिला छात्रावास बने हुए हैं, उनकी शिक्षा के लिए वहां पर ऐसा बन्दोबस्त किया जा रहा है 1992–93 में कि हम ट्यूटर रखने जा रहे हैं। जो महिलाएं छात्रावासों में रह रही हैं उनके लिए ट्यूटर रखकर शिक्षित किया जाय, ताकि महिलाओं के पर्सेन्टेज में बढ़ोतरी हो। उसके बाद प्रश्न आया राजकीय छात्रावास जो विद्यालयों के साथ जुड़े हुए हैं उनमें अनुदान के लिए, तो ऐसे छात्रावासों में जो भी बच्चियां एस.सी., एस.टी. की होती हैं, उनको छात्रवृत्ति दी जाती है, अलग से सुविधाएं दी जाती हैं। जिन्होंसे अनुदान के लिए एप्लाई नहीं किया है, उनको कोई अनुदान नहीं दिया गया है, न ही नियमों में कोई ऐसा प्रावधान है। कोई भी एडेड संस्था ऐसी है जिसने अपना विद्यालय खोल रखा है, जब वह छात्रावास के लिए एप्लाई करते हैं तो उनको अनुदान दिया जाता है। जो सुविधाएं दूसरों को दी जाती हैं, वह उनको भी दी जाती हैं यदि वह डिमाण्ड करते हैं तो।

माननीय टीकमचन्द जी फरमा रहे थे भंगी कष्ट मुक्ति के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए। मैला ढोने की जो एक प्रथा चल रही है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा वह प्रथा जो सूखे तहारत, पहले सिर पर मैला ढोने की एक प्रथा चल रही थी, उस प्रथा को बन्द

(श्री कुन्दनलाल मिगलानी)

करके केन्द्र सरकार और प्रादेशिक सरकार की तरफ से उन सूखे तहारतों को फ्लेश में परिवर्तित करने की योजना चल रही है और प्रायः उसमें परिवर्तन कर दिया गया है और जो लोग उनसे फारिग होते हैं, उनके लिए छात्रावास खोले जाते हैं। छात्रावास में ट्रेनिंग दी जाती है, सिलाई और कढ़ाई की लड़के और लड़कियों दोनों के लिए। उनकी शिक्षा का प्रबन्ध किया जाता है ताकि यह किसी कार्य में लगकर बेकार न न रहें, उनके लिए यह व्यवस्था कर दी गई है। उसके बाद टीकमचन्द जी की तरफ से ही निगम के पैसे का प्रश्न आया, निगम में जितना भी पैसा आता है, केन्द्र सरकार की तरफ से अधिक से अधिक पैसा आता है और उसमें केन्द्रीय सरकार की तरफ से नार्म्स फिक्स कर दिये जाते हैं। इन नार्मस के मुताबिक ही उस पैसे को यूटिलाइज करते हैं। प्रादेशिक सरकार के लिए पाबंदी है कि वह उसमें पैसा नहीं लगने देती। फिर भी अभी 21 तारीख को केन्द्रीय सरकार की तरफ से समाज कल्याण मन्त्री के.सी. जी ने मीटिंग रखी कि इस पाबंदी को हटाकर राज्य सरकारों को फ्री-हैंड किया जाय। पैसा वह सरकारें अपने हाथ से ही लगाएं, उनके ही डिस्पोजल से वह पैसा रहे, इसके लिए प्रस्ताव रखा गया है। विचार आ जाने के बाद, उसके आदेश आने के बाद यह हो जायेगा कि वह पैसा प्रादेशिक सरकारें अपने आप लगायेंगी। उनमें भी कोई दुविधा नहीं आये, वह पैसा नहीं बचेगा और उसको सही ढंग से लगाया जा सकेगा। माननीय सदस्य सांवरमल जी ने फरमाया, यह जनरल क्वेश्चन है और अभी भी रामस्वरूप जी ने फरमाया कि होस्टल की हालत खराब है। 1990 में जब यह सरकार आयी, उस वक्त जो पैसा मिलता था उसके बावजूद 30 लाख रुपया स्पेशल एड में देकर छात्रावासों की हालत सुधारने के लिए, केवल मात्र उन छात्रावासों में सामान भेजने के लिए, आज की तारीख में एडेड और राजकीय 536 छात्रावास चल रहे हैं, उन सबको सुधारने के लिए 30 लाख रुपये का एक ऐसा नार्म्स फिक्स किया कि 15 साल से पुराना छात्रावास, 10 साल से पुराना छात्रावास, 5 साल से पुराना छात्रावास, उनको वह पैसा दिया गया। प्रायः बहुधा छात्रावास ऐसे हैं, जिनकी हालत सामान देकर सुधारी जा सकती है, मगर फिर भी इस बार अधिक पैसा रखा गया है, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह विश्वास दिलाऊंगा कि इस साल में कोई भी छात्रावास ऐसा नहीं रहेगा जिसमें ऐसा सामान होगा जो यूटिलाइज के काबिल नहीं होगा। यूज के काबिल नहीं होगा, उसको हटा दिया जायेगा और उसको नया सामान दे दिया जायेगा। माननीय सुमित्रा जी ने फरमाया कि जो पैसा बढ़ाया गया है उसके इस्तेमाल के लिए क्या प्रक्रिया है? अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि 170 के अगेंस्ट बच्चों के लिए प्रतिमाह मासिक भत्ता जो खाने-पीने का है 170 के अगेंस्ट में उसको 250 किया गया। मगर उसमें यह नियम रखा गया कि 170 रुपये को तो खाने से ऊपर ही लगाया जाय और 80 रुपये बच्चों के कपड़े, यूनिफार्म जो दी जाती है, जूते, तेल, साबुन के लिए, उनकी कटिंग के लिए जो भी उनके नित्य व्यवहार में आता है उसके लिए रखा गया है। उसके लिए निवेदन करूं उनका

(श्री कुन्दनलाल मिगलानी)

सुझाव बिल्कुल दुरुस्त था। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा मगर इसके लिए जो भी प्रक्रिया अपनाई गई है कि सीनियर हायर सैकण्डरी के बच्चे छात्रावासों में रहते हैं। बड़े-बड़े बच्चे होते हैं उनकी तरफ से एक समिति बनाई गई है। खाने का सामान या दूसरा सामान, उस समिति के द्वारा ही परचेज किया जाता है, उनके डिस्पोजल पर होता है। मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी निगरानी के लिए एक उड़नदस्ता रखा गया है जो जगह ब जगह टाइम ब टाइम बिना प्रोग्राम बतलाएं उसकी इन्क्वारी और इन्स्पेक्शन करता है। इससे कहीं भी कोई घपला न कर पाए। आज हमारे छात्रावासों में जो वार्डन रहते हैं उनके डिस्पोजल पर वह खर्चा नहीं रखा गया। उसी जगह पर अनियमितताएं होती थीं। उस अनियमिता को हटाने के लिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसीलिए उड़नदस्ता या हमारे अधिकारी भी जाकर उसका इन्सपेक्शन करते हैं, जांच होती है उसमें कहीं भी घपले की कोई गुंजाइश नहीं अध्यक्ष महोदय, ग्रेज्युएट बच्चों के लिए जो छात्रवृत्ति का फरमाया गया यह प्रथम श्रेणी पास को 250 रुपये और द्वितीय श्रेणी को 150 रुपये प्रतिमाह दिये जाते हैं। यह मान लेता हूं कि वह कम है और कई साथियों की यह शिकायत आयी कि वह बच्चे कम क्यों है। सर्वे तो विभाग की तरफ से कराया जाता है। जो बच्चे सर्वे में आ जाते हैं उनके लिए विभाग की तरफ से कोई भी रुकावट नहीं है परन्तु कोई बच्चा नहीं लेना चाहता है या सर्विस में चला जाता है तो उसके लिए विभाग का कोई दोष नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारों के लिए सर्वे की बात बताई। समाज कल्याण की तरफ से, सरकार की तरफ से अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि प्री-प्रशिक्षण के लिए सेण्टर खोले गये हैं। यह बतलाया गया कि बच्चे ग्रेजुएट होने के बाद भी सलेक्ट क्यों नहीं होते हैं। यह मान लेता हूं कि वह सलेक्ट नहीं होते हैं और वह उस सर्विस के काबिल नहीं हो पाते हैं, इन्टरव्यू में सलेक्ट नहीं हो पाते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए सेण्टर खोले गये हैं जहां प्री-प्रशिक्षण दिया जायेगा और उनको कम्पीटीशन में बैठने के लिए ट्यूटर मुहैय्या कराये जाएंगे ऐसी व्यवस्था कर दी गयी है ताकि वह उसमें पीछे न रह जाएं और दूसरे बच्चों के साथ आगे आ सकें। लास्ट में माननीय रामस्वरूपजी मीणा ने निगम की राशि के लिए फरमाया। पहले भी निवेदन किया माननीय अध्यक्ष महोदय, जब प्रश्न आया उसमें भी उत्तर में कहा गया आज से आठ-नौ महिने पहले मैंने सभी सदस्यों को अपनी तरफ से एक पत्र लिखा कि कोई भी कहीं अनियमितता हो रही है, कोई भी अपनी तरफ से सुझाव देने हों इन छात्रावासों को सुधारने के लिए तो मेरे को पत्र दिया जाय ताकि मैं आपके सुझावों की कद्र करता हुआ उस कार्य को पूर्ण कर सकूं। मैं यह समझता हूं कि मेरे पास त सात-आठ पत्र आए और बाकी किसी साथी की तरफ से कोई पत्र नहीं आया (व्यवधान)। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा आपके माध्यम से सदन को कि जितनी भी अनियमितताएं हुई हैं, इस विभाग के अधिकारियों द्वारा या स्वयं मैंने जाकर के देखा और 82 संस्थाओं का इन्स्पेक्शन करके बन्द किया

(श्री कुन्दनलाल मिगलानी)

गया है। जो जो बराए नाम चल रहे थे। उनकी एड बन्द की और मान्यता भी खत्म कर दी गई। जो राजकीय छात्रावास थे उसमें चाहे कर्मचारी और अधिकारी लिप्त पाया गया तो उसको सस्पेण्ड किया गया, कई के खिलाफ कार्यवाही चल रही है।

निगम के चार करोड़ और कुछ पैसों के बारे में बतलाया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा और विश्वास दिलाना चाहूंगा चाहे कहीं निगम में हुआ हो या इस विभाग में किसी ने किया हो उस पैसे का मिस यूटआइजेशन हुआ है उसकी जांच की जाकर किसी को बख्शा नहीं जायेगा। हर आदमी को सजा दी जायेगी। इतना ही कहते हुए क्योंकि इस विभाग से तो मैं समझता हूं मेरे साथी सेटिस्फाई हैं इसलिए कोई ज्यादा प्रश्न नहीं आये हैं। मैं सदन से निवेदन करूंगा कि मेरी डिमाण्ड को सर्व सम्मति से पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री जगमाल सिंह।

श्री हीरालाल आर्य : मंत्री महोदय....

श्री अध्यक्ष : हीरालाल जी, प्लीज सिट डाउन। यह डायरेक्ट उनको इंगित करके खड़े हो जाते हैं, बिना मुझ से पूछे और फिर डायरेक्ट "मंत्री महोदय" यह घर है क्या? घर है क्या यह।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से....

श्री अध्यक्ष : आप सीधे-सीधे मंत्री महोदय को कह रहे हैं, खड़े होकर बात कर रहे हैं।

श्री हीरालाल आर्य : आपको सम्बोधित करके....

श्री अध्यक्ष : मैंने जगमाल सिंह जी का नाम पुकारा है, यदि आपका ध्यान मेरी तरफ होता तो आप सुनते कि मैंने जगमाल सिंहजी का नाम पुकारा है। सीधे खड़े हो गये "मंत्री महोदय" घर है क्या? डेकोरम मेण्टेन करिये आप। इतने सीनियर मेम्बर हैं आप, चार बार जीतकर आये हैं आप।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि समाज कल्याण विभाग में जो लोग पिछड़ गये हैं, उनको आगे लाने की कोई नीति या प्रोग्राम, क्या सरकार ने कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया? मण्डल आयोग की रिपोर्ट लागू की? क्या लागू करने जा रही है जो समाज में पिछड़ गये हैं उनको आगे लाने के लिए? एक तो यह। दूसरा समाज कल्याण विभाग के छात्रावास आज केवल शिक्षा देने तक सीमित रह गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि क्या समाज कल्याण विभाग के पास कोई ऐसा प्रोग्राम है कि समाज में जो कुरीतियां हैं, मृत्यु भोज है, दसाटन जैसी चीजें हैं, नाजायज खर्चा होता है उनको बंद करने के लिए प्रचार प्रसार करने का काम समाज कल्याण विभाग करने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री कुन्दन लाल मिगलानी : माननीय

(श्री कुन्दनलाल मिगलानी)

अध्यक्ष महोदय, दो बातें माननीय सदस्य ने फरमायीं हैं। पहली बात तो यह है कि समाज के जो पिछड़े हुए लोग हैं, स्वयं सेवी संस्थाएं या सरकार की तरफ से ऐसे प्रोग्राम हैं, जो इन प्रोग्राम से लाभ उठाकर के इन योजनाओं से लाभ लेना चाहें तो लाभ ले सकते हैं।

दूसरी बात जो कुरीतियां समाज में चल रही हैं उनको सरकार द्वारा तो नहीं हटाया जा सकता है मगर सभी वर्गों में, सभी जातियों में ऐसी संस्थाएं बन चुकी हैं जो इन कुरीतियों को दूर कर रही हैं और जिन वर्गों में कुरीतियां नहीं हैं उनके रास्ते पर चलकर इसको दूर करने का प्रयत्न कर रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, छात्रावासों में स्टेशनरी और बुक्स के लिए जो पैसे दिये जा रहे हैं वह बहुत कम हैं। 40 से 60 रुपये में न बुक्स आती हैं न स्टेशनरी आती है, इसको बढ़ाने के लिए क्या मंत्री महोदय व्यवस्था कर रहे हैं ? दूसरा, हरिजन अत्याचार जो बढ़ रहे हैं इसको रोकने में तो हम असफल हैं लेकिन जो आर्थिक सहायता दी जाती है केवल मात्र 7 लाख रुपये उसके लिए रखे हैं जो बहुत कम हैं। जैसी गृह मंत्रीजी की रिपोर्ट आयी है उसमें हरिजन अत्याचार के मामले हैं वह कई गुना बढ़ गये हैं उनको देखें तो करीब 27 से 30 लाख रुपये अत्याचार के बदले में आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए उसको बढ़ाने के लिए आप क्या प्रयत्न करेंगे ?

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : माननीय अध्यक्ष महोदय, छात्रों को जो छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं उसको महसूस किया गया है कि बच्चों के लिए यह बहुत कम है। इस साल उन पर विचार किया जा सकता है, बढ़ाने के लिए सोचा जा रहा है। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे तो इसको बढ़ा दिया जायेगा। यह भी विश्वास दिलाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वन मंत्री।

श्री लालचन्द डूडी (वन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आदिकाल से ही हमारा देश वनों और वृक्षों के प्रति बड़ा भारी संवेदनशील रहा है। कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक हमारे देश के अन्दर पेड़ों की पूजा होती रही है। आज भी हो रही है और पहले भी होती आयी है। दुर्भाग्य से इन्वेण्टर जब देश के अन्दर आया तो उसने सोचा कि यह काम केवल हिन्दुओं का है और यही करते आ रहे हैं। उनको यदि साइंटिफिक तरीके से समझाया जाता तो वह इस कॉन्सेप्ट को स्वीकार करते और पेड़ की रक्षा करते। लेकिन बढ़ती हुई आबादी, उद्योग, वन भूमि को कृषि के काम में लेने, खनन कार्य चलाने का बोझ, ईंधन का बोझ ऐसी समस्यायें हैं जिनकी वजह से वनों का विनाश होता आया। अध्यक्ष महोदय, यह आज से नहीं पुरानी संस्कृति को उठाकर देखते हैं तो जहां पुरानी सभ्यताएं मिलती हैं वहां आज रेगिस्तान मिलता है। मिश्र की सभ्यता इसका उदाहरण है। उसके हिसाब से भारत के अन्दर भी वनों का ह्रास हुआ, राजस्थान में भी वनों का ह्रास हुआ लेकिन मुझे इस बात को कहने में प्रसन्नता है कि मानव ने महत्व को स्वीकार किया है उसमें भारत

(श्री लालचन्द डूडी)

विश्व में कहीं कम नहीं है और राजस्थान भी कहीं कम नहीं है। वनों को बचाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए हमने पूरा प्रयत्न किया है।

सरकार की तरफ से भी आज राजस्थान की जो स्थिति है, जहां पर्यावरण के संतुलन के हिसाब से 33 प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिए, माननीय पिलानी से आने वाली माननीय सदस्या ने पता नहीं कहां से जानकारी ली है लेकिन यह 6 प्रतिशत ही कम है। सघन वन तीन प्रतिशत की जगह एक प्रतिशत नहीं हैं इसको और बढ़ाने के लिए राजस्थान अपनी पूरी कोशिश कर रहा है।

अभी एक बात आयी कि वन लग रहे हैं उसके बारे में जो रिपोर्ट है, सरकार को या लोगों को दे रहे हैं, जनता को दे रहे हैं उसमें 55 और 58 प्रतिशत सरवाइवल का कहा गया केवल वन विभाग के द्वारा ही इसका आंकलन नहीं हो रहा है, उपग्रह द्वारा इसकी फोटो ली जाती है। अभी पिछले साल हमारे बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्दर 231 पर्सेण्ट लक्ष्य हमने प्राप्त किया है। यह योजना आयोग द्वारा जांच की हुई रिपोर्ट है, राजस्थान के वन विभाग के द्वारा जांच की हुई नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह मैं कह सकता हूं, मैं इस बात को डिनाई नहीं करता हूं कि वन के अन्दर कहीं ह्रास हो रहा है लेकिन वन को आगे बढ़ाने में वन को सुरक्षित रखने के लिए अन्दर पूरी पैरवी, पूरी कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है।

विभिन्न योजनाएं जो राजस्थान सरकार के द्वारा चल रही हैं उनके साथ-साथ वनों को और विकसित करने के लिये कुछेक बड़ी मझली योजनाएं हैं। पिछले साल जापान द्वारा संचालित स्कीम में इन्दिरा गांधी कैनाल एरिया का जो रेगिस्तानी एरिया है उसके लिए 107 करोड़ रुपये की एक योजना बनायी गयी जिसके अन्तर्गत मैं आपको विश्वास दिला दूं कि उधर जो रेगिस्तान है, टीबा है, वहां से रेत ऊपर की तरफ आती थी उसको रोकने के लिये जितना कुछ किया गया वह अपने अनुमान से काफी ठीक निकला है। मैं यह कह सकता हूं कि शुरू में जिस वक्त यह योजना लागू की थी उस वक्त कुछ कमियां रही थीं, एक प्रावधान छोड़ दिया था कि इन्दिरा गांधी कैनाल एरिया के अन्दर जो जमीन होगी वह फॉरेस्ट के लिए अलाट की जायेगी वह डवलप होने के बाद वापस कॉलोनाइजेशन डिपार्टमेंट को दे दी जायेगी। इस तरह का एक प्रावधान उस वक्त रख दिया गया था उसकी वजह से हमें काफी नुकसान हुआ। हमारे अच्छे चारागाह डवलप किये हुए हमें वापस देने पड़े। लेकिन अब हमने फैसला कर लिया है कि आइन्दा इस तरह से वापस देने का प्रोग्राम इसमें न हो। उसकी वजह से हमें काफी नुकसान हुआ है। जमीनों के अलॉटमेंट के अन्दर काफी गड़बड़ियां हुई थीं लेकिन अब हमने उस बात को रोक लिया है।

राज्य की अरावली पर्वत शृंखला के बारे में हाउस में पहले भी चर्चा हो चुकी है। अब मैं फिर आपको उसके बारे में बता देना चाहता हूं कि 177 करोड़ रुपये की बहुत बड़ी योजना है उसमें 10 जिले

(श्री लालचन्द डूडी)

लिये हैं। माननीय गर्ग साहब की शिकायत थी कि जालौर जिले को क्यों नहीं लिया गया ? यह जालौर जिले की पहाड़ी अरावली में हैं कि नहीं, इस बात का फैसला मैंने नहीं किया, अध्यक्ष महोदय, इसका फैसला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने नहीं किया। इस बात की जांच करायी थी बिड़ला इन्स्टीट्यूट आफ सांइस एण्ड टेक्नोलोजी से और योजना आयोग से, उसकी रिपोर्ट थी, कुछेक पहाड़ियां इस अरावली में न होकर दूसरी पहाड़ी का एक हिस्सा बनती हैं। खैर अगर वह होती भी तो, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि आज दो जिले और बनकर काफी हो गये लेकिन जब उस हिसाब से हम इतना ही कर सकते थे कि जिसका कुछ इम्पेक्ट नजर आये। तो केवल 10 ही जिले हो सकते हैं। उन 10 जिलों को ऐड करने के लिये चाहे अजमेर को लेकर दूसरे को निकाल देते, चाहे तीसरे को लेकर चौथे को निकाल देते, वह 10 जिले 10 के 10 ही रहते हैं। उसको कहें कि उसको लिया उसको नहीं लिया, इस बात का उसमें कहीं नहीं है। मैं बता रहा था, जिस तरह दो स्कीम हैं हमारी, एक जापान के द्वारा चल रही है, एक हमारी पड़त भूमि विकास योजना है, यह 7-8 जिलों—सीकर, झुंझुनू, उदयपुर, नागौर, बारां, झालावाड़, बीकानेर और गंगानगर के लिए आठ योजनाएँ हमने मन्जूर करायी हैं और उनके अन्दर जिसको हम सेमी डेजर्ट का एरिया कह सकते हैं, उस एरिया के विकास के लिये इस तरह की योजनाएँ चल रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, अभी जिक्र आया टी. पी. के बारे में, ट्रांजिट पास के बारे में। मैं माननीय सदस्या की जानकारी के लिये बता दूं कि हम खातेदारी जमीन के अन्दर कुछ एक किस्म के पेड़ों को काटने की परमिशन दे चुके हैं और उसके लिये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टी. पी. की कहीं आवश्यकता नहीं है। यह डिसीजन हम ले चुके हैं।

जंगल को काटने के बारे में जहां तक बात है, उसके प्रोटेक्शन के लिये भी सीमित साधनों के अन्दर हम काफी कुछ कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी मुझे यह स्वीकार करने में कहीं शंका नहीं है कि हमारे बार्डर एरिया में से गुजरात का एक बहुत बड़ा माफिया गिरोह आया कोई 200-300 ऊँटों को लेकर और हमारे वन कर्मचारी को जबर्दस्ती पकड़कर बांस किसी तरह से ले जाने की कोशिश की लेकिन उन जागरूक लोगों ने, वहां के आसपास गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर पकड़ा, उनको जाने नहीं दिया। इसी तरह से जो अवैध खनन हो रहा है। फॉरेस्ट की जमीन के अन्दर उसको रोकने की काफी जगह कोशिश की, कई केसेज बने हुए हैं लेकिन कुछ जगह ऐसी स्थिति आ जाती है, जैसे अभी हमारे उच्च अधिकारी के ऊपर माफिया गैंग ने प्राणघातक हमला भी किया, इस तरह की कठिनाइयां काफी दफा होती हैं उसके बावजूद सरकार ने 11 वानिकी और 5 वन्य गश्ती दल बना रखे हैं और वक्त बेवक्त पर काम करते आ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी कुछेक माननीय सदस्यों के सुझाव आये, कुछेक बात आयी। सोइल कन्जर्वेशन और वाटर कन्जर्वेशन के बारे में माननीय सदस्यों के अच्छे

(श्री लालचन्द डूडी)

सुझाव हैं। इसके ऊपर भी योजना के अन्तर्गत काफी जगह एनीकट बना कर वाटर कन्जर्वेशन और सोइल-कन्जर्वेशन का कार्य पूरा किया जा रहा है। इसके साथ-साथ दूसरी पहाड़ियों के ऊपर भी, जिस तरह यह अरावली प्रोजेक्ट आया है, दूसरी जगह पर भी एनीकट बनाकर वाटर कन्जर्वेशन के लिये पूरी व्यवस्था की जायेगी।

जैसे एक सुझाव आया कि ऊपर स्तर पर ज्यादा हैं और नीचे जो काम करने वाले छोटे कर्मचारी हैं उनकी भर्ती नहीं हो रही है। 1 से 6 स्केल के कर्मचारियों की एक बार भर्ती बन्द थी, अब हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अन्दर 1 से 6 स्केल तक के लोग ही ज्यादा इफेक्टेड हैं और इस जंगल में इस विभाग के वे ही हाथ और कान हैं, वे ही सब कुछ हैं। उनकी जगह भी काफी खाली है उनकी भर्ती के लिये हम सरकार को कह रहे हैं, वह पाबन्दी हटे और भर्ती जल्दी से जल्दी की जावे।

तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने 10 तारीख को श्रीराम फाइबर्स के अन्दर जो हादसा हुआ उसके बारे में जो बात कही उसके बारे में मैं निवेदन कर दूं कि 10 तारीख को हादसा हुआ था उसकी एफ. आई. आर. लाज हो गयी और उसका चालान हो गया और उसकी जांच की जा रही है। कितने एरिया के अन्दर कितनी फसल खराब हुई है उसकी जानकारी लेकर उनको मुआवजा देने की कोशिश की जा रही है और लोगों की जान-माल का अगर कोई नुकसान हुआ है, हालांकि अभी तक जान-माल के नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं आयी है लेकिन अगर कोई ऐसी बात आयी तो उसमें उचित कार्यवाही की जायेगी। आइन्दा से ऐसी घटना न हो उसके लिये भी पाबन्द कर दिया है।

खण्डेला से आने वाले माननीय सदस्य ने बड़ा अच्छा सुझाव इस बात का दिया था कि पब्लिक के इन्वाल्वमेंट के बिना फारेस्ट का चलना बड़ा मुश्किल हो जायेगा। माननीय सदस्य की इन्फार्मेशन के लिए मैं बता दूं कि इस बात को हम बहुत पहले ही सोच रहे हैं और हमने गांव के अन्दर दो तरह की समितियां बनाई हैं जिसमें एक वन सुरक्षा समिति है। वन को सुरक्षित रखने में, वन की देखभाल करने में और वन लगाने में उसके सहयोग से सरकार सारा काम करेगी और वह उनको सौंप दिया जायेगा। उसकी ईल्ड के अन्दर 60 पर्सेण्ट सोसायटी का और 40 पर्सेण्ट गवर्नमेंट का, इस रेश्यो से हिस्सा रखा जायेगा। उस समिति में कोशिश यह की जायेगी कि हर परिवार का एक सदस्य मेम्बर हो। इस तरह की 88 सोसायटीज का हम गठन कर चुके हैं और इसी तरह की दूसरी और सोसायटीज का गठन किया जा रहा है। यह भी एक बड़ा अच्छा सुझाव था कि बुजुर्ग के नाम पर या और किसी के नाम पर रखा जाये। यह बड़ा व्यावहारिक सुझाव था इसके ऊपर भी विचार किया जायेगा।

महुआ से आने वाले माननीय सदस्य ने भ्रष्टाचार के बारे में कुछेक बातें बतलाई। उनके बारे में मैं आपके माध्यम से बतला दूं कि शिकायतकर्ता को रजिस्टर्ड पत्र

(श्री लालचन्द डूडी)

भेजकर, निदेशक, बाघ परियोजना, रणथम्भौर द्वारा इत्तला करवाने की कोशिश की गई और उसकी जांच की किन्तु शिकायतकर्ता अवेलेबल नहीं हुए, नहीं आये होंगे। लेकिन कुछेक मामलों में ज्यों-ज्यों हमें जांच मिली उनके खिलाफ कार्यवाही हुई। वहां निड़ाई गुड़ाई की जो जांच की गई उसमें अनियमितताएं मिलीं उसमें हमने एक वनपाल को, एक क्षेत्रपाल को और तीन वन रक्षकों को सस्पैंड किया है। हालांकि इस सम्बन्ध में जो शिकायत की थी उसमें अभी कोई विशेष परिणाम नहीं मिला है लेकिन हमने कार्यवाही की है।

गेहूं आवंटन के मामले में जो अनियमितताएं थीं उसका भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में विवाद चल रहा है, इसके ऊपर भी कार्यवाही चल रही है। एक ग्राम अन्ताहेड़ा में फर्जी मस्टररोल भर कर 110 मीटर लम्बी खाई बनाने के कार्य में राज्य सरकार को हाल ही की जांच का प्रतिवेदन भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से प्राप्त हो गया है, दोषी व्यक्तियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। इसी तरह से हमने एक और क्षेत्रपाल का किसी अन्य प्रकरण में दोषी पाकर डिमोशन किया है। अभी एक और माननीय सदस्य ने असेम्बली क्वेश्चन के माध्यम से किसी के बारे में कहा, हमने जांच करवाई, उस जांच के अन्दर हमें मिला कि उन्होंने कम पौधे लगाये हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने 62 हजार रुपये की रिकवरी की है और दूसरी अनुशासनात्मक कार्यवाही जो भी की जायेंगी, वह भी हम करने जा रहे हैं। इसी तरह से जहां कहीं कोई मामला सामने आता है उसके अन्दर कार्यवाही करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है।

पिलानी से आने वाली माननीय सदस्या सुमित्रा जी का सुझाव था, देश के अन्दर जो प्रचलित पेड़ हैं उनको लगाने का जोर विशेष रूप से खेजड़ी के बारे में, पीपल के बारे में, रोहिड़ा के बारे में। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने फैसला कर लिया है कि जिस एरिया में खेजड़ी लग सकती है उसमें 80 प्रतिशत प्लान्टेशन खेजड़ी का ही हो बाकी दूसरे किस्म के पौधों का प्लाण्टेशन हो। लेकिन आज कुछ ऐसी स्थितियां हैं, जहां दूसरे पेड़ों की आलोचना की जा रही थी, जिन पेड़ों के अलावा दूसरा पेड़ उन स्थितियों से जलवायु के हिसाब से, दूसरी परिस्थितियों के हिसाब से उग ही नहीं सकता वहां तो उन पेड़ों को लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज इन पेड़ों पर कोशिश कर रहे हैं।

एक आपने झुंझुनूं बोर्ड के बारे में बात बताई। मैंने उसकी जांच भी कराई, उसकी जानकारी ली है। उसका केस बहुत उलझा हुआ था। 1969 में 10 47 एकड़ हैक्टेयर जमीन फारेस्ट में लेने की बात हुई। उस वक्त उसमें कितनी जमीन कब्जों और दूसरी वजह से बाहर निकाल दी, सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी ने कुछेक जमीनें वन विभाग से निकालकर पुराना कब्जा दिखा कर किन्हीं को अलाट करने की कोशिश की उसके खिलाफ माननीय रेवेन्यू बोर्ड में गये, रेवेन्यू बोर्ड ने कलक्टर को वापिस भेज दिया और टाइम बोर्ड होने की वजह से वह फैसला विभाग के खिलाफ हो गया। विभाग ने उसके खिलाफ फिर अपील कर रखी है और जब वह अदालत से

(श्री लालचन्द डूडी)

फैसला हो जायेगा उसके बाद उसको हटाने की कार्यवाही की जायेगी । लेकिन मैं यह विश्वास दिला दूं कि नया कब्जा और जो करने की कोशिश की जा रही है मगर वह कब्जा करने नहीं दिया जा रहा है ।

टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया था, वनों के प्रति जागृति पैदा करने के लिए । राज्य सरकार विचार कर रही है, अध्यक्ष महोदय, उसके बारे में मैं थोड़ा सा निवेदन कर दूं । विभाग इस बात की कोशिश कर रहा है कि स्कूली पाठ्यक्रम के अन्दर पर्यावरण, वन के प्रति चेतना जागृत करने के लिए कोर्स रखा जायें जिसमें वनों के लिए जान देने वाली अमृता देवी के इतिहास को भी सम्मिलित किया जाए । सड़कों के किनारे लगाये जाने वाले जो पेड़ हैं, अगर वह किसान पेड़ों की रक्षा करे, देखभाल करे तो उसकी उपज का आधा हिस्सा उस किसान को मिले, ऐसे सरकार ने आदेश दे दिये हैं ।

हम यह भी चाहते हैं, जैसा माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा था, हर पंचायत समिति के अन्दर एक ग्राम पंचायत चुनकर उसके अन्दर जो अवेलेबल जमीन हो, चाहे वह गोचर हो या कैसी हो, उस पर वन लगाकर उसी पंचायत को सौंपे यह भी हम कोशिश कर रहे हैं । वनों की कटाई को रोकने के लिए हम यह कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी दफ्तरों के अन्दर, सरकारी मकानों के अन्दर लकड़ी का कम से कम इस्तेमाल हो । इस तरह की कोशिश सरकार कर रही है ।

ईंधन के लिए वन की कटाई ज्यादा होती है, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो डेन्स फारेस्ट्स हैं उसके आसपास के गांवों के लोगों को ऊर्जा का वैकल्पिक सोर्स मुहैया करवाने के लिए उनसे बात की जाये, जैसे गोबर गैस का सन्यन्त्र लगाने के लिये प्रेरित किया जाय । वनों में चराई के दबाव को कम करने के लिए, भी कोशिश कर रहे हैं । आज एक किसान के पास बीस-बीस, तीस-तीस गाय हैं और शाम को दूध मिलता है । एक लीटर । इस वास्ते उसको ज्यादा पशु रखने की जरूरत पड़ रही है । विभाग यह कोशिश कर रहा है इस तरह के वनों के आसपास के गांवों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा अच्छी नस्ल के पशु उनको दिये जायं जिससे ज्यादा दूध हो सके और वह ज्यादा पशु न रख सकें । इस तरह की व्यवस्था करने की भी कोशिश की जा रही है ।

एक और मुख्य बात जो कई तरफ से चल कर आई नील गाय के बारे में, मैं निवेदन कर दूं गवर्नमेंट आफ इण्डिया को इसके बारे में चिट्ठी भी लिख चुके हैं, हम व्यक्तिगत रूप से भी उनसे मिल चुके हैं । उत्तरी भारत की इन चार पांच स्टेट्स के अन्दर इन्होंने बड़ा भारी हव्वा पैदा कर रखा है । हमें आश्वासन मिला है कि इसको हम शिड्यूल्ड से निकाल देंगे । अब पता नहीं कब तक यह बात होगी । जुबानी आश्वासन मिला है, नाट इन राइटिंग लेकिन अब हम और कोशिश कर रहे हैं । मैं चाहता हूं, सारे माननीय सदस्य इसके बारे में अगर लिखें तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा ।

इन्हीं शब्दों के साथ माननीय सदस्यों

(श्री लालचन्द डूडी)

के और सुझाव जो मेरे पास आये हैं, बड़े अच्छे-अच्छे सुझाव हैं, उनको देखकर उनके ऊपर जो उचित कार्यवाही की जा सकेगी उसके लिए मैं कोशिश करूंगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 33–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये पिचासी करोड़ छत्तीस लाख उन्नीस हजार तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 9–वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए तिहत्तर करोड़ अड़तीस लाख नब्बे हजार तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

अब मैं मुखबन्द का प्रयोग कर शेष मांगों को पारण के लिए प्रस्तुत करता हूं।

मुखबन्द

शेष मांगों का पारण

मांग संख्या–1

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 1–राज्य विधान मण्डल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए तीन करोड़ पिचानवे लाख पचास हजार तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–2

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 2–मन्त्रि परिषद् के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए एक करोड़ पैंसठ लाख चौवन हजार तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–3

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 3–सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए उन्नीस करोड़ बासठ लाख अड़तालीस हजार तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–4

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 4–जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने

(श्री अध्यक्ष)

वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए उनहत्तर करोड़ बत्तीस लाख सात हजार तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या–5

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 5–प्रशासनिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए तेरह करोड़ पैंतालीस लाख अड़तालीस हजार तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या–6

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 6–न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए छब्बीस करोड़ निन्यानवे लाख तीन हजार तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या–7

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 7–निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए छः करोड़ छब्बीस लाख छियानवे हजार तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या–8

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 8–राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए अट्ठावन करोड़ तिरेसठ लाख बानवे हजार तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या–10

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 10–विविध सामान्य सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए आठ लाख पिचानवे हजार तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या–11

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 11–विविध सामाजिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल

(श्री अध्यक्ष)

महोदय को रुपए छः करोड़ सैंतीस लाख तिरेपन हजार तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या–12

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 12–अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए ग्यारह करोड़ चौंतीस लाख बासठ हजार तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकारी की गयी ।

मांग संख्या–14

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 14–बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए सत्रह करोड़ इकतीस लाख इकसठ हजार तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या–15

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 15–पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए दो अरब नौ करोड़ दो लाख तिहत्तर हजार तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या–18

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 18–जन सम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए चार करोड़ चार लाख अड़तीस हजार तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या–19

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 19–लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए एक अरब सैंतालीस करोड़ चौंतीस लाख अस्सी हजार तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या–20

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 20—आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले

(श्री अध्यक्ष)

व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये छब्बीस करोड़ चार लाख छः हजार तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या–21

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 21—सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये दो अरब दो करोड़ छियासठ हजार तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या–22

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 22—क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये एक अरब तीन करोड़ पचास लाख निन्यानवे हजार तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या–23

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 23—श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये तेइस करोड़ चौहत्तर लाख चौहत्तर हजार तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या–25

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 25—कोषागार व लेखा प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये पन्द्रह करोड़ तेरह लाख चौहत्तर हजार तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या–28

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 28—ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के संबंध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये उनहत्तर करोड़ छियासठ लाख छियालीस हजार तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या–30

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 30—जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च,

(श्री अध्यक्ष)

1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये एक अरब सत्ताइस करोड़ अस्सी लाख बियासी हजार तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–31

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 21—पुनर्वास एवं सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये आठ लाख बीस हजार तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–32

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 32—नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,51,63,000 /–(छहकरोड़ इक्यावन लाख तिरेसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–34

प्रश्न यह है कि मांग संख्या—34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,48,00,02,000 /– (दो अरब अड़तालीस करोड़ दो हजार) तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–35

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–35 विविध सम्मुदायिक एवं आर्थिक सेवाएँ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले के व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,06,70,77,000 /– (एक अरब छह करोड़ सत्तर लाख सतहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–38

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 38—लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 82,87,98,000 /– (बियासी करोड़ सत्यासी लाख अठानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या–39

प्रश्न यह है कि मांग संख्या—39 पशु-पालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 53,75,66,000 /– (तिरेपन करोड़ पिचहत्तर लाख छियासठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–40

प्रश्न यह है कि मांग संख्या—40 राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,28,92,000 /– (दस करोड़ अट्ठाईस लाख बानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–44

प्रश्न यह है कि मांग संख्या—44 लेखन सामग्री एवं मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 15,35,40,000 /– (पन्द्रह करोड़ पैंतीस लाख चालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–45

प्रश्न यह है कि मांग संख्या—45 राज्य कर्मचारियों को ऋण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 57,33,00,000 /– (सत्तावन करोड़ तैंतीस लाख) तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–47

प्रश्न यह है कि मांग संख्या—47 पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,20,87,000 /– (पाँच करोड़ बीस लाख सत्यासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–48

प्रश्न यह है कि मांग संख्या—48 विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,66,01,01,000/– (चार अरब छियासठ करोड़ एक लाख एक हजार) तक की राशि प्रदान की जाय।

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या—49

प्रश्न यह है कि मांग संख्या—49 स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,92 34,000 /– (ग्यारह करोड़ बानवे लाख चौंतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या—50

प्रश्न यह है कि मांग संख्या—50 ग्रामीण रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,44,00,00,000 /– (एक अरब चव्वालीस करोड़) तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

विधायी कार्य

विधेयक का पुरः स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या–2) विधेयक 1992

माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत पुरः स्थापित करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 1992 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 1992 को पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि विचारार्थ वैसे 28 तारीख को लिया जायेगा। मैं अभी पुरः स्थापित भी कर दूं और विचारार्थ के लिये प्रस्ताव भी कर दूं क्योंकि मैं 28 तारीख को यहां नहीं रहने वाला हूं। जवाब 28 को होगा, मैं आज ही इसको विचारार्थ रख दूं।

श्री केदारनाथ शर्मा : किसी और को कह दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं रख दूं तो क्या हर्ज है ?

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 1992 को पुरः स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग

(संख्या–2) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिये जाने की अनुमति के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय मैं राजस्थान विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 1992 को विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की बैठक कल दिनांक 27 मार्च, 1992 के म. पूर्व 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायंकाल 7.03 शुक्रवार, दिनांक 27 मार्च, 1992 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 595 की सूची

परिशिष्ट "अ"

सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित विकास खण्डों की सूची

क्र. सं.	जिला	विकास खण्ड का नाम
1.	बांसवाड़ा	1. घाटोल
		2. गढ़ी
		3. बांसवाड़ा (तलवाड़ा)
		4. बागीडोरा
		5. कुशलगढ़
		6. सज्जनगढ़
		7. मुकिया
		8. पीपल खूंट
2.	डूंगरपुर	1. डूंगरपुर
		2. सीमलवाड़ा
		3. बिछीवाड़ा
		4. आसपुरा
		5. सागवाड़ा
3.	उदयपुर	1. खैरवाड़ा
		2. झाड़ोल
		3. कोटड़ा
4.	अजमेर	1. मसूद
		2. जवाजा
5.	झालावाड़	1. झालरापाटन
		2. डग
		3. खानपुर
6.	कोटा	1. सांगोद
		2. चेचट (खेराबाद)
7.	बांरा	1. शाहबाद
		2. छबड़ा

8.	टौंक	1. उनियारा 2. देवली 3. टोडारायसिंह
9.	सवाईमाधोपुर	1. नादोती 2. खण्डार
	योग : 9	30

परिशिष्ट "ब"

भारत सरकार को कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित 20 विकास खण्डों की सूची।

क. सं.	जिला	विकास खण्ड का नाम
1.	अजमेर	1. श्रीनगर 2. पीसांगन 3. केकड़ी 4. सलोरा 5. अराई 6. भिनाय
2.	टौंक	1. टौंक 2. मालपुरा 3. निवाई
3.	सवाईमाधोपुर	1. करौली 2. सवाईमाधोपुर
4.	भरतपुर	1. डीग 2. कांमा 3. रूपवास
5.	कोटा	1. अटरू 2. छीपाबड़ौद 3. बांरा
6.	झालावाड़	1. बुकानी 2. मनोहर थाना 3. पिड़वा
	योग : 6	20

परिशिष्ट–2

समयाभाव के कारण सदन में न लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

केशवरायपाटन सहकारी शुगर मिल

600. श्री रामकिशन (भरतपुर) **एवं श्री शम्भुदयाल बडगुजर** (केकड़ी) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

केशवरायपाटन सहकारी शुगर मिल चालू सीजन में किस तारीख को चालू की गयी ? चालू सीजन में कब-कब तकनीकी या प्रबन्धकीय कारणों से मिल बन्द रही ? इससे कितने उत्पादन की हानि हुई ? मिल बन्द रहने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

श्री केशवरायपाटन सहकारी शुगर मिल चालू सीजन में 1 जनवरी, 1992 से चालू किया गया। इस सीजन में तकनीकी या प्रबन्धकीय कारणों से दिनांक 12–3–92 तक कुल 319.35 घन्टे की रुकावट मिल के कार्य में आई। उक्त रुकावट से उत्पादन की हानि नहीं हुई क्योंकि मिल में प्राप्त गन्ने की पिराई से प्राप्त ज्यूस का उपयोग सही समय में कर लिया गया। मिल की रुकावट के कारणों की जांच राष्ट्रीय सहकारी चीनी संघ के विशेषज्ञों से करवाई जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के उपरान्त ही दायित्व निर्धारण किया जा सकता है।

जोधपुर जिले के मन्दिरों को दी गई राशि

601. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) :क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर शहर व जिले में स्थित मन्दिरों को कब से कितनी धनराशि भोग हेतु देवस्थान विभाग से दी जाती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या दी जा रही धनराशि को सरकार पर्याप्त मानती है ? यदि नहीं, तो इस हेतु कब-कब व क्या-क्या प्रयत्न किये गए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या अब सरकार भविष्य में धन राशि की बढ़ोतरी करने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) देवस्थान विभाग द्वारा जोधपुर शहर एवं जिले में स्थित मन्दिरान को भोग नैवेध्य की सहायता राशि दी जाती है। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) मन्दिरान में भोग नैवेध्य धूपदीप हेतु सहायता अनुदान की राशि भूतपूर्व रियासतों के समय से स्वीकृत है। सहायता की राशि तदसमयानुसार स्वीकृत की गयी थी जो 2 रुपये वार्षिक या इससे भी कम नियत थी जिसे मंहगाई बढ़ने से वर्तमान में कम समझा गया तथा राज्य सरकार ने वर्ष 1985 में आदेश क्रमांक एफ 1 (3) राज/देव/80 दिनांक 20-11-85 द्वारा

(देवस्थान मंत्री)

न्यूनतम राशि में वृद्धि कर क्रम से कम सहायता अनुदान की राशि 30/-रुपये वार्षिक कर दी गयी।

(2) मन्दिरान को दी जाने वाली सहायता अनुदान धनराशि में बढ़ोतरी हेतु बढ़ी हुई मंहगाई के सन्दर्भ में सरकार इसे शीघ्र बढ़ाने पर विचार कर रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।

राजस्थान विश्व विद्यालय में रिक्त पदों पर चयन

602. **श्री हीरालाल इन्दौरा** (केसरी-सिंहपुर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि माह दिसम्बर, 1991 में, राजस्थान विश्वविद्यालय में अतिरिक्त रजिस्ट्रार एवं उप रजिस्ट्रार स्तर के रिक्त पदों का विज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो कितने उम्मीदवारों का उक्त दोनों पदों के लिये चयन किया गया तथा चयन समिति के सदस्य कौन-कौन थे ?

(2) राजस्थान विश्वविद्यालय में कितने प्रोफेसर एवं अधिकारी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हैं तथा ऐसे प्रोफेसर एवं अधिकारियों की कुल संख्या क्या है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान विश्वविद्यालय ने अतिरिक्त रजिस्ट्रार एवं उप रजिस्ट्रार के सहित विभिन्न अशैक्षणिक पदों को भरने हेतु एक विज्ञापन 10 जून, 1991 में प्रकाशित कराया था। अतिरिक्त रजिस्ट्रार पद हेतु एक व उप रजिस्ट्रार पद हेतु पांच उम्मीदवारों का चयन किया गया था।

चयन समितियों में निम्नलिखित सदस्य थे—

1. चेयरमैन—डा. रामेश्वर शर्मा (कुलपति)
2. राज्य सरकार के प्रतिनिधि—प्रो. एम. जी. भाटवाडेकर, (शिक्षाविद्)
3. राजकीय प्रतिनिधि—डा. जी. पाल
4. विशेषज्ञ—श्री वाई. सिंह चेयरमैन, राज. लोक सेवा आयोग, (अजमेर)
5. कुलाधिपति के प्रतिनिधि—प्रो. ए. दास गुप्ता, (अनुपस्थित)

(2) राजस्थान विश्वविद्यालय में वर्तमान में कुल 32 प्रोफेसर कार्यरत हैं। इनमें से 2 अनुसूचित जाति के हैं तथा जनजाति का कोई भी शिक्षक नहीं है।

(i) प्रो. श्यामलाल—समाजशास्त्र।

(ii) प्रो. आर. के. शर्मा-हिन्दी विभाग वर्तमान में कोई अशैक्षणिक अधिकारी अनुसूचित जाति व जनजा[illegible] नहीं है।

अपना गांव अपना काम योजना के तहत स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा निर्मित भवन

603. **श्री दयाराम परमार** (खेरवाड़ा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने अपना गांव अपना काम योजना के अन्तर्गत स्वयं सेवी संस्थाओं को भी उनके भवन आदि बनवाने के लिए स्वीकृतियां दी हैं ? यदि हां, तो उदयपुर जिले में किस-किस संस्था को कितना-कितना रुपया, क्या-क्या निर्माण कराने के लिये स्वीकृत किया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि संस्थाओं द्वारा बनाये गये अपने भवनों के वे स्वयं मालिक होंगे न कि राज्य सरकार ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस प्रकार राज्य सरकार ने संस्थाओं को उनकी निजी सम्पत्ति बनाने के लिये सरकारी धन देकर नियमों के विपरीत कार्य किया है ?

उत्तर

(1) "अपना गांव-अपना काम" योजना के अन्तर्गत स्वयंसेवी संस्थाओं को भी भवन बनवाने के लिए स्वीकृतियां दी हैं। उदयपुर जिले में इस योजनान्तर्गत दो स्वयं सेवी संस्थाओं–विद्या निकेतन ऋषभदेव एवं विद्या निकेतन खैरवाड़ा को क्रमशः रुपये 2.50 लाख एवं रु. 1.45 लाख उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन में कमरे एवं बरामदा पंचायत समिति/ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्माण कराने के लिए स्वीकृत किया गया है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

फागी में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण

604. **श्री प्रकाश चन्द बैरवा** (फागी) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र फागी में कितनी चारागाह भूमि पर 1990-91, 1991-92 में अतिक्रमण कर कास्त कर रखी है ? सूची मय ग्राम, नाम कास्तकार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए कोई अभियान चलाया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो किस-किस अतिक्रमण को हटाया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि एस. सी. एवं एस. टी. के लघु कृषकों ने जो थोड़ा बहुत अतिक्रमण किया था केवल उनको ही बेदखल किया गया ? यदि हां, तो बड़े काश्तकार व प्रभावशाली लोगों के अतिक्रमण क्यों नहीं हटाये गये ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले की विधान सभा क्षेत्र फागी तहसील फागी में वर्ष 1990-91 में 1539 व्यक्तियों द्वारा 1349 बीघा 09 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण किया गया था तथा वर्ष 1991-92 में 1079 व्यक्तियों

(राजस्व मन्त्री)

द्वारा 938 बीघा 19 बिस्वा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर काश्त कर रखी है। विधान सभा क्षेत्र फागी में कुछ भाग तहसील चाकसू का भी लगा हुआ है। तहसील चाकसू में वर्ष 1990–91 में 440 व्यक्तियों द्वारा 465 बीघा 02 बिस्वा पर अतिक्रमण किया था तथा वर्ष 1991–92 में 573 व्यक्तियों द्वारा 572 बीघा 17 बिस्वा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर काश्त की है। तहसील फागी एवं तहसील चाकसू की सूची संलग्न है।

(2) जी हां। इन अतिक्रमणों को हटाने के लिये विशेष अभियान चलाकर सभी अतिक्रमियों को बेदखल किया जा चुका है। सूची प्रश्न के भाग 1 में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

उदयपुर डिवीजन के आदिवासी छात्रावास

605. **श्री नाथूराम अहारी** (डूंगरपुर): क्या समाज कल्याण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) उदयपुर डिवीजन में कितने आदिवासी, छात्रावासों को बन्द करने के आदेश दिये हैं? जिले वार संख्या तथा नाम छात्रावास व संख्या सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इन छात्रावासों की सहायता बन्द कर रखी है? आंकड़े मय रकम व छात्रावास नाम, सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि किसी मनोनीत समिति या अधिकारी की रिपोर्ट पर इन छात्रावासों को बन्द करने के नोटिस दिये हैं? यदि हां, तो समितियों के सदस्यों के नाम, संख्या सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) तत्संम्बन्धी समिति ने क्या-क्या खामियां देखीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि समाज कल्याण के छात्रावासों के में तथा अनुदानित छात्रावासों के छात्रों को दी जाने वाली सहायता में अन्तर है? यदि हां, तो क्या?

(6) इन छात्रावासों के छात्रों को दी जाने वाली सहायता देने में क्या प्रक्रिया है? दोनों प्रकार के छात्रावासों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर डिवीजन के केवल उदयपुर जिले में निम्न 4 अनुदानित आदिवासी छात्रावासों की मान्यता रद्द करने के आदेश दिए गए थे :—

(समाज कल्याण राज्य मन्त्री)

क. सं.	नाम छात्रावास	संस्था का नाम	स्वीकृत छात्र संख्या
1.	आदिवासी छात्रावास, चावंड, उदयपुर	आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर	30
2.	बापा भील छात्रावास, ऋषभदेव, तह. खैरवाड़ा, उदयपुर	राजस्थान सेवा संघ, डूंगरपुर	40
3.	आदिवासी छात्रावास, टिडी, उदयपुर	आदिवासी सहयोग समिति, टिडी	50
4.	बनवासी छात्रावास, प्रतापनगर, उदयपुर	राजस्थान सेवा संघ, डूंगरपुर	40

(2) जी नहीं। वर्तमान समय में इन छात्रावासों की सहायता बन्द नहीं है। इन छात्रावासों को विभाग के आदेश संख्या एफ. 7 (1) अनु./सकवि/90/60249 दिनांक 23–10–91 के द्वारा वर्ष 1991-92 में पुनः संचालन करने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

(3) जी हां। इन छात्रावासों की मान्यता तत्कालीन सहायक निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उदयपुर की रिपोर्ट पर निरस्त की गई थी।

(4) तत्कालीन सहायक निदेशक, उदयपुर द्वारा इन छात्रावासों के भवनों की व्यवस्था अपर्याप्त तथा स्थिति जीर्ण-शीर्ण पाई गई इसके साथ ही इन छात्रावासों में अनावर्तक सामान जैसे बिस्तर, बर्तन, पलंग आदि का अभाव पाया गया था। इन संस्थाओं को सहायक निदेशक, उदयपुर द्वारा छात्रावासों में भवन व अनावर्तक सामग्री की व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 1990–91 के प्रारम्भ होने से पूर्व करने हेतु लिखा गया था, किन्तु किसी भी संस्था द्वारा सन्तोषप्रद उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

(5) जी नहीं।

(6) इन छात्रावासों के छात्रों को मैस भत्ता दिये जाने की प्रक्रिया परिशिष्ट "अ" के अनुसार सदन के पटल पर रख दी गई है।

परिशिष्ट–'अ'

नियम 9 (6) के अनुसार मैस समिति को राशि उपलब्ध कराने की प्रकिया निम्न होगी—

(1) प्रथम किश्त सत्र के प्रारम्भ में स्वीकृत छात्र संख्या के आधार पर तीन माह (जुलाई, अगस्त, सितम्बर) के व्यय हेतु समिति के खाते में एक मुश्त 30 जून तक जमा करा दी जावेगी।

(2) द्वितीय किश्त (अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर) हेतु वास्तविक छात्र संख्या के आधार पर माह जुलाई एवं अगस्त का उपस्थिति प्रमाण पत्र प्राप्त कर 30 सितम्बर तक मैस समिति के खाते में जमा करा दी जावेगी।

(3) (क) तीसरी किश्त (जनवरी, फरवरी, मार्च) हेतु माह सितम्बर से नवम्बर तक की उपस्थिति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् 31 दिसम्बर तक मैस समिति के खाते में जमा करा दी जावेगी।

(ख) अन्तिम किश्त 15 दिन की 25 मार्च तक माह दिसम्बर से फरवरी तक छात्रावासों के छात्रों के स्कूल की उपस्थिति प्रमाण पत्र प्राप्त कर मैस समिति के खाते में जमा करा दी जावेगी। मार्च से सत्र समाप्ति तक की उपस्थिति का प्रमाण पत्र नया सत्र चालू होने पर प्रथम किश्त स्वीकृत करने से पूर्व प्राप्त करली जावेगी तथा इस अवधि में अगर मैस समिति के खाते में कोई बचत हुई तो उस राशि का समायोजन प्रथम किश्त में कर लिया जावेगा।

(ग) यदि छात्र विद्यालय में 70 प्रतिशत से कम उपस्थित रहता है तो सर्वप्रथम छात्रावास अधीक्षक द्वारा उसे लिखित में चेतावनी दी जावेगी तथा इस क्रम में जिलाधिकारी को भी सूचित किया जावेगा, लिखित चेतावनी के बाद भी यदि छात्र विद्यालय में 70 प्रतिशत से कम उपस्थित रहता है तो उसे छात्रावास अधीक्षक द्वारा निष्कासित कर दिया जावेगा तथा सूचना जिलाधिकारी को दे दी जावेगी।

तारांकित प्रश्न संख्या 263

(स्थगित)

विकास सम्बन्धी जिला स्तरीय कार्यालयों का तहसील मुख्यालयों पर स्थानान्तरण

607. श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : क्या नीति निर्धारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य सरकार के पास ग्रामीण विकास के हित में विकास सम्बन्धी जिला-स्तर कार्यालयों को जिला मुख्यालय से तहसील मुख्यालयों पर स्थानान्तरण करने का प्रस्ताव है? यदि हां, तो उस पर निर्णय कब तक हो जावेगा?

उत्तर

जी नहीं।

राजस्थान राज्य सहकारी बैंक/भूमि विकास बैंक/क्रय-विक्रय संघ एवं सहकारी संघों के संचालक मण्डल का निर्वाचन

608. श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री नत्थीसिंह)

(1) राजस्थान में राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, राजस्थान राज्य क्रय-विक्रय सहकारी संघ तथा राजस्थान सहकारी संघ के संचालक मण्डल के चुनाव कितने समय से नहीं हुये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि सहकारी संस्था अधिनियम 1955 के अन्तर्गत ऐसे चुनावों में उक्त संस्थाओं के संचालक मण्डल को भंग करने के एक साल के अन्दर-अन्दर चुनाव कराना अनिवार्य था जिसकी अवधि अधिक से अधिक दो साल के लिए बढ़ा दी गई है ? यदि हां, तो कानून की इस अवहेलना के लिए कौन उत्तरदायी है और उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या राज्य सरकार कानून की प्रतिष्ठा कायम रखने हेतु अविलम्ब उक्त संस्थाओं का चुनाव कराने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि. का गत चुनाव 2-4-73 को, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि., का 8-5-73 को, राजस्थान राज्य क्रय-विक्रय सहकारी संघ लि., का 21-2-73 को तथा राजस्थान राज्य सहकारी संघ का 15-5-74 को हुआ था । उसके बाद से कोई चुनाव नहीं हुये ।

(2) जी हां । कानून की अवहेलना नहीं की गई है क्योंकि अध्यादेश जारी होने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि अभी पूरी नहीं हुई है । चूंकि कानून की कोई अवहेलना नहीं हुई है । अतः सरकार के द्वारा किसी के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) जी हां ।

राज्य में रसोई गैस का ब्लैक

609. श्री अर्जुन दास मदान (लाड़पुरा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में गत वर्ष कितने मामले खाना पकाने की गैस ब्लैक करने के पकड़े गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? अवैध गैस सिलेण्डर के कितने मामले पकड़े गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(2) राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में निरीक्षण की क्या व्यवस्था है ?

उत्तर

(1) राज्य में गत वर्ष 10 मामले खाना पकाने की गैस में की गई अनियमितता के पकड़े गये जिनमें से 3 के विरुद्ध एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई व 5 मामलों में विभागीय कार्यवाही कर प्रतिभूति राशि जब्त की गई एवं 2 मामले विचाराधीन हैं । अवैध गैस सिलेण्डर के 17 मामले पकड़े गये । इनमें से 5 मामलों में एफ. आई. आर. दर्ज कराई जिनमें से एक मामले में न्यायालय में चालान पेश किया गया । 4 माललों में सक्षम न्यायालयों में इस्तगासा दायर कराया गया । 8 मामलों में विभागीय कार्यवाही की गई जिनमें से 6 मामले विचाराधीन हैं और 2 मामलों में जब्त

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

गैस सिलेण्डरों को वापिस लौटाये जाने का निर्णय लिया गया ।

(2) इस सम्बन्ध में द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश, 1988 एवं राजस्थान पैट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन तथा नियन्त्रण) आदेश, 1990 निरीक्षण की व्यवस्था के लिए लागू है ।

तहसील राजगढ़ के ग्रामों में सैकण्डरी स्कूलों की मांग

610. श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1992–93 में तहसील राजगढ़ चूरू में ग्राम कालरी राधा छोटी, ढढाल लेखू, लसेड़ी एवं ग्राम गौठयाबडी में कोई सैकण्डरी स्कूल खोला जाना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या उक्त वर्ष में उक्त तहसील के ग्राम सरदारपुरा ग्राम दुमकी में मिडिल स्कूल खोला जाना प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) जी नहीं । सत्र 1992–93 के लिए माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के लिए निर्धारित मानदण्डों व गुणावगुण के आधार पर इस विषय में विचार किया जा सकेगा ।

(2) जी नहीं । सत्र 92–93 में निर्धारित मानदण्ड एवं गुणावगुण के आधार पर विचार कर ग्राम दुमकी तहसील सरदारपुरा के विषय में विचार किया जावेगा ।

बांसवाड़ा के चयनित परिवारों को ऋण सुविधा

611. श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1989-90 व 1990-91 में राजस्थान में पंचायत समितियों द्वारा चयनित परिवारों को स्थानीय बैंकों द्वारा लोन दिलाया जाकर बैल व बैल गाड़ियों व अन्य उद्योगों पर लगाया गया है ? यदि हां, तो उक्त वर्षों में जिला बांसवाड़ा में कितने परिवारों को चयनित करा लोन दिलाया गया है ? नाम व्यक्ति मय गांव व पंचायत एवं पंचायत समितिवार प्रति वर्ष का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा पंचायत समिति घाटोल से सम्बन्धित पंचायत डूंगरिया में श्री शिवजी पिता मारमा गांव सोवावा बरगोट को बैल व बैल गाड़ी के लिए लोन दिया गया है ? यदि हां, तो बैलों की बैल गाड़ी की अलग-अलग राशि पंचायत समिति घाटोल द्वारा कितनी व कब दी गई है ?

उत्तर

(1) जी हां, वर्ष 1989–90 एवं 1990–91 में बांसवाड़ा जिले में चयनित लाभान्वित परिवारों मे से जिनको बैल, बैलगाड़ी एवं अन्य उद्योगों हेतु बैंकों से ऋण दिलाकर लाभान्वित कराया गया है

(विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री)

उनकी सूचना व्यक्तिवार, गाँववार, पंचायतवार एवं पंचायत समितिवार परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति घाटोल की ग्राम पंचायत डूंगरिया के ग्राम सोवावा बरगोट के श्री सवजी पिता भारमा को वर्ष 1991-92 के दौरान दिनांक 4-11-91 को बैलजोड़ी संसाधन हेतु ऋण व अनुदान दिलाकर लाभान्वित किया गया है। बैलजोड़ी हेतु डी. आर. डी. ए. बांसवाड़ा ने 2450 रुपये अनुदान और बैंक द्वारा 2450/- रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया है। प्रार्थी को बैलगाड़ी स्वीकृत नहीं की गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम धाधिया (जोधपुर) के भूमिहीन काश्तकारों का कब्जा

612. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम धाधिया तहसील लूणी (जोधपुर) के भूमिहीन काश्तकारों का कब्जा इसी ग्राम के खसरा नं. 136, 137, 159, 180, 156 एवं 179 पर दीर्घावधि से चला आ रहा है? यदि हां, तो किस-किस किसान का कब्जा, किस-किस-खसरा पर कितने-कितने रकबा पर कब से राजस्व अभिलेख में दर्ज है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त खसरान पर किसानों के कब्जे होने के बावजूद बिना किसी सूचना के उप-खण्ड अधिकारी, जोधपुर ने दिनांक 17-7-1971 को गोचर घोषित कर दिया? जिसे राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर ने अपील सं. 639/71 फैसला दिनांक 22-6-1974 को आदेश दिनांक 17-7-1971 को निरस्त कर दिया?

(3) क्या यह सही है कि राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 22-6-1974 के निर्णय में उप-खण्ड अधिकारी, जोधपुर को कानूनी प्रक्रिया अपनाने बाबत निर्देश दिए थे? यदि हां तो कब तक उप-खण्ड अधिकारी, जोधपुर ने क्या कार्यवाही की?

(4) क्या यह भी सही है कि काबिज काश्तकारों को अभी तक आवंटन अथवा नियमन नहीं किया गया है और किसानों पर प्रतिवर्ष अकारण जुर्माना लगाया जाता है, ऐसा क्यों?

(5) क्या सरकार उक्त काबिज काश्तकारों की भूमि का नियमन करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अनुसार ख. नं. 179 व 180 पर वर्ष 1971 से अब तक किसी भी काश्तकार का कब्जा नहीं रहा है। शेष खसरा नम्बरान 136, 137, 156 एवं 159 पर वर्ष 1973 से कुछ व्यक्तियों ने कब्जे किये हैं, लेकिन किसी भी काश्तकार का लम्बी

(राजस्व मंत्री)

अवधि से निरन्तर कब्जा नहीं है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां।

(3) जी हां, कलक्टर, जोधपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर के निर्णय दिनांक 2-6-74 की प्रति, अभी तक उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर अथवा कलक्टर, जोधपुर को प्राप्त नहीं हुई थी। इस कारण से इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है। कलक्टर, जोधपुर ने अब उप खण्ड अधिकारी जोधपुर को संबंधित आदेश व अभिलेख की प्रतियां संबंधित अदालत व कार्यालय से अविलम्ब प्राप्त कर एक माह में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित कर दिया है।

(4) जी हां।

(5) जी हां। राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के तहत वर्णित प्रावधानों एवं समय-समय पर जारी परिपत्रों के तहत जांच कर नियमन योग्य मामलों में नियमन किया जावेगा।

प्रश्न सं. 612 की सूची

क्र. स.	काश्तकार का नाम	खसरा नं.	रकबा	सम्वत्
1	2	3	4	5
1.	जेठा पुत्र डाया	136	3 बीघा	2029–2030
2.	प्रतापा पुत्र अचला लुहार	,,	6 बीघा	,,
3.	बल्देवा लछा पुत्र फूसाराम	,,	29 बीघा 19 बिस्वा	,,
4.	मोहन पुत्र मोती ढालिया पुत्र सोमा मानीलाल पुत्र धनगर मोहन पुत्र कालू लक्की	156	155 बीघा 6 बिस्वा	,,
5.	राजाराम पुत्र उदयाराम	159	67 बीघा 17 बिस्वा	,,
6.	चेलाराम पुत्र मोतीराम	,,	11 बीघा 19 बिस्वा	,,
7.	मला पुत्र रामा	136	6 बीघा	2030
8.	बलदेवा, लक्षा, बंशिया, गोपा, हरजी, नेना पुत्र फूसाराम	136	45 बीघा	,, ,,
9.	मोहन पुत्र कालू, मोनिया पुत्र धनगर	156	155 बीघा 6 बिस्वा	,
10.	जगमाल पुत्र उरजाराम	159	4 बीघा	,,
11.	चेलाराम पुत्र मोतीराम	,,	9 बीघा	,,
12.	नेनाराम, बल्देवराम पुत्र फुसाराम	136	120 बीघा	2035
13.	मांगाराम पुत्र थानाराम, चेला पुत्र मोती, ढलिया पुत्र सोना, नामा पुत्र कान्हा, मांगिया, मोहन, जिया, मांग्या पुत्र कालू	156	120 बीघा	,,
14.	चेला पुत्र मोती	159	3 बीघा	,,
15.	हरिराम, बीजिया पुत्र इन्दाराम मोहब्बतसिंह पुत्र नेतसिंह	136	3 बीघा	2036
16.	नेमा पुत्र डाया, रूपा पुत्र हरजी	136	20 बीघा	2036
17.	बल्देव नैनाराम, हरजी, लक्षीराम पुत्र फुसाराम	,,	80 बीघा	,,

1	2	3	4	5
18.	बागा पुत्र देवा कान्हा पुत्र देवा चेला पुत्र मोती ढला पुत्र सोना, जीवा पुत्र कालू मोहन पुत्र मोती	156	110 बीघा	2036
19.	चेला पुत्र मोती	159	24 बीघा	,,
20.	जगाराम पुत्र उर्जाराम	,,	16 बीघा	,,
21.	बल्देव, नैनाराम, हरजी, लक्षीराम, गोमाराम, बंशीलाल पुत्र फूसाराम	136	99 बीघा 10 बिस्वा	2037
22.	हरिराम, बिजिया पुत्र इन्द्राराम मोहब्बत सिंह पुत्र नैनसिंह	336	3 बीघा	,,
23.	नेमा पुत्र डाया, रूपा, ग्रासू पुत्र हरजी	,,	20 बीघा	,,
24.	मोहन पुत्र मोती, चेला पुत्र मोती	137	2 बीघा	,,
25.	बागा पुत्र देवा, काना पुत्र देवा, चेला पुत्र मोती ढला पुत्र सोना, जीवा पुत्र कालू, मोहन पुत्र मोती, गुटिया पुत्र मांगीलाल	156	120 बीघा	2037
26.	जगाराम पुत्र ऊर्जाराम	159	12 बीघा 10 बिस्वा	2038
27.	केला पुत्र मोती	159	24 बीघा	,,
28.	हरजी राम पुत्र फूसाराम	136	74 बीघा 10 बिस्वा	,,
29.	हरिराम बीतिया पुत्र इन्दाराम मोहब्बत सिंह पुत्र नैनसिंह	136	5 बीघा	2039
30.	नेमा पुत्र डाया रूपा, ग्रासू पुत्र हरजी	136	20 बीघा	,,
31.	मोहन पुत्र मोती, चेत्रा पुत्र मोती	136	2 बीघा	,,
32.	बागा पुत्र देवा, काना पुत्र देवा चेला पुत्र मोती, ढला पुत्र सोना जीवा पुत्र कालू, मोहन पुत्र मोती गुटिया पुत्र मांगी लाल	156	120 बीघा	,,
33.	जगाराम पुत्र ऊर्जाराम	159	12 बीघा 10 बिस्वा	2037
34.	चेला पुत्र मोती	159	24 बीघा	2037
35.	बल्देव, नैनाराम, हरजी, लक्षीराम, गोमाराम, बंशीलाल पुत्र फुसाराम	136	99 बीघा 10 बिस्वा	2038

1	2	3	4	5
36.	हरिराम, बिजिया पुत्र इंदाराम मोहब्बतसिह पुत्र नैन सिंह ।	136	3 बीघा	2038
37.	नैना पुत्र डाया, रूपा ग्रासू पुत्र हरजी	136	20 बीघा	2038
38	मोहन पुत्र मोती, चेला पुत्र मोती	137	2 बीघा	2038
39.	बागा पुत्र देवा, कान्हा पुत्र देवा, चेला पुत्र मोती, ढला पुत्र सोना, जीवा पुत्र कालू, मोहन पुत्र मोती, गुटिया पुत्र मांगीलाल	156	120 बीघा	2038
40.	जगा राम पुत्र ऊर्जा राम	159	12 बीघा 10 बिस्वा	2039
41.	हरिराम पुत्र फुसाराम	136	99 बीघा 10 बिस्वा	2040
42.	नैना पुत्र डाया, रूपा, ग्रासू पुत्र हरजी	136	20 बीघा	2040
43.	हरिराम, बीजाराम, इंदाराम, मोहब्बत सिंह पुत्र नैन सिंह	136	5 बीघा	2040
44.	मोहन पुत्र मोतीराम, चेला पुत्र मोतीराम	137	5 बीघा	2040
45.	बागा पुत्र देवा, कान्हा पुत्र देवा, चेला पुत्र मोती, ढला पुत्र सोना, जीवा पुत्र कालू, मोहन पुत्र मोती गुटिया पुत्र मांगीया	156	120 बीघा	2040
46.	जगाराम पुत्र ऊर्जाराम	159	12 बीघा 10 बिस्वा	2040
47.	मोहन पुत्र मोती, चेला पुत्र मोती	137	5 बीघा	2041
48.	मोहन चेला पुत्र मोती, ढला पुत्र सोना, जीवा पुत्र कालू गुटिया पुत्र मांगिया आदि	156	120 बीघा	2041
49.	जगा पुत्र ऊर्जा	159	12 बीघा 10 बिस्वा	2041
50.	मोहन, चेला पुत्र मोती	137	5 बीघा	2042
51.	बाजा पुत्र देवा	156	15 बीघा	2042
52.	कान्हा पुत्र देवा	156	15 बीघा	2042

1	2	3	4	5
53.	दला पुत्र सोना	156	15 बीघा	2042
54.	गुठिया पुत्र मांगिया	156	15 बीघा	2042
55.	मोहन पुत्र कालू	156	15 बीघा	2042
56.	मोहन पुत्र मोती	136	15 बीघा	2042
57.	जीवा पुत्र कालू	156	15 बीघा	2042
58.	चेला पुत्र मोती	156	15 बीघा	2042
59.	हरिराम, जीवाराम, इंदाराम, मोहनसिंह पुत्र नैनसिंह	136	5 बीघा	2042
60.	जगा पुत्र ऊर्जाराम	159	12 बीघा 10 बिस्वा	2042
61.	मोहनराम. चेलाराम पुत्र मोतीराम	137	5 बीघा	2044
62.	जगाराम पुत्र ऊर्जा	152, 159	32 बीघा 10 बिस्वा	2044
63.	चेलाराम पुत्र मोतीराम	156	15 बीघा	2044
64.	कान्हाराम पुत्र देवा राम	156	15 बीघा	2044
65.	बागाराम पुत्र देवाराम	156	15 बीघा	2044
66.	ढलाराम पुत्र मांगाराम	156	15 बीघा	2044
67.	गुंदिया पुत्र मांगिया	156	15 बीघा	2044
68.	मोहन पुत्र कालूराम	156	15 बीघा	2044
69.	मोहन पुत्र मोतीराम	156	15 बीघा	2044
70.	जीवाराम पुत्र कालूराम	156	15 बीघा	2044
71.	जगाराम पुत्र ऊर्जाराम	159, 152	15 बीघा	2044
72.	चेलाराम पुत्र मोतीराम, मोहन राम पुत्र मोतीराम, मोहन राम पुत्र कालूराम ढला राम पुत्र सोनाराम	156	60 बीघा	2045
73.	कान्हाराम पुत्र देवाराम, बाजाराम पुत्र देवाराम, गुटिया पुत्र मांगिया, जीवा पुत्र कालूराम	156	60 बीघा	2045
74.	जगाराम पुत्र ऊर्जाराम	159, 152	32 बीघा 10 बिस्वा	2045

1	2	3	4	5
75.	चेलाराम पुत्र मोती राम मोहन पुत्र मोती मोहन पुत्र कालू ढला राम पुत्र सोना	156	60 बीघा	2046
76.	कानाराम पुत्र देवाराम बागाराम पुत्र देवाराम गुटिया पुत्र मांगिया जीवा पुत्र कालू	156	60 बीघा	2046
77.	चेलाराम पुत्र मोतीराम मोहन पुत्र मोती राम मोहन राम पुत्र कालूराम ढालाराम पुत्र मोनाराम	156	60 बीघा	2047
78.	कानाराम पुत्र देवाराम गुटिया पुत्र मांगिया जीवाराम पुत्र कालूराम	156	45 बीघा	2047
79.	जगाराम	159	12 बीघा 10 बिस्वा	2047
80.	चेलाराम पुत्र मोतीराम मोहन राम पुत्र मोतीराम मोहनराम पुत्र कालूराम ढलाराम पुत्र सोनाराम	156	60 बीघा	2048
81.	कानाराम पुत्र देवाराम बागा पुत्र देवाराम गुठिया पुत्र मांगाराम जीवा राम पुत्र कालूराम	156	45 बीघा	2048

औद्योगिक इकाइयों पर विक्रय कर की बकाया

613. **श्री हीरालाल मीणा** (बामनवास) व **श्री हरिसिंह** (महुआ) एवं **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में औद्योगिक इकाइयों पर विक्रय कर की गत पांच वर्षों में कुल कितनी राशि बकाया रही ? विवरण वित्तीय वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा वसूली की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) राजस्थान में औद्योगिक इकाइयों की ओर गत पांच वर्षों की विक्रय कर की कुल राशि रु. 3354.19 लाख बकाया रही जिसका वर्षवार विवरण नीचे अंकित है :—

वर्ष	बकाया राशि (लाख रुपयों में)
1986-87	631.77
1987-88	618.45
1988-89	352.88
1989-90	1299.07
1990-91	452.02
कुल योग :-	3354.19

(2) राज्य सरकार द्वारा वसूली के यथा सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। वसूली हेतु विभाग के अधिकारियों द्वारा राजस्थान बिक्री कर अधिनियम 1954 एवं भू-राजस्व वसूली अधिनियम के अन्तर्गत वसूली की जाती है। उक्त वसूली की समीक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर की जाती है। रु. 50 लाख से अधिक के मामलों में मुख्यालय में, रु. 10 से 50 लाख के मामलों में उपार्युक्त स्तर से तथा रु. 10 लाख से कम के मामलों में वाणिज्यिक कर अधिकारियों द्वारा समीक्षा की जाकर वसूली की कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त वसूली करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा समय-समय पर विशेष वसूली अभियान चलाये जाते हैं जिसमें अधिकारियों द्वारा मुख्यतः बकाया वसूली का ही कार्य किया जाता है।

राजस्थान राज्य क्रय-विक्रय सहकारी संघ लि. के लेखों की जांच

614. **श्री कन्हैयालाल** (बस्सी) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान क्रय-विक्रय सहकारी संघ लि. का आडिट गत कई वर्षों से सही रूप से नहीं हो पा रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि संघ का ऑडिट वर्ष 1974-75 से 1984-85 तक का विभागीय अंकेक्षकों द्वारा किया गया है और उनके द्वारा अन्तिम लेखों के अन्त में दिए गये प्रमाण-पत्रों के अनुसार लेखे गलत बताये गये ?

(3) क्या यह भी सही है कि संघ के

(श्री कन्हैयालाल)

अन्तिम खातों एवं रिकार्ड से बनाई सूचियों में लाखों रुपये का अन्तर है जिसके लिए सहकारी विभाग के मुख्य अंकेक्षक द्वारा अप्रेल, 1981 में ध्यान आकर्षित किए जाने के बाद भी आज तक दुरुस्तियां नहीं की गई हैं? इनके लिए कौन जिम्मेदार है और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि विभागीय अंकेक्षकों द्वारा वर्ष 1974-75 से वर्ष 1984-85 तक आडिट किए गये लेखों के अन्त में दिए गये प्रमाण-पत्रों को संघ द्वारा गलत रूप में प्रकाशित करवाया है? यदि हां, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है? नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह भी सही है कि महा-प्रबन्धक वित्त एवं लेखा के पद का सृजन लेखों के शुद्धिकरण एवं शुद्ध संधारण के लिए किया गया था और उनके द्वारा भी लेखों का शुद्ध संधारण नहीं किया गया? यदि हां, तो सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) वर्ष 1974-75 से 1984-85 तक के लेखों में वर्ष 1979-80, 1980-81 एवं 1982-83 का आडिट चार्टेड अकाउन्टेन्ट द्वारा किया गया। तथा शेष अवधि का आडिट विभागीय अंकेक्षकों द्वारा किया गया हैं। अन्तिम लेखों के अन्त में दिये गये प्रमाण-पत्रों के अनुसार वर्ष 1974-75, 1979-80,1980-81 वर्ष 1982-83 के प्रमाण-पत्रों में कोई कमी नहीं बताई गई। शेष वर्षों के लेखे आडिट प्रमाण-पत्रों में उल्लेखित कमियों के अधीन थे।

(3) जी नहीं। वर्ष 1974-75 से 1978-79 के लेखों के सन्दर्भ में मुख्य अंकेक्षक, सहकारी विभाग द्वारा चाहे गये रिकार्ड, सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण राजफैड द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर परीक्षणोपरांत मुख्य अंकेक्षक द्वारा माह अगस्त एवं सितम्बर, 1988 में आडिटर्स की टिप्पणी के साथ राजफैड की आगामी वार्षिक साधारण सभा में आडिट आक्षेपों की पूर्ति के साथ प्रस्तुत करने हेतु भिजवाये गये। राजफैड द्वारा ये लेखे सम्बन्धित वर्ष की आडिट आक्षेपों की अनुपालना के साथ दिनांक 2 एवं 3 सितम्बर, 1989 की वार्षिक आम सभा में प्रस्तुत किये गये।

(4) जी नहीं। केवल 1974-75 की आडिट रिपोर्ट में दिया आडिट प्रमाण-पत्र साधारण सभा की पुस्तिका में भूलवश गत प्रमाण-पत्र के अनुरूप छप गया था। उपरोक्त गलती का संशोधन संघ की उसके बाद हुई वार्षिक साधारण सभा दिनांक 2 एवं 3-9-89 की कार्यवाही में हो गया है।

(5) महा प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) का पद सृजन संघ के बढ़ते हुए कारोबार को देखते हुए एवं पुरानी स्थिति को सुधारने के साथ-साथ लेखों के संधारण हेतु सृजित किया गया है। अब वर्ष 1990-91 तक के शुद्ध संधारित लेखे तैयार कर सहकारी विभाग के अंकेक्षण दल को प्रस्तुत कर दिये

(श्री कन्हैयालाल)

गये हैं। ऑडिट कार्य प्रगति पर है। लेखों के समय पर शुद्ध संधारण नहीं करने के मामले में उत्तरदायित्व निर्धारण कर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए प्रबन्ध संचालक, राजफैड को निर्देशित कर दिया गया है।

बीकानेर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत नित्य उपभोग की वस्तुएं

615. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला बीकानेर में वर्ष 1991-92 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चीनी, कैरोसिन का ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रतिमाह, प्रति व्यक्ति कितनी-कितनी मात्रा में कोटा वितरित किया गया? तहसील वार बीकानेर शहर सहित प्रतिमाह प्रति व्यक्ति कितना वितरण किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला बीकानेर में वर्ष 1991-92 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बीकानेर शहर सहित सभी तहसीलों में 400 ग्राम लेवी चीनी प्रति व्यक्ति प्रति माह एवं 10 लीटर प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह कैरोसीन तेल वितरित किया गया है।

हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक एवं व्याख्याता की ग्रेड में विसंगति

616. **श्री नन्दकिशोर शर्मा** (छबड़ा): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक व व्याख्याता का ग्रेड एक ही है? यदि हां, तो क्या यह विसंगति नहीं है?

(2) क्या यह सही है कि इसके कारण ग्रामीण हाई स्कूलों के प्रधानाध्यापक के पद रिक्त हैं तथा रिक्त पदों पर कोई जाना नहीं चाहता? यदि हां, तो सरकार इस असमानता को दूर कर प्रधानाध्यापक के पद को प्रभावी बनाने का विचार रखती है।

उत्तर

(1) जी हां। यह स्थिति ध्यान में है।

(2) यह प्रकरण विचाराधीन है।

अन्त्योदय योजना के तहत नियुक्तियां

617. **श्री हरिसिंह** (महुआ) व **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) एवं **श्री हीरालाल मीणा** (बामनवास): क्या विशिष्ठ योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा सर्व प्रथम अन्त्योदय योजना कब प्रारम्भ की गयी?

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना में चयनित व्यक्ति को वर्ष 1977-78 में राजकीय सेवा में प्राथमिकता के आधार पर चयन कर नौकरी देने का आदेश सरकार द्वारा दिया गया था? यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत कितने लोगों को नौकरियां दी गयीं?

(श्री हीरालाल मीणा)

(3) क्या सरकार द्वारा पुनः अन्त्योदय योजना को चालू किया गया है ? यदि हां, तो अब तक कितने चयनित परिवारों को राजकीय सेवा का लाभ दिया गया है ?

उत्तर

(1) सरकार द्वारा सर्वप्रथम अन्त्योदय योजना 2 अक्टूबर, 1977 से प्रारम्भ की गई ।

(2) जी हां । कितने लोगों को नौकरियां दी गई की सूचना अलग से एकत्रित नहीं की गई थी ।

(3) जी हां । इस बार अन्त्योदय योजना में चयनित परिवारों को सरकारी नौकरी देने का अभी तक प्रावधान नहीं किया गया है ।

सुशील सूटिंग प्राइवेट लि. निवाई द्वारा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण

618. **श्री निर्भयलाल** (रूपवास) एवं **श्री मोतीलाल** (सवाईमाधोपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका निवाई के अध्यक्ष श्री महावीर जैन द्वारा ग्राम महाराजपुरा के खसरा नं. 122 पर (चारागाह) नाजायज़ कब्जा कर सुशील शूटिंग प्राइवेट लि. स्थापित कर रखी है ? यदि हां, तो चारागाह भूमि पर नाजायज कब्जा करना किन आदेशों के तहत है ? आदेशों की प्रति मदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 5 (22) राज/ग्रुप-4/80 दिनांक 30-10-90 एवं परिपत्र पत्र संख्या प-6 (7) राज/ग्रुप-4/77 दिनांक 7-7-1977 द्वारा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण रोकने हेतु राजस्व अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या इन आदेशों की पालना सुशील शूटिंग प्राइवेट लि. ग्राम महाराजपुरा (निवाई) की खसरा नं. 122/1/1 पर हुये नाजायज कब्जे को राजस्व अधिकारियों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है ? यदि हां. तो कब, यदि नहीं तो क्यों ?

(3) क्या सरकार इस नाजायज कब्जे को हटाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम महाराजपुरा (निवाई) स्थित ख. नं. 122/1/1 चारागाह की 4 बिस्वा भूमि पर सुशील सूटिंग्स प्रा. लि. का अतिक्रमण है ।

(2) जी हां । अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है ।

(3) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत तहसीलदार, निवाई द्वारा नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही जैरतजबीज है । निर्णयानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

भ्रष्टाचार उन्मूलन अभियान

619. **श्रीमती मदन कौर** (गुढ़ामालानी) : क्या मुख्य (भ्रष्टाचार निरोधक) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्रीमती मदन कौर)

(1) क्या यह सही है कि मार्च, 1990 में मौजूदा सरकार के शपथ ग्रहण के साथ राज्य में भ्रष्टाचार समाप्ति की उद्घोषणा की थी ? क्या सरकार को इस अभियान में कोई उल्लेखनीय सफलता मिली है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) मौजूदा सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के मामले में कितने राजपत्रित अधिकारियों को दण्डित किया गया और उन्हें क्या दण्ड दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार भ्रष्टाचार उन्मूलन की मौजूदा स्थिति से सन्तुष्ट है ? यदि नहीं, तो इसे प्रभावी बनाने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

(4) भ्रष्टाचार के प्रति अपेक्षाकृत संवेदनशील विभागों/कार्यक्रमों/अधिकारियों पर कड़ी चौकसी रखने की क्या कोई विशेष व्यवस्था है ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1990 व 1991 में राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जो उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है वह परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

(2) गत दो वर्षों में भ्रष्टाचार के 11 आपराधिक मामलों में व 22 विभागीय जांचों में राजपत्रित अधिकारियों को दण्डित किया गया, दण्ड की सूचना परिशिष्ट "ब" व 'स' में अंकित है। यह सूचना केवल प्रकरणों की है जिनमें राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा कार्यवाही की गई है।

(3) जी हां। राज्य सरकार ने इसे प्रभावी बनाने हेतु भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो के रूप में पुनर्गठन कर ब्यूरो को भारतीय दण्ड संहिता की कुछ धाराओं एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम में भी अपराध दर्ज कर अनुसंधान करने का अधिकार दिया है।

(4) भ्रष्टाचार के प्रति अपेक्षाकृत संवेदनशील विभागों/कार्यक्रमों अधिकारियों पर कड़ी चौकसी रखने के लिए एक इन्टेलीजेन्स यूनिट एवं महत्वपूर्ण अपराधों के अनुसन्धान के लिए एक विशेष अनुसन्धान प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)।

केशवरायपाटन सहकारी शुगर मिल द्वारा गन्ने की सिंचाई

620. **श्री रामकिशन** (भरतपुर) व **श्री गणपत राम गाडेगावलिया** (दूदू) एवं **श्री शम्भूदयाल बडगूजर** (केकड़ी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

केशवरायपाटन सहकारी शुगर मिल में चालू पिराई सीजन के लिए कितने किसानों से कितने गन्ने के बाण्ड भरवाये गये हैं, कितने गन्ने की पिराई की जा चुकी है तथा चालू सीजन में अब तक मिल चलाने का कार्यक्रम है ? क्या भरवाए गए बाण्ड के अनुसार पूरे गन्ने की पिराई हो जाएगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

केशवरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स द्वारा चालू पिराई सीजन के लिए 3261 किसानों से 19 लाख 71 हजार 12 क्विंटल गन्ने के बॉण्ड भरवाए गए हैं। 16 मार्च, 1992 तक 6 लाख 92 हजार 600 क्विंटल गन्ने की पिराई की जा चुकी है। चालू सीजन में मिल के 31 मई, 1992 तक चलने की सम्भावना है चालू सीजन में बॉण्ड के अनुसार समस्त प्राप्त गन्ने की 31 मई, 92 तक पूरी पिराई होने का अनुमान है।

मालवीय नगर जयपुर में राशन की दुकान

621. **श्री लक्ष्मीलाल** (आसीन्द) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मालवीय नगर जयपुर में राशन की दुकान नं. 548 श्री गोपाल लाल जैन के नाम से आवण्टित है और इस दुकान के साथ पांच अन्य दुकानें सम्बद्ध हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र की दुकान पर मिलने वाले कैरोसिन तेल का ब्लेक में विक्रय होने की शिकायत है ? क्या प्रवर्तक निरीक्षक ने इस बारे में कभी जांच की है ? यदि नहीं, तो क्या अब इसकी जांच कराई जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) यह सही है कि इस क्षेत्र की दुकान नम्बर 548 पर मिलने वाले कैरोसीन तेल के विक्रय में अनियमितता की मौखिक शिकायत खाद्य विभाग को मिलने पर विभाग के उड़नदस्ते द्वारा जांच की गई थी।

शिक्षा जिला अधिकारी के उप निदेशक शिक्षा के पद पर पदोन्नतियां

622. **श्री राम प्रसाद लढ्डा** (बैर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान शिक्षा सेवा के जिला शिक्षा अधिकारी से उप निदेशक शिक्षा अधिकारियों के पदों पर गत चार वर्षों में पदोन्नतियां दी गई थीं। यदि हां, तो क्या उनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बैक लॉग को भरा गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों का चयन किया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के योग्यतम, सक्षम, अनुभवी अधिकारी मौजूद हैं ? यदि हां, तो पदोन्नति किन-किन कारणों से नहीं दी गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि 1990–91 में महिला शिक्षा अधिकारियों का कोटा पूरा कर दिया गया है ? यदि हां, तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का बैक लॉग अभी तक किन कारणों से बकाया है ?

(4) क्या राज्य सरकार उक्त कोटे को पूरा कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । अनुसूचित जाति/जनजाति के बैंक लॉग सहित कोटे को पूरा नहीं भरा जा सका है। चयन के लिए विचार परिधि में पात्र व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने से उक्त अवधि में अनुसूचित जाति के 5 एवं अनुसूचित जनजाति के 1 अधिकारी का चयन हो सका। विवरण परिशिष्ट "क" में प्रस्तुत कर दिया गया है ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं ।

(4) जी हां, आगामी वर्षों में जब भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी उपलब्ध होंगे, बैंक लॉग को नियमानुसार पूरा कर दिया जाएगा ।

प्रश्न के भाग (1) से सम्बन्धित वितरण

परिशिष्ठ "क"

उपनिदेशक एवं समकक्ष पदों पर चयनित अजा. अजजा. अधिकारियों का विवरण वर्ष 88–89 से 91–92

वर्ष	आरक्षित पदों की संख्या						विचार परिधि (रिक्तियों का 5 गुणा) में उपलब्ध पाये गये व्यक्ति						चयन किये गये अधिकारो						विशेष विवरण
	अनु. जाति			अनु. जनजाति			अनु. जाति			अनु. जनजाति			अनु. जाति			अनु. जनजाति			
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	
88–99	3	3	4	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	विचार परिधि में केवल एक ही आशार्थी उपलब्ध। जिसका चयन हुआ।
89–90	—	3	6	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	पांच गुण जोन में कोई आशार्थी उपलब्ध नहीं
90–91	2	3	7	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—यथोपरि—
91–92	2	3	7	1	1	4	2	—	2	2	—	—	2	—	2	1	—	—	विचार परिधि में 6 आशार्थी उपलब्ध/5 का चयन हुआ। एक अनुपयुक्त पाया गया।
												चयनित अधिकारियों का योग	2	—	3	1	—	—	

"काम के बदले अनाज योजना" में आवंटित अनाज

623. **श्री अचलाराम** (देसूरी) : क्या विशिष्ठ योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनता राज के समय का "काम के बदले अनाज योजना" में जो अनाज ग्राम पंचायतों में रखा गया था वह पाली जिले में आज तक कहां-कहां पड़ा है और किस मात्रा में है ?

(2) ग्राम पंचायत नारलाई (पं. सं. देसूरी) में कितना अनाज पड़ा है वह किस काम के लिए एलॉट हुआ था ? अब उसकी क्या उपयोगिता है ?

उत्तर

(1) पाली जिले में "काम के बदले अनाज योजना" के अन्तर्गत आवंटित अनाज किसी भी ग्राम पंचायत में पड़ा हुआ नहीं है।

(2) ग्राम पंचायत नारलाई (पंचायत समिति देसूरी) में 145.14 क्विंटल चावल पड़ा हुआ है। वह अकाल राहत कार्य पशु चिकित्सालय निर्माण हेतु आवंटित किया गया था। चावल खराब हो गया है। अतः उसकी अब कोई उपयोगिता नहीं है।

जैसलमेर व बाड़मेर को दो-दो जिलों में विभक्त करने की मांग

624. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर एवं बाड़मेर जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि विशाल क्षेत्रफल होने से ही यह विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि इन क्षेत्रों में अब आबादी तीव्र गति से बढ़ रही है ? यदि हां, तो क्या इन जिलों के दो-दो जिले बनाने का सरकार, विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) यह सही है कि जैसलमेर एवं बाड़मेर जिलों में आबादी बढ़ रही है। जहां तक इन जिलों के दो जिले बनाने का प्रश्न है, ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अल्प सूचना-प्रश्न

बून्दी जिले के विद्यालयों में अध्यापकों के पदों का आवंटन

625. **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बून्दी जिले के शिक्षा विभाग के विद्यालयों में विद्यालयवार अध्यापकों के पदों के आवटन की वर्तमान स्थिति क्या है तथा वास्तव में विद्यालयवार स्वीकृत बजट के अनुसार ही अध्यापक कार्यरत हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामनारायण वर्मा)

(2) उक्त विद्यालयों में स्वीकृत बजट के मुताबिक आवंटित अध्यापकों में से कितने अध्यापकों को अन्य विद्यालयों में कार्य करने हेतु संलग्न किया हुआ है ? विद्यालयवार स्थिति सदन की मेज पर रखें।

(3) जिन विद्यालयों के अध्यापक अन्य विद्यालयों में पदस्थापित किये गये हैं ऐसे अध्यापकों के मूल पदस्थापन वाले विद्यालयों के छात्रों की पढ़ाई की होने वाली हानि की पूर्ति हेतु क्या योजना है ?

(4) क्या एक विद्यालय के अध्यापक को दूसरे विद्यालय में संलग्न करके कार्य लेने हेतु जारी आदेश नियमान्तर्गत हैं ? यदि नहीं, तो ऐसे आदेश जारी करने के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ?

(5) क्या इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कब तक कार्यवाही कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। वांछित विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) बून्दी जिले में कुल 28 शिक्षकों को अन्य विद्यालयों में कार्य करने हेतु लगा रखा है। विद्यालयवार स्थिति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) छात्रों की पढाई की हानि न हो यह व्यवस्था संस्था प्रधान करते हैं। विभाग ने यह निर्देश दिए हुए हैं कि जिस शिक्षक को जहां से वेतन प्राप्त होता है वहां के लिए तत्काल कार्यमुक्त करें।

(4) जी नहीं। अभी ऐसे प्रकरणों में दायित्व का निर्धारण नहीं किया गया है।

(5) इस संबंध में जांच नहीं हुई है। अतः कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की गई है। जांच के पश्चात् कार्यवाही किया जाना संभव होगा।

(6) दोष सिद्ध होने पर ही सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

241

परिशिष्ट-3

तारांकित प्रश्न संख्या 597 का विवरण

परिशिष्ट "अ"

बेची गई भूमि का विवरण

क्र. सं.	क्रेता का नाम	बेची गई जमीन का क्षेत्रफल (वर्गफीट में)	बेची गई भूमि की कीमत	
1.	प्रिन्सीपल, सैन्टपाल स्कूल उदयपुर	3800	8390.00	
2.	प्रिन्सीपल, सैन्टपाल स्कूल उदयपुर	20070	47164.50	
3.	प्रिन्सीपल, सैन्टपाल स्कूल उदयपुर	11951	47804.00	
4.	प्रिन्सीपल, सैन्टपाल स्कूल उदयपुर	10493	45972.00	
5.	श्री बद्रीलाल पुत्र श्री लक्ष्मीलाल उदयपुर	2700	6999.00	
6.	श्रीमती केशरदेवी	2700	6999.00	
7.	श्रीमती गीतादेवी पत्नी श्री शांतीलाल कोठारी, उदयपुर	2653	7999.00	
8.	श्री हीरालाल पुत्र श्री सोहनलाल उदयपुर	2004	6999.00	
9.	उमरावसिंह पुत्र श्री सुमेरमल (उड़ीसा)	5940	49111.00	
10.	श्री राजमल पुत्र श्री बंशीलाल माहेश्वरी मूंदडा, उदयपुर	2142	28000.00	उक्त भूमि लीज पद दी गई।
11.	श्री राजमल पुत्र श्री बंशीलाल माहेश्वरी मूंदडा, उदयपुर	2520	28000.00	

परिशिष्ट "ब"

महिला आश्रम भीलवाड़ा

संस्था की प्रबन्ध समिति की नामावली

क्रम संख्या	नाम	पद
1.	श्रीमती सुशीला माथुर ए—87, श्यामनगर, अजमेर रोड, जयपुर	अध्यक्ष
2.	श्रीमती सुमित्रा पण्डित, ट्यूरिस्ट गाईड सर्विस, ठोलिया सर्किल एम. आई. रोड, जयपुर	मंत्री
3.	श्री शिवचरणजी माथुर, ए—87, श्यामनगर, अजमेर रोड, जयपुर	सदस्य
4.	श्री दीनबन्धुजी वर्मा 99, भूपालपुरा, उदयपुर	सदस्य
5.	श्री ज्ञानमलजी कोठारी, भूपालगंज, भीलवाड़ा	सदस्य
6.	श्री हफीज मोहम्मदजी जिला प्रमुख, भीलवाड़ा	सदस्य
7.	श्री हरिसिंहजी रांका, प्रबन्ध निदेशक, मार्डन थ्रेड (इण्डिया) लिमिटेड, रायला, भीलवाड़ा	सदस्य
8.	श्री लक्ष्मीनिवासजी, झुंझुनूं वाला भीलवाड़ा स्पिनर्स लि., भीलवाड़ा	सदस्य
9.	श्री गणपतलालजी वर्मा, भूतपूर्व विधायक, भीलवाड़ा	सदस्य
10.	श्रीमती सन्तोष कुमारी (प्रधानाध्यापिका) मा. ला. वर्मा महिला आश्रम, उ. मा. वि. भीलवाड़ा (विद्यालय प्रधान)	सदस्य
11.	श्रीमती कुसुमलता गोयल व्याख्याता, स्कूल शिक्षा मा. ला. वर्मा महिला आश्रम उ. मा. वि. भीलवाड़ा (शिक्षक प्रतिनिधि)	सदस्य
12.	श्री प्यारचन्द जी विश्नोई, भूपालपुरा, उदयपुर	सदस्य
13.	जिला शिक्षा अधिकारी, भीलवाड़ा (विभाग द्वारा मनोनीत अधिकारी)	सदस्य

243

परिशिष्ट-4

अतारांकित प्रश्न संख्या 945 की सूची

परिशिष्ट—1

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पदोन्नत किये गये अधिकारियों की सूची :

अतिरिक्त पंजीयक

1.	श्री एम. एल. परिहार,	एस. सी.

संयुक्त पंजीयक

1.	श्री के. एल. कमल	एस. सी.
2.	श्री चुन्नीलाल	एस. सी.
3.	श्री एन. सी. चौहान	एस. सी.
4.	श्री माईदान सिंह	एस. सी.
5.	श्री पी. एल. वर्मा	एस. सी.
6.	श्री कंचनलाल मीना	एस. टी.
7.	श्री बी. एल. रावत	एस. टी.
8.	श्री बी. डी. आर्य	एस. सी.
9.	श्री आर. के. मीना	एस. टी.
10.	श्री शिवलाल मीना	एस. टी.

उप पंजीयक

1.	श्री पी. एल. वर्मा	एस. सी.
2.	श्री जी. एल. वर्मा	एस. सी.
3.	श्री रंगलाल मीना	एस. टी.
4.	श्री बी. डी. आर्य	एस. सी.
5.	श्री धर्मवीर वर्मा	एस. टी.
6.	श्री रामधन मीना	एस. टी.
7.	श्री रामकिशन मीना	एस. टी.
8.	श्री शिवलाल मीना	एस. टी.
9.	श्री एस. डी. मीना	एस. टी.
10.	श्री रामजीलाल मीना	एस. टी.
11.	श्री सोहनलाल	एस. सी.
12.	श्री सीताराम मीना	एस. टी.
13.	श्री बी. एल. चौमीया	एस. सी.
14.	श्री जी. पी. जाटव	एस. सी.
15.	श्री आर. के. आरेडा	एस. टी.
16.	श्री पूरणमल गहलोत	एस. सी.
17.	श्री शिवलाल सोनगरा	एस. सी.
18,	श्री मदनलाल राठी	एस. सी.
19.	श्री पूरणमल	एस. मी.
20.	श्री एन. के. मौर्य	एस. सी.

सहायक पंजीयक

1.	श्री टीकाराम गम्भीर	एस. सी,
2.	श्री भीखचन्द यादव	एस. सी.

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 955 की सूची

प्रश्न के भाग (1) की सूची

जयपुर जिले में 1990–91 एवं 1991–92 में क्रमोन्नत किये गये उच्च प्राथमिक विद्यालयों की ग्रामवार सूची :–

वर्ष	क्रमांक	क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्राम
1990–91		कोई उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत नहीं किया गया ।
1991–92	1.	बिहारी जी का मंदिर रामगंज, जयपुर (शहर)
	2.	सांगानेर (छात्रा)
	3.	पूतली (पं. सं. कोटपूतली)
	4.	कल्याणपुरा (पं. स. बस्सी)
	5.	छापरवाड़ा (पं. स. दूदू)
	6.	अनोपपुरा (पं. स. आमेर)
	7.	आकोड़िया (पं. स. चाकसू)
	8.	माधो का बास (पं. स. शाहपुरा)
	9.	लोचू का बास (पं. स. शाहपुरा)
	10.	फुलेरा (छात्रा) (पं. स. साँभर)

उच्च प्राथमिक विद्यालयों से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये गये विद्यालयों की सूची :–

(1) माधोगढ़
(2) मूण्डोता
(2) राधाकृष्णपुरा
(4) रोजड़ी
(5) विशनगढ़
(6) गांधी नगर (छात्रा)
(7) दुर्गापुरा (छात्रा)
(8) गोनेर (छात्रा)
(9) किशनगढ़ रेनवाल (संस्कृत)

245

प्रश्न के भाग (2) की सूची

तहसील जमवारामगढ़ में वर्तमान उच्च प्राथमिक विद्यालयों की ग्रामवार सूची

क्र. सं.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय (छात्र)	क्र. सं.	राजकीय उच्च प्राथमिक (विद्यालय (छात्र)
1.	लालवास	2.	दातलिमीना
3.	डागरवाड़ा	4.	थली
5.	जयचन्द्रपुरा	6.	चारणवास
7.	इन्द्रगढ़	8.	बहलोढ़
9.	भावनी	10.	बासना
11.	बोवाडी	12.	समरेडकलॉ
13.	हबरासना	14.	सायपुरा
15.	माल्लवाला	16.	सानकोटढा
17.	नटाडा	18.	पापड़
19.	खरगाड़ा	20.	बागडीबास
21.	धूलारावजी	22.	पुक्षोलाव
23.	राजपुरवासताला	34.	भूरणपुराजाटान
25.	रायावाला	26.	साक
27.	गोपालगढ़	28.	बिलोद
29.	रायपुर	30.	रूपवास
31.	राहोरी	32.	आरवाड़ी
33.	अर्जुनपुरा	34.	धामासया
35.	कोलाना	36.	भावुपुरा
37.	नाथावाला	38.	दौलतपुरा
39.	कैलो का दास	40.	डंगोता
41.	बिस्वी	42.	गावली
43.	रामनगर	44.	सरजोली
45.	माजीपुरा	46.	सायपुर

बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय की सूची

1.	नायला	2.	आंधी
3.	चावंड का मंड	4.	माथासूला
5.	खवारानी जी	6.	चावंडिया
7.	गढ़वाडी	8.	रायसर

246

परिशिष्ट 6

अतारांकित प्रश्न संख्या 956 का विवरण

प्रश्न के भाग-2 का विवरण

विभिन्न जिलों में तृतीय वेतन श्रृंखला शिक्षकों की नियुक्ति के उपरान्त
द्वितीय वेतन श्रृंखला में पदोन्नति में लगने वाली अनुमानित औसत
अवधि का तुलनात्मक विवरण

अवधि	जिले का नाम
5–6 वर्ष	सवाई माधोपुर (छात्रा)
7–8 वर्ष	जालौर (छात्रा), नागौर (छात्रा)
9–10 वर्ष	भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, झुंझुनूं (छात्रा)
11–12 वर्ष	नागौर, सिरोही, डूंगरपुर
13–14 वर्ष	पाली, झालावाड़, बूंदी
15–16 वर्ष	टौंक, चित्तौड़गढ़, जालौर (छात्र) सीकर, सवाई माधोपुर (छात्रा)
17–18 वर्ष	झुंझुनूं, उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा
19–20 वर्ष	भरतपुर, धौलपुर, अलवर
21–22 वर्ष	अजमेर ।

247

परिशिष्ट-7

अतारांकित प्रश्न संख्या 957 का विवरण

प्रश्न के भाग (1 व 2) की सूची

अलवर जिले के नगरीय क्षेत्रों के उ. प्रा. एवं माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत पदों से अधिक कार्यरत अध्यापकों की शालावार सूची :

क्र. सं.	अध्यापक का नाम मय पद	वर्तमान में कार्यरत शाला का नाम	वेतन आहरित करने के स्थान का नाम
1	2	3	4
1.	श्री हरिकिशन सैनी व. अ.	रा. मा. वि. प्रताप अलवर	उ. मा. वि. प्रतापगढ़
2.	श्री त्रिलोक चन्द मीणा व.अ.	रा. मा. वि. प्रताप अलवर	रा. मा. वि. पाटन
3.	श्री जवाहर लाल व. अ.	रा. मा. वि प्रताप अलवर	रा. उ. मा. वि. चांदपुर
4.	श्री विरेन्द्र कुमार व. अ.	रा. मा. वि. गांधी अलवर	रा. मा. वि. भनोखर
5.	सुश्री शैली गोयल व. अ.	रा. मा. वि. रेल्वे स्टेशन अलवर	रा. मा. वि. जटवाड़ा
6.	श्री श्याम लाल व. अ.	रा. मा. वि. रेल्वे स्टेशन अलवर	रा. मा. वि. अलावड़ा
7.	श्री सीताराम शर्मा व. अ.	रा. मा. वि. नयावास अलवर	रा. मा. वि. नीमूचाना
8.	श्रीमती प्रेमा शर्मा अध्यापिका	रा. बा. मा. वि. स्कीम नं. 2 अलवर	रा. मा. वि. गढ़ीसवाई-राम
9.	श्रीमती मुन्नी शर्मा अध्यापिका	रा. बा. मा. वि. स्कीम नं. 2 अलवर	रा. मा. वि. पदमाडा-कलां
10.	श्रीमती सुनीता बुटन अध्यापिका	रा. बा. मा. वि. स्कीम नं. 2	रा. मा. वि. बालावास
11.	श्रीमती यशोदा शर्मा	रा. बा. मा. वि. कावड अलवर	रा. मा. वि. गोठडा
12.	श्रीमती दर्शन मल्होत्रा व. अ.	रा. बा. मा. वि. स्कीम नं. 2	रा. मा. वि. पदमाडा-कलां

1	2	3	4
13.	श्रीमती भगवती व. अ.	रा. बा. मा. वि. स्कीम नं. 2	रा. मा. वि. अजबपुरा
14.	श्रीमती आशा जैन व. अ.	रा. मा. वि. मनीकाबड़	गोविन्दगढ़
15.	श्रीमती मधुबाला आडवानी व.अ.	रा. मा. वि. मनीकाबड़	लक्ष्मणगढ़
16.	श्रीमती जनक दुलारी अध्यापिका	रा. बा. उ. प्रा. वि. नयाबास, अलवर	जोडिया
17.	श्रीमती लता टोगड़ा अध्यापिका	रा. बा. उ. प्रा. वि. नयाबास, अलवर	अलावड़ा
18.	श्रीमती पवित्रा यादव अध्यापिका	रा. बा. उ. प्रा. वि. स्कीम नं. 2 अलवर	जखराना
19.	श्रीमती कमला कुमारी अध्यापिका	रा. बा. उ. प्रा. वि. स्कीम नं. 2 अलवर	किशनगढ़बास
20.	श्रीमती कमला रानी अध्यापिका	रा. बा. उ. प्रा. वि. नवाबपुरा अलवर	राजपुरबड़ा
21.	श्री बालमुकुन्द पंचौली अध्यापक	उ. प्रा. वि. मालाखेडा गेट अलवर	उ. प्रा.वि. नं 4 अलवर
22.	श्री गणेशदत अवस्थी अध्यापक	उ. प्रा. वि. देवखेड़ा	रूपवास तिजारा
23.	श्रीमती किरण देवी जैन अ.	उ. प्रा. वि. पलिखाना अलवर	नीमच (रामगढ़)
24.	श्रीमती कौशल्या देवी अ.	उ. प्रा. वि. रूपबास अलवर	मा. वि. बुर्जा
25.	श्री नरेन्द्र कौशिक अध्यापक	उ. प्रा. वि. नं. 4 अलवर	उ. प्रा. वि. घाटला
26.	श्री बद्री प्रसाद अध्यापक	उ. प्रा. वि. नवीन अलवर	प्रा.वि. लालावास अलवर
27.	श्री प्रकाश चन्द शर्मा अध्यापक	उ. प्रा. वि. नवीन अलवर	मा. वि. गण्डूका

परिशिष्ट-8

अतारांकित प्रश्न संख्या 970 की सूची

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सवाई माधोपुर में वर्ष 1991–92 में जीवनधारा योजना के अन्तर्गत पंचायत समितिवार लक्ष्यों की सूची

क्र. सं.	पंचायत समिति	लक्ष्य	20-2-92 तक प्राप्त प्रस्ताव	स्वीकृतियां
1.	सवाई माधोपुर	47	74	74
2.	खण्डार	47	86	86
3.	बौली	47	52	52
4.	बामनवास	47	94	94
5.	गंगापुर	47	16	16
6.	सपोटरा	47	79	79
7.	करौली	47	21	21
8.	हिण्डोन	47	06	06
9.	नादोती	47	59	59
10.	टोडाभीम	47	15	15
11.	महुवा	47	01	01
	योग :–	517	503	503

250

परिशिष्ट-9

अतारांकित प्रश्न संख्या 973 का विवरण

परिशिष्ट—1

तीस जिले तीस काम योजनान्तर्गत पेयजल योजनाओं के स्वीकृत प्रस्ताव

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	गांव का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)	
1	2	3	4	5	6
1.	कामा	1. आगमेंटेशन जल योजना सहसन	सहसन	3.39	कार्य शुरू
2.	नगर	2. आगमेंटेशन जल योजना कैंथवाड़ा	कैंथवाड़ा	3.39	,,
3.	नगर	3. आगमेंटेशन जल योजना न. श्याम कुम्हारेडी	कुम्हारेडी	3.33	,,
4.	नगर	4. आगमेंटेशन जल योजना गुलपाड़ा	गुलपाड़ा	3.56	,,
5.	नदबई	5. आगमेंटेशन जल योजना कबई	कबई	3.02	,,
6.	नदबई	6. आगमेंटेशन जल योजना बरोलीरान	बरोलीरान	1.65	,,
7.	नदबई	7. आगमेंटेशन जल योजना बछामदी	बछामदी	1.68	,,
8.	डीग	8. आगमेंटेशन जल योजना नाहराचौथ	नाहराचौथ	2.27	कार्य शुरू नहीं
9.	डीग	9. आगमेंटेशन जल योजना नरैना चौथ	नरैना चौथ	2.98	,,
10.	डीग	10. आगमेंटेशन जल योजना बहज	बहज	3.52	,,
11.	भरतपुर	11. आगमेंटेशन जल योजना भरोली, न. भाट	न.भा.भारोली न. घरमीसिंह चितौकरी	1.25	कार्य शुरू
12.	भरतपुर	12. आगमेंटेशन जल योजना सेवरकला	सेवरकला	1.53	,,
13.	भरतपुर	13. आगमेंटेशन जल योजना हाथीपुरा न. परशुराम	न.हाथीपुरा न. परशुराम	1.64	,,
14.	भरतपुर	14. आगमेंटेशन जल योजना जिरोली	जिरोली	1.88	,,
15	कुम्हेर	15. आगमेंटेशन जल योजना पू.अस्तावन	अस्तावन कदीम अस्तावन कदीम पीढ़ी न. गारोली पिचूमर	5.81	,,

1	2	3	4	5	6
16.	कुम्हेर	16. आगमेंटेशन जल योजना कुरवारा लांकी	कुरवारा कांकी	2.71	कार्य शुरू
17.	वैर	17. आगमेंटेशन जल योजना कोटकी	सुहारी कोटकी	4.39	
18.	वैर	18. आगमेंटेशन जल योजना बल्लभगढ़	बल्लभगढ़	2.38	,,
19.	बयाना	19. आगमेंटेशन जल योजना बसूरी मूडिया	मूबरी, मूडिया	3.73	,,
20.	बयाना	20. आगमेंटेशन जल योजना चकबीछी न.मेदसिंह	चक बीछी न. मेदसिंह	3.11	,,
21.	रूपवास	21. आगमेंटेशन जल योजना कुन्देर, हाडोली	कुन्देर हाडोली	6.65	,,
		योग :		63.87	

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 974 की सूची

परिशिष्ट "क"

वर्ष 1990–91 व 91–92 (माह फरवरी तक) में इन्दिरा गांधी नगर परियोजना के अन्तर्गत सड़कों के लिए व्यय की गई धनराशि व (निर्माण) की विवरण सूची,

क्रमांक	सड़क का नाम	व्यय राशि (लाख) वर्ष 1990–91	व्यय राशि (लाख) वर्ष 1991–92	निर्माण वर्ष 1990–91	निर्माण वर्ष 1991–92
1	2	3	4	5	6
(अ) प्रवाह क्षेत्र					
1.	समानान्तर चारणवाला शाखा	6.62	64.32	कि. मी. 60.35 से कि. मी. 60.96 तक	कि. मी. 60.96 से कि. मी. 73.15 तक निर्माण कार्य प्रगति पर व कि. मी. 60.96 से कि. मी. 67.5 तक कार्य पूर्ण
2.	समानान्तर नाचना मुख्य व अपर वितरिका	43.86	78.52	कि. मी. 6.55	कि. मी. 17.34

1	2	3	4	5	6
3.	समानान्तर सागरमल गोपा शाखा	1.95 +2.95 4.90	.68	कि. मी. 0 से कि. मी 29 तक मरम्मत रख-रखाव कार्य और कि. मी. 0 से कि. मी. 95.7 में अन्तिम मुगतान हेतु	कि. मी. 0 से कि.मी. 29 तक मरम्मत व रख-रखाव कार्य
4.	समानान्तर शहीद बीरबल वितरिका	.49	.39	कि. मी. 0 से 30 कि. मी. तक के बकाया व अन्तिम मुगतान हेतु ।	कि. मी. 0 से 38 कि. मी. तक के बकाया व अन्तिम मुगतान हेतु ।
	योग	55.87	143.91		
5.	छावरा ग्राम से घुघरी नदी	6.28	.125	कि. मी. से कि. मी. 10.7 तक	कि. मी. 0 से 10.7 तक
6.	नहर कॉलोनी, जैसलमेर	1.96	8.43	कि. मी. 4.02 में कार्य	कि. मी. 4.02 में कार्य प्रगति पर
7.	मोहनगढ़ से बुर्जी–1438 इ. गा. मु. नहर		0·37		2.5 कि. मी. कार्य

1	2	3	4	5	6
8.	नहर कॉलोनी मोहनगढ़	—	1.58	—	6 कि. मी. में कार्य
9.	समानान्तर यह बाहला वितरिका	—	1.03	—	कि. मी. 0 से कि मी. 2.5 में कार्य
10.	जंजोवाली वितरिका	3·51	6.44	कि. मी. 0 से कि. मी. 16 तक के कार्यों में	कि. मी. 0 से कि. मी. 16 तक के कार्यों में
11.	समानान्तर पाली वितरिका	—	1.12	—	कि. मी. 1.6 के कार्य
12.	समानान्तर सुलताना वितरिका	—	7.35	—	कि. मी, 15 से कि. मी. 32 तक के कार्य
13.	समानान्तर साधा वितरिका	12.87	45.55	कि. मी. 24.5 तक के कार्य	कि. मी. 24.5 तक के कार्य
(ब) जलोत्थान क्षेत्र					
1.	समानान्तर साहबा लिफ्ट	1.90	4.49	रख-रखाव व अन्तिम बिलों के हेतु भुगतान हेतु	रख-रखाव व अन्तिम बिलों के हेतु भुगतान हेतु
2.	समानान्तर गजनेर लिफ्ट	29.18	37.11	कि. मी. 0 से कि. मी 10 तक के गजनेर कॉलोनी में के .6 कि. मी. कार्य	कि. मी 0 से 10 तक के व गजनेर कॉलोनी के .6 कि. मी. के कार्य
[illegible]	समानान्तर बांगड़सर लिफ्ट	0.06	47.57	कि. मी. 0 से कि. मी. 10 तक के कार्य	कि. मी. 0 से कि. मी. 10 तक के कार्य
4.	समानान्तर कोलायत लिफ्ट	0.06	58.98	कि. मी. 0 से कि. मी. 10 तक के कार्य।	कि. मी. 0 से कि. मी. 10 तक के कार्य
	योग	111.69 lac.	364.055 lacs.	रोड़ की ल. जो बनी 92.98 k.m.	रोड़ की ल. जो बनी × 139.3.10

परिशिष्ट—11

अतारांकित प्रश्न संख्या 975 का विवरण

ANNEXURE–"A"

Implementation Schedule of the O. E. C. F. Project.

(Physical)

S. No.	Name of Activity	Urit	90	91	92	93	94	Total
1.	C. G. P.	Rkm.						
	Advance Action		8000	10000	12000	15000	—	45000
	Planting		—	8000	10000	12000	15000	45000
2.	R. S. P.	Rkm.						
	Advance Action		—	200	200	400	—	800
	Planting		—	—	200	200	400	800
3.	B. P.	Hect.						
	Advance Action		1200	1500	1500	1800	—	6000
	Plantations		—	1200	1500	1500	1800	6000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	S. D. S.	Hect.						
	Advance Action		5000	6000	7000	7000	—	25000
	Plantations		—	5000	6000	7000	7000	25000
5.	P. D.	Hect.						
	Advance Acetion		2000	3000	5000	5000	—	15000
	Plantations		—	2000	3000	5000	5000	15000
6.	F. F.	No. of Plants.	(inmillion)					
	Raising of Plants		2.0	2.5	2.5	3.0	—	10.00
	Distribution		—	2.0	2.5	2.5	3.0	10.10
7.	E. P.	No. of Plants	(inmillion)					
	Plantations		0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.8
8.	Creation of Nurseries.	Nos.	8	10	7	—	—	25

STATEMEMENT SHOWING THE PHYSCAL TARGETS AND ACHTEVEMENT

UNDER O. E. C. F. PROJECT, 1991–92

S. No.	Name of works	Targets		Achievements	
		Planting		Planting	A. A.
1.	Canal side Plantation	2500	8000	2335	2145
2.	Road side Plantation	200	200	180	200
3.	Block plantation	700	1400	274.5	182
4.	Sand Dune Stabilization	1850	4500	1336	1193
5.	Pasture Development	1500	2000	735	635
6.	Enviromental Plantation	20000	—	20500	2000
7.	Farm Forestry	—	10 Lacs	3 Lacs	3 Lacs
8.	Completion of Nurseries.	10	—	10	

परिशिष्ट—12

अतारांकित प्रश्न संख्या 976 की सूची,

राजस्थान–सरकार

कार्यालय सहायक खनि. अभियन्ता निम्बाहेड़ा

पिछले पांच वर्ष दोरान बिलानाम भूमि में आवंटित खनन् पट्टों की सूची :—

क. सं.	नाम पदाधारी	ग्राम का नाम	नाम ग्राम पंचायत	तहसील	क्षेत्रफल	अवधी
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री रमेशचन्द्र जोशी	जोड़ा मोड़ा	बारापरदा	प्रतापगढ़	50×50 मी.	23-4-87 से 22-4-97
2.	श्री वशीलाल खाँ	गन्टेड़ी	मालुन्डी	मदेसर	100×100 मी.	28-4-87 से 27-4-97
3.	श्रीमती शकुन्तला	मांगरोल	मांगरोल	निम्बाहेड़ा	100×40 मी.	6-7-87 से 5-7-97
4.	श्री बेगलोर ग्रेनरिप्स्	बोर खेड़ी	मार खेड़ी	छोटी सादडी	100×100 मी.	15-9-90 से 14-9-20../
5.	श्री हेमेन्द्र प्रसाद	धनावेरी	पीलीखेड़ा	—	100×100 मी.	28-7-90 से 27-7-200/
6.	श्री प्रदीप कुमार व्यास	सत खण्डा	सत खण्डा	निम्बाहेड़ा	100×60 मी.	10-8-90 से 9-8-2000
7.	श्री अश्वनि कुमार	दोलतपुरा	माटोली	डुंगला	150×150 मी.	15-11-90 से 14-11-2000
8.	श्री उदयसिंह,	पिपलीगुड़ा	मालुन्डी	मदेसर	100×60 मी.	30-8-90 से 29-8-2000
9.	श्री राजेन्द्र कुमार	बोर खेड़ी	पीलीखेड़ा	छोटी सादडी	100×100 मी.	19-1-91 से 18-1-200/
10.	श्री शिवराजसिंह	मावनाथ की खेड़ी	मालुन्डी	मदेसर	100×50 मी.	18-2-91 से 17-2-200/
11.	श्री लक्षमण प्रसाद	मांगरोल	मांगरोल	निम्बाहेड़ा	60×40 मी.	7-11-91 से 6-11-200/
12.	श्री दिनेश चन्द्र	वनावेरी	पीलीखेड़ा	छोटी सादड़ी	100×100 मी.	18-12-91 से 17-12-200

1	2	3	4	5	6	7
13.	श्री सुशिल कुमार	—	—	—	—	—
14.	श्री राजेन्द्र कुमार	चिखा	मधुरा तालाब	प्रतापगढ़	—	6-1-92 से 5-1-200/
15.	श्री नवीन कुमार	—	—	—	—	—

सहायक खानि अधिकारी
निम्बाहेड़ा

कार्यालय सहायक खानि अभियन्ता, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पिछले पांच वर्षों में अप्रधान खानिज के बिलानाम भूमि में स्वीकृत खनन् पट्टों की सूचि :—

क. सं.	नाम पट्टाधारी	खनिज	क्षेत्रफल	निकट ग्राम व तह.	स्वीकृति दिनांक
1.	श्री आर. सी. व्यास	मेशनरी स्टोन	100 × 100 मी.	मान्दलवेह/ चित्तौड़गढ़	17–11–91 से 10 वर्ष
2.	श्री सुभाषचन्द बेहड़िया	ग्रेनाइट	100 × 100 मी.	ध्रुवालियां/ गंगरार	22–10–91 से 10 वर्ष
3.	श्री ललित अरोड़ा	मेशनरी स्टोन	100 × 100 मी.	मान्दलवेह/ चित्तौड़गढ़	1–9–92 से 10 वर्ष
4.	श्री पवनकुमार वेदी		100 × 100 मी.	,,	10–2–92 से 10 वर्ष

वर्ष 87 से 90 तक कोई खानन् पट्टा बिलानाम भूमि का स्वीकृत नहीं हुआ ।

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न 982 की सूची

वर्ष 1987 से लेकर 1991 तक 175 आर. टी. ए. 4 रक्बा रिज्यूम कर आवंटन की सूची :—

क. स.	नाम आवंटन मय पता		रेट	रक्बा बीघो में
1.	देवीलाल पुत्र हंसराज, मेघवाल	सा. डेलवा	राजरेट	8–10
2.	शेराराम पुत्र सुखराम, बावरी	,,	,,	8–00
3.	मुकन्दसिह पुत्र अर्जुनसिंह, मजखां	सा. 4 डैडी	,,	4–00
4.	सुरजाराम पुत्र मामराज, मेघवाल	सा. डेलवा	,,	4–00
5.	आत्मसिंह पुत्र गुलाबसिंह, जटसिख	सा. 43 आर. बी.	स्मालपेच	2–00
6.	सत्यपाल पुत्र बगडावत, विश्नोई	सा. 78 एल.एन.पी.	,,	1–06
7.	समुन्द्रसिंह पुत्र भगतसिंह, कम्बोसिख	सा. 47 एफ.	,,	0–08
8.	हरदयालसिंह पुत्र ईशरसिंह, जटसिख	सा. 78 एल. एन. पी.	,,	2–00
9.	बलदेवसिंह पुत्र ईशरसिंह, जटसिख	सा. 78 एन. एन. पी.	,,	1–06
10.	गुरजन्दसिह पुत्र नन्दसिंह, मजबीं	सा. 13 ई. ई. ए.	राजरेट	10–00

जिला कलक्टर
श्री गंगानगर ।

शुद्धि-पत्र

क्र. सं.	स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1.	41	फुट नोट	ब्द	शब्द
2.	123	1	श्री उपायध्क्ष	श्री उपाध्यक्ष
3.	134	5	स्री राजेन्द्र पारीक	श्री राजेन्द्र पारीक
4.	143	2	श्री सानर मल सैनी	श्री सागर मल सैनी
5.	170	3	श्री हरिकुमार (औदिच्य)	श्री हरिकुमार औदिच्य
6.	187	9	(खण्डेंल)	(खण्डेला)
7.	222	13	(साँगरिया)	(संगरिया)
8.	245-246	फोलियो	माँग संख्या 9 व 33 पर कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या 9 पर कटौती प्रस्ताव
9.	247-248	फोलियो	,, ,,	,, ,,
10.	275	24	श्री लाल चंद डूंडी	श्री लालचंद डूडी
11.	385	1	श्री रामस्वरूप मीन	श्री रामस्वरूप मीना
12.	405	1	श्री लालचंद डूंड़ी	श्री लाल चंद डूडी
13.	273	28	श्रीमती सुमित्रातिंह	श्रीमती सुमित्रासिंह
14,	274	3	श्री लाल चन्द डूंडी	श्री लाल चंद डूडी